



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन



हिमाचल प्रदेश सरकार
2024 का प्रतिवेदन संख्या 1
(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन**

**हिमाचल प्रदेश सरकार
2024 का प्रतिवेदन संख्या 1
(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)**

अनुक्रमणिका

विषय-वस्तु	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय-I: विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	4
सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण	1.3	5
राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	11
राज्य सरकार का भारत सरकार की निर्धारित सीमा के अनुसार उधार लेने के संबंध में प्रदर्शन	1.5	17
लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् घाटा	1.6	17
लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् - कुल बकाया ऋण	1.7	18
अध्याय-II: राज्य के वित्त		
वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय योगों में हुए प्रमुख परिवर्तन	2.1	21
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	22
राज्य के संसाधन	2.3	23
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	38
लोक लेखा	2.5	58
लोक देयता प्रबंधन	2.6	64
ऋण धारणीयता विश्लेषण	2.7	71
प्रमुख विशेषताएं	2.8	83
निष्कर्ष	2.9	83
सिफारिशें	2.10	84
अध्याय-III: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	85
विनियोजन लेखे	3.2	89
बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3	90

विषय-वस्तु	परिच्छेद	पृष्ठ
बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता	3.4	104
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	111
निष्कर्ष	3.6	117
सिफारिशें	3.7	118
अध्याय-IV: लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं		
सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों के प्रति ब्याज के संबंध में देयताओं का निर्वहन न करना	4.1	119
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां	4.2	120
उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.3	120
सार आकस्मिक बिल	4.4	123
व्यक्तिगत लेज़र/निक्षेप लेखे	4.5	124
लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.6	125
मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया	4.7	126
नकद शेष का मिलान	4.8	127
मंडलाधिकारियों के पास रखी अव्ययित राशि	4.9	128
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.10	128
स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	4.11	129
निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना	4.12	129
विभागीय व्यावसायिक उपक्रम/निगम/कंपनियां	4.13	130
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	4.14	132
राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.15	133
राजकोषीय हस्तांतरण पर छठे हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन	4.16	134
निष्कर्ष	4.17	134
सिफारिशें	4.18	134
अध्याय-V: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
सरकारी कंपनियों की परिभाषा	5.1	135
लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	135

विषय-वस्तु	परिच्छेद	पृष्ठ
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.3	136
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.4	138
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिफल	5.5	139
ऋण अदायगी	5.6	141
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन	5.7	142
राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	5.8	147
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.9	149
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.10	149
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.11	151
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम	5.12	152
निष्कर्ष	5.13	154
सिफारिशें	5.14	155

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य रूपरेखा	1.1	157
1.2	31 मार्च 2022 व 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय प्रास्थिति	1.3.2	158
2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	2.2 व 2.4.1	159
2.2	वर्ष 2022-23 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरण का सार	2.3.2.1	161
2.3	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या जिसमें राज्य सरकार का निवेश (इक्विटी) किया गया	2.4.2.2 (i)	163
2.4	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या जिनमें राज्य सरकार द्वारा किए निवेश पर संचित हानि हुई	2.4.2.2 (i)	164
2.5	31.03.2023 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों में किए गए निवेश का विवरण	2.4.2.2 (iii)	165
2.6	31 मार्च 2023 तक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का विवरण	2.4.2.3	166
3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	3.1	170
3.2	श्रेणी-1 योजनाएं (100% महिला लाभार्थी)	3.1.1	173
3.3	बचत में परिणत अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.4	175
3.4	आधिक्य में परिणत अनुचित पुनर्विनियोजन	3.3.4	179
3.5	आधिक्य में परिणत अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	3.3.4	180
3.6	बचत वाले अनुदानों की सूची	3.3.5(i)	182
3.7	निरंतर एक करोड़ से अधिक की बचत वाले मामलों का विवरण	3.3.5(ii)	184
3.8	मुख्य शीर्ष-वार आधिक्य	3.3.6.1	185
3.9	प्रमुख योजना-वार बजट एवं उपयोग	3.4.4	191
3.10	संपूर्ण बजट प्रावधानों का व्यपवर्तन	3.4.4	194
3.11	मुख्य-शीर्ष-वार व्यय का तीव्र प्रवाह	3.4.5	196
3.12	सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का तिमाही विवरण	3.4.5	197

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
4.1	भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां	4.2	199
4.2	31 मार्च 2023 तक बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र	4.3	203
4.3	31 मार्च 2023 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में अव्ययित शेष को दर्शाने वाली विवरणी	4.5	208
4.4	लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक व्यय का विवरण	4.6	210
4.5	लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक की गई प्राप्तियों का विवरण	4.6	211
4.6	स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण/संस्थाओं की सूची	4.11 व 4.12	213
5.1	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार/अन्य द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए इक्विटी व दीर्घावधि ऋण के निवेश को दर्शाने वाला विवरण	5.4.1	215
5.2	30 सितम्बर 2023 तक लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्तमान वर्ष हेतु संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	5.3	217
5.3	01 अप्रैल 1999 व 1999-2000 से 2022-23 तक राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	5.7.3	220
5.4	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संचित हानि को दर्शाने वाला विवरण	5.8.2	223
5.5	30 सितम्बर 2023 तक बकाया लेखों की संख्या सहित बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची	5.10.2	224
5.6	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जहां अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई	5.12.1	225

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-I राज्य का विहंगावलोकन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान, सरकारी लेखाओं की संरचना तथा राज्य के वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट) प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय II एवं III में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखाओं व विनियोजन लेखाओं की जांच से उजागर मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है।

लेखाओं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर अध्याय-IV चालू वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना का संक्षिप्त विवरण तथा प्रास्थिति को प्रस्तुत करता है।

‘राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम’ पर अध्याय-V में सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी वित्तीय विवरणियों/प्रदर्शन पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में हुए लेनदेनों की लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष समाविष्ट हैं तथा राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राज्य के वर्ष 2022-23 के वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन एवं लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं तथा राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय-वस्तु पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण आंकड़ों व पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट प्रयोजन के अनुरूप प्रदर्शन, राजस्व व व्यय प्राक्कलन, भिन्नताओं के कारण तथा उसके प्रभाव के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्यों पर) 7.26 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 के ₹ 1,48,383 करोड़ से ₹ 1,95,405 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 में राज्य का बजट परिव्यय 10.97 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 46,984 करोड़ से ₹ 67,733 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 की तुलना में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियां मात्र 2.09 प्रतिशत बढ़ीं एवं वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2021-22 के 21.17 प्रतिशत से घटकर 19.49 प्रतिशत रह गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 8.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं राज्य के स्व-कर राजस्व में 9.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं ऋण व अग्रिम) वर्ष 2021-22 में ₹ 42,602 करोड़ से 18.69 प्रतिशत बढ़कर ₹ 50,565 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में वर्ष 2021-22 से 22.74 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2021-22 का राजस्व अधिशेष (₹ 1,115 करोड़) वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व घाटे (₹ 6,336 करोड़) में बदल गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 के ₹ 5,245 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 12,380 करोड़ हो गया।

प्राप्ति-व्यय का असंतुलन

प्राप्तियों व व्यय के मध्य निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय दबाव को परिलक्षित करता है। राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं यथा राज्य का स्व-कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, करों में राज्यांश का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान एवं अंतरण तथा ऋण रहित

पूँजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखा के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (परिसंपत्ति सृजन, ऋण व अग्रिम, निवेश, इत्यादि) भी शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक राजस्व प्राप्तियां में ₹ 30,950.32 करोड़ से ₹ 38,089.50 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.97 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियां भी ₹ 1,784.70 करोड़ से बढ़कर ₹ 12,331.41 करोड़ हो गईं। वर्ष 2018-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का अंश 43.93 प्रतिशत से 55.06 प्रतिशत के मध्य था, जो भारत सरकार की सहायता पर निर्भरता को इंगित करता है। वर्ष में राज्य सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु केंद्रांश के रूप में ₹ 4,736.66 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान हेतु राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार इससे राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा नेटवर्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वर्ष 2018-19 व वर्ष 2022-23 के मध्य राजस्व व्यय ₹ 29,442.11 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19.84 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 44,425.26 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.73 प्रतिशत) हो गया। 10.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ते हुए इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग (85 से 88 प्रतिशत) बना रहा।

क्षमता से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य का अंतर राजस्व घाटे में परिणत होता है। वर्ष 2018-22 (2020-21 के अतिरिक्त) के दौरान राजस्व अधिशेष के अनुभव के पश्चात पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में पर्याप्त वृद्धि के कारण वर्ष 2021-22 का राजस्व अधिशेष (₹ 1,114.76 करोड़) वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6,335.76 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत) के राजस्व घाटे में बदल गया।

राज्य सरकार ने केवल पूँजीगत लेखा में ₹ 6,029 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2022-23 के कुल व्यय का 11.92 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल उधारी का मात्र 26.95 प्रतिशत था। इस प्रकार उधार निधियों का उपयोग पूँजी सृजन/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान खपत को पूरा करने एवं उधारों के पुनर्भुगतान हेतु किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय व ऋण-रहित कुल प्राप्ति के मध्य का अंतर राजकोषीय घाटे में परिणत होता है। वर्ष 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 के ₹ 3,512 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 12,380 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.34 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का परिमाण सबसे बड़ा भाग बनाता है। प्रतिबद्ध व्यय का पहला प्रभार संसाधनों पर होता है, जिसमें ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी एवं पेंशन पर व्यय शामिल है। वर्ष 2018-19 व 2022-2023 के मध्य ब्याज भुगतान, वेतन व पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 64-70 प्रतिशत था।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त अनम्य व्यय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय के 2.45 प्रतिशत से बढ़कर 4.55 प्रतिशत हो गया, जो एक बढ़ती प्रवृत्ति का परिचायक है। वर्ष 2022-23 में अनम्य व्यय 25.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2021-22 के ₹ 1,607 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,020 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022-23 में प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय दोनों मिलकर ₹ 31,983.03 करोड़ थे; जो राजस्व व्यय का 71.99 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं पूंजी सृजन हेतु कम लचीलापन (गुंजाइश) रह जाता है।

सब्सिडी द्वारा अप्रतिबद्ध व्यय का बड़ा भाग ले लेना

अप्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई, जो वर्ष 2018-2019 के ₹ 1,282.60 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,973.32 करोड़ हो गई एवं वर्ष 2018-23 के दौरान अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में इसका भाग नौ प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक रहा। इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में विद्युत सब्सिडी का 35 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक उल्लेखनीय भाग रहा।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देयताएं

वर्ष 2022-23 में सरकार ने ₹ 643.61 करोड़ के उधार पर गारंटी प्रदान की। वर्ष के दौरान सरकार ने गारंटी पर कोई राशि अधिरोपित नहीं की।

राजकोषीय धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता की जांच घाटे, ऋण व देयताओं के स्तर, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे व्यापक-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व व व्यय में असंतुलन का प्रश्न है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन व मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज इत्यादि और अन्य अनम्य व्यय भी शामिल हैं जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु प्रतिबद्धता से उत्पन्न होने वाले व्यय, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों में अंतरण, इत्यादि।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अपेक्षाएं तथा राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे व ऋण हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं एवं प्रदान की गई गारंटी गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का एक निश्चित प्रतिशत होनी चाहिए। वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा राजस्व अधिशेष के लक्ष्य के सापेक्ष 3.24 प्रतिशत रहा; राजकोषीय घाटा छः प्रतिशत या उससे कम के लक्ष्य के सापेक्ष 6.34 प्रतिशत रहा; ऋण 40.49 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 42.05 प्रतिशत रहा व दी गई गारंटी 40 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 4.77 प्रतिशत रही।

इसके अतिरिक्त सरकार की समग्र देयता (जिसमें लोक ऋण व लोक लेखा देयताएं शामिल हैं) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 42.05 प्रतिशत थी। राजकोषीय प्रवृत्तियों को देखें तो राज्य की वित्तीय स्थिति भारी दबाव में है।

ऋण धारणीयता विश्लेषण के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार का लोक ऋण वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के मध्य 11.46 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में लोक ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वर्ष 2018-19 के 24.55 प्रतिशत से 30.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2020-21 (कोविड वर्ष) के दौरान डोमर अंतराल (जी-आर) ऋणात्मक था। हालांकि कोविड पश्चात के वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान यद्यपि डोमर अंतराल (जी-आर के रूप में व्यक्त) सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि के कारण ऋणात्मक था (इसे कोविड वर्ष के संदर्भ में कम आधार के संदर्भ में देखा जा सकता है) तथापि प्राथमिक घाटा स्थिर नहीं था एवं विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में यह तेजी से बढ़ा। इस प्रकार केवल वर्ष 2021-22 व 2022-23 में डोमर अंतराल को देखकर निश्चित रूप से साधारणतः मजबूत आर्थिक विकास प्रवृत्ति (जी-आर > 0 के रूप में व्यक्त) के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-2023 की अवधि के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों के बड़े भाग का उपयोग उधार चुकाने के लिए किया जा रहा था, जो 45.31 प्रतिशत व 74.11 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास (2021-2023 से जी-आर > 0 के रूप में व्यक्त) पर निर्भर रहना राज्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

ऊपर चर्चा किए गए विश्लेषण एवं परिणामों के अनुसार देयताओं (ऋण चुकौती, गारंटी इत्यादि) की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ-साथ प्राप्ति व व्यय के मध्य लगातार असंतुलन के कारण हिमाचल

प्रदेश राज्य का वित्त दबाव में है, जो ऋण स्थिरीकरण एवं ऋण धारणीयता के लक्ष्य को प्राप्त करने में जोखिम पैदा करता है।

बजट प्रदर्शन

समग्र व्यय आउटटर्न

बजटीय प्रयोजन व कार्यान्वयन के संदर्भ में आधिक्य व बचत दोनों के अनुसार मूल रूप से स्वीकृत राशि को समग्र व्यय आउटटर्न किस अधिकतम सीमा तक दर्शाता है, इसका आंकलन करने के लिए बजट प्रदर्शन की जांच की गई। राजस्व प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में 8.51 प्रतिशत का आधिक्य रहा। इसका कारण 26 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। छः अनुदानों में अंतर +50 प्रतिशत से अधिक था। अन्य छः अनुदानों में वास्तविक अनुदान की तुलना में कमी थी, जहां अंतर -3.00 प्रतिशत से -24.58 प्रतिशत तक था। पूंजीगत प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर +46.45 प्रतिशत रहा। इसका कारण 17 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। अन्य छः अनुदानों में +100 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। इसके अतिरिक्त इन छः अनुदानों में से चार अनुदानों में +400 प्रतिशत से अधिक का अंतर रहा।

व्यय संघटन आउटटर्न

बजट प्रदर्शन निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुनः आवंटन से व्यय संघटन में हुए अंतर की अधिकतम सीमा को भी देखता है। यह माप अंतिम बजट एवं वास्तविक व्यय के मध्य के अंतर की अधिकतम सीमा की सीमा को इंगित करता है। राजस्व प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -3.96 प्रतिशत रहा। इसका कारण 25 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में -0.14 प्रतिशत से -24.58 प्रतिशत तक की कमी होना था। पूंजीगत प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -12.48 प्रतिशत रहा। इसका कारण 18 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में कमी होना था एवं तीन अनुदानों में -50 प्रतिशत से अधिक का अंतर था।

वर्ष 2022-23 के दौरान पाया गया कि सात मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) में ₹ 246.39 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन परिलक्षित करता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय व मूल बजट के मध्य तथा वास्तविक व्यय व अंतिम बजट के मध्य छः प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक हक अंतर था तथापि विभिन्न अनुदानों में 400 प्रतिशत तक अंतर था। इसके अतिरिक्त

कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान देखे गए जहां व्यय मूल अनुदान के स्तर तक भी नहीं था। ऐसे अंतरों के समधान् हेतु एक विश्वसनीय बजटीय प्रथा की आवश्यकता है।

लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता

लेखा व वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता उन मदों, लेनदेन एवं घटनाओं को कवर करती है जो अनुपालन अंतर, विनियमन की कमियों और उन लेखांकन रिकॉर्ड या समायोजन रिकॉर्ड की प्राप्ति में विलम्ब से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं, जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। इसमें लेखाओ व वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों जैसे निधियां सरकारी खातों के बाहर जमा करना, देयताओं का निर्वहन न करना/कम करना तथा लेनदेन व आंकड़ों में अंतर के गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डाला गया है।

अनुदान/विनियोजन से अधिक राशि का विनियमन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 व 205 के अनुसार राज्य सरकार को अनुदानों/विनियोजनों से हुए आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित कराना होता है। यह पाया गया कि वर्ष 2022-23 में 16 अनुदानों एवं दो विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 662.14 करोड़ का व्यय आधिक्य पाया गया, जिसे विनियमित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 से 2021-22 की अवधि से संबंधित ₹ 10,600.63 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया।

भारत सरकार लेखांकन मानक की अनुपालना

राज्य सरकार ने भारत सरकार लेखांकन मानकों में निहित अपेक्षाओं के सापेक्ष भारत सरकार लेखांकन मानक-2: सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण का आंशिक रूप से अनुपालन नहीं किया।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखा का संचालन

द्वारा व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का संबंधित प्रशासकों के साथ मिलान करने की कोषागार अपेक्षाओं के सापेक्ष दो मामलों (68 में से) में कोई मिलान नहीं किया गया।

एकल नोडल एजेंसी को दी गई निधियां

भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह हेतु एकल नोडल एजेंसी की प्रणाली प्रस्तुत की। भारत सरकार व राज्य सरकार के अंश सरकारी खाते से इतर स्थित राज्य सरकार के बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केन्द्रांश के रूप में

₹ 3,621.78 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने एकल नोडल एजेंसियों को ₹ 4,078.23 करोड़ (केंद्रांश ₹ 3,294.07 करोड़ व राज्यांश ₹ 784.16 करोड़) हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2023 तक एकल नोडल एजेंसियों के बैंक खातों में ₹ 2,722.47 करोड़ अव्ययित रहे।

सशर्त अनुदान के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र

31 मार्च 2023 तक निर्धारित समयावधि के भीतर सशर्त अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होने के बावजूद ₹ 4,242.51 करोड़ के 4,106 बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र लंबित थे।

विस्तृत आकस्मिक बिल के प्रति सार आकस्मिक बिल

अक्टूबर 2022 में राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम आहरण एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से समायोजन हेतु पृथक/चिह्नित करने एवं कोड बनाने (संहिताकरण) के लिए तंत्र लागू किया।

प्रचलित नियमों व कोडल प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसकी अनुपालना न करना एवं विचलन लेखांकन व वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान हेतु उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत न करना; तथा भारत सरकार लेखांकन मानक-2 का आंशिक रूप से अनुपालन न करना देखा गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्य-पद्धति

31 मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 30 उद्यम (दो निष्क्रिय एवं एक परिसमापनाधीन) थे। इनमें दो संविधिक निगम एवं चार सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां शामिल थीं। वित्तीय विवरणी प्रस्तुत करने से संबंधित निर्धारित समयसीमा का पालन 73 बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उद्यमों ने नहीं किया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 कार्यशील उद्यमों के अर्जित ₹ 20.21 करोड़ के कुल लाभ में से 69.32 प्रतिशत का योगदान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल तीन उद्यमों द्वारा दिया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के आठ कार्यशील उद्यमों में हुए ₹ 604.94 करोड़ के कुल घाटे में से ₹ 594.70 करोड़ (98.31 प्रतिशत) का घाटा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों को हुआ।

राज्य सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन पर उनकी बकाया वित्तीय विवरणियों को शीघ्र अंतिम रूप देने का दबाव बनाएं ताकि वे राज्य विधायिका की निगरानी में रहें। राज्य सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की हानि के कारणों का भी विश्लेषण करें, जिनके नेटवर्थ का क्षरण हो गया है एवं उनके परिचालन को कुशल व लाभप्रद बनाने के लिए कदम उठाएं।

**अध्याय-।
विहंगावलोकन**

अध्याय - I विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी भाग के हिमालयीन क्षेत्र में स्थित है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई में समुद्र तल से 350 मीटर से 6,975 मीटर तक की भिन्नता है, जिससे जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय से शुष्क शीतोष्ण पर्वतीय में परिवर्तित हो जाती है। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 वां (55,673 वर्ग किलोमीटर) सबसे बड़ा राज्य है। इसे 12 जिलों में व्यवस्थापित किया गया है। जिलों को आगे तीन मण्डलों (2011 की जनगणना के अनुसार), 74 उप-मंडलों, 113 तहसीलों, 73 उप-तहसीलों, 88 खण्डों (31 मार्च 2022 तक) एवं 17,882 बसे हुए गांवों (2011 की जनगणना के अनुसार) में विभाजित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयीन राज्यों की श्रेणी में आता है, तदनुसार उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयीन राज्यों को दिया जाने वाला अंशदान स्वरूप (राज्यांश के संदर्भ में भारत सरकार की वित्तीय सहायता) का अनुपात 90:10 (मुख्य योजनाओं हेतु) व 80:20 (वैकल्पिक योजनाओं हेतु) है, जबकि सामान्य श्रेणी के राज्यों के राज्यांश के संदर्भ में भारत सरकार की वित्तीय सहायता 60:40 (मुख्य योजनाओं हेतु) व 50:50 (वैकल्पिक योजनाओं हेतु) के अनुपात में होती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के भारत व राज्यों (2011-36) के जनगणना अनुमानों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 74.68 लाख (2023) थी, जो देश की जनसंख्या (138.82 करोड़) का 0.54 प्रतिशत है तथा जनसंख्या के मामले में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20वें स्थान पर है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 134 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत 422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। राज्य की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत थी (परिशिष्ट 1.1)।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक होती है, क्योंकि यह किसी समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष क्षेत्रीय भागीदारी में बदलाव भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक,

द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शाई गई है तथा वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय भागीदारी एवं क्षेत्रीय वृद्धि चार्ट 1.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां (चालू मूल्य पर)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भारत					
सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	1,88,99,668	2,01,03,593 ^अ	1,98,29,927 ^अ	2,34,71,012 ^अ	2,72,40,712 ^अ
सकल मूल्य वर्धित	1,71,75,128	1,83,81,117 ^ब	1,81,88,780 ^ब	2,14,38,883 ^ब	2,47,42,871 ^ब
गत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	-1.36	18.36	16.06
पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	-1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
हिमाचल प्रदेश					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	1,48,383	1,59,164 ^ब	1,55,251 ^ब	1,76,269 ^ब	1,95,405 ^ब
सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए)	1,38,984	1,49,042 ^ब	1,45,719 ^ब	1,66,442 ^ब	1,84,511 ^ब
गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.10	7.27	-2.46	13.54	10.86
गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.78	7.24	-2.23	14.22	10.86
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ में)	2,03,823	2,17,229	2,10,539	2,37,720	2,62,182

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (तत्कालीन सीएसओ), सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनंतिम अनुमान हैं।

अ-अग्रिम अनुमान, ब-प्रथम संशोधित अनुमान, स-द्वितीय संशोधित अनुमान, द-तृतीय संशोधित अनुमान


वर्ष 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 1,95,405 करोड़ था एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 2,72,40,712 करोड़ था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 में राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2.62 लाख था जबकि देश का प्रति व्यक्ति

सकल घरेलू उत्पाद ₹ 1.97 लाख था। हालांकि वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (28.63 प्रतिशत) इस अवधि के दौरान देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (38.31 प्रतिशत) की समान गति से नहीं चल सकी। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि राज्य की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत जो 2018-19 के दौरान देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से 43.11 प्रतिशत अधिक था, वर्ष 2022-23 के अंत तक देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से घटकर 33.10 प्रतिशत से अधिक घट गया।

सकल मूल्य वर्धित का उपयोग भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण हेतु किया जा रहा है क्योंकि सकल मूल्य वर्धित कर व सब्सिडी के प्रभाव की उपेक्षा करता है अतः इसे सकल घरेलू उत्पाद एवं आर्थिक विकास की तुलना हेतु बेहतर संकेतक माना जाता है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद को निजी खपत पर व्यय, सरकारी खपत पर व्यय व सकल अचल पूंजी निर्माण या निवेश पर व्यय सहित अर्थव्यवस्था में होने वाले विभिन्न व्ययों के योग के रूप में भी परिकल्पित किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करता है। शुद्ध करों की विवेचना में दोनों उपाय भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति-निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण एवं नीतिगत हस्तक्षेप हेतु सकल मूल्य वर्धित व सकल राज्य मूल्य वर्धित आंकड़ों की तुलना महत्वपूर्ण है।


वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य मूल्य वर्धित की प्रवृत्ति नीचे चार्ट में दर्शाई गई हैं:

चार्ट 1.1: सकल राज्य मूल्य वर्धित की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (2018-19 से 2022-23)



स्रोत: सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

एसआर- द्वितीय संशोधित अनुमान, एफआर- प्रथम संशोधित अनुमान, ए- अंतिम अनुमान

चार्ट 1.2 दर्शाता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी के पश्चात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी करने वाले सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग व सेवा गतिविधि में "वी" आकार के सुधार जैसी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्यतः फसल, वानिकी व लकड़ी, विनिर्माण एवं अन्य उपयोगिता सेवाओं के उप-क्षेत्रों में हुई वृद्धि के कारण कृषि (प्राथमिक) व उद्योग (द्वितीयक) क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

यद्यपि वर्ष 2022-23 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में छः प्रतिशत (7.52 प्रतिशत से 13.52 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका कारण पशुधन (22.95 प्रतिशत), खनन व उत्खनन (14.11 प्रतिशत) एवं फसल (4.36 प्रतिशत) में वृद्धि थीं। तथापि विगत वर्ष की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र (9.99 प्रतिशत) व तृतीयक क्षेत्र (10.89 प्रतिशत) के अंतर्गत वृद्धि दर क्रमशः 1.65 प्रतिशत व 8.34 प्रतिशत तक घट गई। विगत वर्ष की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र में हुई गिरावट मुख्य रूप से विनिर्माण में कमी (6.54 प्रतिशत) के कारण तथा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, मरम्मत, होटल व रेस्तरां (48.87 प्रतिशत) एवं परिवहन, भंडारण व संचार (11.66 प्रतिशत) में गिरावट के कारण हुई।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के नियमानुसार राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधायिका के समक्ष रखता है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2)

के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं लेखाओं का संचालन करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे वार्षिक रूप से संकलित करते हैं। इन लेखाओं की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 हेतु राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़े (कोर डेटा) हैं। सम्मिलित अन्य स्रोत हैं:

- वर्ष 2022-23 का राज्य बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं का आंकलन करने, बजट कार्यान्वयन की दक्षता एवं प्रासंगिक नियमों व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए,
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम,
- विभागीय प्राधिकरणों एवं कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम) से प्राप्त अन्य विवरण,
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े एवं राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकीय; तथा
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

इस प्रतिवेदन में किए गए विश्लेषण भी चौदहवें व पंद्रहवें वित्त आयोग, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं व दिशानिर्देशों की संस्तुतियों पर आधारित है।

राज्य सरकार के उत्तर/विचार प्राप्त करने एवं प्रतिवेदन पर चर्चा हेतु अंतिम बैठक के आयोजनार्थ इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 से V में दिए लेखापरीक्षा विश्लेषण/ निष्कर्ष नवंबर 2023 में राज्य सरकार को भेजे गए। हालांकि जनवरी 2024 तक राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

1.3 सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है:

भाग I: राज्य की समेकित निधियां (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त ऋण (बाजार ऋण, बांड, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों में प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु

बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों एवं राज्य सरकार को ऋणों की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि सम्मिलित है। इस निधि से धनराशि नियमानुसार एवं किसी उद्देश्यार्थ तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके से ही विनियोजित की सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों का वेतन, ऋण चुकौती इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभारित होती है तथा उन पर विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधायिका की सहमति आवश्यक है।

भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है, जिसे राज्य विधायिका ने कानून द्वारा स्थापित किया है तथा इसे राज्यपाल के अधीन रखा गया है ताकि वह व्यय जो विधायिका की अनुज्ञा हेतु लम्बित है ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु दिए अग्रिमों के निपटान हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस निधि को राज्य को समेकित निधि से सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से व्यय को डेबिट करके पुनः प्राप्त किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस निधि की संचित निधि ₹ 5.00 करोड़ रुपए है।

भाग III: राज्य का लोक लेखा (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त समस्त सार्वजनिक धन लोक लेखा में जमा होता है, जहां सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा में लघु बचत व भविष्य निधि, निक्षेप (सब्याज व ब्याज रहित), प्रेषण व उचंत शीर्ष (दोनों अस्थाई शीर्ष, जो अंतिम बुकिंग हेतु लम्बित है) जैसे वापस चुकाने वाले भुगतान समाविष्ट होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा हेतु विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती।

बजट दस्तावेज

भारत में यह संवैधानिक रूप से अपेक्षित है (अनुच्छेद 202) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय के विवरण राज्य की विधानसभा के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। यह "वार्षिक वित्तीय विवरणी" मुख्य बजट दस्तावेज बनाता है। इसके अतिरिक्त बजट राजस्व लेखा के व्यय से अन्य व्यय को पृथक रखे।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व व संघीय करों/शुल्कों का अंश), कर-भिन्न राजस्व एवं भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वो सभी व्यय सम्मिलित हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते। यह उन खर्चों से सम्बन्धित है जो सरकारी विभागों के सामान्य-कामकाज एवं विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए ऋणों पर ब्याज भुगतानों तथा

विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माणार्थ हो) पर किए गए हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों के अंतर्गत निवल लेनदेन, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम इत्यादि; तथा
- **ऋण-रहित प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों व अग्रिमों की वसूली, इत्यादि।


पूँजीगत व्यय में सरकार द्वारा भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण के अधिग्रहण एवं शेरों में निवेश तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य पक्षों को दिए गए ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्तमान में हमारे पास एक सरकारी लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

अपनाया गया	लेनदेन का कारण	वर्गीकरण
लेखा-महानियंत्रक द्वारा मानकीकृत मुख्य व लघु शीर्षों की सूची	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/ विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार-अंकीय)
	सह-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो- अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (तीन- अंकीय)
राज्यों को दी गई छूट	योजना	उप-शीर्ष (दो- अंकीय)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो- अंकीय)
	आर्थिक स्वरूप/ गतिविधि	वस्तु शीर्ष- वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (दो- अंकीय)

यह कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम एवं व्यय के प्रयोजन की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजीगत, ऋण इत्यादि में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण चार-अंकीय मुख्य शीर्ष के पहले अंक में निहित संख्यात्मक तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरणार्थ 0 व 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए और 2 व 3 राजस्व व्यय के लिए है, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ वस्तु शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा व वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरणार्थ आमतौर पर "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोजन की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखाओं की संरचना



स्रोत: बजट नियमावली

लोक ऋण एवं लोक देयता : इस प्रतिवेदन में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण इत्यादि को समाविष्ट करने के लिए 'लोक ऋण' को लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 - लोक ऋण को लिया गया।

इसके अतिरिक्त लोक लेखा के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि, 'आरक्षित निधि' एवं 'निक्षेप व अग्रिम' से संबंधित ऐसे लेनदेन होते हैं जिनके लिए सरकार पर प्राप्त धनराशि को चुकाने की देयता उत्पन्न होती है अथवा भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा होता है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' व 'उचंत' से संबंधित लेनदेन में केवल लेनदेन जैसे समायोजन शीर्ष शामिल होते हैं यथा कोषागारों एवं मुद्रा संदूकों (चेस्टों) के मध्य नकदी के प्रेषण एवं विभिन्न लेखांकन सर्किलों के मध्य स्थानांतरण के रूप में लेनदेन।

इस प्रतिवेदन में 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' एवं 'निक्षेप व अग्रिम' से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत हुए लेनदेन के साथ मुख्य शीर्ष 6003 व 6004 के तहत किए गए लेनदेन को समाविष्ट करने के लिए 'लोक देयता' को लिया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के नियमानुसार राज्य का राज्यपाल राज्य की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण **वार्षिक वित्तीय विवरणी** के रूप में राज्य की विधायिका के

समक्ष प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 203 की शर्तानुसार यह विवरण अनुदान/विनियोजनों की मांग के रूप में राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसके अनुमोदनोपरांत विधायिका समेकित निधि में से अपेक्षित धन को विनियोजन हेतु प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोजन विधेयक पारित करती है।

राज्य बजट नियमपुस्तिका बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है एवं राज्य सरकार को उसके व्यय गतिविधियों की निगरानी करने व बजटीय अनुमान बनाने में मार्गदर्शन देती है। राज्य सरकार के बजट एवं अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय-III में विवर्णित है।

1.3.1 वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट)

तालिका 1.2 वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2021-22 व 2022-23 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.2: वित्त का स्नैपशॉट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (वास्तविक)	2022-23 में अनुमानित बजट से वास्तविक का प्रतिशत	2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
1.	कर राजस्व (i+ii)	17,063.62	17,659.58	18,479.24	104.64	9.46
	(i) स्व-कर राजस्व	9,714.58	10,881.39	10,595.26	97.37	5.42
	(ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश	7,349.04	6,778.19	7,883.98	116.31	4.03
2.	कर-भिन्न राजस्व	2,612.36	2,769.40	2,876.33	103.86	1.47
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	17,633.32	15,946.33	16,733.93	104.94	8.56
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	37,309.30	36,375.31	38,089.50	104.71	19.49
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	40.73	45.09	82.79	183.61	0.04
6.	अन्य प्राप्तियां	7.01	0.00	12.59	0.00	0.01
7.	निवल उधार व अन्य देयताएं*	5,244.85 [§]	9,602.35 [*]	12,379.84	128.93	6.34
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	5,292.59 [§]	9,647.44	12,475.22	129.31	6.38
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	42,601.89	46,022.75	50,564.72	109.87	25.88
10.	राजस्व व्यय	36,194.54	40,278.80	44,425.26	110.29	22.74
11.	ब्याज भुगतान [#]	4,640.79	5,104.64	4,828.64	94.59	2.47
12.	पूंजीगत व्यय	6,029.38	5,646.57	6,028.89	106.77	3.09
13.	ऋण व अग्रिम	377.97	97.38	110.57	113.54	0.06
14.	कुल व्यय (10+12+13)	42,601.89	46,022.75	50,564.72	109.87	25.88
15.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-10)	1,114.76	-3,903.49	-6,335.76	162.31	-3.24
16.	राजकोषीय घाटा ((4+5+6)-14)	-5,244.85	-9,602.35	-12,379.84	128.93	-6.34
17.	प्राथमिक घाटा (16-11)	-604.06	-14,706.99	-7,551.20	51.34	-8.81

स्रोत: वित्त लेखे

* उधार एवं अन्य देयताएं: निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां - संवितरण) + निवल अथ व अंत नकद शेष।

§ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में राज्य को दिए गए ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल हैं।

क्रम संख्या 10 पर दर्शाए गए राजस्व व्यय में शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष से 2.09 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई जो बजट अनुमान से 4.71 प्रतिशत अधिक रही। चालू वर्ष के दौरान राजस्व

प्राप्तियों (₹ 38,089.50 करोड़) से राजस्व व्यय (₹ 44,425.26 करोड़) का आधिक्य था, जो ₹ 6,335.76 करोड़ के राजस्व घाटे में परिणत हुआ।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 में परिकल्पित प्रवाधानुसार वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले ₹ 1,293.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

1.3.2 सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं एवं किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों का ब्यौरा रखते हैं। परिशिष्ट 1.2 विगत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2023 तक ऐसी देयताओं एवं परिसंपत्तियों का सार दर्शाता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम, लोक लेखा से मिली प्राप्तियां एवं आरक्षित निधियां आती हैं जबकि परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम तथा नकद शेष समाविष्ट हैं। परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांक्षित स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दर्शाई गई है:

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांक्षित स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				परिसंपत्तियां					
संघटक	2021-22	2022-23	प्रतिशत में वृद्धि/गिरावट	संघटक	2021-22	2022-23	प्रतिशत में वृद्धि/गिरावट		
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	44,376.03	55,975.16	26.14	अ	सकल पूंजीगत व्यय	55,459.49	61,488.38	10.87
ख	भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	6,751.41*	7,388.31*	9.43	ब	ऋण व अग्रिम	8,024.83	8,052.62	0.35
आकस्मिक निधि		5.00	5.00	--			--	--	--
लोक लेखे									
क	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	17,006.28	17,682.25	3.97	अ	विभागीय अधिकारियों को दिए अग्रिम	--	--	--
ख	निक्षेप व अग्रिम	3,426.66	3,608.49	5.31	ब	प्रेषण	--	--	--
ग	आरक्षित निधि	1,973.90	1,934.72	-1.98	स	उचंत एवं विविध	--	--	--
घ	प्रेषण	653.50	493.96	-24.41	नकद शेष (निर्धारित निधि में निवेश सहित)		2,522.86	3,556.04	40.95
इ	उचंत एवं विविध	- 292.98	224.94	176.78	कुल		66,007.18	73,097.04	10.74
					राजस्व लेखा में घाटा		7,892.62	14,215.79	80.11
योग		73,899.80	87,312.83	18.15			73,899.80	87,312.83	18.15

स्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) शामिल हैं।

1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व के रूप में एकत्र पूंजी से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को नियंत्रित करते हैं।

घाटे की पूर्ति उधार लेकर की जाती है, जिससे सरकारी ऋण बढ़ता है। घाटे एवं ऋण की अवधारणा का गहन संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है जो ऋणों में वृद्धि करता है। यदि सरकार वर्ष-दर-वर्ष लगातार उधार लेती रहे तो यह ऋण के संचय (संचित ऋण) में परिणत हो जाता है तथा सरकार को ब्याज के रूप में अधिकाधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण को बढ़ाते हैं।

उधार लेकर सरकार खपत कम करने का बोझ भावी पीढ़ी पर स्थानांतरित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रह रहे लोगों को बांड जारी करके उनसे उधार लेती है परंतु लगभग बीस वर्षों बाद करों को बढ़ाकर या खर्च घटा कर बांड का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने से निजी क्षेत्र हेतु उपलब्ध बचत कम हो जाती है। यह पूंजीगत निर्माण एवं विकास को इस हद तक घटा देता है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' की तरह कार्य करता है।

यद्यपि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में यदि सरकारी घाटे सफल होते हैं तो आय अधिक होगी तथा तदनुसार बचत भी अधिक होगी। इस स्थिति में सरकार एवं उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करती है, तो भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते कि ऐसे निवेशों पर मिला प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। वास्तविक ऋण का भुगतान उत्पादन में वृद्धि से किया जा सकता है। ऐसे में ऋण बोझ नहीं लगेगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि के संदर्भ में आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि करके या व्यय में कटौती करके घटाया जा सकता है। यद्यपि सरकारी व्यय में कटौती पर अधिक जोर दिया गया है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना एवं बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्र व प्रत्येक राज्य सरकार ने राजस्व घाटा समाप्त करने, राजकोषीय घाटे व समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करने, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करने और मध्यावधि ढांचे की पारदर्शिता में सुधार करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया। इस संदर्भ में यह अधिनियम घाटे से उबरने के उपाय व ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

अप्रैल 2005 में राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटे एवं विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए राजस्व अधिशेष प्राप्त करके दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु हिमाचल राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियम, 2005 लागू किया। तत्पश्चात मार्च 2011 में राज्य सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2011 में संशोधन किया, जिसके आधार पर वर्ष 2014-15 तक के राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किए गए।

राजकोषीय घाटे पर सांविधिक सीमा में ढील (लचीलापन) प्रदान करने एवं अपूर्ण व चल रही पूंजीगत परियोजनाओं की देयता संचित न होना सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक बजट प्रावधान के उचित गुणक में नए पूंजीगत कार्यों की स्वीकृति पर सांविधिक सीमा (प्रतिबंध) प्रदान करने हेतु चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को उसके राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को संशोधित करने की सिफारिश की।

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को गारंटी, बजट से बाहर के उधार एवं आर्थिक रूप से कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संचित हानियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के संदर्भ में राज्य की ऋण स्थिति के आंकलनार्थ बजट के पूरक के रूप में बजट में कुल दिए गए लोक ऋण की गणना, विश्लेषण एवं वार्षिक रिपोर्टिंग हेतु एक टेम्पलेट (नमूने) को अपनाने की भी सिफारिश की। राजकोषीय प्रबंधन कानून को अधिक शुद्धता एवं वैधता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को मौजूदा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) को लागू करते हुए ऋण सीमा व राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून से बदलने की सिफारिश की गई।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे पर निर्धारित सीमा के ऊपर अतिरिक्त एक प्रतिशत की सशर्त सांविधिक लचीली सीमा की सिफारिश की, जो निम्नवत सुधारों पर प्राप्त की जा सकेगी: (i) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन; (ii) व्यापार को आसन बनाने वाले सुधार; (iii) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; तथा (iv) विद्युत क्षेत्र में सुधार। प्रत्येक सुधार का भार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25 प्रतिशत था जो कुल मिलाकर एक प्रतिशत था।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्य के वित्त के सुदृढीकरण हेतु डिस्कॉम की वित्तीय शक्तियों की केंद्रीयता पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 से 2024-25 की चार वर्ष की अवधि में राज्य हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त सीमा की सिफारिश की। यह एक सशर्त उधार स्थान है, जिसमें विद्युत क्षेत्र के निम्नवत सुधार सम्मिलित हैं- (i) परिचालन घाटे में कमी, (ii) राजस्व अंतर में कमी, (iii) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अपनाकर नकद सब्सिडी के भुगतान में कमी, एवं (iv) राजस्व के प्रतिशत के रूप में टैरिफ सब्सिडी में कमी, आदि।

15वें वित्तायोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में उसके राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया। राजकोषीय घाटे पर सांविधिक लचीली सीमा वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के छः प्रतिशत या उससे कम पर (15वें वित्तायोग की 3.5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के सापेक्ष), वर्ष 2023-24 व 2024-25 में 3.5 प्रतिशत या उससे कम पर एवं उसके बाद तीन प्रतिशत या उससे कम पर अथवा तत्पश्चात् समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अनुमत सीमा पर बनाए रखने पर तय की गई।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अनुमत अतिरिक्त उधार सीमा के प्रति विद्युत क्षेत्र में सुधारों की उपरोक्त शर्तों को कुछ ही सीमा तक क्रियान्वित किया, अतएव वह अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के केवल 0.15 प्रतिशत (₹ 251 करोड़) की अतिरिक्त सीमा की पात्र थी।

इसके अतिरिक्त राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत अनुशासित मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष तीन वर्ष के आवर्ती लक्ष्यों के साथ तैयार की गई थी। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों की अनुपालना तालिका 1.4(क) में दर्शाई गई है।

तालिका 1.4 (क): हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

राजकोषीय मापदंड		हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा(-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	ल	राजस्व अधिशेष बनाए रखा				
	उ	1,508 ✓	12 ✓	- 97 X	1,115 ✓	-6,336 X
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	ल	3% या कम				6% या कम
	उ	-2.37 ✓	-3.52 X	- 3.67 X	- 2.98 ✓	-6.34 X
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण @ का अनुपात (प्रतिशत में) [§]	ल	35.00	34.04	33.62	40.26	40.49
	उ	36.59 X	39.09 X	43.26* X	39.21* ✓	42.05* X

@ कुल बकाया ऋण में लोक ऋण व अन्य (लोक लेखा) देयताएं शामिल हैं।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 के दौरान ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ दिया गया है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

§ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कुल बकाया ऋण के अनुपात की तुलना मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों से की गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम (2011 के बाद 2023 तक, जब संशोधन किए गए थे) में लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए थे।

ल - लक्ष्य उ - उपलब्धि

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं वर्ष 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में उपलब्धियों की तुलना में राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्य तालिका 1.4(ख) में दिए गए हैं।

तालिका 1.4(ख): वर्ष 2022-23 हेतु प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संदर्भ में अनुमानों/प्राक्कलनों एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन

राजकोषीय चर	15वें वित्तायोग के अनुसार अनुमान/ प्राक्कलन	बजट में दिए गए प्राक्कलन	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य
राजस्व अधिशेष(+) या घाटा(-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	0.8	(-) 2.03	(-) 3.24	4.04	1.21
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	(-) 3.5	(-) 4.98	(-) 6.34	2.84	1.43
कुल बकाया देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	37.8	40.49	42.05*	4.25	1.56

स्रोत: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें (सौंपी गई अवधि 2021-26 हेतु सांकेतिक घाटा व ऋण पथ), वार्षिक वित्तीय विवरण व वित्त लेखे

* वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर।

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार सभी लक्ष्यों अर्थात् कुल बकाया ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एवं राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के साथ-साथ उसके बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रखने में असमर्थ रही।

हिमाचल राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अंतर्निहित मान्यताओं के विनिर्देशन के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों हेतु तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य निर्धारित किए जाए। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में दिए प्राक्कलनों व वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: वर्ष 2022-23 हेतु मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणियों में दिए प्राक्कलनों व वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजकोषीय चर	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के अनुसार प्राक्कलन	वास्तविक (2022-23)	विचलन (प्रतिशत में)
1.	कर राजस्व (i+ii)	17,659.58	18,479.24	4.64
	(i) स्व-कर राजस्व	10,881.39	10,595.26	-2.63
	(ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश	6,778.19	7,883.98	16.31
2.	कर-भिन्न राजस्व	2,769.41	2,876.33	3.86
3.	भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	15,946.33	16,733.93*	4.94
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	36,375.32	38,089.50	4.71
5.	राजस्व व्यय	40,278.80	44,425.26	10.29
6.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-5)	-3,903.49	-6,335.76	62.31
7.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	-9,602.35	-12,379.84	28.93
8.	ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	40.49	42.05 [#]	1.56
9.	चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.00	10.86	0.86


स्रोत: वित्त लेखे

* इसमें वर्ष 2022-23 हेतु 15वें वित्तायोग द्वारा अनुशंसित ₹ 9,377 करोड़ का हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान शामिल है।


वर्ष 2020-22 के दौरान वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में बैंक-टू-बैंक मिले ₹ 4,412.22 करोड़ के ऋण (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़कर, जिसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों (अगस्त 2020) के अनुसार किसी भी मानदंड में राज्य का ऋण नहीं माना जाना था।

वर्ष 2022-23 के दौरान स्व-कर राजस्व में दर्ज 2.63 प्रतिशत की कमी के अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियों के सभी घटकों में 3.86 प्रतिशत से 16.31 प्रतिशत के मध्य में वृद्धि होने के बावजूद सरकार मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्राक्कलित स्तर के भीतर राजस्व घाटे को नियंत्रित करने में असमर्थ रही, क्योंकि राजस्व व्यय में पर्याप्त वृद्धि थी, जो प्राक्कलित से 10.29 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई। परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा भी मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित लक्ष्य से बढ़ (28.93 प्रतिशत) गया। इसके अतिरिक्त ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (42.05 प्रतिशत) 15वें वित्तायोग के निर्धारित लक्ष्य (37.8 प्रतिशत) व मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन (40.49 प्रतिशत) से बहुत ऊपर रहा।

चार्ट 1.4 व चार्ट 1.5 क्रमशः वर्ष 2018-23 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घाटा मानदंड एवं प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।



स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की अधिकता को इंगित करता है। राजस्व अधिशेष उधार कम करने में सहायता करता है। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (2011 में संशोधित) के अनुसार राज्य को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को घटाना एवं तदोपरांत राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था। वर्ष 2018-22 (2020-21 के अतिरिक्त) के दौरान राजस्व अधिशेष प्राप्त करने के पश्चात स्व-कर राजस्व में मामूली गिरावट एवं गत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में पर्याप्त वृद्धि के कारण वर्ष 2021-22 का राजस्व अधिशेष (₹ 1,115 करोड़) वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व घाटे (₹ 6,336 करोड़) में परिवर्तित हो गया।

राजकोषीय घाटा सरकार की बढ़ी हुई शुद्ध देयताओं अथवा उसके अतिरिक्त उधारों को परिलक्षित करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक या बाह्य) द्वारा अथवा लोक लेखा से अधिशेष निधियों का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। विगत वर्ष

(₹ 5,245 करोड़) की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटे (₹ 12,380 करोड़) में ₹ 7,135 करोड़ की भारी वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.34 प्रतिशत था, जो 15वें वित्तायोग में निर्धारित लक्ष्य (3.5 प्रतिशत) एवं हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य (छ प्रतिशत) के साथ-साथ बजट अनुमानों (4.98 प्रतिशत) में किए गए प्राक्कलन से काफी अधिक था।

प्राथमिक घाटा जो पिछले उधार के ब्याज भुगतान को घटाते हुए वर्तमान वर्ष का राजकोषीय घाटा दर्शाता है, वह वर्ष 2021-22 में ₹ 604 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.34 प्रतिशत) था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹ 7,551 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.86 प्रतिशत) हो गया। वर्ष 2018-19 में ₹ 510 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष पाया गया तदोपरान्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के दौरान प्राथमिक अधिशेष क्रमशः ₹ 1,363 करोड़, ₹ 1,228 करोड़, ₹ 604 करोड़ व ₹ 7,551 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया।

1.5 राज्य सरकार का भारत सरकार की निर्धारित सीमा के अनुसार उधार लेने के संबंध में प्रदर्शन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293(3) अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करता है कि राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है यदि भारत सरकार द्वारा राज्य को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने राज्य सरकार की निवल उधार सीमा ₹ 14,251 करोड़ निर्धारित की (मार्च 2023) एवं राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्रोतों से उसकी बढ़ती उधारी इस सीमा के भीतर रहे। ₹ 14,251 करोड़ की उधार सीमा में ₹ 251 करोड़ (अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.15 प्रतिशत) की अतिरिक्त सीमा सम्मिलित थी, जो राज्य सरकार को विद्युत क्षेत्र में प्रदर्शन हेतु अनुमत थी।

वित्त लेखाओं की विवरणी 6 के अनुसार उधार व अन्य देयताओं का विवरण, राज्य सरकार के बढ़ते उधार एवं अन्य देयताएं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 13,055 करोड़ थीं जो कि ₹ 14,251 करोड़ की उधार सीमा के भीतर रही। यद्यपि यह 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित ₹ 6,839 करोड़ की उधार सीमा/लक्ष्य (₹ 1,95,405 करोड़ के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.65 प्रतिशत) से काफी अधिक था।

1.6 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् घाटा

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा, ऋण सीमा व गारंटी इत्यादि हेतु निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करें। राज्य का परिकल्पित राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण एवं बजट से इतर राजकोषीय संचालन जैसी विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट देयताओं का आस्थगन,

समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करना आदि भी राजस्व व राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए उपरोक्त का प्रभाव लेना आवश्यक है तथा ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् मिला घाटे का विश्लेषण तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (न्यूनोक्ति (+) / अत्योक्ति (-))	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति (+) / अत्योक्ति (-))	संदर्भित परिच्छेद
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत रखी शेष राशि पर ब्याज के संदर्भ में देयता का भुगतान न करना	1.02	1.02	2.4.1.2(i)
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत रखी शेष राशि पर ब्याज का प्रावधान/भुगतान न करना	3.73	3.73	2.5.2.2
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में अंशदान का हस्तांतरण न करना	47.60	47.60	2.5.2.3
केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अनुदान हस्तांतरित न करना	169.05	169.05	2.5.2.6
आपत्ति बही उचत लेखा से लेनदेन की निकासी	(-) 268.69	(-) 448.61	2.5.3
गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता शुल्क की कम प्राप्ति	(-) 4.42	(-) 4.42	2.7.2
योग	-51.71	-231.63	--

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 6,335.76 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत) एवं ₹ 12,379.84 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.34 प्रतिशत) था, जैसाकि चार्ट 1.4 व 1.5 में दर्शाया गया है। यदि तालिका 1.6 में दर्शाए गए उपरोक्त लेनदेन को ध्यान में रखा जाए तो वास्तविक राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 6,284.05 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.22 प्रतिशत) एवं ₹ 12,148.21 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.22 प्रतिशत) होगा तथा वास्तविक राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के लक्ष्य से क्रमशः ₹ 2,380.56 करोड़ (60.99 प्रतिशत) व ₹ 2,545.86 करोड़ (26.51 प्रतिशत) अधिक होगा।

1.7 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् - कुल बकाया ऋण

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल देयताओं का तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में निर्दिष्ट राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखाओं के तहत देयताओं से हैं। बकाया ऋण/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसाकि तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखाओं के अनुसार उधार एवं अन्य देयताएं	राशि
आंतरिक ऋण (क)	55,975.16
सब्याज बाज़ार ऋण	46,002.10
ब्याज रहित बाज़ार ऋण	0.06
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	15.77
नाबार्ड से ऋण	3,437.84
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	97.09
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड	2,601.45
अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण	0.19
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	3,820.66
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (ख)	7,388.31*
आयोजनेत्तर ऋण	1.50
राज्य की आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	3,061.65
अन्य	4,325.16*
लोक लेखा पर देयताएं (ग)	23,225.96
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	17,682.25
निक्षेप	3,609.00
आरक्षित निधि	1,934.71
कुल (क + ख + ग)	86,589.43*

स्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21 में ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 में ₹ 2,695.22 करोड़) को शामिल किया गया है।

वर्ष 2022-23 के अंत में राज्य पर ₹ 86,589.43 करोड़ का सकल बकाया ऋण/ देयताएं थीं। बजट से इतर अर्थात राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों इत्यादि द्वारा लिए उधार जहां मूलधन तथा/अथवा ब्याज को राज्य बजट से चुकाया जाना; राज्य सरकार के निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन इत्यादि द्वारा स्वयं की निधियों का प्रयोग, जिसे राज्य सरकार द्वारा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित करना था; तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से लिए गए ऋण के मूलधन/ब्याज घटक की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों आदि को प्रतिपूर्ति न करना जैसे राजकोषीय प्रचालन का कोई मामला नहीं पाया गया। इस प्रकार राज्य सरकार के समग्र बकाया ऋण/देयताओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अध्याय-॥
राज्य के वित्त

अध्याय - II

राज्य के वित्त

2.1 वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय योगों में हुए प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय योगों में हुए प्रमुख परिवर्तन तालिका 2.1 में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: प्रमुख राजकोषीय योगों में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में हुए परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 9.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई राज्य की स्व कर-भिन्न प्राप्तियों में 10.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश में 7.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई भारत सरकार के सहायता-अनुदान में 5.10 प्रतिशत की गिरावट हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> राजस्व व्यय में 22.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 27.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 25.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई सहायता-अनुदान व अंशदान पर व्यय में 21.01 प्रतिशत की गिरावट हुई
पूंजीगत प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ऋण पूंजीगत प्राप्तियों* में 236.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों में 99.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> पूंजीगत व्यय में 0.01 प्रतिशत की गिरावट हुई सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 23.68 प्रतिशत की गिरावट हुई सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 1.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 70.75 प्रतिशत की गिरावट हुई ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 103.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> लोक ऋण प्राप्तियों* में 236.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक ऋण चुकौती में 131.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> लोक लेखा प्राप्तियों में 32.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक लेखा संवितरण में 33.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> नकद शेष में 40.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई

स्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं किया गया है, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग के घटकों की विगत वर्ष के साथ तुलना तालिका 2.2 में दी गई है।

तालिका 2.2: 2021-22 व 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)


	विवरण	2021-22	2022-23	वृद्धि/ गिरावट
निधियों के स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में अथ नकद शेष	1,756.24	2,522.86	766.62
	राजस्व प्राप्तियां	37,309.30	38,089.50	780.20
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	7.01	12.59	5.58
	ऋण व अग्रिम की वसूली	40.72	82.79	42.07
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	4,947.69*	12,236.02	7,288.33
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	1,063.79	1,176.99	113.20
	योग*	45,124.75*	54,120.75	8,996.00
निधियों का अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	36,194.54	44,425.26	8,230.72
	पूंजीगत व्यय	6,029.38	6,028.89	-0.49
	ऋण व अग्रिम का संवितरण	377.97	110.57	-267.40
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंत नकद शेष	2,522.86	3,556.03	1,033.17
	योग	45,124.75	54,120.75	8,996.00

स्रोत: वित्त लेखे

* वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल है।

परिशिष्ट 2.1 वर्तमान वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष के दौरान प्राप्ति व संवितरण एवं राज्य की समग्र राजकोषीय प्रास्थिति का विवरण प्रदान करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की समेकित निधि में संसाधनों की संघटन एवं अनुप्रयोग चार्ट 2.1 एवं 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व सहित संघीय करो व शुल्कों का अंश) कर-भिन्न राजस्व एवं भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण व ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां) में विनिवेशों से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं।

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही राज्य की समेकित निधि का भाग हैं।


3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** यह कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, प्रक्षेपों इत्यादि से सम्बंधित ऐसी प्राप्तियां एवं संवितरण हैं जो समेकित निधि का भाग नहीं होती।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा इनके लिए राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। यहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात बची शेष निधि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां


यह परिच्छेद समग्र राजस्व प्राप्तियों के संघटन को प्रस्तुत करता है। पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त लोक लेखा में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) को भी सरकार उसके घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग करती है।

वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियां चार्ट 2.3 में दी गई है जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.4: वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन



स्त्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के ₹ 61,733.69 करोड़ के कुल संसाधनों में से राजस्व प्राप्तियां (₹ 38,089.50 करोड़) 61.70 प्रतिशत थी। पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 22,467.20 करोड़) एवं निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 1,176.99 करोड़) कुल संसाधनों का क्रमशः 36.39 प्रतिशत व 1.91 प्रतिशत रही।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं वृद्धि

पांच वर्ष की अवधि (2018-23) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं वृद्धि तालिका 2.3 में दर्शाई गई है। इसी अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां व संघटन परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मानदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियां	30,950.32	30,742.41	33,438.27	37,309.30	38,089.50
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.09	-0.67	8.77	11.58	2.09
कर राजस्व (i+ii)	13,002.58	12,301.38	12,837.24	17,063.62	18,479.24
(i) स्व-कर राजस्व	7,572.81	7,623.82	8,083.32	9,714.58	10,595.26
स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.54	0.67	6.03	20.18	9.07
(ii) संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश	5,429.77	4,677.56	4,753.92	7,349.04	7,883.98
संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.09	(-) 13.85	1.63	54.59	7.28
कर-भिन्न राजस्व	2,830.07	2,501.51	2,188.46	2,612.36	2,876.33
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.72	-11.61	-12.51	19.37	10.10
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	15,117.66	15,939.52	18,412.58	17,633.32	16,733.93
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.45	5.44	15.52	-4.23	-5.10
राज्य का स्व-राजस्व (स्व-कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व)	10,402.88	10,125.33	10,271.78	12,326.94	13,471.59
राज्य के स्व-राजस्व की वृद्धि दर (स्व-कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	9.83	-2.67	1.44	20.01	9.29
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,48,383	1,59,164	1,55,251 ^अ	1,76,269 ^ब	1,95,405 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.10	7.27	-2.46	13.54	10.86
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.86	19.31	21.54	21.17	19.49
उत्प्लावकता अनुपात[#]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.85	--*	--*	0.86	0.19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्व-कर उत्प्लावकता	1.37	--*	--*	1.48	0.86

स्त्रोत: वित्त लेखे एवं आर्थिक व सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब - प्रथम संशोधित अनुमान, स - अग्रिम अनुमान

उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों के दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया की डिग्री को दर्शाता है।

* उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि ऋणात्मक थी।

तालिका 2.3 निम्नवत दर्शाती है :


- राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2018-19 के ₹ 30,950.32 करोड़ से 23.07 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 38,089.50 करोड़ हो गईं, हालांकि यह वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2022-23) के दौरान मात्र ₹ 780.20 करोड़ (2.09 प्रतिशत) रही। वर्ष 2018-23 की विगत पांच वर्ष की अवधि के दौरान इसमें 6.97 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से वृद्धि हुई।

- वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में स्व-कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व में क्रमशः ₹ 880.68 करोड़ (9.07 प्रतिशत) व ₹ 263.97 करोड़ (10.10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2018-19 के 1.84 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 0.19 प्रतिशत हो गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता भी वर्ष 2018-19 के 1.37 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 0.86 प्रतिशत हो गई।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता में हुई अचानक गिरावट का कारण मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर (मूल्य वर्धित कर), विद्युत पर कर व शुल्क एवं माल व यात्री कर (स्व-कर राजस्व के तहत) व ब्याज प्राप्तियों, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति, वानिकी व वन्य जीव (कर-भिन्न राजस्व के तहत), इत्यादि के अंतर्गत प्राप्तियां घटना रहा। राज्य के स्व-राजस्व (स्व-कर राजस्व व कर-भिन्न राजस्व) की प्रवृत्ति पर क्रमशः **परिच्छेद 2.3.2.2 (i) व (ii)** में चर्चा की गई है।
- वही दूसरी ओर वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार के सहायता-अनुदान में 10.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि वर्ष 2020-21 के बाद से इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। यह गिरावट क्रमशः वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹ 779.26 करोड़ (4.23 प्रतिशत) एवं ₹ 899.39 करोड़ (5.10 प्रतिशत) रही। विगत वर्ष की तुलना में इन अवधियों के दौरान हुई गिरावट मुख्य रूप से वित्त आयोग अनुदान के तहत कम प्राप्तियों के कारण थी, जैसाकि **परिच्छेद 2.3.2.3 (ii)** में चर्चा की गई है।

स्व-राजस्व उत्प्लावकता की तुलना में सहायता-अनुदान में बढ़ती प्रवृत्ति अधिक निर्भरता को परिलक्षित करती है, जबकि घटती प्रवृत्ति भारत सरकार की सहायता पर कम निर्भरता को परिलक्षित करती है। सतत राजकोषीय स्थिरता एवं विकास हेतु राजस्व स्रोतों में विविधता लाना और स्थानीय कर आधार का सुदृढीकरण आवश्यक है।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति चार्ट 2.5 में दर्शाई गई है:


चार्ट 2.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्त्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों के संघटन की प्रवृत्ति चार्ट 2.6 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.6: राजस्व प्राप्तियों के संघटन की प्रवृत्ति




2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

(i) स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य वस्तु व सेवा कर, राज्य आबकारी, वाहन कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, माल व यात्री कर इत्यादि समाविष्ट है।

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति एवं इसके घटकों का विश्लेषण क्रमशः चार्ट 2.7 व तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: 2018-23 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति



स्त्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य वस्तु व सेवा कर	3,342.68	3,550.34	3,466.58	4,482.15	5,259.21
बिक्री, व्यापार आदि पर कर (मूल्य वर्धित कर)	1,185.43	1,169.53	1,630.11	1,592.24	1,370.29
राज्य आबकारी	1,481.63	1,660.02	1,599.74	1,980.63	2,216.34
वाहन कर	408.01	465.52	380.20	510.03	675.17
स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क	250.55	259.58	253.36	318.60	398.75
विद्युत पर कर व शुल्क	487.08	100.86	401.76	393.51	252.25
भू-राजस्व	8.39	4.79	6.95	4.81	8.22
माल व यात्री कर	104.38	104.03	83.55	99.18	68.50
अन्य कर	304.66	309.15	261.07	333.43	346.53
कुल स्व-कर राजस्व	7,572.81	7,623.82	8,083.32	9,714.58	10,595.26

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2022-23) के दौरान कुल स्व-कर राजस्व में ₹ 880.68 करोड़ (9.07 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। महत्वपूर्ण वृद्धि राज्य वस्तु व सेवा कर (₹ 777.06 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 235.71 करोड़), वाहन कर (₹ 165.14 करोड़) एवं स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (₹ 80.15 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में हुई। यह वृद्धि बिक्री, व्यापार आदि (मूल्य वर्धित कर) (₹ 221.94 करोड़), विद्युत पर कर व शुल्क (₹ 141.26 करोड़) एवं माल व यात्री कर (₹ 30.68 करोड़) के तहत प्राप्तियों में कमी से आंशिक रूप से समायोजित हुई।

वृद्धि के कारण -

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर- इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से कर, ब्याज, इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक प्राप्तियां, राज्य वस्तु व सेवा कर व समेकित वस्तु व सेवा कर का परस्पर उपयोग एवं विभाग द्वारा ई-चालान, ई-वे बिल, कर रिटर्न की निगरानी, क्षमता निर्माण जैसे प्रवर्तन में वृद्धि के कारण हुई ;
- राज्य आबकारी - इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से शराब के कोटे एवं लाइसेंस शुल्क आदि में वृद्धि के कारण देशी स्पिरिट, विदेशी शराब व स्पिरिट की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई ;
- वाहन कर - इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से अधिक संख्या में वाहनों का पंजीकरण, वाहनों के चालान के कारण शमन शुल्क, करों पर उपकर आदि के कारण हुई ;
- स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस - इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से स्टाम्पों की बिक्री, दस्तावेजों को पंजीकृत करने की फीस, स्टाम्प/स्टाम्प शुल्क आदि से प्राप्त न्यायालय शुल्क आदि के कारण हुई।

जबकि गिरावट के कारण -

- पेट्रोल व डीजल पर मूल्य वर्धित कर के तहत कम प्राप्तियों के कारण बिक्री, व्यापार आदि में गिरावट हुई ;
- विद्युत पर कर व शुल्क - इसमें हुई गिरावट मुख्यतः विद्युत की खपत एवं बिक्री करों से कम प्राप्ति के कारण थी;
- माल एवं यात्रियों कर में गिरावट का मुख्य कारण माल और यात्रियों से कर का कम संग्रहण रहा।

(क) राज्य वस्तु व सेवा कर

वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक एवं वित्त लेखाओं के अनुसार ₹ 5,129.79 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष राज्य वस्तु व सेवा कर राशि ₹ 5,259.21 करोड़ रही।

(ख) वस्तु व सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

22 जून 2020 को वस्तु व सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) परिक्षेत्र में पैन-इंडिया डेटा तक अभिगम (एक्सेस) प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया। हिमाचल प्रदेश के मामले में दिसंबर 2020 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को बैंक-एंड एप्लिकेशन तक अभिगम (एक्सेस) दिया गया। हालांकि इस कार्यालय को दिया गया एक्सेस सीमित तथा विभाग के आंतरिक वेब आधारित जीएसटीएन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए वीपीएन कनेक्शन पर आधारित था क्योंकि यह केवल हिमाचल के राज्य व्यापी क्षेत्रफल नेटवर्क, हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (हिमस्वान) के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। जीएसटीएन पोर्टल तक रिमोट एक्सेस का उपयोग वास्तुव सेवा कर के अंतर्गत निष्पादन/विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए किया जा रहा है।

(ग) राजस्व बकाया एवं निर्धारण बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली को दर्शाता है। इसी भांति निर्धारण बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंबित निर्धारण के कारण अवरुद्ध है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

राजस्व बकाया

31 मार्च 2023 तक राजस्व के प्रधान (मूल) शीर्षों के संबंध में राजस्व का बकाया ₹ 5,026.98 करोड़ था, जिसमें से ₹ 2,993.32 करोड़ (59.55 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि	31 मार्च 2023 तक पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	006- वस्तु एवं सेवा कर	425.46	0.00
2.	0039-राज्य आबकारी	285.52	187.74
3.	0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	4,206.64	2,742.74
4.	0042-यात्री व माल कर	13.72	6.59
5.	0045-अन्य कर व शुल्क	95.64	56.25
	योग	5,026.98	2,993.32

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आपूरित जानकारी

निर्धारण में बकाया

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर के संदर्भ में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या, निर्धारण हेतु लंबित मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले एवं वर्ष की समाप्ति में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या की जानकारी तालिका 2.6 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.6: निर्धारण में बकाया

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	अथ शेष	2022-23 के दौरान निर्धारण के नए मामले	देय कुल निर्धारण	2022-23 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	निपटान का प्रतिशत	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	केन्द्रीय बिक्री कर	41,880	5,653	47,533	26,656	20,877	18,044	56
		मूल्य वर्धित कर	48,979	7,560	56,539	32,888	23,651	20,042	58
3.	मोटर स्पिरिट टैक्स	94	36	130	80	50	0	62	
4.	वाहन कर	3,099	2,875	5,974	3,814	2,160	1,848	64	
5.	विलासिता कर	2,077	12	2,089	852	1,237	896	41	
	योग	96,129	16,136	1,12,265	64,290	47,975	40,830	57	

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आपूरित जानकारी

वर्ष 2022-23 के अंत में कर निर्धारण बकाया के लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2021-22 के 96,129 मामलों से 50 प्रतिशत घटकर 47,975 मामले हो गई। वर्ष 2022-23 में राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निपटान की दरें 41 प्रतिशत से 64 प्रतिशत के मध्य थी।

(घ) विभाग द्वारा पाए गए कर के अपवंचन, प्रतिदाय मामले, इत्यादि का विवरण

पाए गए कर अपवंचन के मामले, अतिमिक्त मामले एवं अतिरिक्त कर की उठाई गई मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय मामलों के निपटान में तत्परता संबंधित विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पकड़े गए कर अपवंचन के मामलों के विवरण, अंतिमिकृत मामलों एवं एवं उठाई गई अतिरिक्त कर की मांग; तथा प्रतिदाय मामलों के विवरण क्रमशः तालिका 2.7 व तालिका 2.8 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.7: पाए गए कर अपवंचन मामले

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2022 तक लंबित मामले	2022-23 के दौरान पाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण की गई व शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2023 तक अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वस्तु एवं सेवा कर	298	4,835	5,133	4,677	244.32	456
2.	राज्य आबकारी	98	1,130	1,228	1,145	1.86	83
3.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	64	326	390	338	12.58	52
4.	यात्री व माल कर	13	2,302	2,315	2,302	3.79	13
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	38	1,133	1,171	1,134	5.21	37
योग		511	9,726	10,237	9,596	267.76	641

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आपूरित जानकारी

तालिका 2.8: प्रतिदाय मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वस्तु व सेवा कर		बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	212	15.69	63	19.20	16	0.23
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,319	127.24	126	13.61	42	2.38
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	1,036	98.00	135	24.77	47	2.44
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	256	27.33	2	0.04	1	0.003
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	239	17.60	52	8.00	10	0.16

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आपूरित जानकारी

(ii) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल हैं। वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटकों की प्रवृत्तियां तालिका 2.9 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज प्राप्तियां	385.88	245.36	306.43	173.95	85.30
लाभांश व लाभ	181.92	248.44	245.43	166.53	180.90
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	2,262.27	2,007.72	1,636.60	2,271.88	2,610.13

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
विविध सामान्य सेवाएं	20.76	5.17	11.41	14.06	7.45
शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति	214.59	238.59	196.08	257.70	161.78
वानिकी एवं वन्य जीवन	76.32	83.61	49.56	106.28	81.79
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	51.34	49.65	37.05	104.90	90.05
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	221.05	246.30	252.16	230.81	286.34
विद्युत	1,134.34	1,021.68	749.12	1,183.51	1,428.28
अन्य या विविध	543.87	362.72	341.22	374.62	554.44
कुल कर-भिन्न राजस्व	2,830.07	2,501.51	2,188.46	2,612.36	2,876.33
राजस्व प्राप्तियों से कर-भिन्न राजस्व का प्रतिशत	9.14	8.14	6.54	7.00	7.55

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में कुल कर-भिन्न राजस्व में ₹ 263.97 करोड़ (10.10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत (₹ 244.77 करोड़), अन्य या विविध (₹ 179.82 करोड़), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 55.53 करोड़), लाभांश व लाभ (₹ 14.37 करोड़), आदि के तहत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि यह वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹ 95.92 करोड़), ब्याज प्राप्तियों (₹ 88.65 करोड़) एवं वानिकी व वन्यजीवन (₹ 24.49 करोड़) आदि के अंतर्गत प्राप्तियों में हुई गिरावट से समायोजित हो गई।

इनके अंतर्गत हुई वृद्धि -

- विद्युत - इसमें हुई वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सतलुज जल विद्युत निगम सीमित के अतिरिक्त) से प्राप्तियां एवं अग्रिम प्रीमियम के कारण हुई;
- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग - इसमें हुई वृद्धि मुख्यतः खनिज रियायत शुल्क, किराया व रॉयल्टी, अन्य विविध प्राप्तियों के तहत अधिक प्राप्तियां होने के कारण हुई;
- लाभांश एवं लाभ - इसमें हुई वृद्धि मुख्यतः सामान्य उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंकों से विगत वर्ष की तुलना में अधिक लाभांश प्राप्त होने के कारण हुई।


जबकि इनके अंतर्गत हुई गिरावट -

- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति - इसमें हुई गिरावट मुख्यतः राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के वेतन की प्रतिपूर्ति न होने एवं विविध शीर्ष के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण हुई;
- ब्याज प्राप्तियां - इसमें हुई गिरावट मुख्यतः सहकारी समितियों को दिए गए ऋणों से अर्जित ब्याज की कम प्राप्ति एवं नकदी शेष का निवेश न होने के कारण ब्याज की कम वसूली के कारण हुई; तथा
- वानिकी एवं वन्यजीव - इसमें हुई गिरावट मुख्यतः इमारती लकड़ी एवं अन्य वनोपज तथा सामाजिक एवं कृषि वानिकी आदि से कम प्राप्ति के कारण हुई।

2.3.2.3 केन्द्रीय अंतरण

केंद्र से किए जाने वाले अंतरणों में मुख्यतः वित्तायोग की अनुशंसानुसार कर हस्तांतरण, वित्तायोग अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार के अंश, इत्यादि शामिल हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति चार्ट 2.8 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.8: केन्द्रीय अंतरणों की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्त लेखे

केन्द्रीय कर अंतरण अर्थात् संघीय करों व शुल्कों के अंश एवं राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की प्रवृत्ति पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

(i) केन्द्रीय करों का अंश

वर्ष 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान चौदहवें वित्त आयोग व पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्राक्कलनों की तुलना में राज्य सरकार को वास्तव में जारी संघीय करों व शुल्कों के अंश को तालिका 2.10 में तालिकाबद्ध किया गया है। 15वें वित्त आयोग (वर्ष 2020-23) के दौरान वास्तविक कर अंतरण प्राक्कलनों से काफी अधिक था (वर्ष 2020-21 के अतिरिक्त) क्योंकि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय की गणना में सेवा कर को भी शामिल किया गया था।

तालिका 2.10: संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश: वित्त आयोग प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के प्राक्कलन	वित्त आयोग की संस्तुति में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2015-16		3,743.71	3,611.17	(-) 132.54
2016-17	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.713 प्रतिशत एवं बांटने योग्य सेवाकर	4,074.67	4,343.70	269.03
2017-18	की शुद्ध आय का 0.722 प्रतिशत (14वें वित्तायोग	4,819.21	4,801.31	(-) 17.90
2018-19	की अनुशंसानुसार)	5,619.31	5,429.77	(-) 189.54
2019-20		5,769.12	4,677.56	(-) 1,091.56

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष	वित्त आयोग के प्राक्कलन	वित्त आयोग की संस्तुति में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2020-21	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.799 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	6,265.60	4,753.92	(-) 1,511.68
2021-22	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.830 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,524.16	7,349.04	1,824.88
2022-23	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.830 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	6,778.19	7,883.98	1,105.79

स्त्रोत: 14वें वित्तायोग व 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट, वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरणी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंद्रहवें वित्त आयोग (2020-26) की अवधि के पहले तीन वर्षों (2020-23) के दौरान संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश ₹ 19,986.94 करोड़ था जो चौदहवें वित्त आयोग की अवधि (2015-20) के कुल अंशदान (₹ 22,863.51 करोड़) का 87.42 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य को प्राप्त केंद्रीय कर अंतरण के संघटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.11 में दी गई है:

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के संघटक

(₹ करोड़ में)

केंद्रीय कर अंतरण के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	विगत वर्ष की तुलना में अंतर
केंद्रीय वस्तु व सेवा कर	1,340.15	1,327.34	1,419.55	2,105.41	2,227.15	121.74
एकीकृत वस्तु व सेवा कर	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
निगम कर	1,888.31	1,594.86	1,429.44	2,202.48	2,644.66	442.18
निगम कर के अतिरिक्त आय कर	1,390.66	1,249.68	1,464.84	2,169.83	2,579.80	409.97
सीमा शुल्क	384.89	296.49	257.07	510.58	309.82	-200.76
संघ आबकारी शुल्क	255.78	206.16	160.44	265.82	97.22	-168.60
सेवा कर	49.66	--	19.39	87.35	12.36	-74.99
अन्य कर ¹	13.32	3.03	3.19	7.57	12.97	5.40
केंद्रीय कर अंतरण	5,429.77	4,677.56	4,753.92	7,349.04	7,883.98	534.94
गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि (+)/ गिरावट (-) का प्रतिशत	13.09	(-) 13.85	1.63	54.59	7.28	--
राजस्व प्राप्तियों से केंद्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	17.54	15.22	14.22	19.70	20.70	--

स्त्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.11 दर्शाती है कि विगत पांच वर्ष की अवधि (2018-23) के दौरान केंद्रीय करों व शुल्कों के राज्यांश में उतार-चढ़ाव का प्रतिशत (-) 13.85 व 54.59 प्रतिशत के मध्य था। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें केवल ₹ 534.94 करोड़ (7.28 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय करों व शुल्कों का अंश 14 प्रतिशत से 21 प्रतिशत रहा।

¹ इसमें सम्पत्ति कर, आय व व्यय पर अन्य कर, वस्तु व सेवा कर पर अन्य कर व शुल्क सम्मिलित है।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान एवं उसके संघटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	4,010.49	4,915.06	4,221.29	5,420.75	4,736.66
वित्तायोग अनुदान*	8,831.25	8,617.82	12,424.10	11,044.26	10,489.70
विधानमंडल वाले राज्य/संघ शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	2,275.93	2,406.64	1,767.19	1,168.31	1,507.57@
योग	15,117.66	15,939.52	18,412.58	17,633.32	16,733.93
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि/गिरावट	15.45	5.44	15.52	-4.23	-5.10
राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का प्रतिशत	48.84	51.85	55.06	47.26	43.93

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वित्तायोग अनुदानों में हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (₹ 9,377 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹ 727.50 करोड़) एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु सहायता-अनुदान (₹ 342.40 करोड़); राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि हेतु सहायता अनुदान (₹ 42.80 करोड़) शामिल हैं।

@ इसमें वस्तु व सेवा कर लागू होने से हुई राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति के ₹ 1,293.27 करोड़ शामिल हैं।

तालिका 2.12 दर्शाती है कि विगत वर्षों तुलना में वर्ष 2021-22 (4.23 प्रतिशत) व 2022-23 (5.10 प्रतिशत) के दौरान भारत सरकार के सहायता अनुदान में लगातार कमी आई। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सहायता-अनुदान में हुई गिरावट मुख्यतः हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान के अंतर्गत ₹ 872 करोड़ (8.51 प्रतिशत) व केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता/अंशदान के अंतर्गत ₹ 702.07 करोड़ (19.19 प्रतिशत) की उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुई।

(क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान

वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु दिए गए ₹ 4,736.66 करोड़ के अनुदान में से बड़ी राशि निम्न योजनाओं हेतु दी गई:

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - ₹ 624.76 करोड़। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 107.31 करोड़ (20.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- समग्र शिक्षा अभियान - ₹ 551.60 करोड़। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 203.37 करोड़ (58.40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) - ₹ 508.72 करोड़। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 266.82 करोड़ (110.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(ख) एकल नोडल एजेंसी

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने कार्यालय जापन संख्या 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 8 दिसंबर 2021 के माध्यम से प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को हर केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु एक एकल नोडल एजेंसी

नामित करना अपेक्षित है। यह एकल नोडल एजेंसी राज्य स्तर पर प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एकल नोडल खाता खोलेगी। साथ ही प्रक्रियानुसार राज्य सरकार अपने खातों में प्राप्त केंद्रांश को संगत राज्यांश के साथ संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में स्थानांतरित करेगी। यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियां अव्ययित समस्त राशि एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस करें।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार को केंद्रांश के रूप में ₹ 3,621.78 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार ने एकल नोडल एजेंसी को केंद्रांश के रूप में ₹ 3,294.07 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में ₹ 784.16 करोड़ हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2023 तक ₹ 2,722.47 करोड़ एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में अव्ययित रखे रहे।

(ग) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटे व स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदान प्रदान किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों के विवरण तालिका 2.13 में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: अनुशंसित राशि, वास्तव में जारी एवं अंतरित किए गए सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण		2022-23		
		15वें वित्तायोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी	राज्य सरकार द्वारा जारी
1.	(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	329.00	329.00 [@]	329.00
	(अ) सामान्य बुनियादी अनुदान (अनटाइड)	131.60	131.60	131.60
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान (टाइड)	197.40	197.40	197.40
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	162.00	159.00 ^{\$}	159.36 [*]
	(अ) सामान्य बुनियादी अनुदान	64.80	63.60	63.75
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	97.20	95.40	95.61
	(iii) स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान	98.00	0.00	0.00
	स्थानीय निकायों को दिए कुल अनुदान (i+ii+iii)	589.00	488.00	488.36
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	केंद्रांश	342.40	342.40
		राज्यांश	38.40	--
	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु दिए कुल	380.80	342.40	380.80
3.	हस्तांतरण-पश्चात् राज्य घाटा अनुदान	9,377	9,377	--

स्त्रोत: 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट एवं राज्य विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

[@] वित्त लेखाओं में दर्शाई गई राशि (₹ 487.50 करोड़) इस राशि (₹ 329.00 करोड़) से भिन्न है क्योंकि 2021-22 की ₹ 158.50 करोड़ की राशि की दूसरी किस्त 2022-23 के दौरान जारी की गई थी।

^{\$} वित्त लेखाओं में दर्शाई गई राशि (₹ 240 करोड़) उस राशि (₹ 159.00 करोड़) से भिन्न है, जो 2022-23 की ₹ 81 करोड़ की दूसरी किस्त के कारण राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान प्राप्त व जारी की गई थी क्योंकि यह राशि भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 को जारी की गई थी।

^{*} इसमें अनुदान जारी करने में विलम्ब के कारण अर्जित ₹ 0.36 करोड़ ब्याज शामिल है।

- पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 329 करोड़ की राशि के प्रति वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार ने सम्पूर्ण राशि जारी की एवं उतनी ही राशि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इसी अवधि के दौरान जारी की।
- शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में ₹ 162.00 करोड़ की अनुशंसित राशि के प्रति वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 159.00 करोड़ जारी किए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹159.00 करोड़ में से, राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान ₹ 159.36 करोड़ (ब्याज सहित) जारी किए।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संदर्भ में 15वें वित्तायोग ने 90:10 के अनुपात में केंद्रांश व राज्यांश की अनुशंसा की। ₹ 342.40 करोड़ के अनुशंसित अंश के सम्बन्ध में वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 342.40 करोड़ एवं राज्य ने ₹ 380.80 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 342.40 करोड़ व राज्यांश ₹ 38.40 करोड़) जारी किए।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से आय, ऋण व अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम आते हैं।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों एवं उसके घटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.14 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूंजीगत प्राप्तियां (i+ii+iii)	1,784.70	4,169.72	3,917.07*	2,300.21*	12,331.41
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.82	2.04	2.88	7.01	12.59
(ii) ऋण व अग्रिम की वसूली	21.83	21.04	23.02	40.73	82.79
(iii) निवल लोक ऋण प्राप्तियां	1,754.05	4,146.64	3,891.17*	2,252.47*	12,236.02
- आंतरिक ऋण	1,771.71	4,164.59	3,390.44	1,457.82	11,599.12
वृद्धि दर (प्रतिशत)	-15.53	135.06	-18.59	-57.00	695.65
- भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	-17.66	-17.95	500.73*	794.65*	636.90
वृद्धि दर (प्रतिशत)	-690.64	-1.64	2,889.56	58.70	-19.85
निवल लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) (iii)	-16.49	136.40	-6.16	-42.11	443.23
ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) (i)+(ii)	-58.82	-24.70	12.22	84.29	99.83
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-17.94	133.64	6.06	-41.28	436.10
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.10	7.27	-2.46	13.54	10.86

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेख।

- * वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल नहीं हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान निवल लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 9,983.56 करोड़ (443.23 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण में ₹ 10,141.31 करोड़ (695.65 प्रतिशत) की भारी वृद्धि के कारण हुई। आंतरिक ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से भारी उधार (₹ 12,230 करोड़) लेने के कारण हुई। इन ऋण प्राप्तियों/उधारों के अनुप्रयोग पर परिच्छेद 2.7.1 में चर्चा की गई है।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्व-कर एवं कर-भिन्न स्रोतों सहित उसके स्वयं के संसाधनों के आधार पर किया जाता है।

पंद्रहवें वित्तायोग व मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी द्वारा किए गए प्राक्कलनों की तुलना में वर्ष 2022-23 में राज्य का वास्तविक स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15: 2022-23 के दौरान प्राक्कलनों की तुलना में कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

संघटक	15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन	वास्तविक	वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन
स्व कर राजस्व	11,026	10,881.39	10,595.26	-3.91	-2.63
कर-भिन्न राजस्व	4,235	2,769.41	2,876.33	-32.08	3.86

स्रोत: वित्त लेखे व बजट दस्तावेज़

राज्य सरकार का वास्तविक स्व-कर राजस्व पंद्रहवें वित्तायोग के प्राक्कलनों एवं बजट अनुमानों से क्रमशः 3.91 प्रतिशत व 2.63 प्रतिशत घट गया। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां भी पंद्रहवें वित्तायोग के प्राक्कलनों से 32.08 प्रतिशत गिर गई परन्तु बजट अनुमान से 3.86 प्रतिशत अधिक रही।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर इस प्रकार व्यय करने का ज़िम्मा सौंपा गया है कि राज्यों की सतत राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया विकास के मूल्य पर न हो। व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय एवं स्थानीय निकायों व अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता के संबंध में संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में किया गया है।

व्यय की वृद्धि एवं संघटन

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत प्रभार, चलायमान व कार्य करने पर खर्च जो परिसंपत्तियों को चलायमान क्रम में बनाए रखने हेतु आवश्यक है, साथ ही स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन-प्रति-दिन चलाने हेतु अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

पूँजीगत व्यय: परियोजना के प्रथम निर्माण के सभी प्रभार, साथ ही परियोजना परिचालित न होने के दौरान के मध्यावधि रखरखाव के प्रभार तथा ऐसे अतिरिक्त आवर्धन एवं संशोधन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संस्वीकृत किए जा सकते हैं, वे प्रभार भी पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

ऋण एवं अग्रिम: सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य पार्टियों को दिए गए ऋण व अग्रिम।

समग्र व्यय एवं उसके घटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.16 व चार्ट 2.9 में दर्शाई गई हैं।


तालिका 2.16: कुल व्यय एवं उसके संघटक

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय	34,493.50	36,362.55	39,164.26	42,601.89	50,564.72
राजस्व व्यय	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26
पूँजीगत व्यय	4,583.41	5,173.91	5,309.21	6,029.38	6,028.89
संवितरित ऋण व अग्रिम	467.98	458.21	320.12	377.97	110.57
वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,48,383	1,59,164	1,55,251 ^अ	1,76,269 ^ब	1,95,405 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.25	22.85	25.23	24.17	25.88
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.84	19.31	21.60	20.53	22.73
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.09	3.25	3.42	3.42	3.09
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.32	0.29	0.21	0.21	0.06

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

चार्ट 2.9: कुल व्यय: इसके संघटकों के अंश की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)



तालिका 2.16 दर्शाती है कि कुल व्यय वर्ष 2018-19 के ₹ 34,493.50 करोड़ से ₹ 16,071.22 करोड़ (46.59 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 50,564.72 करोड़ हो गया, जो पांच वर्षों की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 22.85 प्रतिशत व 25.88 प्रतिशत के मध्य रहा। चार्ट 2.9 दर्शाता है कि राजस्व व्यय कुल व्यय का बड़ा भाग (85 से 88 प्रतिशत) था। दूसरी ओर पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के मध्य था।

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) बढ़ गया। यह वृद्धि राज्य में छठे वेतन आयोग के वेतन संशोधन/कार्यान्वयन के कारण वेतन, पेंशन आदि पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई, जैसा कि परिच्छेद 2.4.1.2 में विस्तार से चर्चा की गई है।

वर्ष 2018-23 के दौरान व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षित अंश तालिका 2.17 व चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.17: विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षित अंश

(₹ करोड़ में)

मानदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएं	11,665	12,539	13,624	14,289	18,061
सामाजिक सेवाएं	12,669	13,305	14,580	15,808	19,370
आर्थिक सेवाएं	9,681	10,050	10,631	12,119	13,017
स्थानीय निकायों को अनुदान	9.39	10.27	9.37	7.71	6.09
ऋण व अग्रिम	467.98	458.21	320.12	377.97	110.57

स्रोत: वित्त लेखे


चार्ट 2.10: कुल व्यय- गतिविधियों से व्यय



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.10 दर्शाता है कि वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान कुल व्यय में व्यय के विभिन्न घटकों के सापेक्षित अंश में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं व सामाजिक सेवाओं का अंश वर्ष 2018-19 के 33.82 प्रतिशत व 36.73 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में क्रमशः 35.72 प्रतिशत और 38.31 प्रतिशत हो गया जबकि जबकि इसी अवधि में आर्थिक सेवाओं का प्रतिशत 28.07 प्रतिशत से घटकर 25.74 प्रतिशत हो गया। स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदानों और ऋण व अग्रिम में भी वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त घटती प्रवृत्ति देखी गई। चार्ट 2.11 कार्य के आधार पर व्यय का संघटक दर्शाता है।

चार्ट 2.11: 2022-23 के दौरान कार्यानुसार व्यय के संघटक (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछली देयताओं हेतु सेवाओं एवं भुगतान के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वैसे तो यह राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं करता। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से उसका अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में इसकी वृद्धि दर तालिका 2.18 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.18: 2018-23 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय	34,493.50	36,362.55	39,164.25	42,601.89	50,564.72
राजस्व व्यय	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.83	4.38	9.13	7.93	22.74
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	85.35	84.51	85.63	84.96	87.86
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.84	19.31	21.60	20.53	22.73
राजस्व प्राप्तियां	30,950.32	30,742.41	33,438.27	37,309.30	38,089.50
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.09	-0.67	8.77	11.58	2.09
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	95.13	99.96	100.29	97.01	116.63
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,48,383.27	1,59,164.02	1,55,251.20 ^अ	1,76,269.47 ^ब	1,95,404.59 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.10	7.27	-2.46	13.54	10.86
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.24	0.60	--*	0.59	2.09
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.67	--*	1.04	0.68	10.88

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद/राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि ऋणात्मक होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई।


विगत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वर्ष 2018-23 के दौरान ₹ 14,983.15 करोड़ (50.89 प्रतिशत) एवं वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वही दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में मात्र ₹ 780.20 करोड़ (2.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत (19.49 प्रतिशत) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजस्व व्यय के प्रतिशत (22.74 प्रतिशत) से कम रहा, जो वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 6,335.76 करोड़ के राजस्व घाटे में परिणत हुआ जो 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित 0.8 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत रहा। राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता, जिसमें वर्ष 2021-22 (0.68 प्रतिशत) के दौरान सुधार हुआ था, वह मुख्य रूप से वेतन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के कारण हुई राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण वर्ष 2022-23 (10.88 प्रतिशत) के दौरान घट गई।

वर्ष 2022-23 के दौरान हुआ ₹ 44,425.26 करोड़ का राजस्व व्यय राज्य द्वारा उसके बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 40,278.80 करोड़) तथा 15वें वित्तायोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 32,020 करोड़) से काफी अधिक था।

वर्ष 2022-23 के दौरान हुए राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण चार्ट 2.12 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

2.4.1.1 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण परिवर्तन

राजस्व व्यय वर्ष 2021-22 के ₹ 36,194.54 करोड़ से ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 44,425.26 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में मुख्य लेखा शीर्षों के तहत हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तालिका 2.19 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.19: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2021-22	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,283.87	6,398.91	2,884.96
2202-सामान्य शिक्षा	8,494.47	6,592.01	1,902.47
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2,534.57	1,909.17	625.40
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,168.98	792.20	376.78
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,870.56	1,505.29	365.26
2245-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत	685.86	363.00	322.86
2055- पुलिस	1,525.46	1,208.20	317.26
2505-ग्रामीण रोजगार	643.66	381.12	262.54
2801- विद्युत	1100.20	1,645.69	-545.75

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.19 दर्शाती है :

- 'पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' के तहत हुई ₹ 2,884.96 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'अधिवर्षिता व सेवानिवृत्ति भत्ते' में ₹ 1,136.33 करोड़, 'ग्रेच्युटीज़' में ₹ 390.89 करोड़ एवं 'पेंशन के परिवर्तित मूल्य' में ₹ 418.61 करोड़, 'पारिवारिक पेंशन' में ₹ 344.54 करोड़, 'अवकाश नकदीकरण लाभ' में ₹ 211.14 करोड़ की वृद्धि तथा 'सीमित अंशदान हेतु सरकारी अंशदान' में ₹ 383.84 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। इसका कारण छठा वेतन आयोग लागू होने के कारण हुआ वेतन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन था;
- 'सामान्य शिक्षा' में ₹ 1,902.47 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'माध्यमिक शिक्षा' में ₹ 852.47 करोड़, 'प्रारंभिक शिक्षा' में ₹ 887.84 करोड़ एवं 'विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा' में ₹ 138.18 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य' के तहत ₹ 625.40 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा - एलोपैथी' में ₹ 184.36 करोड़, 'चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान' में ₹ 168.27 करोड़, 'लोक स्वास्थ्य' में ₹ 132.03 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' के तहत ₹ 376.78 करोड़ की वृद्धि, जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों को अधिक सहायता मिलने के कारण ₹ 135.32 करोड़ की वृद्धि होने, 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में ₹ 94.73 करोड़ की वृद्धि, 'जिला परिषद को सहायता' में ₹ 53.29 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'सामाजिक सुरक्षा व कल्याण' के तहत ₹ 365.26 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन' में ₹ 172.22 करोड़ की वृद्धि, 'बाल कल्याण' में ₹ 99.13 करोड़ की वृद्धि तथा 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में ₹ 53.94 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जो वृद्ध व्यक्तियों/विधवाओं और निराश्रित/विकलांग व्यक्तियों की पेंशन दरों में संशोधन के कारण था;

- 'प्राकृतिक आपदाओं से राहत' में ₹ 322.86 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्यों को सहायता' में ₹ 214.26 करोड़ की एवं 'आरक्षित निधि व जमा खातों में अंतरण- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि' में ₹ 17.80 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जो 'मुफ्त राहत' में ₹ 94.19 करोड़ और 'शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह भुगतान' में ₹ 93.40 करोड़ देने से घटने के कारण आंशिक रूप से समायोजित हो गई;
- 'पुलिस' में ₹ 317.26 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'राज्य मुख्यालय पुलिस' में ₹ 100.42 करोड़ एवं 'जिला पुलिस' में ₹ 178.31 करोड़ की वृद्धि होने के कारण हुई;
- 'ग्रामीण रोजगार' के तहत ₹ 262.54 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' में ₹ 280.23 करोड़ की वृद्धि होने के कारण हुई, जो 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' में ₹ 22.90 करोड़ की कमी से आंशिक रूप से समायोजित हो गई;
- विद्युत में ₹ 545.75 करोड़ की गिरावट मुख्य रूप से 'सामान्य- 800-अन्य व्यय' की मंजूरी पर ₹ 1,048.98 करोड़ घटने कारण हुई, जो 'विद्युत बोर्डों को सहायता' में ₹ 318.42 करोड़ की वृद्धि, 'अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना' में ₹ 156.90 करोड़ की वृद्धि से आंशिक रूप से समायोजित हुई, जिसका कारण किसानों को ऋण राहत तथा विद्युत सब्सिडी में बढ़ोतरी था।

2.4.1.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखाओं पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान; वेतन एवं मजदूरी पर व्यय; तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार होता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनम्य व्यय की कुछ ऐसी मदें हैं जिन्हें आमतौर पर परिवर्तित या बदला नहीं जा सकता या पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत, वार्षिक आधार पर सांविधिक रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- (i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन एवं भत्तों हेतु स्थानीय निकायों को सांविधिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय हेतु हस्तांतरण/अंतरण)।
- (ii) आरक्षित निधियों में अंशदान की सांविधिक आवश्यकताएं - समेकित ऋणशोधन निधि, प्रत्याभूत विमोच्य निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि आदि में अंशदान।
- (iii) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति - वर्ष के भीतर प्रतिपूर्ति राशि।
- (iv) आरक्षित निधि/अन्य निकाय में उपकर का अंतरण, जिसकी सांविधिक आवश्यकता है।
- (v) प्राप्त केन्द्रीय निधि के प्रति केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अंशदान - राज्यांश की राशि एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरित की जाएगी/राज्य द्वारा खर्च की जाएगी।
- (vi) निवेश की जा सकने वाली सब्याज निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान तथा प्रभारित व्यय- ब्याज भुगतान के रूप में लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान।

प्रतिबद्ध व्यय में आरोही प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र हेतु लचीलापन कम हो गया। प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय एवं उसके संघटकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.20 में दर्शाया गया है तथा राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन एवं मजदूरी	11,210.42	11,742.23	11,903.67	12,192.52	15,850.87*
पेंशन पर व्यय	4,974.77	5,489.75	6,088.39	6,398.91	9,283.87
ब्याज भुगतान	4,021.52	4,234.02	4,472.45	4,640.79	4,828.64
योग	20,206.71	21,466.00	22,464.51	23,232.22	29,963.38
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	36.22	38.20	35.60	32.68	41.61
पेंशन पर व्यय	16.07	17.86	18.21	17.15	24.37
ब्याज भुगतान	12.99	13.77	13.38	12.44	12.68
योग	65.28	69.83	67.19	62.27	78.67
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	38.08	38.21	35.50	33.69	35.68
पेंशन पर व्यय	16.90	17.86	18.16	17.68	20.90
ब्याज भुगतान	13.66	13.78	13.34	12.82	10.87
योग	68.64	69.85	66.99	64.19	67.45
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	9,235.40	9,264.43	11,070.42	12,962.32	14,461.88
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	31.37	30.15	33.01	35.81	32.55
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	26.77	25.48	28.27	30.43	28.60
अनम्य व्यय के घटक					
स्थानीय निकायों को सांविधिक हस्तांतरण	694.35	882.52	1,046.42	858.21	1,223.85
आरक्षित निधि में अंशदान	27.35	28.70	45.00	35.80	38.40
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0
आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण	अनुपलब्ध	116.53	105.71	132.16	174.94
प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अंशदान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	580.09	578.73
निवेश की जा सकने वाली सब्याज निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान तथा प्रभारित व्यय-ब्याज भुगतान के रूप में लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान	0.15	अनुपलब्ध	0.06	0.47	3.73
कुल अनम्य व्यय	721.85	1,027.75	1,197.19	1,606.73	2,019.65
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय	2.45	3.34	3.57	4.44	4.55
सब्सिडी	1,282.60	1,067.78	1,240.63	1,187.99	1,973.32
अप्रतिबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	13.89	11.53	11.21	9.16	13.64

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, पीएफएमएस एवं राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी।


* वेतन: ₹ 15,569.01 करोड़, मजदूरी: ₹ 281.86 करोड़

तालिका 2.20 दर्शाती है कि वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में लगातार वृद्धि हुई। विगत वर्ष (2021-22) की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6,731.16 करोड़ (28.97 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में 64 से 70 प्रतिशत एवं राजस्व प्राप्तियों में 62 से 79 प्रतिशत

के मध्य तक का बड़ा हिस्सा रहा। राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्तियों से प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी का बड़ा हिस्सा होने से विकास गतिविधियों हेतु राज्य सरकार के पास कम लचीलापन रहता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2018-23 के दौरान राजस्व व्यय में अप्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान अप्रतिबद्ध व्यय में सब्सिडी का अनुपात नौ प्रतिशत से लेकर 14 प्रतिशत तक था।

चार्ट 2.13: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2018-19 के ₹ 11,210.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 15,850.87 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें ₹ 3,658.35 करोड़ (30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 41.61 प्रतिशत व राजस्व व्यय का 35.68 प्रतिशत रहा। वर्तमान वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि मुख्यतः दिनांक 01.01.2016 से लागू छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कारण वेतनमान, पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं बकाया संशोधित होने के कारण हुई। वेतन पर व्यय (₹ 15,569.01 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 13,297.03 करोड़) में बनाए गए प्राक्कलनों से काफी अधिक रहा।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान वर्ष 2018-19 के ₹ 4,021.52 करोड़ से 20.07 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 4,828.64 करोड़ हो गया एवं विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹ 187.85 करोड़ (4.05 प्रतिशत) रहा। ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्तियों का 12.68 प्रतिशत एवं राजस्व व्यय का 10.87 प्रतिशत व्यय हुआ। ब्याज भुगतान के प्रमुख घटक बाजार ऋण (₹ 2,671.46 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 1,216.40 करोड़) पर ब्याज बने रहे। यद्यपि ब्याज भुगतान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 5,104.64 करोड़) के भीतर रहा।

पेंशन

राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय वर्ष 2018-19 के ₹ 4,974.77 करोड़ से 86.62 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 9,283.87 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें गत वर्ष (₹ 6,398.91 करोड़) की तुलना में ₹ 2,884.96 करोड़ (45.09 प्रतिशत) (₹ 9,283.87 करोड़) की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन एवं पेंशन भुगतान दोनों राजस्व व्यय का 56.58 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान 2021-22 की तुलना में सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति भत्ते (₹4,662.02 करोड़) में ₹ 1,136.33 करोड़ की वृद्धि, पारिवारिक पेंशन (₹ 1,216.93 करोड़) में ₹ 344.54 करोड़ की वृद्धि तथा पेंशन के परिवर्तित मूल्य (₹ 687.87 करोड़) में ₹ 418.61 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष में पेंशन भुगतान पर व्यय (₹ 9,283.87 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलित व्यय (₹ 7,790.20 करोड़) से काफी अधिक रहा।

(i) राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न करना

15 मई 2003 से या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं जो एक सीमित (परिभाषित) अंशदान योजना है। इस योजना की शर्तों में कर्मचारी उनके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से 10 प्रतिशत की भागीदारी करते हैं तथा राज्य सरकार मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत (1 अप्रैल 2019 से प्रभावी) का अंशदान करती है; तथा सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वित्त लेखा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ₹ 1,782.50 करोड़ का कुल अंशदान हुआ (कर्मचारी अंशदान ₹ 741.59 करोड़ व सरकारी अंशदान ₹ 1,040.88 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.03 करोड़)। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 में उपलब्ध है। सीमित अंशदान पेंशन योजना में मुख्य शीर्ष-8342-117 (₹ 1,040.88 करोड़) के तहत दर्शाया गया सरकारी अंशदान मुख्य शीर्ष-2071-01-117 (₹ 1,033.23 करोड़) के तहत दर्शाई गई राशि से भिन्न है, जो न्यायालयीन मामलों के कारण कर्मचारी कार्य प्रभार (ईडब्ल्यूसी) मामलों के प्रसंस्करण के कारण सरकार द्वारा नियोक्ता का अंश को सीधे लोक लेखा में जमा करने के कारण हुआ। सरकार ने मुख्य शीर्ष- 8342-117-सीमित अंशदान पेंशन योजना के तहत लोक लेखा में ₹ 1,782.50 करोड़ हस्तांतरित किए।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शेष राशि के विलंबित हस्तांतरण पर सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) ग्राहकों पर प्रयोज्य ब्याज दरों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अतः राज्य सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित नहीं की गई राशि (वित्त लेखाओं के अनुसार 1 अप्रैल 2022 को ₹ 14.30 करोड़) पर ₹ 1.02 करोड़ की ब्याज देयता (जीपीएफ पर देय ब्याज के अनुसार 7.10 प्रतिशत की दर से परिकलित ब्याज) सृजित की; परिणामस्वरूप, प्रभावित कर्मचारियों को देय लाभों के संबंध

में अनिश्चितता उत्पन्न हुई। यह राजस्व अधिशेष व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में भी परिणत हुआ, जैसाकि परिच्छेद 1.6 में टिप्पणी की गई है।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2010-23 की अवधि हेतु कर्मचारी अंश की प्राप्तियों, सरकारी अंशदान, उस पर अर्जित ब्याज एवं पेंशन निधि में निवेश तालिका 2.21 में दिया गया है।

तालिका 2.21: सीमित अंशदान पेंशन प्रणाली के तहत हुए अंशदान व निवेश का विवरण
(अवधि 2012-13 से 2022-23)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्ति				संवितरण (पेंशन निधि में हस्तांतरित)	अल्प हस्तांतरण(-)/ अधिक हस्तांतरण(+)
	कर्मचारी अंश	सरकारी अंशदान	ब्याज	कुल		
1.	2.	3.	4.	5. (2+3+4)	6.	7.=6-5
2010-11	65.48	65.48	कर्मचारी व नियोक्ता का योगदान सीआरए- नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा निवेश किया जाता है एवं निवेश में कोई ब्याज घटक नहीं है क्योंकि निवेश पर एनएवी है।	130.96	130.96	--
2011-12	66.06	66.06		132.12	132.12	--
2012-13	160.47	160.47		320.94	320.94	--
2013-14	154.51	154.51		309.02	309.02	--
2014-15	180.20	180.20		360.40	360.40	--
2015-16	195.69	195.69		391.38	391.38	--
2016-17	226.66	226.66		453.32	453.32	--
2017-18	264.81	264.85		529.66	529.66	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ग्राहकों के पीआरएएन में पिछली राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 4,04,310 के सरकारी अंशदान का भुगतान किया गया।
2018-19	303.00	303.00		606.00	606.00	--
2019-20	348.72	471.30		820.02	820.02	--
2020-21	395.86	552.00	947.86	947.86	--	
2021-22	470.26	655.99	1,126.25	1,126.25	--	
2022-23	746.10	1,033.09	1,779.19	1,779.19	--	
योग	3,577.82	4,329.30		7,907.12	7,907.12	--

स्रोत: राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी

वर्ष 2010-23 की अवधि के दौरान ₹ 7,907.12 करोड़ की कुल प्राप्तियों (कर्मचारी अंश: ₹ 3,577.82 करोड़, राज्य सरकार का अंशदान: ₹ 4,329.30 करोड़) के प्रति सम्पूर्ण राशि पेंशन निधि में स्थानांतरित कर दी गई।

हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या एफआईएन (पीईएन) ए (3) 1/ 2023, दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से दिनांक 01.04.2023 से सीमित अंशदान आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वापस लेने एवं पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटने का निर्णय लिया, जो एक निश्चित लाभ प्रदान करता है।

अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के संघटक, जिसमें स्थानीय निकायों को दिए गए सांविधिक हस्तांतरण एवं आरक्षित निधि में अंशदान शामिल हैं, उनमें वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 2.45 प्रतिशत से बढ़कर 4.55 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 के दौरान अनम्य व्यय (₹ 2,019.65 करोड़) में पिछले वर्ष (₹ 1,606.73 करोड़) की तुलना में 25.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.1.3 सब्सिडी

तालिका 2.22 वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान सब्सिडी पर व्यय को दर्शाती है। वर्तमान वर्ष के दौरान सब्सिडी में विगत वर्ष से ₹ 785.33 करोड़ (66.71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं को दी जाने वाली ₹ 624.04 करोड़ की सब्सिडी बढ़ने के कारण हुई।

तालिका 2.22: 2018-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	1,282.60	1,067.78	1,240.63	1,187.99	1,973.32
विद्युत पर सब्सिडी (₹ करोड़ में)	573.88	400.00	520.45	419.99	1,044.03
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.14	3.47	3.71	3.18	5.18
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.36	3.47	3.70	3.28	4.44
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.72	2.94	3.17	2.79	3.90
राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	*	*	1,283.50	*	31.15
कुल सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में विद्युत सब्सिडी	44.74	37.46	41.95	35.35	52.91

स्रोत: वित्त लेखे

* राज्य के पास राजस्व अधिशेष होने के कारण गणना नहीं की गई।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान विद्युत सब्सिडी 35.35 प्रतिशत से 52.91 प्रतिशत के मध्य रही जो कुल सब्सिडी का बड़ा हिस्सा थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व घाटे में कुल सब्सिडी का योगदान 31.15 प्रतिशत रहा।

2.4.1.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के माध्यम से प्रदत्त सहायता तालिका 2.23 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.23: स्थानीय निकायों व अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	487.99	456.22	814.58	800.71	903.04
पंचायती राज संस्थाएं	1,026.07	1,053.39	1,176.07	1,148.28	1,753.44
कुल (क)	1,514.06	1,509.61	1,990.65	1,948.99	2,656.48

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
अन्य					
शिक्षा संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	951.22	1,020.83	944.59	1,031.74	1,157.21
विकास प्राधिकरण	143.68	99.16	238.37	331.69	330.42
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	337.38	439.71	458.23	673.60	671.32
अन्य संस्थान	687.61	437.17	931.27	994.78	1031.51
कुल (ख)	2,119.89	1,996.87	2,572.46	3,031.81	3,190.46
कुल (क+ख)	3,633.95	3,506.48	4,563.11	4,980.80	5,846.94
वेतन पर सहायता-अनुदान	1,203.69	1,324.53	1,507.74	1,687.79	1,736.31
पूंजीगत संपत्तियों के सृजन पर सहायता-अनुदान	834.23	844.73	1,039.73	833.26	1,376.62
अवैतनिक पर सहायता-अनुदान	1,596.04	1,337.25	2,015.70	2,459.75	2,734.01
दिया गया सहायता-अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई				
राजस्व व्यय	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता	12.34	11.41	13.61	13.76	13.16

स्त्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी

वर्तमान वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता में विगत वर्ष से ₹ 866.14 करोड़ (17.39 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता (₹ 605.16 करोड़: 52.70 प्रतिशत), शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि) (₹ 125.47 करोड़: 12.16 प्रतिशत), नगर निगम व नगर पालिका (₹ 102.33 करोड़: 12.78 प्रतिशत), आदि में वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत संपत्तियों के सृजन, वेतन व अवैतनिक उद्देश्यार्थ दी गई वित्तीय सहायता में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। आगे यह पाया गया कि विगत पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत संपत्तियों, वेतन व अवैतनिक घटकों के सृजन में दी गई सहायता में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई (अवैतनिक के तहत वर्ष 2019-20 एवं पूंजीगत संपत्ति के तहत वर्ष 2021-22 को छोड़कर)। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत संपत्तियों के सृजनार्थ दिया गया सहायता-अनुदान (₹ 543.36 करोड़: 65.21 प्रतिशत) बढ़ गया। साथ ही वर्ष 2018-23 के दौरान मिली वित्तीय सहायता की औसत वृद्धि दर पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ सबसे अधिक (25.14 प्रतिशत), इसके बाद अवैतनिक (18.74 प्रतिशत) व वेतन (7.59 प्रतिशत) थी।

वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता तालिका 2.24 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.24: वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता

(₹ करोड़ में)


प्राप्तकर्ता	योजना का नाम	राशि
निदेशक, ग्रामीण रोजगार	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	515.23
प्रबंध निदेशक, सड़क परिवहन	परिवहन सेवाओं को सहायता	336.29
निदेशक, फसल पालन	उद्यानिकी विकास परियोजना	248.97

प्राप्तकर्ता	योजना का नाम	राशि
निदेशक, परिवार कल्याण	प्रमुख शीर्ष 2211 के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु प्रावधान	238.77
	भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज	167.20
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिमला	समग्र शिक्षा अभियान	231.96
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिमला	समग्र शिक्षा अभियान	220.21
	स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला	201.00
	राज्य हेतु शिक्षण-अधिगम एवं परिणामों का सुदृढीकरण (स्टार प्रोजेक्ट)	194.58
निदेशक, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पंचायती राज संस्थान)	5वें राज्य वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों को अनुदान	193.40
	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत समितियों को निष्पादन अनुदान	190.18
परियोजना निदेशक, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	168.16
प्रबंध निदेशक, श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	166.29

2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी संपत्तियों के निर्माण पर हुआ व्यय है। केंद्र व राज्य दोनों में पूंजीगत व्यय की पूर्ति बजटीय सहायता एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बजट से इतर संसाधनों से की जा रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2018-23 में राज्य के पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 2.14 में दी गई है।

चार्ट 2.14: 2018-23 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट 2.14 दर्शाता है कि विगत पांच वर्ष की अवधि में पूंजीगत व्यय में उतार-चढ़ाव आया। यह वर्ष 2018-19 के ₹ 4,583.41 करोड़ से ₹ 1,445.48 करोड़ (31.54 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 6,028.89 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2022-23) के दौरान पूंजीगत व्यय लगभग स्थिर रहा। गत पांच वर्ष की अवधि (2018-23) में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत रहा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य सरकार ने परिसंपत्तियों के निर्माणार्थ ₹ 4,928.57 करोड़ (जैसाकि तालिका 2.23 में दिया गया है) का सहायता-अनुदान भी दिया।

2.4.2.1 पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय में हुए महत्वपूर्ण विचलन तालिका 2.25 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.25: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
4210-चिकित्सा व जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	293.80	551.64	257.83
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	61.48	139.46	77.99
4851- ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	122.73	198.28	75.55
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	488.72	411.24	-77.48
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	330.52	247.18	-83.34
4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	274.33	185.78	-88.56
4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	1011.89	812.04	-199.85

पूंजीगत व्यय लगभग स्थिर अर्थात् वर्ष 2022-23 (₹ 6,028.89 करोड़) की तुलना में वर्ष 2021-22 में ₹ 6,029.38 करोड़ रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय में हुई गिरावट मुख्य रूप से जलापूर्ति एवं स्वच्छता (₹199.85 करोड़); लोक निर्माण (₹88.56 करोड़); अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं (₹ 83.34 करोड़) पर हुई तथा गिरावट चिकित्सा व जन स्वास्थ्य (₹257.83 करोड़) एवं शहरी विकास (₹77.99 करोड़) इत्यादि पर पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि से समायोजित हुई।

2.4.2.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह प्रभाग वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(i) कंपनियों, निगमों व अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

घाटे में चल रही एवं पूर्ण समाप्त नेटवर्थ वाली कंपनियों तथा निगमों में दिए गए निवेश व दिए गए ऋण पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित शेयर पूंजी में निवेश पर प्रतिफल एवं विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों की अदायगी का वृत्तांत पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं।

नवीनतम वित्तीय लेखाओं के अनुसार वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर में 27 कार्यशील राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 5,242.51 करोड़ थी, जिसमें राज्य सरकार का निवेश (इक्विटी) ₹ 3,881.93 करोड़ (74.05 प्रतिशत) (परिशिष्ट 2.3) था।

राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् एक निष्क्रिय व एक परिसमापनाधीन को छोड़कर), जिनमें राज्य सरकार के ₹ 3,779.16 करोड़ निदेशित थे, का सकल संचित घाटा ₹ 4,901.51 करोड़ (परिशिष्ट 2.4) था।

राज्य के उपरोक्त 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्क पूरी तरह से समाप्त हो कर ऋणात्मक हो गया था। 31 मार्च 2023 तक राज्य के इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्क ₹ 2,066.95 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष ₹ (-)1,867.35 करोड़ था। राज्य के इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई थी, में से दो में 31 मार्च 2023 तक बकाया सरकारी ऋण ₹ 3,072.19 करोड़ था (परिशिष्ट 2.4)।

(ii) निवेश एवं प्रतिफल

कंपनियों, निगमों एवं सहकारी बैंकों व सोसायटियों में निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्ति, सरकारी उधार की लागत एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर तालिका 2.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: निवेश एवं निवेश पर प्रतिफल का विवरण

निवेश/ प्रतिफल/ उधार लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,848.83	4,261.06	4,562.40	4,913.00	5,333.57
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	181.91	248.44	245.43	166.53	180.90
प्रतिफल (प्रतिशत)	4.73	5.83	5.38	3.39	3.39
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.32	7.98	7.59	7.51	6.74
ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	3.59	2.15	2.21	4.12	3.35
सरकारी उधारों पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर के कारण सांकेतिक हानि (₹ करोड़ में) #	138.31	91.59	100.86	202.42	178.58

स्त्रोत: वित्त लेखे

वर्ष की समाप्ति पर निवेश \times ब्याज दर ν प्रतिफल के मध्य अंतर

वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹ 180.90 करोड़ (3.39 प्रतिशत) था। वर्ष 2018-23 के दौरान इन निवेशों का प्रतिफल 3.39 प्रतिशत से 5.83 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा उसकी उधारी पर चुकाए गए ब्याज की औसत दर 6.74 प्रतिशत से 8.32 प्रतिशत के मध्य थी। 31 मार्च 2023 तक कुल ₹ 5,333.57 करोड़ के निवेश में से ₹ 4,617.53 करोड़ (86.58 प्रतिशत) का निवेश पांच² कंपनियों में था। वर्ष 2022-23 के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम ने कुल निवेश के 90 प्रतिशत (₹ 163.50 करोड़) से अधिक का अंशदान किया। विगत पांच वर्षों में सरकारी उधार की लागत एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए निवेश के प्रतिफल के मध्य ₹ 702.93 करोड़ का अंतर था।

² सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,098.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 422.50 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (₹ 1,003.21 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 869.64 करोड़) और हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 1,224.07 करोड़)।

(iii) सरकारी निवेशों का कंपनियों के लेखाओं से मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश के आंकड़े राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों से मिलने चाहिए। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं तथा राज्य सरकार के वित्त लेखाओं में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। दोनों लेखाओं की संवीक्षा से उजागर हुआ कि राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के रूप में किया गया सरकारी निवेश वित्त लेखाओं के अनुसार ₹ 4,047.26 करोड़ था जबकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अभिलेखों में यह ₹ 3,881.04 करोड़ था। इनमें ₹ 166.22 करोड़ का अंतर पाया गया (परिशिष्ट 2.5)।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रास्थिति एवं विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा उसके उधारों पर ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियां तालिका 2.27 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 2.27: 2018-23 के दौरान संवितरित एवं वसूली किए गए ऋणों की प्रमात्रा का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियों/उधार लागत की प्रमात्रा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋण का अंश शेष*	6,507.18	6,953.33	7,390.49	7,687.59	8,024.83
वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से दी गई राशि	467.98	458.21	320.12	377.97	110.57
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	21.83	21.03	23.02	40.73	82.79
बकाया ऋण का अंत शेष*	6,953.33	7,390.49	7,687.59	8,024.83	8,052.61
निवल योग	446.15	437.17	297.09	337.24	27.78
प्राप्त ब्याज	272.15	135.11	248.98	97.72	15.44
सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम पर ब्याज दर (प्रतिशत)	4.18	1.94	3.37	1.24	0.19
गत वर्ष की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	7.88	7.80	7.19	6.91	6.99
चुकाए गए ब्याज की दर एवं प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	3.70	5.86	3.82	5.64	6.80

स्त्रोत: वित्त लेखे

* 2016-17 के बाद से उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अंश व अंत शेष में शामिल है।

वर्ष 2022-23 के दौरान विगत वर्ष के ₹ 377.97 करोड़ के सापेक्ष ₹ 110.57 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई। ₹ 98.54 करोड़ (98.12 प्रतिशत) के ऋण का बड़ा भाग केवल विद्युत क्षेत्र को दिया गया। वर्ष के प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र पर ₹ 764.48 करोड़ का ऋण बकाया था। विगत 10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के अधीन अन्य उपक्रमों ने पूर्ववर्ती ऋणों

की चुकौती नहीं की। फिर भी पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना विद्युत क्षेत्र को लगातार ऋण दिए जा रहे हैं।

वर्तमान वर्ष (2022-23) के दौरान गत पांच वर्षों में हुई ₹ 82.79 करोड़ की सबसे बड़ी वसूली मुख्य रूप से सहकारी समितियों (सहकारिता विभाग) द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान (₹ 76.25 करोड़) के कारण हुई।

(v) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी की प्रवृत्तियों का आकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी दर्शाता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तथा राज्य को लंबे समय तक अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण व ब्याज देयताओं की चुकौती के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती हैं। वर्ष 2022-23 तक पूर्ण की जाने वाली अपूर्ण परियोजनाओं का आयु-वार एवं विभाग-वार विवरण क्रमशः तालिका 2.28 व 2.29 में दर्शाया गया है।

प्रारंभ होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2023 तक)
2015 तक	28	780.05	700.73
2016	07	160.11	142.45
2017	09	94.92	46.97
2018	09	55.89	40.97
2019	01	5.44	2.69
2021	02	22.63	1.41
2022	04	34.18	13.28
2023	07	122.34	5.34
योग	67	1,275.56	953.85

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2023 तक)
सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य	39	917.19	815.64
लोक निर्माण (सड़क व पुल)	28	358.37	138.21
योग	67	1,275.56	953.85

स्रोत: वित्त लेखे

67 अपूर्ण परियोजनाओं में हुए ₹ 953.85 करोड़ के व्यय का अभी भी अभीष्ट लाभ अब तक नहीं लिया जा सका। 67 अपूर्ण परियोजनाओं में से 28 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें 31.03.2023 तक ₹ 700.73 करोड़ का व्यय हुआ है तथा वे वर्ष 2015 से पहले की हैं।

परियोजनाएं पूरी करने में हुआ विलम्ब न केवल व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अपितु राज्य को अभीष्ट लाभ और आर्थिक विकास से वंचित भी करता है।

2.4.2.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

सार्वजनिक-निजी भागीदारी जनता की बुनियादी ढांचे के विकास की मांग को पूरा करने के लिए सरकार या सांविधिक इकाई एवं किसी निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक साझेदारी कार्य-रूपरेखा की व्यवस्था है। 31 मार्च 2023 तक सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं (पूर्ण, प्रक्रियाधीन व योजनाबद्ध) के विवरण परिच्छेद 2.6 में तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के क्षेत्र-वार विवरण तालिका 2.30 में दिए गए हैं।

तालिका 2.30: सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रक्रियाधीन		योजनाबद्ध	
		संख्या	अनुमानित लागत*	संख्या	अनुमानित लागत*	संख्या	अनुमानित लागत*
1.	शहरी अवसंरचना	7	124.00	9	383.00	4	--
2.	ऊर्जा	33	141.01	13	50.72	49	53.13
3.	सामाजिक	4	115.00	0	0	0	0
4.	पर्यटन	3	177.00	6	680.00	2	--
5.	अन्य	0	0	2	13.00	2	--
योग		47	557.01	30	1,126.72	57	53.13

स्त्रोत: विभागीय आंकड़े

* जिन परियोजनाओं की लागत ज्ञात नहीं है, उन्हें अनुमानित लागत में शामिल नहीं किया गया है।

2.4.3 व्यय प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर में अभिवृद्धि हेतु राज्य को मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उसके व्यय को बढ़ाना आवश्यक होता है। यदि सम्बंधित राष्ट्रीय औसत से आबंटन कम है, तो इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष से न्यून राजकोषीय प्राथमिकताएं (समग्र व्यय के सापेक्ष किसी श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) जुड़ी है। कुल व्यय के सापेक्ष इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.31 वर्ष 2018-19 को आधार वर्ष लेते हुए वर्ष 2022-23 के दौरान समग्र व्यय, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संदर्भ में उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के साथ राज्य सरकार की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.31: 2018-19 एवं 2022-23 में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य (2018-19)	27.30	16.11	17.70	6.48
हिमाचल प्रदेश (2018-19)	23.25	14.64	17.48	6.49
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य (2022-23)	27.24	15.52	15.77	6.95
हिमाचल प्रदेश (2022-23)	25.88	12.14	17.66	7.34

टिप्पणी: पूंजीगत व्यय में ऋण व संवितरित अग्रिम शामिल है।


तालिका 2.31 दर्शाती है कि :

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय वर्ष 2018-19 के 23.25 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 25.88 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों (2018-19) हेतु यह लगभग स्थिर रहा।
- पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति निर्माण की सुविधा प्रदान करता है जिससे उच्च विकास के अवसर पैदा होते हैं। वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2018-19 के 13.29 प्रतिशत से घटकर 11.92 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों हेतु यह अनुपात 16.11 प्रतिशत से घटकर 15.52 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में कुल व्यय में शिक्षा का अनुपात वर्ष 2018-19 के 17.48 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 17.66 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों हेतु यह अनुपात 17.70 प्रतिशत से 15.77 प्रतिशत घट गया।
- वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में कुल व्यय में स्वास्थ्य का अनुपात वर्ष 2018-19 के 6.49 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 7.34 प्रतिशत हो गया एवं इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के मामले में भी यह 6.48 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 6.95 प्रतिशत हो गया।

2.4.4. वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वस्तु शीर्ष-वार व्यय वस्तु/व्यय के प्रयोजन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 हेतु वस्तु शीर्ष-वार व्यय का विवरण चार्ट 2.15 में दिया गया है।

चार्ट 2.15: वस्तु शीर्ष-वार व्यय



स्रोत: वित्त लेखे

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है। इनके संदर्भ में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा का घटक-वार निवल शेष तालिका 2.32 में दिया गया है तथा लोक लेखा की शेष राशि के संगठन में आया वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.32: लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष


(₹ करोड़ में)

प्रभाग	उप प्रभाग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
I.- लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28	17,682.25
	कुल (I)	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28	17,682.25
J.- आरक्षित निधि	(क) सब्याज आरक्षित निधि	1.00	1,887.65	1,882.54	1,657.90	1,664.27
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	316.60	834.66	834.66	316.00	270.44
	कुल (J)	317.60	2,722.31	2,717.20	1,973.90	1,934.71
K.- निक्षेप एवं अग्रिम	(क) सब्याज निक्षेप	-1.41	-1.64	7.66	14.30	17.39
	(ख) ब्याज रहित निक्षेप	3,208.52	3,382.45	3,454.50	3,412.87	3,591.61
	(ग) अग्रिम	-0.53	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
	कुल (K)	3,206.58	3,380.30	3,461.65	3,426.66	3,608.49
L.- उचंत एवं विविध	(क) उचंत	74.12	-1,330.44	-1,539.83	-292.98	224.94
	(ख) अन्य लेखे	-101.91	-982.25	-1,696.28	-2,568.27	-3,645.37
	(ग) विदेशी सरकारों के लेखे	--	--	--	--	--
	घ) विविध	--	--	--	--	--
	कुल (L)	-27.79	-2,312.69	-3,236.11	-2,861.25	-3,420.43
M.- प्रेषण	(क) मनीआर्डर एवं अन्य प्रेषण	509.19	612.45	546.02	653.51	494.02
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन लेखे	0.31	-6.16	-4.11	-0.01	-0.06
	कुल (M)	509.50	606.29	541.91	653.50	493.96
सकल योग		18,355.42	19,933.34	20,007.29	20,199.09	20,298.98

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.16: लोक लेखा शेष के संघटन में आया वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.5.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती हैं। ये निधियां राज्य की समेकित निधि के अंशों अथवा अनुदानों के योगदान से पूर्ण की जाती हैं। यह सब्याज आरक्षित निधियों एवं ब्याज रहित आरक्षित निधियों से मिलकर बनती हैं।

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखाओं की विवरणी 21 व 22 में उपलब्ध है। 31 मार्च 2023 तक तीन सब्याज आरक्षित निधियां एवं चार ब्याज रहित आरक्षित निधियां थीं। 31 मार्च 2023 तक इन आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि तालिका 2.33 में दी गई है।

तालिका 2.33: आरक्षित निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2023 तक बकाया शेष
क	सब्याज आरक्षित निधियां	1,664.27
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	55.55
2	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष	1,566.68
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	42.04
ख	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	270.44
1	औद्योगिक विकास निधि	0.16
2	विद्युत विकास निधि	254.32
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	15.97
4	उपभोक्ता कल्याण	--*
	सकल योग	1,934.71

स्त्रोत: वित्त लेखे

* मात्र ₹ 0.07 लाख

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की शर्तों में राज्य सरकारों से बकाया देयताओं के निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि सृजित करना अपेक्षित है। राज्यों द्वारा इच्छा आधार पर अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2006 द्वारा परिचालित आदर्श समेकित ऋण शोधन निधि योजना के अनुसार, राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना था।

उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक 31 मार्च 2022 तक की बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत का अंशदान करना अपेक्षित था। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की बकाया देयताएं ₹ 73,534.80 करोड़ थीं। इस प्रकार वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार को निधि में न्यूनतम ₹ 367.67 करोड़ (₹ 73,534.80 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) राशि का अंशदान अपेक्षित था।

यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक समेकित ऋण शोधन निधि सृजित नहीं की।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से तत्कालीन आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में परिवर्तित कर दिया था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशानुसार (सितंबर 2010, जुलाई 2015 व जनवरी 2022) इस निधि में केंद्र एवं राज्य सरकारें 90:10 के अनुपात में अंशदान कर रही थीं। इस अंशदान को लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष-2245 को संचालित कर व्यय किया गया।

राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश से अर्जित आय को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि के साथ केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, नीलामी किए गए कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अन्य सब्याज निक्षेपों में निवेश किया जाना है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत हेतु व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए, आपदा की तैयारी, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण एवं शमन के प्रावधान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्ष/राज्य योजना निधियों आदि में शामिल करना होगा।

वित्त लेखाओं के अनुसार 1 अप्रैल 2022 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 49.79 करोड़ की राशि थी। वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष 8121-122 के तहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 380.80 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 342.40 करोड़, राज्यांश: ₹ 38.40 करोड़) हस्तांतरित किए गए। वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 430.59 करोड़ की कुल राशि में से ₹ 375.04 करोड़ संवितरित/उपयोग किए गए तथा वर्ष की समाप्ति में ₹ 55.55 करोड़ शेष रहे। 31 मार्च 2023

तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 55.55 करोड़ की संपूर्ण शेष राशि अनिवेशित रही, जो भारत सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन थी।

31 मार्च 2022 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की ₹ 49.79 करोड़ की शेष राशि का भी राज्य सरकार ने निवेश नहीं किया। यदि इस शेष राशि का निवेश किया जाता तो ₹ 3.73 करोड़ (वर्ष 2022-23 के दौरान अधिविकर्ष की औसत दर को ध्यान में रखते हुए 7.49 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना) का ब्याज अर्जित होता, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष व राजकोषीय घाटे की इस सीमा तक न्यूनोक्ति होती। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर प्रभारित व्यय का विवरण तालिका 2.34 में दिया गया है।

तालिका 2.34: वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

		(₹ करोड़ में)
मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	व्यय
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि।	101- मुफ्त राहत	20.76
	102- पेयजल आपूर्ति	3.00
	104- चारे की आपूर्ति	0.25
	106- क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	209.96
	109- क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति, जल निकासी व सीवरेज कार्यों की मरम्मत और बहाली	143.74
	111- शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	72.41
	113- आवासों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता	10.97
	114- कृषि आदानों की खरीद हेतु किसानों को सहायता	1.00
	193- स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	61.97
		कुल
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901- कटौती - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त राशि	-573.66
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर प्रभारित व्यय		552.90

स्त्रोत: वित्त लेखे

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशानुसार केवल 2245-02-101 के तहत बुक की गई राशि ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय करने हेतु स्वीकार्य है। अतएव राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिले ₹ 573.66 करोड़ में से ₹ 552.90 करोड़ का व्यय दिशानिर्देशों के विपरीत था।

2.5.2.3 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का गठन किया जाता है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि दिशानिर्देशों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य

विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या फिन-जी-सी (2) 05/2022, दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (सब्याज प्रभाग के अंतर्गत आने वाले मुख्य शीर्ष-8121 सामान्य व अन्य आरक्षित निधि) के तहत) का सृजन किया।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ₹ 42.80 करोड़ प्राप्त किए (31 मार्च 2023 को प्राप्त)। वर्ष के दौरान राज्यांश ₹ 4.80 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130 (राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि) के अंतर्गत नामित निधि में वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 90.80 करोड़ (केंद्रांश ₹ 81.80 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 9.00 करोड़) हस्तांतरित किए। हालांकि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त ₹ 47.60 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 42.80 करोड़ एवं राज्यांश: ₹ 4.80 करोड़) की राशि लोक लेखा के तहत निर्दिष्ट निधि/शीर्ष में स्थानांतरित नहीं की। यह राजस्व व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ।

2.5.2.4 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

जारी किए गए बांड एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा लिए गए अन्य उधारों के संदर्भ में तथा लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार द्वारा जारी की गई गारंटी के कारण उत्पन्न भुगतान देयताओं को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति विमोच्य निधि का गठन किया जाता है। निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान पर ही किया जाता है तथा उन संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी। राज्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट योजना परिचालित की (अगस्त 2001) जिसके अनुसार राज्य सरकार से चालू वित्त वर्ष से पूर्व के द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित था, जैसा की प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में दर्शाए गए थे। यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक प्रत्याभूति विमोच्य निधि स्थापित नहीं की।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर बकाया गारंटी राशि ₹ 1,780.64 करोड़ थी। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य निकाय द्वारा बकाया होने की स्थिति में राज्य सरकार को प्रत्याभूत विमोच्य निधि के अभाव में अन्य उपलब्ध संसाधनों से व्यय वहन करना होगा, जिससे वित्त पर अधिक दबाव पड़ेगा। हालांकि बकाया गारंटी राज्य की विगत वर्ष (2021-22) की कुल राजस्व प्राप्तियों का पांच प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित गत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत लक्ष्य की सीमा के भीतर रही।

2.5.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष

प्रतिपूरक वनीकरण के संचालन, सहयोगकृत प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियां और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों हेतु प्राप्त राशि के प्रबंधन एवं एकत्रित धन के उपयोग

हेतु राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष का सृजन अपेक्षित था। इस कोष के तहत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु, भारत सरकार के माध्यम से नवम्बर 2018 में जारी किए गए।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को उपयोगकर्ता एजेंसियों से ₹ 0.01 करोड़ (गत वर्ष कोई राशि प्राप्त नहीं हुई) प्राप्त हुई जिसका प्रेषण राष्ट्रीय निधि में किया गया। सरकार को वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप से भी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में रखे अव्ययित धन पर ₹ 1.71 करोड़ के ब्याज सहित राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि पर मुख्य शीर्ष 8121 के तहत कुल ₹ 53.87 करोड़ का ब्याज जमा किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष में कुल शेष ₹ 1,566.68 करोड़ था।

2.5.2.6 केन्द्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि

भारत सरकार की दिनांक 31.03.2018 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि कर दिया गया। केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं के विकास एवं रखरखाव, रेलवे की सुरक्षा में सुधार, राज्य व ग्रामीण सड़कों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं इत्यादि हेतु किया जाएगा।

मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया की शर्तानुसार केंद्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को आरम्भ में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाए। तदोपरांत राज्य सरकार इस प्रकार प्राप्त राशि मुख्य शीर्ष 8449-103- कार्यात्मक मुख्य शीर्ष (शीर्षों) के माध्यम से केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढांचा निधि अनुदान के तहत लोक लेखा में हस्तांतरित करती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि में ₹ 169.05 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया। राज्य सरकार द्वारा "केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढांचा निधि अनुदान" सृजित नहीं करने के कारण कार्यात्मक मुख्य शीर्षों से निर्दिष्ट निधि में अब तक कोई निधि हस्तांतरित नहीं की गई।

2.5.3 उंचत एवं विविध

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की बहियों में ₹ 0.20 करोड़ राशि (पूजीगत व्यय: ₹ 0.20 करोड़) उंचत लेखा में रखी गई क्योंकि बजट में योजना को अधिसूचित किए बिना व्यय किया गया। अतः उक्त राशि को वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे में पूजीगत व्यय एवं विनियोजन लेखे में वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया गया।


इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 के दौरान वस्तु उंचत में दर्ज गत वर्ष की ₹ 448.61 करोड़ राशि (2019-20 के ₹ 157.51 करोड़, 2020-21 के ₹ 212.64 करोड़ व 2021-22 के ₹ 78.46 करोड़) को मंजूरी दी दे गई एवं सम्बंधित लेखा शीर्षों (राजस्व व्यय: ₹ 268.69 करोड़ व पूजीगत व्यय: ₹ 179.92 करोड़) में तहत दर्ज किया गया। इस प्रकार वर्ष 2022-23 के

बजट प्रावधानों के प्रति वित्त लेखाओं में राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय तथा विनियोजन लेखाओं में वास्तविक व्यय की इस सीमा तक अत्योक्ति हुई।

2.6 लोक देयता प्रबंधन

लोक देयता प्रबंधन सरकार की देयताओं के प्रबंधन हेतु निधियन की आवश्यक मात्रा, इसके जोखिमों एवं लागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु, जो सरकार अधिनियम अथवा अन्य वार्षिक बजट उद्घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, के लिए रणनीति स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि हेतु समग्र ऋण की वर्ष-वार प्रास्थिति चार्ट 2.17 में नीचे दी गई है:



* कुल बकाया ऋण/देयताएं एवं कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात की गणना वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर की गई है।

2.6.1 देयता रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार की कुल देयता राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति व वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से मिलकर बनती हैं। वर्ष 2022-23 हेतु राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएं चार्ट 2.18 में प्रस्तुत की गई हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि में राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां तालिका 2.35 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.35: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय देयता के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
	31 मार्च 2023 तक समग्र बकाया देयता* (1+2)	54,299.19	62,211.84	67,164.75	69,122.58	82,177.21
1.	लोक ऋण					
	(क) आंतरिक ऋण	35,363.18	39,527.77	42,918.21	44,376.03	55,975.16
	(ख) भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,061.77	1,043.81	1,544.54	2,339.19	2,976.09
2.	लोक लेखा देयताएं	17,874.24	21,640.26	22,702.00	22,407.36	23,225.96
	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28	17,682.25
	सब्याज आरक्षित निधियां	1.00	1,887.65	1,882.54	1,657.90	1,664.27
	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	316.60	834.66	834.66	316.00	270.44
	सब्याज निक्षेप	-1.41	-1.63	7.66	14.30	17.39
	ब्याज रहित निक्षेप	3,208.52	3,382.45	3,454.50	3,412.88	3,591.61
3.	बकाया कुल देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.41	14.57	7.96	2.91	18.89
4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,48,383	1,59,164	1,55,251 ^अ	1,76,269 ^अ	1,95,405 ^अ
5.	कुल देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	36.59	39.09	43.26	39.21	42.05
	उधार एवं अन्य देयताएं (वित्त लेखा की विवरणी 6 के अनुसार)					
6.	कुल लोक लेखा प्राप्तियां	6,427.41	10,847.39	15,032.21	6,639.75	22,371.82
7.	कुल लोक ऋण चुकावियां	4,673.34	6,700.75	11,141.05	4,387.28	10,135.80
8.	उपलब्ध निवल निधियां (6-7)	1,754.07	4,146.64	3,891.16	2,252.47	12,236.02
9.	चुकावियां/ प्राप्तियां (प्रतिशत) (7/6)	72.71	61.77	74.11	66.08	45.31
10.	निवल लोक लेखा प्राप्तियां	1,514.64	3,766.01	1,061.75	-294.64	818.61
11.	कुल उपलब्ध ऋण (8+10)	3,268.71	7,912.65	4,952.91	1,957.83	13,054.63
12.	बजट के सापेक्ष कुल व्यय	42,469	45,528	53,139	50,130	63,463
13.	बजट के प्रतिशत के रूप में चुकावियां	11.00	14.72	20.97	8.75	15.97

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य की कुल बकाया देयताएं 51.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2018-19 के ₹ 54,299.19 करोड़ से ₹ 27,878.02 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 82,177.21 करोड़ (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को 2020-22 में एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर) हो गई। पांच वर्षों की अवधि में (2018-23) राज्य के आंतरिक ऋण (जिसमें मुख्यतः खुले बाजार से लिए गए बकाया दीर्घकालिक ऋण, वर्ष 2016-17 के दौरान उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के कार्यान्वयन की अनुपालना में राज्य विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड के ऋण चुकाने हेतु जारी बांड जिसमें ₹ 20,611.98 करोड़ (58 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; भारत सरकार से ऋण (जिसमें मुख्य रूप से ब्लॉक ऋण शामिल हैं) जिसमें ₹ 1,914.32 करोड़ (180 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; और लोक लेखा देयता (जिसमें मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा आदि शामिल हैं) में ₹ 5,351.72 करोड़ (30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, ऋण चुकावियां एवं ऋण प्राप्तियां का प्रतिशत 45.31 प्रतिशत से 74.11 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान ऋण


प्राप्ति का औसतन 64 प्रतिशत उपयोग पुनर्भुगतान के लिए किया गया। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार ने विकासात्मक गतिविधियों पर ऋण प्राप्तियों का केवल 36 प्रतिशत (औसत) उपयोग किया, केवल वर्ष 2022-23 को छोड़कर, जब इसका उपयोग राजस्व व्यय के लिए भी किया गया। वर्ष 2018-23 के दौरान बजट प्रावधान से ऋण चुकौती का प्रतिशत 8.75 प्रतिशत से 20.97 प्रतिशत (14.28 प्रतिशत की औसत दर पर) के मध्य था। उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण परिच्छेद 2.7.1 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल देयता विगत वर्ष के 2.91 प्रतिशत की तुलना में 18.89 प्रतिशत बढ़ गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता का अनुपात 2018-19 के 36.59 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 42.05 प्रतिशत हो गया तथा विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 2.84 प्रतिशत (2021-22 में 39.21 प्रतिशत) बढ़ गया। कुल देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (42.05 प्रतिशत) 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों (33.30 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार के उसके बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (40.49 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्यों से काफी अधिक था। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान पिछली देयताओं की अदायगी हेतु 45.31 प्रतिशत से 74.11 प्रतिशत तक की ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया गया।

वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया कुल देयताओं का विवरण चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18: 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर बकाया कुल देयताओं का विवरण

(₹ करोड़ में)




* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

चार्ट 2.19 पांच वर्ष की अवधि अर्थात् वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में चुकाए गए ऋण मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 2.19: लिए गए एवं चुकाए गए आंतरिक ऋण के वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण (वार्षिक) वर्ष 2018-19 के ₹ 6,360 करोड़ से ₹ 15,272 करोड़ (240.13 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 21,632 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें ₹ 15,885 करोड़ (276.41 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बाजार उधार में उल्लेखनीय वृद्धि रही। वर्ष 2022-23 के दौरान आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 3,476.91 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

तालिका 2.36 वर्ष 2018-23 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण पैटर्न को दर्शाती है तथा वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण को एक चार्ट (चार्ट 2.20) के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उसका वित्तपोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)


विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटे के संघटक	3,512.54	5,597.06	5,700.09	5,244.85	12,379.84
क राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	1,508.21	11.98	-96.66	1,114.76	-6,335.76
ख निवल पूंजीगत व्यय	-4,574.59	-5,171.87	-5,306.33	-6,022.37	-6,016.30
ग निवल ऋण व अग्रिम	-446.16	-437.17	-297.10	-337.24	-27.78
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न*					
1 बाजारी उधार	2,108.10	4,460.00	3,755.00	1,874.99	12,230.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	-17.65	-17.95	2,217.73*	3,489.87*	636.90
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	-538.25	-569.10	-569.10	-569.10	-569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	201.86	273.69	204.54	151.92	-61.78
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,113.14	1,187.60	985.51	483.65	675.96
6 निक्षेप एवं अग्रिम	408.91	173.71	81.35	-34.99	181.83
7 उचंत व विविध	1.08	-1,404.92	-209.39	1,246.84	517.94
8 प्रेषण	112.25	96.80	-64.38	111.59	-159.55
9 आरक्षित निधियां	-7.43	2,404.71	-5.11	-743.30	-39.18
10 समग्र घाटा	3,382.01	6,604.54	6,396.15	6,011.47	13,413.02
11 नकद शेष में वृद्धि (-)/ गिरावट (+)	130.53	-1,007.48	-696.06	-766.62	-1,033.18
12 सकल राजकोषीय घाटा	3,512.54	5,597.06	5,700.09	5,244.85	12,379.84

स्रोत: वित्त लेखे

ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरित/जारी किए गए का कुल हैं।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) शामिल हैं।

चार्ट 2.20: 2018-23 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति



वर्ष 2022-23 में ₹ 12,379.84 करोड़ के राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण, जिसमें बाजार उधार, वित्तीय संस्थानों से ऋण तथा लोक लेखा, जिसमें लघु बचत, इत्यादि शामिल थे, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जैसा कि तालिका 2.37 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजारी उधार	14,000.00	1,770.00	12,230.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	739.83	102.93	636.90
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	0	569.10	-569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	845.15	906.93	-61.78
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	3,633.27	2,957.31	675.96
6 निक्षेप एवं अग्रिम	5,946.22	5,764.39	181.83
7 उचंत व विविध	1,569.93	1,052.00	517.94
8 प्रेषण	8,178.73	8,338.28	-159.55
9 आरक्षित निधियां	741.45	780.63	-39.18
10 समग्र घाटा	35,654.58	22,241.57	13,413.02
11 नकद शेष में वृद्धि/ गिरावट	2,522.86	3,556.04	-1,033.18
12 सकल राजकोषीय घाटा	38,177.44	25,797.61	12,379.84

स्रोत: वित्त लेखे

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी

ऋण परिपक्वता एवं अदायगी रूपरेखा ऋण चुकाने में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है। राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.38 व चार्ट 2.21 में दर्शाई गई है।


तालिका 2.38: राज्य के लोक ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

अदायगी अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)			प्रतिशत (कुल लोक ऋण के संदर्भ में)
	लोक ऋण (मूल)	ब्याज [#]	कुल लोक ऋण (मूल + ब्याज)	
0-1	3,480.83	4,340.13	7,820.96	8.75
1-3	8,239.62	7,848.19	16,087.81	18.01
3-5	9,071.31	6,535.89	15,607.20	17.47
5-7	8,988.85	5,157.26	14,146.11	15.83
7-10	14,031.17	5,085.95	19,117.12	21.40
10 से अधिक	13,071.00	3,497.00	16,568.00	18.54
योग	56,882.78*	32,464.42	89,347.20	

स्त्रोत: वित्त लेखे


- * इस राशि में वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से 2020-21 व 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़, ₹ 1,417.96 करोड़ ₹ 1,333 करोड़ (केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण), ₹ 0.13 करोड़ (1984-85 से पहले के ऋण), ₹ 84.77 करोड़ व ₹ 5.80 लाख (जिनकी परिपक्वता अनिश्चित है), ₹ 650 करोड़ (पूंजी निवेश के लिए राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता) को शामिल नहीं किया गया।
- # 7.63 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर परिकल्पित अनुमानित ब्याज (विगत पांच वर्षों की ब्याज दरों का औसत तालिका 2.39 में दिया गया है)।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च 2023 तक ब्याज सहित ₹ 89,347.20 करोड़ (मूलधन: ₹ 56,882.49 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 32,464.42 करोड़) के कुल बकाया लोक ऋण में से 8.75 प्रतिशत अगले एक वर्ष में देय है; 18.01 प्रतिशत (₹ 16,087.81 करोड़) अगले एक से तीन वर्ष में देय है (2025-26 तक); 17.47 प्रतिशत (₹ 15,607.20 करोड़) अगले तीन से पांच वर्षों (2025-26 तक) में देय है; 15.83 प्रतिशत (₹ 14,146.11 करोड़) अगले पांच से सात वर्षों में (2029-30 तक) देय है; 21.40 प्रतिशत (₹ 19,117.12 करोड़) अगले 10 वर्षों में देय है, जबकि शेष 18.54 फीसदी (₹ 16,568.00 करोड़) का भुगतान 10 वर्ष के बाद करना होगा। 2027-28 तक अगले पांच वर्षों के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण अदायगी पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 7,903.19 करोड़ होगा जबकि वर्ष के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण (मूलधन) की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 6,902.66 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम सहित) होगी, जो ऋण देयताओं को पूरा नहीं कर पाएंगी।



आगामी 10 वर्षों अर्थात् 2032-33 के दौरान बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार अदायगी समयसारणी (ब्याज सहित) चार्ट 2.22 में दी गई है।

चार्ट 2.22: आगामी 10 वर्षों अर्थात् 2032-33 के दौरान बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार अदायगी समयसारणी (ब्याज सहित) (₹ करोड़ में)




उपरोक्त चार्ट 2.22 से स्पष्ट है कि वर्ष 2032-33 तक राज्य को औसतन ₹ 7,277.92 करोड़ का लोक ऋण वार्षिक रूप से चुकाना होगा। वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया ऋण के अतिरिक्त राज्य को संसाधन अंतराल को भरने के लिए हर वर्ष और उधारों का सहारा लेना होगा।

बाजार उधार/ऋण

बकाया बाजार ऋण एवं उस पर आगामी दस वर्षों में चुकाए जाने वाली ब्याज की राशि का विवरण चार्ट 2.23 में दिया गया है।

चार्ट 2.23: बाजार ऋणों की अदायगी समय-सारणी



स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: 31 मार्च 2023 तक बकाया बाजार ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा प्रस्तुत की गई है एवं ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने वाले हैं।

राज्य को ब्याज सहित ₹ 74,996 करोड़ के कुल बकाया बाजार ऋणों (मूलधन: ₹ 46,002 करोड़ व ब्याज: ₹ 28,994 करोड़) में से बाजार ऋण के मूलधन के ₹ 6,422 करोड़ एवं ब्याज के ₹ 9,938 करोड़ की अदायगी अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2025-26 तक करनी होगी। वर्ष 2027-28 तक अगले दो वर्षों में ₹ 6,660 करोड़ मूलधन व ₹ 5,719 करोड़ ब्याज देय होगा। इस प्रकार वर्ष 2027-28 तक अगले पांच वर्षों के दौरान बाजार ऋण चुकौती एवं ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 5,748 करोड़ होगा। ब्याज सहित बाजार ऋणों की वर्तमान वार्षिक चुकौती ₹ 6,718 करोड़ है।

वर्ष 2028-29 से 2032-33 की अवधि के दौरान बाजार ऋण ₹ 18,720 करोड़ एवं ब्याज ₹ 9,501 करोड़ देय होगा। ऐसे में राज्य को उस अवधि के दौरान सालाना लगभग ₹ 5,644 करोड़ चुकाना होगा।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण

ऋण धारणीयता का विश्लेषण राजकोषीय व ऋण मापदंडों, डोमार दृष्टिकोण और संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों हेतु मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित परिच्छेदों में दिए गए हैं:

(क) ऋण धारणीयता का तात्पर्य राज्य की वर्तमान एवं भविष्य में अपनी ऋण देयताओं को पूरा करने की क्षमता से है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्षों की अवधि हेतु ऋण धारणीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण तालिका 2.39 व चार्ट 2.24 में दिया गया है।

तालिका 2.39: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

ऋण धारणीयता सूचकांक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में) (वर्ष के 31 मार्च को)	36,425	40,572	44,463 ^{\$}	46,715 ^{\$}	58,951 ^{\$}
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.06	11.39	9.59	5.07	26.19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,48,383	1,59,164	1,55,251 ^अ	1,76,269 ^ब	1,95,405 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.10	7.27	-2.46	13.54	10.86
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	24.55	25.49	28.64	26.50	30.17
पिछला बकाया यदि हो तो उसके सहित राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा	3,181	3,257	3,399	3,147	3,347
लोक ऋण पर औसत ब्याज दर (चुकाया गया ब्याज/लोक ऋण का अथ शेष + लोक ऋण का अंत शेष/2) (प्रतिशत में)	8.32	7.98	7.59	7.51	6.74
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,958	3,071	3,228	3,422	3,558
ब्याज भुगतान के बिना राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+)	4,466	3,082	3,131	4,537	-2,777
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	196.14	25,634.31	3,339.11	307.01	56.16
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	9.56	9.99	9.65	9.17	9.34
लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण अदायगी का प्रतिशत	72.71	61.77	74.11	66.08	45.31
राज्य को उपलब्ध निवल लोक ऋण [#] (₹ करोड़ में)	-1,204	1,076	664	-1,170	8,678
लोक ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल लोक ऋण	-18.73	9.92	4.41	-17.62	38.79
प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक अधिशेष (+)	510	-1,363	-1,228	-604	-7,551
ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार [@] + प्राथमिक घाटा) (₹ करोड़ में)	64.27	-1,653	-5,696	2,212	-5,125

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखों।

* बकाया लोक ऋण, केंद्र सरकार से शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण एवं 6004-ऋण व अग्रिम के तहत प्राप्त बकाया शेषों का योग है।

\$ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

राज्य को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पर लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्ति आधिक्य के रूप में की जाती है।

@ मात्रा विस्तार = ऋण स्टॉक × (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - औसत ब्याज दर) / 100


ऋण स्थिरता की एक आवश्यक शर्त है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक हो जाती है, तो ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरने एवं स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा धनात्मक या मामूली रूप से ऋणात्मक हो। इस प्रकार यदि प्राथमिक घाटा एवं परिमाण विस्तार दोनों ऋणात्मक हो तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः बढ़ जाएगा तथा यदि यह धनात्मक है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात घट जाएगा।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लोक ऋण का अनुपात 24.55 से 30.17 प्रतिशत था। वर्ष 2018-23 (वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त) के दौरान ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई तथा वर्ष 2022-23 के दौरान 30.17 प्रतिशत का उच्चतम अनुपात दर्ज हुआ। वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू

उत्पाद में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लोक ऋण में 26.19 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि में ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति चार्ट 2.24 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.24: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति



वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का लोक ऋण 61.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 36,425 करोड़ से बढ़कर ₹ 58,951 करोड़ (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ अर्थात् 2020-21 के दौरान ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ को छोड़कर) हो गया। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान का भार राजस्व प्राप्तियों का 9.17 से 9.99 प्रतिशत तक था। चार वर्षों (वर्ष 2018-19 से 2021-22) की अवधि में मौजूदा देयताओं के निर्वहन हेतु ऋण प्राप्तियां 61.77 प्रतिशत से 74.11 प्रतिशत के मध्य थीं। परन्तु वर्ष 2022-23 में लोक प्राप्तियों का मात्र 45.31 प्रतिशत ही मौजूदा देयताओं की अदायगी के लिए उपयोग किया गया।

- घटता ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। वर्ष 2022-23 में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2018-19 के 24.55 प्रतिशत से बढ़कर 30.17 प्रतिशत हो गया, जिसे स्थिरता की ओर अग्रसर नहीं माना जा सकता। हालांकि वर्ष 2021-22 में यह मामूली रूप से घटकर 26.50 प्रतिशत हो गया। साथ ही ऋण धारणीयता की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है, तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह धनात्मक है, तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिर जाएगा। तालिका 2.39 मिश्रित

प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है क्योंकि वर्ष 2018-19 व 2021-22 में ऋण धारणीयता धनात्मक थी परन्तु तीन वर्षों (2019-20, 2020-21 व 2022-23) में यह ऋणात्मक हो गई।

- राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात भी ऋण धारणीयता का एक अच्छा उपाय है। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान यह अनुपात 9.17 प्रतिशत व 9.99 प्रतिशत के मध्य रहा।
- लोक ऋण प्राप्तियों की तुलना में लोक ऋण अदायगी का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उपयोग किए गए ऋण का अनुपात सृजनात्मक के बजाय ऋण अदायगी हेतु उतना ही अधिक होगा। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान लोक ऋण अदायगी की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियां 61.77 व 74.11 प्रतिशत रहा, जिसका अर्थ है कि अधिकांश सार्वजनिक उधारों का उपयोग पिछले उधारों की अदायगी में किया गया जिससे सृजनात्मक कार्यों में उनके उपयोग हेतु कम स्थान बचा।
- वर्तमान वर्ष के दौरान (2022-23) लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण अदायगी का अनुपात 45.31 प्रतिशत तक गिर गया, जिसका अर्थ है लोक ऋण प्राप्तियों का उपयोग पिछले दायित्वों की पूर्ति के अतिरिक्त भी किया गया। **परिच्छेद 2.7.1 (तालिका 2.42)** स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सार्वजनिक उधार, जो विकासात्मक कार्यों, परिसंपत्तियों के सृजन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु है, उनका उपयोग राजस्व घाटा घटाने हेतु मौजूदा खपत की पूर्ति करने के लिए किया गया।

(ख) ऋण धारणीयता पर विश्लेषण ई.डी. डोमार³ [डोमार, 1944] के अध्ययन के आधार पर किया गया। डोमार मॉडल कहता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने का आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक न हो।

ब्याज दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर एवं प्राथमिक बजट शेष के आधार पर लोक ऋण की गतिशीलता इस प्रकार है:

जी-आर (जी- वास्तविक आर्थिक विकास दर; आर- वास्तविक ब्याज दर)	अधिशेष<0 (प्राथमिक घाटा)	अधिशेष> 0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर>0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए।	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम एक स्थिर स्तर पर पहुंचना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत को बढ़ावा मिले।
जी-आर<0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।	अपरिभाषित स्थिति।

³ डोमार मॉडल ऋण स्टॉक की परिपक्वता प्रोफाइल, संरचना, लागत और जोखिम विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखता है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में उपरोक्त मापदंडों को लागू करने के परिणाम तालिका 2.40 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.40: डोमर मोडल पर आधारित ऋण धारणीयता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	जी-आर (डोमर अंतराल)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष(+) (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
2018-19	6.41	9.62	-3.21	+510	जी-आर<0 व अधिशेष>0; अपरिभाषित स्थिति
2019-20	4.10	1.82	2.28	-1,363	चूंकि जी-आर> 0 व अधिशेष<0; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर अभिसरित होना चाहिए।
2020-21	-3.00	2.61	-5.61	-1,228	चूंकि जी-आर<0 व अधिशेष<0; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर अभिसरित हुए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।
2021-22	7.55	1.19	6.36	-604	चूंकि जी-आर> 0 व अधिशेष<0; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण
2022-23	6.44	2.78	3.66	-7,551	शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर अभिसरित होना चाहिए।

टिप्पणी: वास्तविक वृद्धि दर की गणना स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए की जाती है। वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नाममात्र ब्याज दर है।

विषय अवधि के प्रारंभिक वर्ष यानी वर्ष 2018-19 में राज्य में प्राथमिक अधिशेष था, जो बाद के विगत चार वर्षों यानी वर्ष 2019-23 में प्राथमिक घाटे में बदल गया। डोमर अंतराल (जी-आर) वर्ष 2019-20, 2021-22 व 2022-23 के दौरान धनात्मक रहा और कोविड वर्ष 2018-19 व 2020-21 के दौरान यह ऋणात्मक था। जबकि कोविड के बाद के वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उच्च वृद्धि के कारण डोमर अंतर धनात्मक हो गया। कोविड के बाद के वर्षों में उच्च विकास दर के कारण धनात्मक डोमर अंतर को कोविड के दौरान तुलना हेतु कम आधार के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। हालांकि इसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा तेजी से बढ़ा है, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास (2021-23 से जी-आर> 0 के रूप में व्यक्त) पर निर्भर रहना राज्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(ग) हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.41 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.41: बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति

राजकोषीय मापदंड		बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजकोषीय घाटा (-) /अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	लक्ष्य	राजस्व अधिशेष बनाए रखा				
	प्राप्ति	1.02	0.01	-0.06	0.63	-3.24
राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	3% या कम				6% या कम
	प्राप्ति	-2.37	-3.52	-3.67	-2.98	-6.34
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात [@] (प्रतिशत में) ^{\$}	लक्ष्य	35.00	34.04	33.62	40.26	40.49
	प्राप्ति	36.59	39.09	43.26*	39.21*	42.05*
गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के संदर्भ में गारंटी	लक्ष्य	पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत				
	प्राप्ति	15.75	6.29	6.97	5.64	4.77

[@] कुल बकाया ऋण में लोक ऋण व अन्य (लोक लेखा) देयताएं शामिल हैं।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.2 करोड़) को छोड़ कर, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

\$ सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण के अनुपात की तुलना मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों से की गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए (2011 के बाद 2023 तक, जब संशोधन किए गए)।

वर्ष 2018-19 का 1.02 प्रतिशत का राजस्व अधिशेष 2019-20 में घटकर 0.01 प्रतिशत हो गया एवं वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा (-0.06 प्रतिशत) हो गया, जो वर्ष 2021-22 में पुनः राजस्व अधिशेष (0.63 प्रतिशत) एवं वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व घाटे (-3.24 प्रतिशत) में बदल गया। वर्ष 2018-23 के दौरान राजकोषीय घाटे एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2.37 प्रतिशत से बढ़कर 6.34 प्रतिशत तथा बकाया ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 36.59 प्रतिशत से बढ़कर 42.05 प्रतिशत हो गया। यद्यपि वर्ष 2018-19 व 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा तथापि सरकार वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटे-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इसी भांति वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त वर्ष 2018-23 के दौरान बकाया ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की निर्धारित सीमा से अधिक था। हालांकि वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित सीमा के भीतर रही।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 780.20 करोड़ (2.09 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि के प्रति राजस्व व्यय में ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) की वृद्धि के परिणामस्वरूप ₹ 6,336 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। इसका मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश के छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने से हुए वेतन संशोधन के कारण वेतन एवं पेंशन में वृद्धि थी। वेतन पर व्यय वर्ष 2021-22 के ₹ 11,990 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23

में ₹ 15,569 करोड़ हो गया। इसी भांति पेंशन पर व्यय वर्ष 2021-22 में ₹ 6,399 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 9,284 करोड़ हो गया।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2018-19 के 65 प्रतिशत से बढ़ कर 79 प्रतिशत हो गया, जिससे ऋण भुगतान सहित अन्य उद्देश्यों के लिए राजस्व संसाधनों की सीमित उपलब्धता दिखाई देती है (तालिका 2.20)।

राजकोषीय संकेतकों की लगातार अवहेलना से राजकोषीय स्थिति अनियंत्रित होने का जोखिम हो सकता है, विशेष रूप से तब, जब राज्य सरकार को प्रत्याभूत विमोच्य निधि, अंतर्निहित सब्सिडी का भुगतान इत्यादि जैसी अनिवार्य आरक्षित निधियों में अंशदान करना शेष है।

राजकोषीय स्थिरता के विश्लेषण (तालिका 2.39) और डोमर मॉडल विश्लेषण (तालिका 2.40) के आधार पर यह अनुमानित है कि जब तक कि व्यय को पुनर्गठित करने, भविष्यगामी स्रोतों का पता लगाने, राजस्व आधार का विस्तार करने एवं राजस्व सृजित करने वाली संपत्तियों में निवेश हेतु उपचारात्मक उपाय नहीं किए जाते, तब तक राज्य की राजकोषीय धारणीयता अल्प से मध्यम अवधि हेतु खतरे में है।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्श उपयोग पूंजी सर्जन तथा विकासात्मक गतिविधियों में होना चाहिए। उधार ली गई निधियों का वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज भुगतान में उपयोग करना अनुचित है। विगत पांच वर्षों के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका 2.42 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.42: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	कुल उधार	6,427.40	10,847.39	15,032.21 ^{\$}	6,639.75 ^{\$}	22,371.82
2	पूर्व उधारों की चुकौती (मूलधन)	4,673.35 (72.71)	6,700.75 (61.77)	11,141.04 (74.11)	4,387.28 (66.08)	10,135.80 (45.31)
3	निवल पूंजीगत व्यय*	1,754.05 (27.29)	4,146.64 (38.23)	3,891.17 (25.89)	2,252.47 (33.92)	6,016.30 (26.89)
4	संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम	--	--	--	--	110.57 (0.49)
5	राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग {1-(2+3+4)}	--	--	--	--	6,109.16 (27.31)
6	राज्य का कुल बजट	46,984	53,708	61,597	55,715	67,733
7	कुल बजट के प्रति व्यय	42,469	45,528	53,139	50,130	63,463
8	कुल व्यय के प्रति उधारों की अदायगी (प्रतिशत)	11.00	14.72	20.97	8.75	15.97

^{\$} वस्तु व सेवा कर गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं किया गया है।

* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उधार ली गई निधियों के उपयोग को दर्शाते हैं।

तालिका 2.42 दर्शाती है कि वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में उधार अदायगी (मूलधन) नौ प्रतिशत से 21 प्रतिशत के मध्य रही। विगत चार वर्षों की अवधि अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2021-22 में मुख्यतः पिछले उधारों (मूलधन) की अदायगी हेतु 45 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय हेतु 26 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक उधार ली गई निधियों का उपयोग किया गया। परन्तु विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में पिछली देयताओं की चुकौती 66 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत एवं पूंजीगत व्यय 34 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया।


वित्तायोग के अनुसार राज्यों को राजस्व घाटा कम करके अंततः समाप्त करने तथा सभी उधारों को पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 तक ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया। वर्ष 2022-23 में, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि का दूसरा वर्ष है, सार्वजनिक उधार के बड़े भाग अर्थात् 27 प्रतिशत (₹ 6,109.16 करोड़) का उपयोग उनके मौजूदा व्यय की पूर्ति हेतु किया गया।

इस प्रकार, राज्य सरकार राजस्व अधिशेष बनाए नहीं रख सकी तथा उसने अपने राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु उधार लिया।

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति चार्ट 2.25 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.25: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत में)



राज्य सरकार को राजस्व घाटा घटाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि उधार ली गई निधियों का उपयोग विकास गतिविधियों एवं ठोस संपत्तियों के निर्माण में किया जा सके।

2.7.2 गारंटी (प्रत्याभूति)-आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति

गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं हैं, जो उधारकर्ताओं की दी गई गारंटियों के बकाया होने की स्थिति में उत्पन्न होती हैं। वित्त लेखाओं के विवरणी-9 व 20 के अनुसार राज्य द्वारा दी गई अधिकतम राशि की गारंटी एवं पिछले पांच वर्षों में बकाया गारंटी तालिका 2.43 में दी गई है। 31 मार्च 2022 की समाप्ति पर राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं/निकायों का विवरण चार्ट 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.43: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटियां	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
गारंटियों की बकाया राशि	4,309.21	1,947.07	2,141.76	1,884.61	1,780.64
वर्ष के दौरान वृद्धि	74.28	639.70	418.03	289.46	643.61
वर्ष के दौरान विलोपन	158.72	3,001.84*	165.60	283.09	747.58
वर्ष के दौरान लागू	--	--	--	--	--
ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	गत वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	15.75	6.29	6.97	5.64	4.77

* इसमें वर्ष 2019-20 के वित्त लेखाओं से हटाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कोम को ऋण) एवं ₹ 13.18 करोड़ (गारंटीकृत राशि पर प्रभारित ब्याज) की राशि को शामिल किया गया है क्योंकि जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, यह विगत वर्षों के वित्त लेखाओं में अनजाने में शामिल कर दी गई थी। वर्ष 2019-20 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त खातों के विवरण संख्या 20 में इसे दर्शाया गया है।


चार्ट 2.26: 31 मार्च 2023 के अंत में गारंटी प्राप्त करने वाले निकाय (₹ करोड़ में)

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड (विद्युत)

सहकारी बैंक

स्थानीय निकाय

अन्य संस्थान



वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी राशि की गारंटी का आह्वान नहीं किया गया। 31 मार्च 2023 तक वित्त लेखाओं के अनुसार गारंटी की बकाया राशि ₹ 1,780.64 करोड़ थी। यद्यपि ध्यान दें कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे चालू नहीं थे साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व राज्य सरकार ने आंकड़ों के भिन्नता का मिलान नहीं किया। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 643.61 करोड़ की राशि राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न निकायों को दी गई। वर्ष के दौरान राज्य सरकार की गारंटी के मुख्य प्राप्तकर्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 276.96 करोड़), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 198.16 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड (₹ 100.03 करोड़) रहे। वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर गारंटी की बकाया राशि (₹ 1,780.64 करोड़) राज्य की विगत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों का पांच प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एव बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 एवं सरकारी निर्देशों (6 मार्च 1992) के अनुसार गारंटी के अनुमोदन के समय उधारकर्ताओं से गारंटी शुल्क (एक प्रतिशत) व प्रतिबद्धता प्रभार (0.2 प्रतिशत) लगाया जाना है। राज्य सरकार के पास निकायों/संस्थाओं से देय गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की प्राप्त होने योग्य राशि की जानकारी नहीं थी। विगत 10 वर्षों में (2018-19 तक) राज्य सरकार ने कोई गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार प्राप्त/उद्ग्रहित नहीं किया। हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 0.72 लाख (2019-20 में), ₹ 2.16 करोड़ (2020-21 में), ₹ 3.00 करोड़ (2021-22 में) एवं ₹ 3.31 करोड़ राशि गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में प्राप्त हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 7.73 करोड़ (गारंटी शुल्क: ₹ 6.44 करोड़ + प्रतिबद्धता प्रभार: ₹ 1.29 करोड़) के सापेक्ष ₹ 3.31 करोड़ प्राप्त हुए, जो ₹ 4.42 करोड़ की अल्प प्राप्ति में परिणत हुए।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन न्यूनतम अनुमत से शेष कम हो जाता है तो यह कमी समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। राज्य सरकार की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 17 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक ₹ 880 करोड़ और 1 अप्रैल 2022 से ₹ 656 करोड़ नियत है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी देती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार 295 दिनों तक न्यूनतम दैनिक नकदी शेष बनाए रख सकी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 51 मौकों पर कुल ₹ 4,042.99 करोड़ का साधारण/विशेष अर्थोपाय अग्रिम एवं 19 मौकों पर ₹ 2,743.85 करोड़ का अधिविकर्ष लेना पड़ा, जिसे वर्ष के दौरान चुका दिया गया। वर्ष 2022-23 के अंत तक कोई बकाया अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष नहीं थे। इनके सापेक्ष वर्ष के दौरान ₹ 4.66 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में अदा की गई। तालिका 2.44 वर्ष के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष एवं इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.44: नकद शेष एवं उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक अथ शेष	31 मार्च 2023 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	0	0	0
स्थानीय पारगमन में प्रेषण	0	0	0
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	-45.41	-89.33	-43.92
कुल	-45.41	-89.33	-43.92

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक अथ शेष	31 मार्च 2023 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
नकद शेष निवेश लेखा में रखा गया निवेश	2,568.08	3,645.18	1,077.10
योग (क)	2,522.67	3,555.85	1,033.18
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16	0
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थाई अग्रिम निर्धारित निधियों का निवेश	0.03	0.03	0
निर्धारित निधियों का निवेश	0	0	0
योग (ख)	0.19	0.19	0
योग (क+ख)	2,522.86	3,556.04	1,033.18

वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष वर्ष 2021-22 के ₹ 2,522.86 करोड़ से ₹ 1,033.18 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 3,556.04 करोड़ हो गया। नकद शेष से किया गया निवेश भी ₹ 2,568.08 करोड़ से ₹ 3,645.18 करोड़ तक बढ़ गया।

राज्य सरकार उसके अधिशेष नकद शेष को अल्प एवं दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेशों से प्राप्त लाभ को '0049-ब्याज प्राप्तियां' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश तालिका 2.45 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.45: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2018-19	723.72	102.09	(-) 621.63	66.90
2019-20	102.09	982.06	879.97	55.02
2020-21	982.06	1,696.09	714.03	31.88
2021-22	1,696.09	2,568.08	871.99	55.50
2022-23	2,568.08	3,645.18	1,077.10	20.91


स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति के विश्लेषण से उजागर हुआ कि विगत वर्षों की तुलना में नकद शेष निवेश लेखा के शेष में वृद्धि हुई।

वर्ष की समाप्ति पर भारी नकद शेष का होना राज्य सरकार द्वारा नकद का इष्टतम प्रबंधन न करने का परिचायक है, जिसने भारी नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋण लिया एवं उसका लाभकारी उपयोग नहीं किया गया।


चार्ट 2.27 वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए बाजारी ऋण एवं नकद शेष की तुलना प्रस्तुत करता है। बाजारी ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश न्यूनतम ब्याज दरों पर किए गए थे।

चार्ट 2.27: बाजारी ऋण की तुलना में नकद शेष



चार्ट 2.28, 2022-23 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा एवं नकद शेष की माह-वार तुलना प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.28: 2022-23 के दौरान निवल नकद शेष निवेशों एवं नकद शेष की माह-वार गतिविधियां



स्त्रोत: मासिक सिविल लेखे

वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने नकदी शेष उपलब्ध होने के बावजूद उनका सृजनात्मक उपयोग न करते हुए बाजारी ऋणों का सहारा लिया। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने बाजार से ₹ 12,230 करोड़ लिए जबकि तथ्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में नकद शेष उपलब्ध था तथा इस उधार से काफी हद तक बचा जा सकता था।

2.8 प्रमुख विशेषताएं

घाटा संकेतक, राजस्व आवर्धन एवं व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आंकने के प्रमुख मानदंड हैं। विगत वर्ष अर्थात् 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के वित्त के प्रमुख मापदंड तालिका 2.46 में सारांशित किए गए हैं।

तालिका 2.46: मुख्य मानदण्ड

सकारात्मक संकेतक	वे मापदंड जिस पर कठोरता से ध्यान दिया जाना आवश्यक है
↑ स्व कर-भिन्न राजस्व में 10.10 प्रतिशत की वृद्धि	↑ राजस्व व्यय में 22.74 प्रतिशत की वृद्धि
↑ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 103.32 प्रतिशत की वृद्धि	↑ ऋण प्राप्तियों में 236.94 प्रतिशत की वृद्धि
	↑ पिछले दायित्वों की अदायगी एवं राज्य सरकार के मौजूदा खर्चों की पूर्ति करने या राजस्व घटाने हेतु ऋण प्राप्तियों का उपयोग।
	↑ नकद शेष में 40.95 प्रतिशत की वृद्धि
	↑ राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा व बकाया ऋण देयताओं में वृद्धि

2.9 निष्कर्ष

वर्ष 2018-19 का राजस्व अधिशेष (₹ 1,508 करोड़) वर्ष 2019-20 में घटकर ₹ 12 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटे (₹ 97 करोड़) में बदल गया, जो वर्ष 2021-22 में राजस्व अधिशेष (₹ 1,115 करोड़) में तथा वर्ष 2022-23 के दौरान पुनः राजस्व घाटे (₹ 6,336 करोड़) में बदल गया।

राजस्व व्यय में सब्सिडी तीन प्रतिशत से चार प्रतिशत रही। कुल सब्सिडी में विद्युत सब्सिडी का 35 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक का बड़ा भाग रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व घाटे में सब्सिडी का योगदान 31 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 12,379 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.34 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 780.20 करोड़ (2.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) बढ़ गया। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष की तुलना में राज्य के स्व-राजस्व में 9.07 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य ने कुल राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत वेतन व मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर व्यय किया, जिससे प्राथमिकता क्षेत्र के व्यय हेतु केवल 33 प्रतिशत ही शेष रहा।

राज्य वित्त लेखाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उपक्रमों के लेखाओं के अनुसार इक्विटी निवेश के आंकड़ों में ₹ 166.22 करोड़ का अंतर पाया गया।

31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों एवं सहकारी समितियों में उसके कुल निवेश (₹ 5,333.57 करोड़) पर 3.39 प्रतिशत का प्रतिफल अर्जित किया।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने बकाया ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 15 करोड़ (0.04 प्रतिशत) प्राप्त किए जबकि उसने बकाया ऋण पर 7.17 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया।

लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं सहित कुल बकाया देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 42.05 प्रतिशत रही। विगत वर्ष की तुलना में कुल देयताओं में 18.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत उपलब्ध ₹ 55.55 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

31 मार्च 2023 तक पूर्ण होने को निर्धारित 67 परियोजनाएं अपूर्ण थीं। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर किए गए ₹ 953.85 करोड़ के व्यय से अभी तक अभीष्ट लाभ नहीं मिला।

2.10 सिफारिशें

1. राज्य सरकार उसके स्व-राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करें। वह बेहतर संसाधन जुटाने हेतु लंबित कर दावों का समयबद्ध निपटान, कर आंकलन में बकाया का निपटान, राजस्व बकाया की वसूली एवं कर-भिन्न राजस्व में सुधार करें;
2. राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी बैंकों व समितियों पर किए निवेश के अपर्याप्त प्रतिफल के कारणों का आकलन करने एवं उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करें;
3. राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करना सुनिश्चित करें;
4. राज्य सरकार उधार पर निर्भरता कम करने के लिए उसके संसाधन बढ़ाएं।

अध्याय-III
बजटीय प्रबंधन


अध्याय - III बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य की उस वर्ष हेतु प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट)" कहा जाता है, रखवाएगा। व्यय के प्राक्कलन, व्यय की "प्रभारित" एवं "दत्तमत" मदों¹ को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायिका से प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। बजट संबंधी महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली परिशिष्ट 3.1 में दी गई है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट बनाता है। नियंत्रण अधिकारी विभाग प्रमुखों के परामर्श पर प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय प्राक्कलन बनाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करते हैं। वित्त विभाग प्राक्कलनों को समेकित कर विस्तृत प्राक्कलन बनाता है जिसे 'अनुदान-मांग' कहा जाता है। राज्य का बजट चार्ट 3.1 में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों से मिल कर बनता है।


चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों एवं घटकों का विवरण



1 **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभार गठित करती है तथा इनके लिए विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती।
दत्तमत व्यय: अन्य सभी व्यय हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

वर्ष 2022-23 हेतु बजट कार्यान्वयन का सारांश चार्ट 3.2 में नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 3.2: वर्ष 2022-23 के बजट कार्यान्वयन का सारांश



स्रोत: विनियोजन लेखे

3.1.1 लैंगिक (जेंडर) बजट

जेंडर बजट लिंग आधारित संवेदनशील मुद्दों को हल करने का एक साधन है। सरकार की पूरी नीति प्रक्रिया को लैंगिक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए यह बजट का उपयोग शुरूआती उपाय के रूप में करता है। जेंडर बजट यह भी मानता है कि बजट महिलाओं एवं बालिकाओं की दयनीय स्थिति को घटाने (सुधारने) का एक शक्तिशाली साधन है जो उनके जीवन की अवस्था को बदल सकता है। साथ ही जेंडर बजट यह भी मानता है कि यदि लैंगिक असमानताओं को दूर करना है, तो केवल लैंगिक संवेदनशील कानून, कार्यक्रम और योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त मौद्रिक आवंटन प्रदान करना होगा। आमतौर पर सरकारें लैंगिक समानता एवं महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करती हैं परन्तु अक्सर सरकार के नीतिगत बयानों और उसके धन जुटाने व खर्च करने के तरीकों के मध्य अंतर होता है।

अतः यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक धन अधिक प्रभावी ढंग से अर्जित एवं व्यय किया जाएगा जेंडर संवेदनशील बजट की पहल इन अंतरों को पाटने में सहायता कर सकती है। इस अवधारणा पर कार्य करते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2005-06 में भारत की बजट प्रक्रिया में जेंडर संवेदनशील बजट को समन्वित किया और तब से हर वर्ष यह लिंग आधारित विवरण तैयार एवं प्रकाशित कर रही है। भारत सरकार का जेंडर बजट विवरण दो भागों में विभाजित है- भाग क, यथा, 100 प्रतिशत महिला-विशिष्ट कार्यक्रमों पर व्यय एवं भाग ख, यथा उन कार्यक्रमों पर व्यय जहां कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएं सम्मिलित हैं।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के केंद्र में भी है। विधानों, नीतियों व कार्यक्रमों में जेंडर संवेदनशील बजट को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रारंभ करके प्रति वर्ष जेंडर बजट विवरण (वित्तीय व भौतिक) तैयार करने का विचार भी कर रही है ताकि लैंगिक दृष्टिकोण/ परिप्रेक्ष्य से विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु एक रिपोर्टिंग तंत्र विकसित कर अपनाया जा सके। केवल महिला लाभार्थियों को लक्ष्य करने वाली योजनाएं, या 100 प्रतिशत महिला-उन्मुख योजनाएं श्रेणी-1 में रखी गई हैं तथा 100 प्रतिशत से कम महिला लाभार्थियों वाली योजनाएं श्रेणी-2 में हैं।

श्रेणी 1 में 28 महिला-उन्मुख योजनाएं हैं, जिनमें 20 राज्य योजनाएं एवं आठ केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। 28 योजनाओं में से नौ योजनाओं हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। शेष 19 योजनाओं (केंद्र प्रायोजित व राज्य योजनाएं दोनों) में ₹ 134.82 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से ₹ 134.46 करोड़ का उपयोग किया गया। इन योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण एवं बचत का सारांश

वर्ष 2022-23 में व्ययार्थ कुल बजट प्रावधान ₹ 67,733 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 63,463 करोड़¹ (94 प्रतिशत) रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4,270 करोड़ (छ: प्रतिशत) की बचत हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान सभी 32 अनुदानों/ विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
51,164	16,569	48,390	15,073	-2,774	-1,496

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.1.3 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पांच वर्षों (2018-23) के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के रूप में वर्गीकृत कुल बजट व संवितरण की स्थिति तालिका 3.2 में दी गई है।

¹ व्यय में वर्ष 2019-20 (₹ 157.51 करोड़), 2020-21 (₹ 212.64 करोड़) व 2021-22 (₹ 78.46 करोड़) में आपत्ति बही उचंत के तहत रखी गई राशि के निपटान के ₹ 448.61 करोड़ शामिल हैं।

तालिका 3.2: 2018-19 से 2022-23 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2018-19	37,936	9,048	33,620	8,849	-4,316	-199
2019-20	42,255	11,453	34,507	11,021	-7,748	-432
2020-21	45,157	16,440	37,440	15,699	-7,717	-741
2021-22	45,270	10,445	41,020	9,110	-4,250	-1,335
2022-23	51,164	16,569	48,390	15,073	-2,774	-1,496

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि तालिका 3.2 से स्पष्ट है, दोनों प्रभागों अर्थात् दत्तमत एवं प्रभारित में बचत हुई। वर्ष 2019-20 से बचत (दत्तमत) में घटती प्रवृत्ति, जबकि वर्ष 2018-19 से बचत (प्रभारित) में बढ़ती प्रवृत्ति पाई गई। परिच्छेद 3.3.5 में पर्याप्त एवं निरंतर बचत के मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

3.1.4 बजट लक्ष्य प्राप्ति

समग्र बजट आउटटर्न

समग्र बजट आउटटर्न उस अधिकतम सीमा को मापता है, जिससे स्वीकृत से कम व स्वीकृत से अधिक दोनों के संदर्भ में समग्र बजट व्यय आउटटर्न/वास्तविक व्यय, मूल रूप से स्वीकृत राशि को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 का कुल बजट आउटटर्न तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: समग्र बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्वीकृत मूल बजट (बजट अनुमान)	वास्तविक आउटटर्न (व्यय)	बजट अनुमान व वास्तविक के मध्य अंतर*
राजस्व	43,455.11	47,153.12	(+) 3,698.01
पूंजीगत	11,136.92	16,310.23	(+) 5,173.31
योग	54,592.03	63,463.35	(+) 8,871.32

* मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक का आधिक्य (+) आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है एवं मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक की कमी (-) आंकड़ों के रूप में दर्शाई गई है।

राजस्व प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर +8.51 प्रतिशत रहा। इसका कारण 26 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। छः अनुदानों में +50 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। मूल अनुदान से वास्तविक में कमी वाले अन्य छः अनुदानों में अंतर -3.00 प्रतिशत से -24.58 प्रतिशत तक था।

पूंजीगत प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर +46.45 प्रतिशत रहा। इसका कारण 17 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। अन्य छः

अनुदानों में +100 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। इसके अतिरिक्त इन छः अनुदानों में से चार अनुदानों में +400 प्रतिशत से अधिक का अंतर रहा।

व्यय संघटन आउटटर्न

व्यय संघटन आउटटर्न निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुनः आवंटन से व्यय संघटन में हुए अंतर की अधिकतम सीमा को मापता है। वर्ष 2022-23 का व्यय संघटन आउटटर्न तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: व्यय संघटन आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आउटटर्न (व्यय)	संशोधित अनुमान व बजट अनुमान में अंतर	वास्तविक व संशोधित अनुमान में अंतर*
राजस्व	43,455.11	49,096.21	47,153.12	5,641.10	-1,943.09
पूंजीगत	11,136.92	18,636.89	16,310.23	7,499.97	-2,326.66
योग	54,592.03	67,733.10	63,463.35	13,141.07	-4,269.75

* संशोधित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक का आधिक्य (+) आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है एवं संशोधित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक की कमी (-) आंकड़ों के रूप में दर्शाई गई है।

राजस्व प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -3.96 प्रतिशत रहा। इसका कारण 25 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में -0.14 प्रतिशत से -24.58 प्रतिशत तक की कमी होना था।

पूंजीगत प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -12.48 प्रतिशत रहा। इसका कारण 18 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में कमी होना था एवं तीन अनुदानों में -50 प्रतिशत से अधिक का अंतर था।

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशि की तुलना में सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को अलग-अलग करके दर्शाते हैं तथा जो बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, उनकी तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है, तथा यह कि संविधान

(अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों तथा निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1 विधिक प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अंतर्गत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में, पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका 3.5 सात अनुदानों वाले नौ मामलों में बिना किसी बजट प्रावधान के किए गए व्यय की सारांशित स्थिति दर्शाती है। यह संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है। राज्य सरकार को ऐसे व्ययों से बचना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में व्यय अपरिहार्य हो जाता है, तो वित्त विभाग को अनुच्छेद 205 एवं 206 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन अवश्य करना चाहिए।

तालिका 3.5: बजट प्रावधान के बिना किए व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)	योजना/ उप शीर्ष के नाम
दत्तमत			
07	2056-00-001-01-C00N	117	मुख्यालय कर्मी
09	2210-05-105-07-S10N	3,90,000	विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन
	4210-03-105-13-S10N	41,82,000	सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन
31	4210-03-796-11-S10N	10,78,000	सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन
32	2401-00-789-51-C90N	4,11,300	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना
	4210-03-789-09-S10N	17,90,000	सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन
प्रभारित			
08	2202-01-101-03-S00N	20,00,000	माध्यमिक विद्यालय
29	2049-01-101-18-S00N	23,27,99,000	7.76% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030
	2049-01-101-19-S00N	15,63,99,000	7.82% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2032
योग		39,90,49,417 (₹ 39.90 करोड़)	

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.2 अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर कोई पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन किया जा सकता है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता। जब

ऐसे अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य हो एवं पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय आधिक्य को पूरा करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत की कोई संभावना न हो, तो संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन हेतु प्रस्ताव देते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान छः अनुदानों (राजस्व/पूँजीगत-दत्तमत) के तहत सात मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए जहां ₹ 246.39 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (तालिका 3.6) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। वहीं 14 मामलों (तालिका 3.7) में ₹ 2,520.66 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 591.52 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे (चार्ट 3.3)।

चार्ट 3.3: अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत : विनियोजन लेखे

तालिका 3.6: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
राजस्व- दत्तमत					
1	11-कृषि	410.09	44.14	397.80	12.29
2	16-वन एवं वन्य जीव	760.70	48.59	720.21	40.49
3	31-जनजाति विकास	1,720.18	25.22	1,538.47	181.71
पूँजीगत- दत्तमत					
4	3- न्याय प्रशासन	11.90	10.63	10.80	1.10
5	16- वन एवं वन्यजीव	10.22	1.76	10.21	0.01
6	19- सामाजिक न्याय और अधिकारिता	5.28	58.83	1.69	3.59
7	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	181.85	57.22	173.51	8.34
योग		3,100.22	246.39	2,852.69	247.53

स्रोत: विनियोजन लेखे

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा पूरक अनुदान की मांग इस तर्क के आधार पर की गई थी कि संबंधित अनुदानों के तहत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त व्यय किया जाना था, फिर भी सात मामलों में अंतिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत						
1.	14- पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन	418.52	31.81	450.33	453.41	3.08
2.	17-चुनाव	83.53	19.35	102.88	105.57	2.69
3.	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	140.25	81.01	221.26	225.18	3.92
4	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	192.37	74.62	266.99	332.07	65.08
5	25- सड़क एवं जल परिवहन	245.75	171.11	416.86	417.00	0.14
6	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	595.60	162.58	758.18	833.60	75.42
7	29-वित्त	7,912.59	1,286.29	9,198.88	9,400.77	201.89
8	30-विविध सामान्य सेवाएं	118.60	27.15	145.75	146.60	0.85
पूँजीगत-दत्तमत						
9	05- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	13.68	48.68	62.36	72.64	10.28
10	09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	90.42	238.26	328.68	485.86	157.18
11	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	32.75	152.72	185.47	187.33	1.86
12	25- सड़क और जल परिवहन	93.44	208.74	302.18	363.55	61.37
13	27- श्रम रोजगार और प्रशिक्षण	63.51	13.13	76.64	82.94	6.30
14	30- विविध सामान्य सेवाएं	38.76	5.21	43.97	45.43	1.46
योग		10,039.77	2,520.66	12,560.43	13,151.95	591.52

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त थे क्योंकि वास्तविक व्यय कुल बजट प्रावधानों (मूल+अनुपूरक) से अधिक था।

उपरोक्त दोनों दृष्टांत इंगित करते हैं कि प्रशासनिक विभागों द्वारा व्यय की खराब निगरानी करने के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु वास्तव में आवश्यक निधियों का उचित आंकलन/अनुमान नहीं कर पाए।

3.3.3 पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता वाले पुनर्विनियोजन

‘पुनर्विनियोजन’ का तात्पर्य है, विनियोजन की एक इकाई से हुई बचत को उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के भीतर अन्य इकाई के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतरित करना। सरकार को एक ही अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में प्रावधानों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति है, इस प्रकार

एक मूल प्रावधान के गंतव्य को एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्यार्थ निर्धारित सीमाओं एवं प्रतिबंधों के अधीन बदल दिया जाता है। विधानसभा की सम्मति से एक निश्चित प्रयोजन हेतु किए गए अनुपूरक अनुदानों से किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपूरक अनुदान जिस प्रयोजनार्थ सम्मत किया गया है उसी के लिए प्रयोग किया गया तथा अन्य किसी उद्देश्य हेतु नहीं।

वर्ष 2022-23 के दौरान एक अनुदान से दूसरे अनुदान में या अनुपूरक अनुदान से पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं पाया गया।

अनुदानों के अंतर्गत अनावश्यक/ अपर्याप्त पुनर्विनियोग के मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

3.3.4 अनावश्यक, अनुचित एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसे 96 मामले (परिशिष्ट 3.3) थे जहां पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। 23 मामलों में (परिशिष्ट 3.4) जिन लेखाओं में वास्तविक व्यय आधिक्य हुआ, उनसे अनुचित तरीके से पुनर्विनियोजन किया गया। 54 मामलों में (परिशिष्ट 3.5) पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन करने के उपरांत भी वास्तविक व्यय अधिक हुआ। ऐसे कई मामले (₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत/आधिक्य) नीचे दी गई तालिका 3.8 व तालिका 3.9 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.8: अनावश्यक पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुई बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियो-जन	कुल	वास्तविक	अंतिम बचत
राजस्व-दत्तमत								
1	3-न्याय प्रशासन	2014-00-105-01-S00N	149.03	36.30	0.0001	185.33	161.13	-24.20
2	5-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245-02-111-01-S00N	32.00	3.00	0.75	35.75	24.85	-10.90
3	5-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245-02-111-02-S00N	47.00	9.96	2.61	59.57	46.17	-13.40
4	5-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245-08-101-01-S00N	0.00	90.80	95.20	186.00	48.76	-137.24
5	7-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	2055-00-108-05-S00N	332.40	1.87	0.43	334.70	322.71	-11.99
6	8-शिक्षा	2202-01-112-01-C90N	88.37	0.00	1.10	89.47	64.01	-25.46
7	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2210-01-110-03-S00N	296.80	8.59	9.18	314.57	296.50	-18.07
8	10-लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-02-S00N	326.43	0.00	3.39	329.82	298.18	-31.64

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियो-जन	कुल	वास्तविक	अंतिम बचत
9	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2235-02-104-01-S00N	0.00	33.68	7.32	41.00	0.00	-41.00
10	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2202-03-789-04-C60N	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	-26.40
पूँजीगत-दत्तमत								
11	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	4235-02-104-01-S00N	0.00	58.43	1.57	60.00	0.00	-60.00
12	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	4215-02-106-02-S00N	134.66	12.22	0.40	147.28	57.27	-90.01
13	31-जनजातीय विकास	5002-03-796-01-S00N	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-10.00
14	32-अनुसूचित जाति उप योजना	5054-04-789-01-S00N	91.94	0.00	2.39	94.33	77.30	-17.03

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 3.9: अनुचित/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुआ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियो-जन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	8-शिक्षा	2202-02-109-01-S00N	2,606.99	139.41	11.74	2,758.14	2,792.85	34.71
2	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-01-102-13-C75N	0.01	0.00	0.26	0.27	65.67	65.40
3	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	2217-80-191-63-C90N	0.00	86.20	49.95	136.15	184.66	48.51
4	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	2217-80-191-64-C90N	0.00	53.00	33.66	86.66	133.16	46.50
5	29-वित्त	2071-01-101-03-S00N	4,341.19	200.06	20.82	4,562.07	4,662.02	99.95
6	31-जनजातीय विकास	3054-04-796-02-S00N	113.27	0.00	-4.52	108.75	137.62	28.87
पूँजीगत-दत्तमत								
7	7-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	4055-00-211-03-S00N	31.59	0.15	0.40	32.14	52.53	20.39
8	25-सड़क और जल परिवहन	5002-03-115-01-S00N	18.48	128.71	1.52	148.71	211.66	62.95

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 44(2) के अनुसार वित्त विभाग के अनुमोदन से निधियों का पुनर्विनियोजन तभी किया जाए, जब यह ज्ञात या प्रत्याशित हो कि जिस

इकाई से निधियां स्थानांतरित की जानी है, उसमें विनियोजन का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या उक्त इकाई के विनियोजन में बचत प्रभावित हो सकती है।

3.3.5 बचत

बजट में हर उस चीज का, जिसे पहले से भांपा जा सके, प्रावधान करने तथा जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान करना सभी प्राक्कलन अधिकारियों का स्वर्णिम सिद्धांत माना जाना चाहिए। पूर्ण रूप से सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता; परंतु जहां दूरदर्शिता के अभाव, स्पष्ट अनुमान की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अनुमान बनाया जाता है, वहां उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को अनुमानों की जांच करते समय, विगत वास्तविकों के प्रमाणित तथा अच्छी तरह से जांचे गए औसत को, साथ ही उन ज्ञात अथवा यथायोग्य पूर्वाभास तथ्यों को जो औसत में संशोधन ला सकते हैं, कठोरता से लागू करना चाहिए।

जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः प्रकट होती है, नियंत्रण अधिकारियों को अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि का आंकलन सतर्कता से करना चाहिए। जितना हो सके उतना अधिक अभ्यर्पण करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां जारी करने को बढ़ावा देते हैं तथा बड़ी शेष राशि को सरकारी खाते के बाहर, बैंक खातों में रोके रखने की विभागों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। अत्यधिक बचत अन्य विभागों को भी उन निधियों से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

(i) आबंटन की तुलना में बचत

विनियोजन के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष के दौरान 26 अनुदानों से संबंधित 51 मामलों में बचत हुई, जैसाकि परिशिष्ट 3.6 में विवर्णित है। इन मामलों के अंतर्गत किए गए ₹ 54,946.43 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 4,269.75 करोड़ की कुल बचत हुई, जो कि ₹ 4,931.89 करोड़ की बचत का निवल परिणाम थी, जो विभिन्न अनुदानों में ₹ 662.14 करोड़ के व्यय आधिक्य से समायोजित हुई। ₹ 4,269.75 करोड़ की समग्र बचत में से 10 अनुदानों से संबंधित 13 मामलों में पर्याप्त बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ और अधिक) पाई गई, जिसका विवरण तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष के दौरान बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	मूल	अनुपुरक	वास्तविक	बचत
राजस्व-दत्तमत					
1	5- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,360.47	672.01	1,757.30	-275.18
2	8-शिक्षा	7,451.77	440.13	7,770.30	-121.60
3	9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,494.16	453.79	2,740.42	-207.53
4	10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	3,432.64	0.00	2,879.87	-552.77
5	20-ग्रामीण विकास	1,252.90	518.98	1,651.86	-120.02
6	31-जनजातीय विकास	1,720.18	25.22	1,538.47	-206.93
7	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2,219.57	398.22	2,423.89	-193.90
पूंजीगत-दत्तमत					
8	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	493.74	0.00	325.15	-168.59
9	26- पर्यटन और नागरिक उड्डयन	581.26	0.00	86.15	-495.11
10	31- जनजातीय विकास	539.63	0.00	386.50	-153.13
11	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1,418.15	0.00	1,096.37	-321.78
राजस्व-प्रभारित					
12	29-वित्त	5,104.64	0.00	4,828.69	-275.95
पूंजीगत- प्रभारित					
13	29- वित्त	5,342.02	6,006.94	10,135.79	-1,213.17

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

बचत दोनों क्षेत्रों यथा सामाजिक एवं अवसंरचना के अंतर्गत देखी गई। बड़ी बचतें सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण, शिक्षा, वित्त, जनजातीय विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग आदि में तथा प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों व विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा में रिक्त पदों को न भरने, कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित में न बदलने, विभिन्न योजनाओं/कार्यों के रख-रखाव पर कम व्यय आदि के कारण हुई। आर्थिक/अवसंरचना क्षेत्र के तहत मुख्यतः पर्यटन व नागरिक उड्डयन में भी बचत देखी गई, जिसका मुख्य कारण हवाई अड्डों/हेलीपॉर्टों के विकास से संबंधित निधियों का उपयोग न होना एवं विभिन्न विकासात्मक कार्यों का कार्यान्वयन न होना रहा।

चार्ट 3.4 अनुदानों/विनियोगों को बजट आवंटन के प्रति बचत के प्रतिशत के अनुसार वर्गीकृत करता है। इस चार्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष के दौरान 10 अनुदानों में ₹ 3,145.03 करोड़ (प्रत्येक अनुदान में पांच से 15 प्रतिशत) की बचत हुई।

चार्ट 3.4: प्रत्येक समूह में हुई कुल बचत सहित बचत के प्रतिशत द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या



*टिप्पणी: शून्य (0) से कम दिखाई गई राशि आधिक्य को दर्शाती है।

बचत अपने पास रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है अतः आदर्श रूप से इसे समय पर अभ्यर्पित कर देना चाहिए। अतएव जिन विनियोजनों के अव्ययित रहने की संभावना है, इनके अभ्यर्पण हेतु शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए। जैसाकि नमूना-जांचित विभागों से (संदर्भ परिच्छेद 3.5.1 (v) एवं 3.5.2 (iii)) स्पष्ट है कि आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरणों को प्रस्तुत करने में 16 से 70 दिनों के मध्य का विलंब था। बचत का अभ्यर्पण न करने से अन्य व्यय करने वाले विभाग उन निधियों से वंचित रह जाते हैं, जिसका वे उपयोग कर सकते थे तथा इस प्रकार पूरक अनुदानों की मांगों से बचा जा सकता था। अभ्यर्पण आमतौर पर मार्च माह में किए जा रहे हैं तथा किए गए व्यय के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं गत माह के व्यय की प्रगति पर ध्यान देना एक नियंत्रण अधिकारी को उचित सटीकता एवं शुद्धता के साथ अपनी अंतिम आवश्यकताएं तय करने में सक्षम बनता है।

(ii) निरंतर बचत

विगत पांच वर्षों के दौरान 15 अनुदानों से संबंधित 21 ऐसे मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए, जहां लगातार बचत हुई (परिशिष्ट 3.7 में विवरण दिया गया है), जिनमें से आठ मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) नीचे तालिका 3.11 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.11: निरंतर बचत के मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ 100 या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व दत्तमत							
1	08	शिक्षा	-955.16	-1,110.61	-1,362.09	-1,096.43	-121.60
2	09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	-330.83	-377.72	-489.64	-243.85	-207.53
3	10	लोक निर्माण कार्य - सड़क, पुल व भवन	-269.04	-736.83	-963.02	-1,194.46	-552.77
4	20	ग्रामीण विकास	-383.93	-351.17	-163.47	-134.10	-120.02
5	31	जनजातीय विकास	-325.72	-371.39	-415.69	-403.42	-206.93
6	32	अनुसूचित जाति उप योजना	-390.87	-513.37	-264.69	-141.50	-193.90
पूंजीगत दत्तमत							
7	32	अनुसूचित जाति उप योजना	-154.08	-231.62	-149.75	-390.46	-321.78
राजस्व-प्रभारित							
8	29	वित्त	-238.48	-315.99	-459.44	-376.78	-275.95

स्रोत : विनियोजन लेखे

उपरोक्त अनुदानों में पर्याप्त मात्रा में हुई निरंतर बचत इंगित करती है कि इन विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे क्योंकि वे आवंटित धन खर्च करने में असमर्थ रहे। विभागों को खर्च करने की अपनी क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि ये सभी सामाजिक क्षेत्र के विभाग हैं और यहां तक कि धन आवंटित करते समय पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इन्हें इंगित किया गया था।

(iii) ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

मार्च माह की समाप्ति तक प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक के अभ्यर्पण के दृष्टांत तालिका 3.12 में दिए गए हैं।

तालिका 3.12: मार्च 2023 की समाप्ति तक ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
राजस्व दत्तमत							
1	8	7,451.77	440.13	7,891.90	7,770.30	-121.60	-242.27
2	9	2,494.16	453.79	2,947.95	2,740.42	-207.53	-35.54

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपुरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
3	10	3,432.64	0.00	3,432.64	2,879.87	-552.77	-83.67
4	11	410.09	44.14	454.23	397.80	-56.43	-55.88
5	13	2,681.86	21.47	2,703.33	2,696.81	-6.52	-16.92
6	16	760.70	48.59	809.29	720.21	-89.08	-77.95
7	31	1,720.18	25.22	1,745.40	1,538.47	-206.93	-40.32
8	32	2,219.57	398.22	2,617.79	2,423.89	-193.90	-119.33
पूँजीगत दत्तमत							
9	15	493.74	0.00	493.74	325.15	-168.59	-80.80
10	26	581.26	0.00	581.26	86.15	-495.11	-483.88
11	28	181.85	57.22	239.07	173.51	-65.56	-70.79
12	31	539.63	0.00	539.63	386.50	-153.13	-63.29
13	32	1,418.15	0.00	1,418.15	1,096.37	-321.78	-220.64
राजस्व-प्रभारित							
14	29	5,104.64	0.00	5,104.64	4,828.69	-275.95	-319.90
योग		29,490.24	1,488.78	30,979.02	28,064.14	-2,914.88	-1,911.18

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका में दिया है, माह मार्च 2023 में 14 मामलों में कुल ₹ 1,911.18 करोड़ (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण किया गया (कुल आवंटित बजट का 6.48 प्रतिशत)।


हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 41 के अनुसार बचत सहित वे प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना जब भी अनुमान लगाया जाए, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाए। किसी भी बचत को भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखा जाए।

सभी अभ्यर्पण आदेशों की जांच/संवीक्षा के दौरान पाया गया कि अभ्यर्पण आदेश वर्ष के अंतिम दिन (अर्थात् 31 मार्च) को दिए गए। वर्ष के अंत में निधियों का अभ्यर्पण व्यय की निम्नस्तरीय निगरानी, कमजोर वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है तथा इसका तात्पर्य है कि निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका।

(iv) उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदान/विनियोजनों की संख्या का वितरण

उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट 3.5 में दिया गया है।

चार्ट 3.5: उपयोग के प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या का वितरण




टिप्पणी: शून्य (0) से कम दिखाई गई राशि आधिक्य को दर्शाती है।

एक अनुदान (अनुदान संख्या 26-पर्यटन व नागरिक उड्डयन) में उपलब्ध निधियों के उपयोग केवल 18 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 498.42 करोड़ की बचत हुई। विगत वर्ष भी विभाग ने उपलब्ध अनुदान का मात्र 24 प्रतिशत ही उपयोग किया था।

11 अनुदानों में विशेष रूप से अनुदान संख्या 22 (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) में जहां प्रयुक्ति 124.36 प्रतिशत रही, प्रयुक्ति 100 प्रतिशत से अधिक होने के परिणामस्वरूप ₹ 65.08 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ।

चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति/अंतिम दिन से पूर्व बचत व अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



चार्ट 3.6 के विश्लेषण से उजागर हुआ कि बचत का मात्र 46.11 प्रतिशत अभ्यर्पित किया गया। सभी अभ्यर्पण (₹ 1,968.92 करोड़) 31 मार्च 2023 को किए गए। यह निधियों के कमजोर प्रबंधन का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों का निम्नतर इष्टतम उपयोग हुआ।

3.3.6 व्यय आधिक्य एवं इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला

जाएगा। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को अनुदान/विनियोजनों से अधिक आहरण को राज्य विधायिका से विनियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है।

3.3.6.1 व्यय आधिक्य

प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायिका से अपेक्षित संस्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु यह अकुशल कार्य-योजना का भी परिचायक है। बजटीय परिव्यय के संदर्भ में व्यय की वृद्धि के क्रम पर दृष्टि रखकर इसको टाला जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय आधिक्य के विवरण तालिका 3.13 दिए गए हैं।

तालिका 3.13: 2022 23 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक संवितरण का सारांश

(₹ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व संख्या	दत्तमत		प्रभारित	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1.	5-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	--	10,27,59,700	--	--
2.	7-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	--	25,82,14,574	--	--
3.	8-शिक्षा	--	--	20,00,000	--
4.	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	--	1,57,18,03,145	--	--
5.	12-उद्यान	--	2,23,49,267	--	--
6.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	--	--	--	1,276
7.	14-पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	3,08,53,938	--	--	--
8.	17-चुनाव	2,69,97,672	--	--	--
9.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	3,91,22,878	1,85,98,571	--	--
10.	20-ग्रामीण विकास	--	34,74,140	--	--
11.	21-सहकारिता	--	5,25,24,000	--	--
12.	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	65,07,85,490	--	--	--
13.	23-विद्युत विकास	--	36,76,35,000	--	--
14.	25-सड़क और जल परिवहन	14,99,380	61,36,55,000	--	--
15.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	--	6,30,05,754	--	--
16.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	75,41,13,479	--	--	--
17.	29-वित्त	2,01,89,18,637	--	--	--
18.	30-विविध सामान्य सेवाएं	85,01,905	1,46,28,245	--	--
योग		3,53,07,93,379	3,08,86,47,396	20,00,000	1,276
सकल योग		₹ 662.14 करोड़			

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है वर्ष 2022-23 के दौरान 21 मामलों (18 अनुदान से सम्बंधित) में बजट प्रावधान से ₹ 662.14 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ, जिसका राज्य विधायिका से

विनियमन अपेक्षित है। मुख्य शीर्ष-वार आधिक्य का विवरण परिशिष्ट 3.8 में दिया गया है एवं मुख्य शीर्ष, जहां बजट से पर्याप्त आधिक्य है (₹ 50 करोड़ से अधिक) उनके मामले तालिका 3.14 में दिए गए हैं।

तालिका 3.14: 2022-23 के दौरान प्राधिकार से अधिक किए गए मुख्य शीर्ष-वार संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	29-वित्त	2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,790.20	1,260.65	9,283.87	233.02
2	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210- चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	90.42	238.26	485.86	157.18
3	13- सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,860.02	21.31	2,001.94	120.61
4	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	2217- शहरी विकास	577.45	162.58	817.41	77.38
5	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408- खाद्य भंडारण व वेयरहाउस	172.76	53.93	291.68	64.99
6	25- सड़क एवं जल परिवहन	5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	18.48	128.71	211.66	64.47
7	23- विद्युत विकास	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	36.19	0.00	97.04	60.85

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.6.2 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी अनुदान में लगातार आधिक्य का कोई मामला नहीं था।

3.3.6.3 विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन

लम्बी अवधि तक व्यय आधिक्य का विनियमन न होना कार्यकारिणी पर विधायी नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

वर्ष 2014-15 से 2021-22 के दौरान 20 अनुदानों एवं 11 विनियोजनों के तहत हुआ ₹ 10,600.63 करोड़ का व्यय आधिक्य सितंबर 2023 तक राज्य विधायिका से विनियमित होना शेष था। आयु-वार विश्लेषण से पता चलता है कि 2014-22 की अवधि से संबंधित ₹ 10,600.63 करोड़ के व्यय आधिक्य में से ₹ 7,858.49 करोड़ (74.13 प्रतिशत) का व्यय आधिक्य अवधि 2017-18 से पूर्व से संबंधित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022 23 के दौरान 16 अनुदान एवं दो विनियोजनों में ₹ 662.14 करोड़ का प्राधिकार से अधिक किया गया व्यय आधिक्य भी विनियमन हेतु अपेक्षित था।

विनियमन हेतु लम्बित व्यय आधिक्य की वर्ष-वार राशि नीचे तालिका 3.15 में सारांशित की गई है:

तालिका 3.15: विनियमन हेतु अपेक्षित विगत वर्षों (2014-22) से संबंधित व्यय आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	विनियोजन लेखों में टिप्पणीबद्ध आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित है (आंकड़े ₹ में)	विनियमन प्रास्थिति
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1, 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 23 (राजस्व) 23 (पूँजीगत) व 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29, 31 (पूँजीगत)	15,85,69,18,458	वित्त विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश विधायिका को ज्ञापन/स्वतः संज्ञान उत्तर भेजे गए, परन्तु लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य को अभी तक नियमित नहीं किया गया।
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 (राजस्व) व 13, 16, 29 (राजस्व) 29 (पूँजीगत)	28,48,43,38,113	
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2, 13 (राजस्व) 3, 10, 23 (पूँजीगत) व 1, 16 (राजस्व) 29 (पूँजीगत)	30,37,60,82,471	
2017-18	2 अनुदान 1 विनियोजन	5, 10 (राजस्व) व 10 (पूँजीगत)	3,86,76,41,211	
2018-19	6 अनुदान 5 विनियोजन	05, 13, 22 (राजस्व), 03, 10, 12 (पूँजीगत) व 07, 20, 25 (राजस्व), 10, 29 (पूँजीगत)	8,21,37,16,840	
2019-20	4 अनुदान 3 विनियोजन	22 (राजस्व), 13, 21, 28 (पूँजीगत) व 05 (राजस्व), 13, 29 (पूँजीगत)	49,91,20,218	
2020-21	3 अनुदान 2 विनियोजन	28 (राजस्व), 10, 25 (पूँजीगत) 13 (राजस्व), 31 (पूँजीगत)	88,69,12,706	
2021-22	13 अनुदान 2 विनियोजन	05, 12, 23 (राजस्व), 05, 06, 07, 08, 09 ,17,18, 20, 23, 25, 27, 30 (पूँजीगत), 07(राजस्व), 13 (पूँजीगत)	17,82,16,59,142	प्रक्रियाधीन
योग			1,06,00,63,89,159	

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.7 पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान

भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों के अतिरिक्त, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी को संवितरित सहायता-अनुदान राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किए जाएं, भले ही सहायता-अनुदान के रूप में संवितरित निधि अनुदेयी ने जिस भी उद्देश्य से खर्च की हो।

वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत सम्पत्ति हेतु सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 1,376.62 करोड़ की राशि प्रदान की गई तथा भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुपालन में सम्पूर्ण राशि राजस्व शीर्ष के तहत बुक एवं लेखाओं में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत की गई।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता

3.4.1 बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों व सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति हेतु संतुलन बनाए रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच धन का इष्टतम आवंटन नहीं हो पाता। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत से अन्य विभाग उन निधियों से वंचित हो जाते हैं, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2022-23 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के संबंध में मूल एवं अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 3.16 में दी गई है।

तालिका 3.16: 2022-23 के दौरान बजट (मूल/ अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-)	मार्च में अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	38,267.33	5,632.60	43,899.93	42,239.74	-1,660.19	709.71	1.62
	II. पूंजीगत	5,697.53	1,467.37	7,164.90	6,039.61	-1,125.29	934.48	13.04
	III. ऋण व अग्रिम	97.38	1.41	98.79	110.57	11.78	0.02	0.02
	कुल	44,062.24	7,101.38	51,163.62	48,389.92	-2,773.70	1,644.21	14.68
प्रभारित	I. राजस्व	5,187.77	8.50	5,196.27	4,913.38	-282.89	324.71	6.25
	II. पूंजीगत	0.00	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00
	III. लोक ऋण अदायगी	5,342.01	6,006.94	11,348.95	10,135.79	-1,213.16	0.00	0.00
कुल	10,529.78	6,039.70	16,569.48	15,073.43	-1,496.05	324.71	6.25	
सकल योग	54,592.02	13,141.08	67,733.10	63,463.35	-4,269.75	1,968.92	20.93	


स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2022-23 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 67,733.10 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 63,463.35 करोड़ रहा। 26 अनुदानों व आठ विनियोजनों में हुई ₹ 4,931.89 करोड़ की बचत के शुद्ध परिणाम के

रूप में ₹ 4,269.75 करोड़ की समग्र बचत हुई, जो 16 अनुदान एवं दो विनियोजनों में हुए ₹ 662.14 करोड़ के आधिक्य से समायोजित हुई। ₹ 4,269.75 करोड़ की निवल बचत में से मात्र ₹ 1,968.92 करोड़ (46.11 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित किए गए। सभी अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2023 को किए गए।

पांच वर्षों के दौरान बजट उपयोग की प्रास्थिति चार्ट 3.7 में दी गई है।

चार्ट 3.7: बजट उपयोग की प्रवृत्ति



जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान कुल आवंटन के सापेक्ष बजट उपयोग के प्रतिशत में घटती प्रवृत्ति जबकि विगत तीन वर्षों की अवधि अर्थात् वर्ष 2020-23 में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय के विवरण तालिका 3.17 में दिए गए हैं।

तालिका 3.17: 2018-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	43,842	46,971	52,472	53,485	54,592
अनुपूरक बजट	3,143	6,737	9,125	2,230	13,141
कुल बजट	46,985	53,708	61,597	55,715	67,733
संशोधित अनुमान	43,625	49,688	53,460	48,834	62,871
वास्तविक व्यय	42,469	45,528	53,139	50,129	63,463
बचत (-)/ आधिक्य (+)	-4,516	-8,180	-8,458	-5,585	-4,270
मूल प्रावधान से अनुपूरक का प्रतिशत	7.17	14.34	17.39	4.17	24.07
समग्र प्रावधान से सकल बचत/आधिक्य का प्रतिशत	-9.61	-15.23	-13.73	-10.03	-6.30
कुल बजट-संशोधित अनुमान	3,360	4,020	8,137	6,881	4,862
संशोधित अनुमान-वास्तविक व्यय	1,156	4,160	321	-1,295	-592


संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(कुल बजट-संशोधित अनुमान) कुल बजट के % के रूप में	7.15	7.48	13.21	12.35	7.18
(संशोधित अनुमान-वास्तविक व्यय) कुल बजट के % के रूप में	2.46	7.75	0.52	-2.32	-0.87

स्त्रोत: विनियोजन लेखे व संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज

तालिका 3.17 दर्शाती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 13,141 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 24.07 प्रतिशत रहे जबकि विगत वर्ष यह 4.17 प्रतिशत थे।

बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और उसके सापेक्ष उपयोग की प्रवृत्ति चार्ट 3.8 में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.8: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक को दर्शाती प्रवृत्ति



स्त्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में कुल बजट सदैव संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय से अधिक रहा। वर्ष 2019-20 के अतिरिक्त, संशोधित अनुमान वास्तविक व्यय के करीब रहे।

प्रतिशत के संदर्भ में वर्ष 2018-23 के दौरान संशोधित अनुमान कुल बजट से 7.15 प्रतिशत से 13.21 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय का प्रतिशत संशोधित अनुमान से क्रमशः 2.46 प्रतिशत, 7.75 प्रतिशत, 0.52 प्रतिशत कम था। विगत दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2021-22 व 2022-23 में वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से क्रमशः 2.23 प्रतिशत व 0.87 प्रतिशत अधिक था (जैसाकि तालिका 3.17 में दर्शाया गया है)। इस प्रकार वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2021-22 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

यह परिचायक है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़े हुए थे तथा वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम रहा।

3.4.2 अनुपूरक बजट

कभी-कभी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय विभाग विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत अलग-अलग उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग की सूचना देता है, परन्तु वे न तो संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके किसी हिस्से को खर्च कर पाता है एवं न ही मूल बजट प्रावधान को ही खर्च कर पाता है। 'पूँजीगत-दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका 3.18 में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.18: 'पूँजीगत'दत्तमत- प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधियां
पूँजीगत-दत्तमत						
1	1- विधान सभा	3.05	1.41	4.46	4.36	-0.10
2	3-न्याय प्रशासन	11.90	10.63	22.53	10.80	-11.73
3	4-सामान्य प्रशासन	9.23	0.00	9.23	8.17	-1.06
4	8-शिक्षा	87.38	77.02	164.40	163.79	-0.61
5	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	1,294.54	319.17	1,613.71	1,550.57	-63.14
6	11-कृषि	65.18	0.00	65.18	65.00	-0.18
7	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	537.17	259.08	796.25	726.64	-69.61
8	14- पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	13.28	0.34	13.62	12.69	-0.93
9	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	493.74	0.00	493.74	325.15	-168.59
10	16- वन एवं वन्यजीव	10.22	1.76	11.98	10.21	-1.77
11	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	5.28	58.83	64.11	1.69	-62.42
12	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0.09	0.00	0.09	0.08	-0.01
13	24- प्रिंटिंग व स्टेशनरी	0.30	1.00	1.30	1.22	-0.08
14	26- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	581.26	0.00	581.26	86.15	-495.11
15	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	181.85	57.22	239.07	173.51	-65.56
16	29-वित्त	7.28	15.12	22.40	15.83	-6.57
17	31-जनजातीय विकास	539.63	0.00	539.63	386.50	-153.13
18	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1,418.15	0.00	1,418.15	1,096.37	-321.78
योग		5,259.53	801.58	6,061.11	4,638.73	-1,422.38

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.4.3 बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक प्रावधान/व्यय

सरकार बजट भाषण एवं अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु कई नई नीतियों/योजनाओं की घोषणा करती है, जो या तो उस विशेष वित्तीय वर्ष (एक बार की गतिविधि) या बाद के वित्तीय वर्षों (आवर्ती प्रकृति के) के लिए होती हैं।

कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं बजट में की गईं परन्तु उनके सापेक्ष कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। विवरण तालिका 3.19 में दिया गया है।

तालिका 3.19: 2022-23 के दौरान बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं व वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना के नाम	बजट प्रावधान
1	मुख्यमंत्री असहाय बाल पुर्नवास योजना	निरंक
2	श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना	
3	बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना	
4	मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना	
5	कौशल आपके द्वार	
6	मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक (एम3सी)	
7	ड्रोन का उपयोग कर शासन व सुधार (गरूड)	

स्त्रोत: बजट दस्तावेज

3.4.4 योजनाएं एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनको किए गया वास्तविक वित्तपोषण

योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों को मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न होने इत्यादि कारणों से सरकार की कई नीतिगत पहल या तो आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई हैं या नहीं की गई। इससे लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रह जाते हैं। ऐसी योजनाओं में बचत होने से अन्य विभागों को वह निधियां नहीं मिलती जिसका उपयोग किया जा सकता था।

वर्ष 2022-23 के दौरान 77 ऐसी योजनाएं थीं जहां बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ (परिशिष्ट 3.9 में विवरण दिया गया है)। ऐसी सात प्रमुख योजनाओं (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) का विवरण तालिका 3.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.20: ऐसी कुछ योजनाओं का विवरण जिनके लिए पर्याप्त प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ और अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	अभ्युक्ति
1	32	हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों का विकास	278.65	वर्ष के दौरान इन योजनाओं
2	5	आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिक योजनाओं पर व्यय	95.20	

क्र.सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	अभ्युक्ति
3	31	हवाई अड्डे एवं हेलीपोर्टों का विकास	81.50	पर कोई व्यय नहीं किया गया।
4	28	स्मार्ट सिटी मिशन	74.80	
5	20	15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को स्वास्थ्य सहायता	64.81	
6	19	सुख आश्रय भवन का निर्माण	58.43	
7	19	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनभोगी	57.61	

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

आगे यह भी पाया गया कि इन 77 योजनाओं में से 51 योजनाएं ऐसी थीं जिनमें संपूर्ण बजट प्रावधान या तो पुनर्विनियोजन द्वारा हटा दिया गया या संशोधित परिव्यय में अभ्यर्पित कर दिया गया। इन योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दिया गया है।

स्वीकृत योजनाओं पर निधियों की अप्रयुक्ति दर्शाती है कि राज्य सरकार के विभागों ने या तो ऐसी योजनाएं प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी अथवा उनके कार्यान्वयन की क्षमता नहीं थी। योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमताओं के कारण सरकारी खाते से इतर नकद शेष को बैंक खातों में रखने या वर्ष के अंत में निधियां अभ्यर्पित करने की प्रवृत्ति विभागों में बढ़ जाती है, जिससे अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रह जाते हैं जिसका उपयोग किया जा सकता था।

3.4.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकारी निधियां सम्पूर्ण वर्ष के दौरान एक समान रूप से खर्च की जानी चाहिए। व्यय की गति स्थिर बनाए रखना, सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह राजकोषीय असंतुलन एवं अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न अस्थाई नकदी संकट को टालता है।


चरणबद्ध ढंग से व्यय विनियमित करने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान हुए व्यय हेतु तिमाही-वार प्रतिशतता (*प्रथम तिमाही-20 प्रतिशत; द्वितीय तिमाही-25 प्रतिशत; तृतीय तिमाही-30 प्रतिशत; चतुर्थ तिमाही- 25 प्रतिशत*) निर्धारित की (सितम्बर 1995)।

संवीक्षा में वर्ष 2022-23 के दौरान 22 मुख्य शीर्षों के तहत 25 प्रतिशत लक्ष्य के प्रति अंतिम तिमाही में 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय होना पाया गया। 12 मामलों में केवल मार्च माह में ही कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय किया गया। विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिए गए हैं।

यह भी पाया गया कि मुख्य शीर्ष- 4210 (चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय) के अंतर्गत ₹ 551.64 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 357.83 करोड़ (64.87 प्रतिशत) गत तिमाही में व्यय हुए, जबकि ₹ 284.16 करोड़ (51.51 प्रतिशत) मार्च 2023 में व्यय किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष- 4210-चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य के तहत पूंजीगत परिव्यय में हुआ माह-वार व्यय **चार्ट 3.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.9: 2022-23 के दौरान चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

(₹ करोड़ में)



सरकारी निधियां पूरे वर्ष समान रूप से व्यय की जानी चाहिए। व्यय की स्थिर गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन एवं अस्थायी नकदी संकट को टालता है। सभी अनुदानों पर हुए व्यय का त्रैमासिक विवरण परिशिष्ट 3.12 में दर्शाया गया है।

इस परिशिष्ट से स्पष्ट है कि 26 अनुदानों के मामले में वर्ष के दौरान त्रैमासिक व्यय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अंतिम तिमाही में जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ, उन अनुदानों का विवरण तालिका 3.21 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.21: 2022-23 के दौरान अंतिम तिमाही में 40 से अधिक के व्यय वाले अनुदानों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	2022-23 के दौरान आवंटन	व्यय					2022-23 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में हुआ व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2023 में हुआ व्यय
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
1	10 लोक निर्माण कार्य - सड़क, पुल व भवन	5,046.35	763.02	886.20	873.53	1,907.68	1,228.65	4,430.43	43.06	27.73
2	17 चुनाव	103.62	9.62	20.57	24.46	51.67	32.86	106.32	48.60	30.91
3	18 उद्योग, खनिज आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	406.73	28.37	77.49	29.54	277.11	241.83	412.51	67.18	58.62
4	21 सहकारिता	45.42	9.20	9.03	11.09	21.30	15.55	50.61	42.08	30.72
5	24 प्रिंटिंग व स्टेशनरी	41.14	9.89	7.68	6.29	16.81	11.41	40.68	41.34	28.04
6	25 सड़क व जल यातायात	719.03	164.75	143.14	134.00	338.66	125.93	780.55	43.39	16.13
7	28 शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	998.88	28.18	369.18	103.22	508.15	407.34	1,008.73	50.38	40.38

अंतिम तिमाही, मुख्यतः मार्च माह के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों की अवमानना को दर्शाता है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/ माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र सृजित करें।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि में दो अनुदान अर्थात् अनुदान संख्या 10- 'लोक निर्माणकार्य- सड़क, पुल व भवन' एवं अनुदान संख्या 26- 'पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा से निम्नलिखित उजागर हुआ:

3.5.1 अनुदान संख्या 10 - लोक निर्माणकार्य- सड़क, पुल व भवन

यह अनुदान लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसमें मुख्य शीर्ष: 2059-लोक निर्माण, 2216-आवास, 3054-सड़क व पुल, 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय एवं 5054-सड़क व पुल पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं।

(i) बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-23 के दौरान अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत आबंटित निधियों एवं किए गए व्यय की समग्र स्थिति तालिका 3.22 में विवर्णित है :

तालिका 3.22: बजट प्रावधान, व्यय, आधिक्यबचत/

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट		व्यय		बचत (-)/आधिक्य (+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2020-21	5,186.88	18.05	4,285.96	12.63	-900.92 (17%)	-5.42 (30%)
2021-22	5,221.58	0.20	3,981.80	0.19	-1,239.78 (24%)	-0.01(5%)
2022-23	5,046.35	0.00	4,430.43	0.00	-615.92 (12%)	0.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान दत्तमत के अंतर्गत 12 प्रतिशत से 24 प्रतिशत एवं प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पांच प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक लगातार बचत हुई।

(ii) अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

तालिका 3.23 दर्शाती है कि अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत पांच मामलों में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि यह आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थे।

तालिका 3.23: व्यय की पूर्ति हेतु किए गए अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	बजट	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	2059-80-053-04-S00N-02	0.09	0.54	1.29	0.66
2	3054-04-105-02-S00N-02	3.50	2.88	8.00	1.62
3	3054-04-105-15-S00N-21	44.89	1.50	51.48	5.09
4	3054-04-105-17-S00N-21	25.37	2.11	31.01	3.53
5	4059-80-051-03-S00N-37	27.12	0.67	28.04	0.25

विनियोजन की एक इकाई से हुई बचत को उसी अनुदान के भीतर अन्य इकाई के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अंतरित करना पुनर्विनियोजन कहलाता है। जैसाकि आगामी परिच्छेद में दी गई तालिका से स्पष्ट है, कई शीर्षों में भारी बचत हुई, जिन्हें उन मामलों में हुए आधिक्य की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोजन किया जा सकता था जहां पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुए थे।

(iii) बचत

तालिका 3.24 दर्शाती है कि अनुदान संख्या 10 में 14 ऐसे मामले थे जहां प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत (दो मामलों में ₹ 100 करोड़ सहित) देखी गई।

तालिका 3.24: ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत वाले मामलों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
1	3054-04-105-06-S00N-21	693.35	487.87	-205.48
2	3054-04-105-20-S00N-21	299.75	189.93	-109.82
3	3054-04-105-07-S00N-01	691.13	617.65	-73.48
4	2059-80-799-01-S00N-79	118.80	50.99	-67.81
5	3054-04-105-02-S00N-21	322.93	289.78	-33.15
6	5054-04-337-02-S00N-37	264.12	234.44	-29.68
7	2059-80-053-06-S00N-21	100.84	79.11	-21.73
8	5054-04-101-01-S00N-37	62.86	48.33	-14.53
9	3054-04-105-28-S00N-21	50.00	37.50	-12.50
10	3054-04-105-22-S00N-01	86.80	74.76	-12.04
11	3054-04-105-21-S00N-01	89.43	77.60	-11.83
12	3054-04-337-06-S00N-21	27.19	16.47	-10.72
13	3054-04-105-23-S00N-01	122.75	112.43	-10.32
14	3054-04-105-29-S00N-21	10.00	0.00	-10.00

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 31 (4) निर्धारित करता है कि व्यय हेतु बनाए गए बजट अनुमान सम्बंधित प्रशासनिक विभाग की संवीक्षा एवं अनुमोदनोपरांत वित्त विभाग को निर्धारित पद्धति व प्रारूप में प्रेषित किए जाएं।

विगत पांच वर्षों से अनुदान संख्या 10 में हो रही निरंतर बचतों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग ने बजट अनुमान तैयार करते समय विगत वर्ष की बचत को ध्यान में नहीं रखा। विभाग को बजट अनुमान तैयार करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए ताकि निधियों का अन्यत्र उपयोग किया जा सके तथा भारी बचत न हो।

उप-नियंत्रक (वित्त एवं प्रशासन), लोक निर्माण विभाग ने बताया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार न करने, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा स्थानांतरण प्रविष्टियों का समायोजन न करने एवं मण्डलों द्वारा कार्यों को धीमी गति से निष्पादन के कारण बचत हुई।

(iv) बजट प्रावधान से ऊपर व अधिक व्यय आधिक्य

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 37 (3) के अनुसार अनुपूरक अनुदान या विनियोजन या आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यय नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव किसी वित्तीय वर्ष में राज्य विधायिका द्वारा विधिपूर्वक अधिकृत कुल अनुदान या विनियोजन से अधिक हो।

दस मामलों में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय पाया गया, जो आधिक्य में परिणत हुआ। विवरण तालिका 3.25 में दिया गया है।

तालिका 3.25: बजट प्रावधान से अधिक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	2059-80-799-03-S00N-79	60.50	124.23	63.73
2	3054-04-105-15-S00N-21	46.39	51.48	5.09
3	3054-04-105-17-S00N-21	27.48	31.01	3.53
4	5054-04-337-26-S00N-37	0.00	1.97	1.97
5	3054-04-105-02-S00N-02	6.38	8.00	1.62
6	5054-04-337-19-S00N-37	373.67	375.19	1.52
7	2059-80-053-04-S00N-02	0.63	1.29	0.66
8	5054-04-337-10-S00N-37	21.93	22.36	0.43
9	4059-80-051-03-S00N-37	27.79	28.04	0.25
10	3054-04-105-14-S00N-02	0.017	0.019	0.002

ये मामले स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि विभाग ने यथार्थवादी आधार पर बजट प्रावधान नहीं किया था तथा जहां अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य लग रहा था, वहां विभाग ने राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा जारी नियमों व निर्देशों का पालन नहीं किया।

प्रत्युत्तर में उप नियंत्रक (वित्त एवं प्रशासन), लोक निर्माण विभाग ने बताया कि अंतिम आधिक्य एवं अभ्यर्पण राज्य शासन/वित्त विभाग को अनुमोदनार्थ भेजा गया था।

(v) आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण की विवरणी क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रति वर्ष सभी विभागों को आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी जमा करने की तिथियां निर्धारित करने के निर्देश जारी करती है।

वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी की संवीक्षा से उजागर हुआ कि लोक निर्माण विभाग ने वित्त विभाग को आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम व द्वितीय विवरणी 16 से 70 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की। विवरण तालिका 3.26 में दिया गया है।

तालिका 3.26: आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वर्ष	वित्त विभाग द्वारा जारी पत्रानुसार आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षित तिथि	आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
2020-21*	01-12-2020 (प्रथम)	04-02-2021	68
	15-01-2021 (द्वितीय)	04-02-2021	21
	15-03-2021 (अंतिम)	--	--
2021-22#	31-10-2021 (प्रथम)	08-02-2022	70
	31-01-2022 (द्वितीय)	08-02-2022	24
	15-03-2022 (अंतिम)	--	--
2022-23\$	31-10-2022 (प्रथम)	31-01-2023	62
	31-01-2023 (द्वितीय)	31-01-2023	16
	15-03-2023 (अंतिम)	--	--

* पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(6)1/2020 दिनांक 01.09.2020 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(3)-1/2021-II दिनांक 27.08.2021 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

\$ पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(6)1/2022 दिनांक 23.08.2022 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

इससे परिलक्षित होता है कि विभाग ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सारिणी का पालन नहीं किया (तीन अवसरों के अतिरिक्त)।

उप-नियंत्रक (वित्त एवं प्रशासन), लोक निर्माण विभाग ने बताया (जुलाई 2023) कि बजटीय अनुमान एवं विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब क्षेत्रीय कार्यालयों से आंकड़ें प्राप्त न होने तथा मुख्यालय स्तर पर इसके समेकन में देरी के कारण हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है एवं विभाग को अपने क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देना चाहिए था।

3.5.2 अनुदान संख्या 26 - पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

यह अनुदान पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसमें मुख्य शीर्ष: 2059-लोक निर्माण, 3053-नागरिक उड्डयन, 3452-पर्यटन, 5053-नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं।

(i) बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-23 के दौरान अनुदान संख्या 26 के अंतर्गत आवंटित निधियों एवं उसके प्रति हुए व्यय की समग्र प्रास्थिति तालिका 3.27 में विवर्णित है।

तालिका 3.27 बजट प्रावधान, व्यय, आधिक्य/बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		बचत(-)/ आधिक्य(+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2020-21	1,112.20	0.00	165.63	0.00	(-) 946.57 (85%)	0
2021-22	720.87	0.00	176.21	0.00	(-) 544.66 (76%)	0
2022-23	609.23	0.16	110.82	0.16	(-) 498.42 (82%)	0

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-23 के दौरान 76 से 85 प्रतिशत बचत हुई, जो अनुपूरक प्रावधान, एक लेखा शीर्ष से दूसरे लेखा शीर्ष में निधि के पुनर्विनियोजन, बजट व्ययगत/ अभ्यर्पित होने, अनावश्यक बजट प्रावधान इत्यादि मुद्दों के रूप में परिणत हुई, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है। यह परिचायक है कि या तो बजट यथार्थवादी आधार पर नहीं बनाया गया था अथवा वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यय नहीं किया गया था।

अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त 2023) कि बजट पिछले व्यय, लंबित देयताओं एवं संभावित व्यय को ध्यान में रखकर वित्त विभाग को प्रस्तावित किया गया था। परन्तु कोरोना महामारी, नागचला हवाई अड्डे की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी न होने एवं विभाग के कुछ वाउचरों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा आपत्ति बही उचंत लेखा में रखने के कारण व्यय कम हुआ।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विगत दो वर्षों में बजट प्रावधान की तुलना में मात्र 15 से 24 प्रतिशत ही व्यय हुआ। उपरोक्त अनुदान में हुई निरंतर पर्याप्त बचत परिचायक है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे एवं निधियां आवंटित करते समय गत वर्षों की प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया।

(ii) बिना मांग/प्रस्ताव के ₹ 100 करोड़ का बजट प्रावधान

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के बजट आंकड़ों की नमूना-जांच/ विश्लेषण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2020-21 व 2021-22 के वार्षिक बजट में वित्त विभाग ने लेखा शीर्ष 3053-02-हवाई अड्डे, 102-एयरोड्रोम, 02-पुनर्वास एवं संचालन/हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों का रखरखाव: 20- अन्य प्रभार के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ राशि का बजट प्रावधान किया गया।

यह भी पाया गया कि पर्यटन विभाग की कोई मांग या प्रस्ताव के बिना ही इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया। प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान सम्पूर्ण राशि (₹ 100 करोड़) अभ्यर्पित कर दी गई, जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान मात्र ₹ 2.38 करोड़ के व्ययोपरांत, ₹ 97.62 करोड़ की शेष राशि पुनः अभ्यर्पित कर दी गई, वह भी दिनांक 28.03.2022 को वर्ष के अंत में।

अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त 2023) विभाग ने संबंधित राशि की कोई मांग नहीं की थी। परन्तु नागचला, जिला मंडी में हवाई अड्डे का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में था एवं नागरिक उड्डयन मद के तहत पर्याप्त बजटीय प्रावधान रखा गया था। यद्यपि प्राथमिक संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण विभाग को सम्पूर्ण बजट प्रावधान अभ्यर्पित करना पड़ा।

(iii) आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण का विवरण क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष सभी विभागों को आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी जमा करने की तिथियां निर्धारित करने के निर्देश जारी करती है।

वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 की आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणियों की संवीक्षा में उजागर हुआ कि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने वित्त विभाग को आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम, द्वितीय व अंतिम विवरणी 22 से 59 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की। विवरण तालिका 3.28 में दिया गया है।

तालिका 3.28: आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वर्ष	वित्त विभाग द्वारा जारी पत्रानुसार आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षित तिथि	आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
2020-21*	01-12-2020 (प्रथम)	28-01-21	59
	15-01-2021 (द्वितीय)	08-02-21	25
	15-03-2021 (अंतिम)	28-04-21	45
2021-22 [#]	31-10-2021 (प्रथम)	20-11-21	21
	31-01-2022 (द्वितीय)	31-01-22	-
	15-03-2022 (अंतिम)	05-04-22	22
2022-23 ^{\$}	31-10-2022 (प्रथम)	31-10-22	-
	31-01-2023 (द्वितीय)	13-01-23	-
	15-03-2023 (अंतिम)	24-04-23	41

* पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(6)1/2020 दिनांक 01.09.2020 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(3)-1/2021-II दिनांक 27.08.2021 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

\$ पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(6)1/2022 दिनांक 23.08.2022 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

यह परिलक्षित करता है कि विभाग ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सारणी (तीन अवसरों को छोड़कर) का पालन नहीं किया।

अतिरिक्त निदेशक (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त 2023) कि आधिक्य व अभ्यर्पण की यथार्थवादी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी एकत्र की जाती है तथा आधिक्य व अभ्यर्पण की रिपोर्ट मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारी पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है एवं प्राधिकारियों के साथ हुई विस्तृत चर्चा के बाद समेकित जानकारी वित्त विभाग को भेजी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है तथा विभाग को अपने मंडलीय/क्षेत्रीय कार्यालयों को समय-सीमा का पालन करने हेतु निर्देशित करना था।

3.6 निष्कर्ष

वर्ष 2022-23 के दौरान बजट का समग्र उपयोग कुल अनुदान व विनियोजन का 93.69 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 के दौरान छः अनुदानों के तहत नौ मामलों में मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में कोई प्रावधान किए बिना एवं इस आशय का कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना ₹ 39.90 करोड़ का व्यय किया गया।

अनुपूरक प्रावधान भी यथार्थवादी आधार पर नहीं थे क्योंकि सात मामलों में ₹ 246.39 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। बजटीय आबंटन यथार्थ प्रस्तावों पर आधारित नहीं थे क्योंकि 10 अनुदानों से संबंधित 13 मामलों में अभ्यर्पण को छोड़कर बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक हुई।

वर्ष 2014-22 की अवधि में ₹ 10,600.63 करोड़ एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 में ₹ 662.14 करोड़ का व्यय आधिक्य राज्य विधायिका द्वारा विनियमित किया जाना अपेक्षित था।

वर्ष 2022-23 के दौरान 77 योजनाएं ऐसी थीं जिनमें बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ और उससे अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 51 योजनाओं में संपूर्ण बजट प्रावधान या तो पुनर्विनियोजन द्वारा या अभ्यर्पण द्वारा वापस ले लिया गया।

वर्ष के अंत में व्यय की तीव्र प्रवाह देखा गया। 12 मुख्य शीर्षों में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के तहत 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2023 के माह में किया गया।

3.7 सिफारिशें

1. राज्य सरकार बजट अनुमान तैयार करने के उसके पूर्वानुमानों में सटीक बनें।
2. सरकार अनुपूरक प्रावधान बनाने में बजट मैनुअल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
3. सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु रणनीति बनाने पर विचार करें।
4. राज्य सरकार निर्धारित तिमाही लक्ष्यों के संदर्भ में व्यय की प्रगति सुनिश्चित करने एवं प्रत्याशित बचत/आधिक्य के आकलन हेतु नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बहुत पहले किया जाए ताकि उनका उपयोग अन्य योजनाओं हेतु किया जा सके। विधायिका द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण से अधिक व्यय आधिक्य से बचे।

अध्याय-IV

**लेखाओं की गुणवत्ता एवं
वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं**

अध्याय - IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय जानकारी सहित एक सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रिया व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग सुशासन की विशेषताओं में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रभावी व परिचालनात्मक रिपोर्ट हो, तो वह सरकार को रणनीतिक आयोजना एवं निर्णय लेने सहित उसकी बुनियादी प्रबंधन जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहयोग करती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों के प्रति ब्याज के संबंध में देयताओं का निर्वहन न करना

सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों पर ब्याज उपलब्ध करा कर उसका भुगतान करना सरकार की देयता होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 अप्रैल 2022 तक सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों में रखी ₹ 64.09 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 4.75 करोड़ का भुगतान अपेक्षित था, जैसाकि तालिका 4.1 में दर्शाया गया है। ब्याज देयताओं का भुगतान न करना इस अधिकतम सीमा तक राजस्व घाटे व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ।

तालिका 4.1: सब्याज निक्षेपों/आरक्षित निधियों के प्रति ब्याज के सम्बन्ध में देयताओं का निर्वहन न करने का विवरण

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	सब्याज निक्षेप का नाम/शीर्ष	1 अप्रैल 2022 तक अथ शेष राशि	ब्याज गणना का आधार	प्रावधान न की गई ब्याज राशि
1.	सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदान पेंशन योजना	14.30	सरकार/सामान्य भविष्य निधि द्वारा अधिसूचित ब्याज के अनुसार 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई।	1.02
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	49.79	2022-23 के दौरान अधिविकर्ष की औसत दर को ध्यान में रखते हुए ब्याज की गणना 7.49 प्रतिशत की दर से की गई।	3.73
योग		64.09		4.75

स्रोत: वित्त लेखे

4.2 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को बड़ी निधियां सीधे अंतरित करती रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 से इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से देने का निर्णय लिया। हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान 39 केंद्रीय योजनाओं (केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित) के तहत ₹ 2,938.36 करोड़ राज्य की समेकित निधि को अनदेखा करते हुए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित किए गए, जैसाकि **परिशिष्ट 4.1** में विवर्णित है। कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 38,089.50 करोड़) एवं सहायता-अनुदान (₹ 16,733.93 करोड़) का यह क्रमशः 7.71 प्रतिशत व 17.56 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान वे केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिनमें सीधे अंतरित निधियां ₹ 500 करोड़ से अधिक थी, वे थीं जल जीवन मिशन (₹ 1,345.34 करोड़) एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (₹ 662.32 करोड़)।

वर्ष 2022-23 हेतु राज्य सरकार के लेखाओं में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रांश के अंतर्गत मात्र ₹ 4,736.66 करोड़ दर्शाए गए। ₹ 2,938.36 करोड़ की अधिकतम सीमा तक राज्य सरकार के बजट व व्यय को अनुबंधित करने के अतिरिक्त जनता के लिए सृजित परिसंपत्तियां व व्यय राज्य सरकार के लेखाओं में नहीं थे, जिससे लेखे अपूर्ण रहे।

पारदर्शिता से सम्बंधित मुद्दे

4.3 उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 से संबंधित नियम 157 में निर्धारित हैं कि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं अथवा संगठन सहायता अनुदान के उपयोग के बाद सरकार को लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का बकाया होना अभीष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों की प्रयुक्ति का आश्वासन न मिलने का परिचायक है एवं लेखाओं में अधिकतम सीमा तक दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता। मार्च 2023 तक ₹ 4,242.51 करोड़ राशि के कुल 4,106 उपयोगिता-प्रमाणपत्र लंबित थे (**परिशिष्ट 4.2**)। उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में आयु-वार एवं वर्ष-वार बकाया **तालिका 4.2** व **तालिका 4.3** में सारांशित किए गए हैं।

तालिका 4.2: उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2020-21 तक	1,796	2,359.16	755	1,722.97	1,041	636.19
2021-22	1,823	2,392.99	604	1,340.26	1,219	1,052.73
2022-23	17,267	4,980.79	15,421	2,427.20	1,846	2,553.59
योग	20,886	9,732.94	16,780	5,490.43	4,106	4,242.51


स्त्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर संकलित।

टिप्पणी: 2021-22 के दौरान संवितरित सहायता-अनुदान हेतु उपयोगिता-प्रमाणपत्र केवल 2022-23 में बकाया हुए अर्थात् "देय वर्ष" से सम्बंधित ऊपर उल्लिखित वर्ष अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 माह पश्चात्।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

सहायता अनुदान अंतरित किए जाने का वर्ष	बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2016-17	80	31.15
2017-18	153	80.13
2018-19	400	269.74
2019-20	408	255.17
2020-21	1,219	1,052.73
2021-22	1,846	2,553.59
योग	4,106	4,242.51

चार्ट 4.1: 31 मार्च 2023 तक 10 प्रमुख विभागों के सम्बन्ध में बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र



चार्ट 4.1 से प्रमाणित होता है कि ₹ 3,738.84 करोड़ अर्थात् कुल बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का 88.13 प्रतिशत (₹ 4,242.51 करोड़) पांच विभागों, यथा- शहरी विकास (30.07 प्रतिशत, ₹ 1,275.89 करोड़), पंचायती राज (21.40 प्रतिशत, ₹ 908.03 करोड़), आयुष (13.75 प्रतिशत, ₹ 583.40 करोड़), ग्रामीण विकास (12.43 प्रतिशत, ₹ 527.34 करोड़) एवं कृषि व उद्यान

विभाग (10.47 प्रतिशत, ₹ 444.18 करोड़) से संबंधित थे। हालांकि ₹ 4,242.51 करोड़ के अनुदानों के कुल 4,106 बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,688.92 करोड़ के अनुदानों के 2,260 उपयोगिता-प्रमाणपत्र वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि से संबंधित थे।

वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित सात विभागों के तहत अगस्त 2023 तक ₹ 2,498.27 करोड़ राशि के बकाया 2,253 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,426.53 करोड़ (37.15 प्रतिशत) राशि के 601 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को ठोस (भौतिक) लेखापरीक्षा/नमूना-जांच हेतु चुना गया:

- (i) शहरी विकास (81 उपयोगिता-प्रमाणपत्र- ₹ 744.54 करोड़),
- (ii) पंचायती राज (91 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 491.24 करोड़),
- (iii) ग्रामीण विकास (75 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 101.23 करोड़),
- (iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (41 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 41.18 करोड़),
- (v) महिला एवं बाल विकास (राज्य महिला आयोग) (265 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 18.77 करोड़),
- (vi) उद्यान (12 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 18.10 करोड़) तथा
- (vii) भाषा, कला व संस्कृति (36 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 11.47 करोड़)।

इन सात विभागों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि ₹ 1,426.53 करोड़ राशि के 601 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों, ₹ 323.24 करोड़ राशि के 387 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का सहायक दस्तावेजों (अर्थात् सह-वाउचर, बिल आदि) के साथ पूर्णतः या आंशिक उपयोग किया गया। ₹ 1,103.29 करोड़ के शेष 214 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का भी आंशिक/पूर्ण उपयोग/निपटन किया गया परन्तु विभाग के पास सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। अनुदेयी (कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसी) कार्य पूर्ण होने पर उपयोग की गई अधिकतम राशि के उपयोगिता-प्रमाणपत्र विभागाध्यक्षों को भेजते हैं। हालांकि विभागाध्यक्ष स्तर पर उपयोगिता-प्रमाणपत्रों एवं अनुदेयी द्वारा उपयोग की गई राशि का स्वीकृत अनुदान के साथ मिलान/सह-संबंधन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतीत होता है कि विभागाध्यक्षों ने इसे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को अग्रेषित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ये उपयोगिता-प्रमाणपत्र लेखाओं में बकाया के रूप में दर्शाए गए। इसका कारण भी विभिन्न स्तरों पर अनुदानों की स्थिति का मिलान एवं निगरानी का अभाव है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उपरोक्त विभागों के अभिलेखों की भौतिक/नमूना-जांच से निम्नलिखित बिन्दु भी प्रकट हुए :

- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 (संशोधित) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को सत्यापन के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को भेजा जाए।
- स्वीकृतियां इस हद तक अपूर्ण पाई गई कि अधिकांश स्वीकृतियों में (i) उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता, (ii) अनुदान आवर्ती है या गैर-आवर्ती, एवं (iii) उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था या नहीं, इसका उल्लेख नहीं था।

- अनुदेयी (कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों) को दिए गए कुल अनुदान एवं विभाग को प्राप्त आंशिक रूप से उपयोग की गए अनुदान के उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के मध्य मिलान/सह-संबंधन का अभाव था। जिसका कारण सहायक दस्तावेजों के बिना आंशिक अनुदान के उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण था।

उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का समयबद्ध ढंग से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की प्रास्थिति पर बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए तथा उसका मिलान कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से किया जाना चाहिए।

4.4 सार आकस्मिक बिल

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 का नियम 183 (3)(V) में परिकल्पित है कि सरकारी कोषागार से कोई धन तब तक आहरित न किया जाए जब तक की उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बिल के माध्यम से सेवा शीर्षों से डेबिट करते हुए धन का आहरण करने का अधिकार होता है। नियम 187 में आगे अप्रत्याशित परिस्थितियों हेतु आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए सार आकस्मिक बिलों से आहरण करने का प्रावधान है, जैसा कि वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा एक समय में केवल एक अग्रिम प्रदान/पारित किया जा सकता है। यह सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदारी होगी की अग्रिम को जिस वित्तीय वर्ष में आहरित किया गया है उसी वर्ष में समायोजित किया जाए। जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी अग्रिमों को अलग-अलग अग्रिम रजिस्टर में दर्ज करेंगे। वे इस बात की निगरानी करेंगे कि इनका प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के विस्तृत आकस्मिक बिलों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के भीतर लेखांकन किया गया है। अग्रिम भुगतान रजिस्टर लगातार संचालित किया जाना चाहिए तथा उनका अनुरक्षण तब तक किया जाना चाहिए जब तक सभी अग्रिम पूरी तरह से वसूली/समायोजित की श्रेणी में प्रविष्ट नहीं हो जाते। विस्तृत आकस्मिक बिल विलम्ब से जमा करने या लंबे समय तक जमा न करने से लेखाओं की पूर्णता व शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

राज्य सरकार के साथ बार-बार पत्राचार करने के पश्चात अक्टूबर 2022 में राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम आहरण एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से समायोजन हेतु पृथक चिह्नित करने एवं कोड बनाने (संहिताकरण) के लिए तंत्र लागू किया।

पाया गया कि वर्ष 2022-23 (अक्टूबर 2022 से) के दौरान ₹ 13.77 करोड़ राशि के आहरित कुल 245 सार आकस्मिक बिलों में से ₹ 0.15 करोड़ राशि के 49 सार आकस्मिक बिल (20 प्रतिशत) मार्च 2023 में आहरित किए गए। चार सार आकस्मिक बिलों का आहरण मार्च के अंतिम दिन किया गया था। मॉडर्न सेंट्रल जेल कार्यालय, नाहन (जिला सिरमौर), हिमाचल प्रदेश द्वारा आहरित ₹ 0.02 करोड़ का एक सार आकस्मिक बिल, जो 31 मार्च 2023 तक समायोजन/विस्तृत आकस्मिक बिल हेतु लंबित था, अगस्त 2023 तक उसका समायोजन/निपटान कर दिया गया।

4.5 व्यक्तिगत लेज़र/निक्षेप लेखे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 का नियम 69 व 70, प्रधान महालेखाकार के परामर्श पर वित्त विभाग के आदेश पर व्यक्तिगत लेज़र लेखा खोलने का प्राधिकार प्रदान करता है। वित्त विभाग ऐसा विशेष आदेश या अनुमति तब जारी या प्रदान करेगा जब वह संतुष्ट हो जाए कि व्यक्तिगत लेज़र लेखा में रखे जाने वाले एवं संवितरित धन का प्रारंभिक लेखा उचित रूप से अनुरक्षित है तथा उसकी लेखापरीक्षा की गई है। खोले जाने हेतु अधिकृत प्रत्येक व्यक्तिगत लेज़र लेखा सरकार के लोक लेखा का भाग होगा।

वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर ₹ 1.76 करोड़ राशि 68 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में अव्ययित शेष के रूप में थी (परिशिष्ट 4.3)। वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की प्रास्थिति नीचे तालिका 4.4 में दर्शाई गई है:

तालिका 4.4: 31 मार्च 2023 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं (मुख्य शीर्ष 8443-106) की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

01.04.2022 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखे		वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		वर्ष के दौरान समापन/आहरण		31.03.2023 तक अंत शेष		परिचालित लेखे		अपरिचालित लेखे	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
106	1.74	01	0.65*	39**	0.63**	68	1.76	64	1.61	04	0.15

* निक्षेप की कुल ₹ 1.01 करोड़ प्राप्तियों में से (₹ 4,900/- राशि वाले एक नए लेखे सहित), ₹ 0.36 करोड़ व्ययगत निक्षेप थे।

** मुख्य शीर्ष 8448-109-पंचायत निकाय निधि (38 व्यक्तिगत निक्षेप लेखा: ₹ 0.03 करोड़) व आईसीएआर के 8448-106 कोष (एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा: शून्य राशि) से संबंधित निक्षेप लेखे, जिनकी राशि ₹ 0.03 करोड़ है, को व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की सूची से अलग कर दिया गया है एवं एक अलग सूची में रखा गया है क्योंकि वे व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की श्रेणी/वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान ₹ 0.60 करोड़ का उपयोग/आहरण किया गया।

कुल 68 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में से 64 प्रचालित थे जबकि चार व्यक्तिगत निक्षेप लेखे तीन वर्ष से अधिक समय से परिचालन में नहीं थे। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा प्रारंभ किया गया एवं 39 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे बंद किए गए क्योंकि ये व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की श्रेणी/वर्गीकरण में नहीं आते।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 200(4) में प्रावधान है कि वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेप/लेज़र लेखा के प्रबंधक से इस आशय का, कि दावा किया गया शेष उसी राशि का है एवं कोषागार के आंकड़ों से मेल खाता है, एक प्रमाणपत्र प्राप्त करें। उपरोक्त नियम की अनुपालना में 68 प्रबंधकों में से 66 ने कोषागार के साथ उसके शेष का मिलान व सत्यापन किया एवं कोषागार अधिकारी/प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को वार्षिक सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए, जबकि दो प्रबंधक (जिला आयुक्त के सहायक आयुक्त, कांगड़ा व उप-मंडलाधिकारी, डोडरा क्वार) ने कोषागार के आंकड़ों के साथ उसके शेष का मिलान व सत्यापन नहीं किया। हालांकि इन दोनों लेखाओं में शेष 'शून्य' है।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में अव्ययित शेष रखने का अर्थ है कि व्यय में अधिकतम शेष तक अन्योक्ति हुई। व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का आवधिक रूप से मिलान न करने एवं व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में रखी अव्ययित शेष राशि से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न होता है।

4.6 लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

अन्य प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बंधित लघु शीर्ष-800 का परिचालन तब किया जाता है जब लेखाओं के मुख्यशीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते। लघु शीर्ष-800 का नियमित रूप से परिचालन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अस्पष्ट बनाते हैं। इस बहुउद्देशीय लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन प्राथमिकताओं व व्यय की गुणवत्ता के सटीक विश्लेषण को विकृत करता है।

पाया गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान 28 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किया गया व्यय घटकर ₹ 654.61 करोड़ हो गया, जो कुल राजस्व का 1.30 प्रतिशत (वर्ष 2021-22 के दौरान 5.34 प्रतिशत) था एवं वर्ष 2021-22 के दौरान 41 मुख्य शीर्षों (परिशिष्ट 4.4) के अंतर्गत पूंजीगत व्यय (₹ 50,454.15 करोड़) ₹ 2,255.53 करोड़ तक घट गया, इसमें से 11 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत उल्लेखनीय व्यय (20 प्रतिशत व अधिक) बुक किया गया। इसके अतिरिक्त राशि के संदर्भ में 62 प्रतिशत बुकिंग चार मुख्य शीर्ष जैसे मुख्य शीर्ष-2230: ₹138.89 करोड़, मुख्य शीर्ष-2235: ₹ 99.05 करोड़, मुख्य शीर्ष-4851: ₹ 111.86 करोड़ व मुख्य शीर्ष-5452: ₹ 58.88 करोड़ में की गई है।

हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्षों के तहत 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्तियों की बुकिंग विगत वर्ष के 46 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,957.37 करोड़ से ₹ 2,289.91 करोड़ हो गई (परिशिष्ट 4.5)। यह कुल राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों (₹ 38,102.09 करोड़) का 6.01 प्रतिशत (वर्ष 2021-22 में 5.25 प्रतिशत) था। इन 46 मुख्य शीर्षों में से 30 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत उल्लेखनीय प्राप्तियों (20 प्रतिशत व अधिक) बुक की गई। इसके अतिरिक्त राशि के संदर्भ में 84 प्रतिशत बुकिंग चार मुख्य शीर्ष जैसे मुख्य शीर्ष-0039: ₹ 107.46 करोड़, मुख्य शीर्ष-0045: ₹ 220.53 करोड़, मुख्य शीर्ष-0801: ₹ 1,428.28 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष-1054: ₹ 169.53 करोड़) के तहत बुक की गई। ऐसी बुकिंग में अकेले मुख्य शीर्ष-0801- विद्युत का भाग 62 प्रतिशत रहा।

माप से संबंधित मुद्दे

4.7 मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को परिलक्षित करते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष एवं क्रेडिट शेष को अलग-अलग समेकित करके इन शीर्षों के तहत बकाया शेष की गणना की जाती है। विगत तीन वर्षों हेतु उल्लेखनीय उचंत मर्दे सकल डेबिट व क्रेडिट शेष के रूप में तालिका 4.5 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 4.5: उचंत व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	2020-21		2021-22		2022-23		
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
8658	उचंत लेखा						
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	138.83	66.53	133.69	87.07	138.84	82.14
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	72.30 डेबिट		46.62 डेबिट		56.70 डेबिट	
102	उचंत लेखा (सिविल)	1,854.36	223.31	767.15	271.88	373.26	338.42
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	1,631.05 डेबिट		495.27 डेबिट		34.84 डेबिट	
109	रिज़र्व बैंक उचंत-(मुख्यालय)	0.42	00.37	00.05	00.00	00.05	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	0.05 डेबिट		00.05 डेबिट		00.05 डेबिट	
110	रिज़र्व बैंक उचंत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	2.24	2.26	26.53	00.00	27.32	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	0.02 क्रेडिट		26.53 डेबिट		27.32 डेबिट	
112	स्रोत पर कटौती उचंत	471.25	497.83	00.03	41.60	00.00	81.72
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	26.58 क्रेडिट		41.57 क्रेडिट		81.72 क्रेडिट	
123	ए.आई.एस अधिकारी समूह बीमा योजना	0.73	0.04	00.81	00.03	00.84	00.03
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	0.69 डेबिट		00.78 डेबिट		00.81 डेबिट	
129	सामग्री खरीद-निपटान उचंत लेखा	81.69	219.46	00.00	234.90	00.00	263.05
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	137.77 क्रेडिट		234.90 क्रेडिट		263.05 क्रेडिट	
8782	एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण एवं समायोजन						
102	लोक लेखा प्रेषण	6,841.07	7,372.10	00.00	637.47	00.00	477.98
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	531.03 क्रेडिट		637.47 क्रेडिट		477.98 क्रेडिट	
103	वन प्रेषण	0.03	16.81	00.00	16.67	00.00	16.67
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	16.78 क्रेडिट		16.67 क्रेडिट		16.67 क्रेडिट	
8793	अंतर-राज्य उचंत लेखा						
101	अंतर-राज्य उचंत लेखा	4.14	0.02	00.03	00.00	00.08	00.00
	निवल डेबिट/ क्रेडिट	4.12 डेबिट		00.03 डेबिट		00.08 डेबिट	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 हेतु वित्त लेखाओं में दर्शाए गए मुख्य शीर्ष 8658 के तहत लघु शीर्ष 101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत, 102-उचंत लेखा (सिविल) एवं 110-रिजर्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत उचंत शेष (डेबिट/क्रेडिट) के विवरण नीचे दिए गए हैं :

वेतन एवं लेखा कार्यालय - उचंत (लघु शीर्ष 101): इस लघु शेष का परिचालन संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ शासित प्रदेशों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों एवं महालेखाकार की लेखा-बहियों में हुए अंतर्विभागीय एवं अंतर्सरकारी लेनदेनों के समायोजन हेतु किया जाता है। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किसी अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालय (कार्यालयों) की ओर से भुगतान किया गया, जिसकी वसूली अभी शेष है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2023) गत वर्ष के ₹ 46.62 डेबिट शेष से बढ़ कर ₹ 56.70 करोड़ हो गया।

सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा (लघु शीर्ष 129): 31 मार्च 2023 तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत ₹ 263.05 करोड़ का बकाया क्रेडिट शेष था। ऐसा मण्डलों द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त सामग्री के मूल्य के संबंध में लंबित समायोजन के कारण हुआ परन्तु इसका भुगतान अभी शेष है। इस राशि के निपटान/समायोजन पर राज्य के नकद शेष में वृद्धि होगी।

लोक निर्माण-कार्य प्रेषण (लघु शीर्ष 102): वर्ष 2022-23 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 477.98 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था। निपटान/समायोजन होने पर राज्य सरकार के नकद शेष में वृद्धि होगी। यह प्रेषण उन चेकों से सम्बंधित हैं जो लोक निर्माण विभाग द्वारा कोषागार में जमा होते हैं।

वन प्रेषण (लघु शीर्ष 103): इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 16.67 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था। निपटान/समायोजन होने पर राज्य सरकार का नकद शेष घट जाएगा। यह प्रेषण उन चेकों से सम्बंधित हैं जो वन मण्डल पार्टियों को जारी करते हैं।

वर्ष की समाप्ति पर इस शीर्ष (लोक लेखा) के तहत भारी शेष राशि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को अधिकतम सीमा तक विकृत कर देती है, क्योंकि इन व्ययों/प्राप्तियों को उनके अंतिम लेखा शीर्षों में बुक नहीं किया जा सका तथा यह राज्य की समेकित निधि से बाहर ही रहे।

4.8 नकद शेष का मिलान

31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार का नकद शेष प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के लेखाओं के अनुसार ₹ 89.33 करोड़ (क्रेडिट) था जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे ₹ 89.35 करोड़ (डेबिट) बताया। इस प्रकार ₹ 0.02 करोड़ (डेबिट) का शुद्ध अंतर था, जिनका मिलान नहीं हुआ। यह अंतर मुख्य रूप से लेनदेन की गलत रिपोर्टिंग एवं एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आंकड़ों का मिलान न करने के कारण हुआ।

4.9 मंडलाधिकारियों के पास रखी अव्ययित राशि

संहिता संबंधी प्रावधानों के अनुसार लोक निर्माण-कार्य मण्डलों को गैर-सरकारी एजेंसियों से निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियां मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप के तहत लघु शीर्ष 108 - लोक निर्माण-कार्य निक्षेप के अंतर्गत क्रेडिट करना अपेक्षित है। संबंधित निक्षेप कार्यों का व्यय भी उसी लेखा शीर्ष से किया जाता है। मण्डलों के मासिक लेखाओं में लोक निर्माण मण्डलों द्वारा ऐसे निक्षेपों की प्रेषण न की गई राशि राज्य के लोक लेखा के तहत मुख्य शीर्ष 8671-विभागीय शेष, 101-सिविल के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है एवं तदोपरांत सरकारी खातों का भाग बनती है। हालांकि निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियों का प्रेषण सरकारी लेखाओं में करने के बजाय वह लोक निर्माण मण्डलों द्वारा संचालित मंडलाधिकारियों के बैंक खातों में रखी जा रही है और इसीलिए यह भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य के नकद शेष का भाग नहीं बनती।

वित्त लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2023 तक ₹ 0.16 करोड़ की छोटी राशि मुख्य शीर्ष 8671 (लोक लेखा) के अंतर्गत रखी थी।

डिस्कलोजर से संबंधित मुद्दे

4.10 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर संघ एवं राज्यों के लेखाओं का रूप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारत सरकार लेखांकन मानक अधिसूचित किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना एवं उनमें हुई कमियों का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका 4.6: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखा मानक	भारत सरकार लेखांकन मानक का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी
1.	भारत सरकार लेखांकन मानक -1:	सरकार द्वारा दी गई गारंटी - डिस्कलोजर आवश्यकताएं	अनुपालन (वित्त लेखाओं की विवरणी 9 व 20)	क्षेत्र-वार ब्यौरे वित्त लेखों के विवरण 9 और 20 में दिए गए हैं।
2.	भारत सरकार लेखांकन मानक -2:	सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन (वित्त लेखाओं की विवरणी 10)	वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के कुल मूल्य के संबंध में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
3.	भारत सरकार लेखांकन मानक -3:	सरकारों द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	अनुपालन (वित्त लेखाओं की विवरणी 7 व 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के ब्यौरे विवरण 7 व 18 में दिए गए हैं।

स्त्रोत: वित्त लेखे

4.11 स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार ने शिक्षा, कल्याण, कानून व न्याय, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं। राज्य के 18 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। इन 18 निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 19(3) के तहत संचालित की जाती है तथा इसके लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाए जाते हैं (परिशिष्ट 4.6)। बकाया लेखाओं वाले निकायों/प्राधिकरणों का विवरण तालिका 4.7 में दिया गया है।

तालिका 4.7: 31 मार्च 2023 तक स्वायत्त निकायों के बकाया लेखे

क्र.सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे लंबित हैं	लंबित लेखाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	9
2.	क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2019-20	3
योग			12

स्रोत: विभागीय आंकड़े/जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो निकायों/प्राधिकरणों (18 में से) के लेखे तीन से नौ वर्ष के मध्य की अवधि तक बकाया थे।

लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता न लग पाने का जोखिम रहता है एतएव लेखाओं को शीघ्रतः अंतिम रूप देना एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। सरकार अपनी वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए स्वायत्त निकायों एवं विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में गति लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करें।

4.12 निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, उस सहायता को देने का प्रयोजन एवं संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा व लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 के परिच्छेद 88 में प्रावधान है कि निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण स्वीकृत करने वाली सरकार एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष की जुलाई के अंत में ऐसे निकायों/प्राधिकरणों की, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख या उससे अधिक के सकल अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया गया हो, विवरणी निम्नवत दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे (क) सहायता राशि, (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई है, तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय।

राज्य सरकार ने ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के सकल अनुदान वाले हिमाचल प्रदेश राज्य के स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों से सम्बंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि लेखापरीक्षा ने सम्बंधित निकायों/प्राधिकरणों से जानकारी मांगी थी (सितम्बर, 2023) तथापि केवल दो¹ निकायों/प्राधिकरणों (35 में से) ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत की (परिशिष्ट 4.6)।

राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत न करना लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 का उल्लंघन था।

4.13 विभागीय व्यावसायिक उपक्रम/निगम/कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 व 395 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए। इसके तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियमों में दिए गए हैं। उपरोक्त तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों एवं निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

31 मार्च 2023 तक पाया गया कि बकाया लेखाओं (46) वाले 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों (एक कंपनी अर्थात् हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड, जो परिसमापन के अधीन है, उसे शामिल नहीं किया गया) के लेखे 30 सितम्बर 2023 तक प्राप्त नहीं हुए, जिनमें से छः² हानि उठाने वाली (घाटे वाली) कम्पनियां थीं (उनके अंतिम/गत लेखाओं के अनुसार)। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे बकाया होने के बावजूद विगत तीन वर्षों के दौरान उन्हें ₹ 143.72 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की गई, जैसाकि तालिका 4.8 में विवर्णित है।

¹ हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्कफेड सहकारी, टुटू, शिमला, हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद, कसुम्पटी, शिमला।

² (i) हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड; (ii) हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम; (iii) हिमाचल प्रदेश एगो-इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड; (iv) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड; (v) हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा (vi) श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड

तालिका 4.8: हानि उठाने वाले व्यावसायिक उपक्रमों/निगमों/कंपनियों को दी गई बजटीय सहायता का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	बजटीय सहायता						कुल		सकल योग
		2020-21		2021-22		2022-23		इक्विटी	ऋण	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण			
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड	62.21	0.00	11.00	0.58	67.35	0.58	140.56	1.16	141.72
2	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
सकल योग		62.21	0.00	13.00	0.58	67.35	0.58	142.56	1.16	143.72

स्रोत: सार्वजनिक के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की आयु रूपरेखा तालिका 4.9 में दी गई है।

तालिका 4.9: बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की आयु-रूपरेखा

वर्ष सीमा	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या
0-1	4
2-3	7
4-5	4
> 5	1
योग	16

स्रोत: सार्वजनिक के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

तालिका 4.9 दर्शाती है कि राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (जो एक निष्क्रिय कंपनी है) के लेखे पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप न देने से सरकार के निवेश के प्रभाव राज्य विधायिका की परिधि से बाहर रह जाते हैं एवं लेखापरीक्षा संवीक्षा से बच जाते हैं। परिणामस्वरूप जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं दक्षता में सुधार करने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हो तो वे समय पर नहीं हो पाता। धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार एक तंत्र विकसित करें एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों को उनके नवीनतम लेखे (अर्थात् अंतिम पूर्ववर्ती वर्ष) पूर्ण करने हेतु निर्देशित करें ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें राज्य सरकार की वित्तीय सहायता हेतु पात्र बनाया जा सके।

अन्य मुद्दे

4.14 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 23 व 24 में प्रावधान है कि संबंधित प्राधिकारी चल व अचल संपत्ति, जैसा भी मामला हो, की हानि के कारण की विस्तृत जांच करेगा तथा विस्तृत जांच पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित प्राधिकारी उसकी विस्तृत रिपोर्ट यथोचित माध्यम से सरकार को उचित कार्यवाही हेतु भेजेगा, जिसकी एक प्रति महालेखाकार को प्रेषित की जाएगी। नियम 145(5) में निर्धारित है कि यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण माल खराब हो जाता है तो उसकी जवाबदारी तय की जाएगी।

31 मार्च 2022 तक ₹ 52.32 लाख से जुड़े दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के 31 मामले पाए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें से ₹ 2.76 लाख राशि (अर्थात् वन विभाग से संबंधित ₹ 1.10 लाख का एक मामला: एवं भू-राजस्व विभाग से संबंधित ₹ 1.66 लाख की आंशिक राशि) का समायोजन/निपटान कर दिया गया। हालांकि 31 मार्च 2023 तक ₹ 49.56 लाख से अंतर्विष्ट 30 मामले अभी भी लंबित थे। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण तालिका 4.10 में दिया गया है।

तालिका 4.10: लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में कार्रवाई लंबित होने के कारण

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)			
शिक्षा	03	2.95	विभागीय एवं आपराधिक जांच हेतु प्रतीक्षित	19	15.84
भू-राजस्व	01	0.91	वसूली या बड़े खाते में डालने के आदेश हेतु प्रतीक्षित	01	0.91
बागवानी	03	2.89			
पुलिस	01	0.08	न्यायालयों में लंबित	03	25.43
नगर निगम, चम्बा	01	0.42			
गृह रक्षक	02	25.37			
लोक स्वास्थ्य (चिकित्सा)	01	0.95	वसूली की गई/बड़े खाते में डाले गए परन्तु लोक लेखा समिति के अंतिम निपटान हेतु प्रतीक्षित	06	6.96
वन	03	4.82			
लोक निर्माण	15	11.17	अन्य	01	0.42
योग	30	49.56	योग	30	49.56

स्त्रोत: विभाग द्वारा प्राप्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि से सम्बंधित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करें।

लंबित मामलों की आयु-रूपरेखा एवं सरकारी सामग्रियों की प्रत्येक चोरी तथा दुर्विनियोजन/हानि की श्रेणी के लंबित मामलों की संख्या तालिका 4.11 में सारांशित की गई है।

तालिका 4.11: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की आयु-रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्ष सीमा	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
0-5	1	0.40	चोरी के मामले	6	3.78
5-10	2	4.41	सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	24	45.78
10-15	5	4.81			
15-20	2	1.01			
20-25	7	31.01			
25 व अधिक	13	7.92			
योग	30	49.56	कुल लंबित मामले	30	49.56

दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के कुल 30 मामलों में से 80 प्रतिशत मामले सरकारी सामग्री के दुरुपयोग/हानि से संबंधित हैं एवं शेष 20 प्रतिशत चोरी के मामले थे। इन 30 मामलों में से 63.33 प्रतिशत (19 मामले) विभाग द्वारा अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने एवं आपराधिक जांच में विलम्ब के कारण लंबित थे। आगे यह पाया गया कि सभी 30 मामले पांच वर्ष से अधिक पुराने थे, जिनमें ऐसे 20 मामले भी शामिल थे, जो 20 वर्षों से अधिक पुराने थे।

सरकार चोरी, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि से संबंधित उपरोक्त मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

4.15 राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश राज्य में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर लोक लेखा समिति/वित्त विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई से संबंधित टिप्पणी (एक्शन टेकन नोट्स)/स्वतः व्याख्यात्मक टिप्पणी (सुओ-मोटो नोट्स) संबंधित (लाइन) विभागों से लेना अपेक्षित है। लाइन विभागों से इसकी एक प्रति महालेखाकार को भी देनी अपेक्षित है ताकि उसकी जांच की जाएं एवं यदि कोई आगामी अभ्युक्तियां हो तो उसे लोक लेखा समिति को आगे प्रेषित की जा सके।

वर्ष 2008-09 से हिमाचल प्रदेश में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से तैयार कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर एक्शन टेकन नोट्स/सुओ-मोटो व्याख्यात्मक नोट्स वर्ष 2019-20 तक प्रस्तुत किए। वर्ष 2020-21 व 2021-22 हेतु एक्शन टेकन नोट्स/सुओ-मोटो व्याख्यात्मक नोट्स अभी भी राज्य सरकार से प्रतीक्षित (नवंबर 2023) थे। वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य विधायिका की लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जानी अभी भी शेष है।

4.16 राजकोषीय हस्तांतरण पर छोटे हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 की अधिनियम संख्या 4) की धारा 98 (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-1 व Y के तहत छोटे हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग का गठन (अगस्त 2020) किया। आयोग ने वर्ष 2022-23 हेतु अंतरिम रिपोर्ट फरवरी 2022 में एवं 31 मार्च 2027 तक की अक्टूबर 2022 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने सिफारिश की -

- राज्य के स्व-राजस्व में कोई अंश निर्दिष्ट करने के बजाय अंतर पूर्ति अनुदान हस्तांतरित किया जा सकता है;
- राज्य सरकार के संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रतिबद्ध देयताओं में पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि;
- अनुदान जनसंख्या का 90 प्रतिशत एवं क्षेत्र के 10 प्रतिशत अथवा स्थानीय निकाय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार हस्तांतरित किया जाएं;
- निधियों को 90 प्रतिशत मूल अनुदान एवं 10 प्रतिशत निष्पादन अनुदान में विभाजित किया जाएं।

विभाग ने बताया कि उपरोक्त सभी सिफारिशें (पहली सिफारिश को छोड़कर) लागू कर दी गई हैं।

4.17 निष्कर्ष

₹ 4,242.51 करोड़ राशि (4,106 उपयोगिता-प्रमाणपत्र) के उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण हेतु प्रतीक्षित (लंबित) थे, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी तथा सरकार की ओर से पूर्ववर्ती अनुदानों का यथोचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान संवितरित करने की प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। दो स्वायत्त निकायों एवं 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों ने काफी लम्बी अवधि तक अपने अंतिम लेखे प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका तथा सरकार के निवेश के प्रभाव राज्य विधायिका की परिधि से बाहर रहे। इसके अतिरिक्त चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि एवं गबन के 30 मामलों में विभागीय कार्रवाई लम्बी अवधि से लम्बित थी।

4.18 सिफारिशें

1. सरकार विशिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।
2. स्वायत्त निकायों व विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों को उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने हेतु उनके वित्तीय लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण में तेजी लाने के लिए वित्त विभाग एक तंत्र स्थापित करें।
3. सरकार दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध ढांचा बनाएं तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सुदृढीकरण करें।

अध्याय-V
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र
के उद्यम

अध्याय - V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वर्ष 2022-23 हेतु (या गत वर्ष की, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया) वित्तीय विवरणियों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का अंश निवेशित हो तथा इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अतिरिक्त इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली किसी अन्य कंपनी¹ को सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) को कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है एवं लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीके के संदर्भ में दिशा-निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करवाने

¹ कॉरपोरेट मामले मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 द्वारा जारी कंपनी (कठिनाई का निराकरण) सातवां आदेश, 2014

का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने के विधानानुसार उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ही की जानी अपेक्षित है।

5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित किए गए हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2023 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में हिमाचल प्रदेश के 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें 26 सरकारी कंपनियां (दो² सांविधिक निगमों सहित) एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार³ कंपनियां थीं।

राज्य की उपर्युक्त सरकारी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियों में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन निष्क्रिय⁴ उद्यम (परिसमापनाधीन एक सहित) हैं। राज्य के इन निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ₹ 79.79 करोड़ निवेशित है (पूँजीगत ₹ 19.64 करोड़ - राज्य सरकार: ₹ 17.75 करोड़ व अन्य: ₹ 1.89 करोड़; राज्य सरकार के ऋण: ₹ 60.15 करोड़)। यह एक चिंताजनक स्थिति है तथा सरकार को यथाशीघ्र निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के परिसमापन का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं करते।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन उद्यमों की गतिविधियों के प्रसार को दर्शाता है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के टर्नओवर के विवरण परिशिष्ट 5.2 में दिए गए हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों का टर्नओवर एवं हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण नीचे तालिका 5.1 में दिया गया है।

² हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम व हिमाचल पथ परिवहन निगम।

³ धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड व हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)।

⁴ निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है। - एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के दो निष्क्रिय उद्यम हैं एवं हिमाचल प्रदेश वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (सरकार के नियंत्रणाधीन एक अन्य कंपनी) परिसमापनाधीन है।

तालिका 5.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	6,758.43	6,732.16	7,335.16
राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	2,805.45	2,427.27	2,792.64
राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	495.51	473.46	529.30
योग	10,059.39	9,632.89	10,657.10
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,55,251	1,76,269	1,95,404
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के टर्नओवर का प्रतिशत			
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	4.35	3.82	3.75
राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	1.81	1.38	1.43
राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	0.32	0.27	0.27
योग	6.48	5.47	5.45

स्त्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार उनके टर्नओवर आंकड़ों व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आपूरित चालू व स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान में घटती प्रवृत्ति रही। वर्ष 2020-21 में यह 6.48 प्रतिशत, वर्ष 2021-22 में 5.47 प्रतिशत एवं वर्ष 2022-23 में मामूली रूप से घट कर 5.45 प्रतिशत पर स्थिर रहा। वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों का योगदान 3.75 प्रतिशत था जबकि राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यमों ने 1.43 प्रतिशत का योगदान किया।

यद्यपि राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यमों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान कम था (0.27 प्रतिशत से 0.32 प्रतिशत तक) परन्तु उनके पास 1,794 कर्मचारी (स्थायी/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर) थे। 31 मार्च 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र इन अन्य क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 350.83 करोड़ (इक्विटी: ₹ 276.21 करोड़ व दीर्घकालिक ऋण: ₹ 74.62 करोड़) था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान इनमें से राज्य के तीन⁵ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने ₹ 118.74 करोड़ का अनुदान व सब्सिडी दी।

⁵ धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड: ₹ 5.00 करोड़, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड: ₹ 110.00 करोड़ व शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड: ₹ 3.74 करोड़।

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी पूंजी एवं ऋण

31 मार्च 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 27 कार्यशील उद्यमों में कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा किया गया इक्विटी योगदान एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण का क्षेत्र-वार विवरण नीचे तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश ⁶ (₹ करोड़ में)					कुल से कुल इक्विटी व दीर्घकालिक ऋणों का प्रतिशत
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार के ऋण	कुल इक्विटी व दीर्घकालिक ऋण	
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	4,073.35	2,346.72	12,524.64	7,648.65	16,597.99	90
राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	1,275.20	1,259.00	161.29	0.00	1,436.49	8
राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	292.56	276.21	159.53	74.62	452.09	2
योग	5,641.11	3,881.93	12,845.46	7,723.27	18,486.57	100

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विद्युत क्षेत्र पर सबसे ज्यादा निवेश किया गया। 31 मार्च 2023 तक इसे ₹ 18,486.57 करोड़ के कुल निवेश का 90 प्रतिशत (₹ 16,597.99 करोड़) प्राप्त हुआ। इस ₹ 18,486.57 करोड़ के कुल निवेश में 62.78 प्रतिशत (₹ 11,605.20 करोड़) राज्य सरकार का अंश था (परिशिष्ट 5.1)।

5.4.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य प्रस्तुत करता है। 31 मार्च 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र एक उद्यम (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड) के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध⁷ थे। सार्वजनिक क्षेत्र के इस उद्यम में ₹ 7.16 करोड़ का कुल इक्विटी निवेश है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एक अन्य सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है जिसके ऋण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

⁶ निवेश में इक्विटी व दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

⁷ कंपनी के शेयर अब सूची से हटा दिए गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी को सूचित किया (1 फरवरी 2022) कि उसका नाम प्रसार बोर्ड से हटा दिया गया है। तदनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया (13 अप्रैल 2023) कि सूची से हटाए गए शेयर प्रधान सचिव (उद्योग) के नाम पर जारी किए गए हैं। - स्रोत: वर्ष 2022-23 हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे।

5.4.3 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील एवं निष्क्रिय उद्यमों के विनिवेश/पुनर्गठन एवं निजीकरण का कोई मामला नहीं था।

5.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिफल

5.5.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 27 कार्यशील उद्यमों की नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणियों के अनुसार उनमें से लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या वर्ष 2021-22 के 10 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 13 हो गई। हालांकि अर्जित लाभ वर्ष 2021-22 के ₹ 21.47 करोड़ से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 20.21 करोड़ रह गया।

सर्वाधिक लाभ में देने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष तीन उद्यमों का सारांश तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: सर्वाधिक लाभ में देने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष तीन उद्यम

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल लाभ का प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	7.68	38.00
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	3.44	17.02
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2.89	14.30
योग	14.01	69.32

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निवल लाभ अनुपात⁸ नीचे तालिका 5.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (निष्क्रिय उद्यमों सहित) का निवल लाभ अनुपात⁹

क्षेत्र	निवल लाभ	टर्नओवर	निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	(-) 461.52	7,335.16	-
राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	(-) 132.30	2,792.64	-
राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	18.53	1,073.27	1.73
योग	-575.29	11,201.07	

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

⁸ शुद्ध लाभ/टर्नओवर*100

⁹ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन निष्क्रिय उद्यमों का टर्नओवर व निवल लाभ शामिल है।

5.5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

तेरहवें वित्त आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों द्वारा सरकारी इक्विटी पर न्यूनतम पांच प्रतिशत लाभांश अदायगी की अनुशंसा की थी (दिसंबर 2009)। राज्य सरकार ने अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उसके सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (कल्याण व उपयोगिता क्षेत्र को छोड़कर) को निर्देश दिया (जुलाई 2011) कि यदि कर चुकाने के बाद 50 प्रतिशत तक का लाभ हुआ हो तो वे राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों पर न्यूनतम 5 प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान करेंगे। विगत तीन वर्षों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा घोषित किया गया लाभांश नीचे तालिका 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा घोषित किया गया लाभांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	लाभांश घोषित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित लाभ
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	-	-	-	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	1	3.51	1.18	0.35
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	2	37.98	14.75	1.90
	योग	3	41.49	15.93	2.25
2021-22	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	-	-	-	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	1	3.51	1.18	0.35
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	1	7.16	3.36	0.36
	योग	2	10.67	4.54	0.71
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	-	-	-	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	-	-	-	-
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	1	7.16	3.44	0.36
	योग	1	7.16	3.44	0.36

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

वर्ष 2022-23 के दौरान के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से मात्र एक उद्यम (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित) ने लाभांश घोषित किया, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों¹⁰ से लाभांश घोषित करना अपेक्षित नहीं था (कल्याण व उपयोगिता क्षेत्र में होने के कारण) जबकि ₹ 14.88 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उद्यमों¹¹ ने लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

¹⁰ (i) हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, (ii) हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (iii) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और (iv) हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड।

¹¹ (i) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, (iv) हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड (v) हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, (vi) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, (vii) हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड व (viii) हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड।

5.6 ऋण अदायगी

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना ब्याज एवं कर चुकाने से पूर्व कम्पनी के उपार्जित लाभ को उसी अवधि के ब्याज के खर्चों से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही। ब्याज वहन करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका 5.6 में दिया गया है।

तालिका 5.6: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	विवरण	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन (₹ करोड़ में)	ऋण देयता वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	617.06	270.45	3	0	3
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	16.44	-118.88	2	1	1
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	13.14	13.08	6	3	3
	योग	646.64	164.65	11	4	7
2021-22	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	717.54	271.92	3	0	3
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	9.70	-29.62	2	0	2
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	12.58	28.98	6	2	4
	योग	739.82	271.28	11	2	9
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	792.22	330.70	3	0	3 ¹²
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	6.33	-124.89	4	2	2 ¹³
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	12.31	26.76	7	5	2 ¹⁴
	योग	810.86	232.57	14	7	7

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

¹² (i) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड; (ii) हिमाचल प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड; व (iii) हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

¹³ (i) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम; व (ii) हिमाचल पथ परिवहन निगम

¹⁴ (i) हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम; व (ii) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम

5.6.2 राज्य सरकार के ऋणों पर विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के विद्युत क्षेत्र के तीन उद्यमों (ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी है) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋणों पर ₹ 3,268.81 करोड़¹⁵ की ब्याज देयता अर्जित थी। राज्य सरकार के ऋणों पर अर्जित ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका 5.7 में दिया गया है।

तालिका 5.7: राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों का नाम	राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	राज्य सरकार के ऋणों पर एक वर्ष से कम समय से बकाया ब्याज	राज्य सरकार के ऋणों पर एक वर्ष से अधिक समय से बकाया ब्याज
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	430.56	227.78	202.78
2	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,203.26	242.96	1,960.30
3	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	634.99	22.79	612.20
योग		3,268.81	493.53	2,775.28

स्रोत: राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.7.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल वह अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उसकी पूंजी उपयोग की दक्षता को मापता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना ब्याज व कर के पूर्व कंपनी की अर्जित आय को नियोजित पूंजी¹⁶ से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2020-21

¹⁵ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के एकत्रित जानकारी के अनुसार। अन्य क्षेत्रों में कार्यशील राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर ब्याज देयता विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में नगण्य थी, अतः उनका विश्लेषण नहीं किया गया।

¹⁶ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि व अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

से 2022-23 की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण तालिका 5.8 में दिया गया है।

तालिका 5.8: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	विवरण	ब्याज व कर से पूर्व उपाजन (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	270.45	11,791.00	2.29
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	-104.61	-543.76	0
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	13.03	203.26	6.40
	योग	178.87	11,450.50	1.56
2021-22	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	271.92	12,941.45	2.10
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	-15.35	-561.40	0
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	28.93	218.15	13.26
	योग	285.50	12,598.20	2.27
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	330.70	11,057.96	2.99
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	-110.62	-574.42	0
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	26.71	224.80	11.88
	योग	246.79	10,708.34	2.30

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल धनात्मक पाया गया। वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में नियोजित पूंजी पर सकल प्रतिफल में वृद्धि विद्युत क्षेत्र में नियोजित पूंजी में गिरावट के कारण हुई। सकल सेवा क्षेत्र का ब्याज व कर से पूर्व उपाजन ऋणात्मक ही रहा, जिसमें हिमाचल पथ परिवहन को हुई हानि ने महत्वपूर्ण योगदान था।

5.7.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल¹⁷ वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जो यह आकलन करता है कि लाभ अर्जित करने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इक्विटी पर प्रतिफल की गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात् कर पश्चात् निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं इसकी गणना हर उस कंपनी के लिए की जा सकती है जिसकी निवल आय एवं शेयरधारक निधि दोनों धनात्मक संख्या में हो।

¹⁷ इक्विटी पर प्रतिफल=(कर के बाद निवल लाभ/शेयरधारक की इक्विटी)X100 जहां शेयरधारक की इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि - संचित घाटा - आस्थगित राजस्व व्यय।

शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी व मुक्त आरक्षित निधियों को जोड़ कर, संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय से घटाकर की जाती है तथा यह उजागर करती है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेच दी जाए एवं सभी ऋण चुका दिए जाए तब कंपनी के शेयरधारकों हेतु कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कंपनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां रखती है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

वर्ष 2022-23 में लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 13 कार्यशील उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल 14.32 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य के सभी 27 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निवल आय ऋणात्मक होने से इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल के विवरण नीचे तालिका 5.9 में दिए गए हैं।

तालिका 5.9: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	विवरण	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	(-)346.61	1,466.71	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	(-)137.24	(-)629.97	-
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	(-)6.52	(-)17.16	-
	योग	(-)490.37	819.58	
2021-22	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	(-)445.62	1486.20	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	(-)40.42	(-)611.43	-
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	9.01	0.02	-
	योग	(-)477.03	874.79	
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	(-)461.52	1124.34	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	(-)132.30	(-)602.92	-
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	9.09	7.22	125.95
	योग	(-)584.73	528.63	

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की निवल आय ऋणात्मक थी, अतः इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी।

5.7.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल की दर

31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित पूर्ववर्ती निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की

वर्ष-वार औसत दर, जिसे संबंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में लिया जाता है, पर संयुक्त किया जाता है। अतः जहां कहीं भी परिचालन एवं प्रबंधन खर्च हेतु इक्विटी, ब्याज रहित ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है वहां राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई तथा इन कंपनियों के प्रारंभ होने से 31 मार्च 2023 तक हुए विनिवेशों को शामिल नहीं किया गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई :

- ब्याज रहित ऋणों को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ब्याज रहित ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से घटा दिया गया है एवं उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष¹⁸ हेतु सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वो वर्ष हेतु निधियों के निवेश के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।
- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटाया गया है।

वर्ष 1999-2000 से 2022-23 की अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी एवं ब्याज रहित ऋण के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों (सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के अतिरिक्त) में राज्य सरकार के निवेश की उद्यम-वार प्रास्थिति **परिशिष्ट 5.3** में दी गई है। इसी अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य एवं कुल उपार्जन की समेकित स्थिति नीचे **तालिका 5.10** में दर्शाई गई है।

¹⁸ चुकाए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/ [(गत वर्ष की वित्तीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं)/2] *100

तालिका 5.10: 1999-2000 से 2022-23 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्ष-वार विवरण व सरकारी निधि का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए निवल ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक-व्यवसायिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान/सब्सिडी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अंकित मूल्य पर विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
							एच=सी+डी-ई+एफ-जी	आई=बी+एच		के=आई*(1+जे/100)	एल=के-आई		एन=एम/के*100
1999-2000 तक	0.00	300.04	0.49	0.00	0.00	0.00	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	0.00	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	0.00	0.00	0.00	33.99	361.06	10.15	397.70	36.65	-49.50	-
2001-02	397.70	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01	410.71	11.06	456.14	45.42	-36.70	-
2002-03	456.14	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43	468.57	10.37	517.16	48.59	-29.19	-
2003-04	517.16	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	545.76	10.98	605.68	59.92	-31.10	-
2004-05	605.68	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06	621.74	10.60	687.65	65.90	-43.44	-
2005-06	687.65	13.59	0.15	0.00	0.00	0.00	13.74	701.39	9.20	765.92	64.53	-30.72	-
2006-07	765.92	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	780.22	9.40	853.56	73.34	-62.08	-
2007-08	853.56	118.42	2.25	0.00	0.00	0.00	120.67	974.23	9.09	1,062.78	88.56	-46.66	-
2008-09	1,062.78	306.29	-0.10	0.00	0.00	0.00	306.19	1,368.97	9.19	1,494.78	125.81	-33.88	-
2009-10	1,494.78	405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	405.28	1,900.06	8.59	2,063.27	163.22	-55.92	-
2010-11	2,063.27	506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	566.89	2,630.16	7.78	2,834.78	204.63	-190.77	-
2011-12	2,834.78	124.99	9.50	0.00	0.00	645.85	-511.36	2,323.42	7.80	2,504.65	181.23	-224.68	-
2012-13	2,504.65	303.72	5.00	0.00	0.00	0.00	308.72	2,813.37	8.08	3,040.69	227.32	-404.40	-
2013-14	3,040.69	287.24	2.54	0.00	0.00	0.00	289.78	3,330.47	7.71	3,587.25	256.78	-625.17	-
2014-15	3,587.25	339.21	14.54	0.00	0.00	550.00	-196.25	3,391.00	7.91	3,643.53	268.23	-455.69	-
2015-16	3,643.53	217.30	3.55	0.00	0.00	0.00	220.85	3,864.38	8.37	4,187.83	323.45	-332.71	-
2016-17	4,187.83	250.82	6.52	0.00	0.00	0.00	257.34	4,445.17	8.13	4,806.56	361.39	-105.47	-
2017-18	4,806.56	233.67	8.00	0.00	0.00	0.00	241.67	5,048.23	8.41	5,472.79	424.56	-123.81	-
2018-19	5,472.79	313.90	10.00	0.00	0.00	0.00	323.90	5,796.69	8.32	6,296.58	482.28	-183.99	-
2019-20	6,296.58	335.91	0.00	0.00	114.89	0.00	450.80	6,747.38	7.98	7,285.82	538.44	-270.79	-
2020-21	7,285.82	263.25	0.90	0.00	236.84	0.00	500.99	7,786.81	7.59	8,377.83	591.02	-480.93	-
2021-22	8,377.83	272.12	0.00	0.00	153.33	0.00	425.45	8,803.28	7.33	9,448.56	645.28	-467.18	-
2022-23	9,448.56	305.35	-2.83	0.00	110.12	0.00	412.64	9,861.20	6.74	10,525.85	664.64	-575.29	-
		5,074.87	62.02	0.00	615.18	1,195.85	4,556.22						

स्रोत: कॉलम संख्या सी, डी, ई, एफ व जी के संदर्भ में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

वर्ष 2022-23 के अंत में राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए निवेश का शेष 1999-2000 के अंत के ₹ 300.53 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 9,861.20 करोड़ हो गया। वर्ष 2000-01 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य सरकार ने इक्विटी (₹ 5,074.87 करोड़) एवं परिचालन व प्रबंधन व्यय (₹ 615.18 करोड़) हेतु अनुदान/सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई निधियों का वर्तमान मूल्य ₹ 10,525.85 करोड़ था। वर्ष 2000-01 से 2022-23 के दौरान राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल उपार्जन इनमें निवेशित निधियों की लागत वसूली हेतु अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से सदैव कम रहा।

5.8 राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

5.8.1 हुई हानि

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार आठ कार्यशील उद्यमों को हानि हुई थी। नवीनतम अंतिम लेखा के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का घाटा वर्ष 2021-22 के ₹ 518.60 करोड़ से बढ़कर ₹ 604.94 करोड़ हो गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उद्यमों को बड़ी हानियां हुई वे थे हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम। वर्ष 2022-23 के दौरान घाटे में चल रहे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रास्थिति नीचे तालिका 5.11 में दी गई है।

तालिका 5.11: 2020-21 से 2022-23 में हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	वर्ष में हुई निवल हानि	संचित हानि	नेटवर्थ
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	3	346.61	2,036.28	1,166.71
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	1	146.43	1,533.70	(-674.83)
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	6	25.56	383.72	(-224.36)
	कुल	10	518.60	3,953.70	267.52
2021-22	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	3	445.62	2,296.57	1,186.20
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	3	42.69	1,598.47	(-662.52)
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	6	10.24	356.73	(-169.56)
	कुल	12	498.55	4,251.77	354.12
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	3	461.52	2,757.59	824.34
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	3	135.97	1,734.42	(-658.00)
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	2	7.45	186.69	(-75.78)
	कुल	8	604.94	4,678.70	90.56

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

5.8.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण

31 मार्च 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों में ₹ 4,985.18 करोड़ की संचित हानि पाई गई (परिशिष्ट 5.4)। 30 सितम्बर 2023 तक के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों में ₹ 604.99 करोड़ की हानि हुई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 14 उद्यमों में नौ उद्यमों का नेटवर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया एवं उनका नेटवर्थ ऋणात्मक था। 31 मार्च 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उद्यमों के किए गए ₹ 2,085.59 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति उनका नेटवर्थ (-) ₹ 1,932.38 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजी का क्षरण हो चुके राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उद्यमों में से तीन उद्यमों ने उनकी नवीनतम वित्तीय विवरणियों के अनुसार ₹4.88 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2023 तक नौ में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उद्यमों (एक निष्क्रिय सहित) पर ₹ 3,132.34 करोड़ का सरकारी ऋण बकाया था, जैसाकि तालिका 5.12 में विवर्णित है।

तालिका 5.12: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों का विवरण जिनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार उनका नेटवर्थ समाप्त हो गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	नवीनतम लेखा वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद निवल लाभ/हानि	संचित हानि (-)	नेटवर्थ	नेटवर्थ ऋणात्मक बनाने की अवधि	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटे	2021-22	832.23	-103.69	-1,809.61	-977.38	2010-11	882.23	3,012.10
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित	2021-22	38.77	2.89	-83.87	-45.1	1983-84	31.2	60.09
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2018-19	11.71	0.98	-113.04	-101.33	2002-03	11.71	0
4.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2021-22	99.57	-7.16	-180.97	-81.40	1996-97	106.59	0
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	2020-21	9.25	1.01	-12.42	-3.17	1989-90	9.22	0
6.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2017-18	12.3	-2.76	-27.27	-14.97	अनुपलब्ध	14.3	0
7.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2021-22	1,063.12	-133.18	-1,707.12	-644.00	1999-2000	1,227.68	0

क्र. सं.	कंपनी का नाम	नवीनतम लेखा वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद निवल लाभ/हानि	संचित हानि (-)	नेटवर्थ	नेटवर्थ ऋणात्मक बनाने की अवधि	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	एग्री इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	17.72	-0.04	-78.23	-60.51	निष्क्रिय	16.75	60.15
9.	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	2000-01	0.92	-0.01	-5.44	-4.52	परिसमापनाधीन	0	0
सकल योग			2,085.59	-241.96	-4,017.97	-1,932.38		2,299.68	3,132.34

* कॉलम 9 व 10 में दिए गए आंकड़े अलेखापरीक्षित आंकड़े हैं।

5.9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के तहत सरकारी कंपनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा या टिप्पणियां जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने की विधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं का लेखांकन किया जाना तथा विधायिका में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है।

5.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.10.1 समयबद्ध प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियमों में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी कहा गया है कि एक आम वार्षिक बैठक से अगली के मध्य 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष की उक्त आम वार्षिक बैठक में विचार करने के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी प्रस्तुत की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले लोगों, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल हैं, पर अर्थदंड अथवा कारावास जैसी शास्ति लगाने का प्रावधान भी करती है।

30 सितम्बर 2023 तक राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे लंबित थे, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में विवर्णित है।

5.10.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उद्यम¹⁹ थे। 30 सितंबर 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के उसके लेखे प्रस्तुत नहीं किए। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 27 उद्यमों के 73 लेखे बकाया थे जैसाकि परिशिष्ट 5.5 में विवर्णित है। इनमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन छः उद्यमों²⁰ के 22 लेखे शामिल थे, जिनके नेटवर्थ का क्षरण हो गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उद्यमों के लेखे प्रस्तुतिकरण हेतु बकाया थे, उनका विवरण तालिका 5.13 में दिया गया है:

तालिका 5.13: लेखे प्रस्तुत करने में बकाया के विवरण

विवरण	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	लेखाओं की संख्या
31 मार्च 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या	27	
2022-23 के लिए बकाया लेखाओं वाली कंपनियों की संख्या	27	27
30 सितंबर 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2022-23 के लेखे प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	0	0
बकाया लेखाओं की संख्या	27	73
बकाया का विवरण	(i) परिसमापनाधीन	0
	(ii) निष्क्रिय	15
	(iii) अन्य	58
अन्य श्रेणी के प्रति बकाया का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2022-23)	11
	दो वर्ष (2021-22 व 2022-23)	4
	तीन वर्ष व अधिक	39

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में प्राप्त वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित।

¹⁹ परिच्छेद 5.10.3 में चर्च किए गए दो सांविधिक निगमों व परिसमापनाधीन एक कंपनी को छोड़कर।

²⁰ 1. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (1 वर्ष); 2. हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (1 वर्ष); 3. हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (4 वर्ष); 4. हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड (2 वर्ष); 5. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (5 वर्ष); और 6. एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (9 वर्ष)।

30 सितम्बर 2023 तक बकाया लेखाओं की संख्या एवं कंपनियों के नाम परिशिष्ट 5.5 में दर्शाए गए हैं।

5.10.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने दो²¹ सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की, जिनमें से एक²² सांविधिक निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। 30 सितंबर 2023 से पूर्व दोनों में से किसी भी सांविधिक निगम ने वर्ष 2022-23 के उसके लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए। 30 सितंबर 2023 तक दोनों सांविधिक निगमों के दो लेखे लंबित थे।

5.11 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.11.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में वित्तीय विवरणी बनाना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.11.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुक्रम में उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी रूप से कर रहे हैं, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है:

²¹ हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम व हिमाचल पथ परिवहन निगम।

²² हिमाचल पथ परिवहन निगम।

- सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश जारी करके; एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी जारी करके।

5.11.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य संगत अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की होती है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखांकन का प्रयोग करते हुए तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए उपनिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखाकारों के प्रतिवेदन सहित चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा करता है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत यदि कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणी हो, तो उसे वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

5.12 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम

5.12.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक 17 कंपनियों से वर्ष 2021-22 एवं विगत वर्षों की बाईस वित्तीय विवरणियां प्राप्त हुईं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 16 कंपनियों की इक्विस वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की (परिशिष्ट 5.6) एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम (हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के एक लेखे को वर्ष 2021-22 हेतु गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया। समीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 5.14: वित्तीय विवरणियों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणी

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	टिप्पणी
लाभप्रदता पर टिप्पणी		
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	कर्मचारी लाभ व्यय में ₹ 161.28 लाख की न्यूनोक्ति हुई (जनवरी 2016 से मार्च 2022 की अवधि के लिए वेतन संशोधन बकाया का अनुमानित व्यय), जो ₹ 161.28 लाख के लाभ की अन्योक्ति में परिणत हुई।
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2021-22)	1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 की अवधि हेतु छठे वेतन आयोग के संशोधन के बकाया का प्रावधान न करने के कारण वर्तमान देयता में ₹ 90.75 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय एवं 'वर्ष की हानि' के साथ-साथ 'वर्तमान देयताएं-प्रावधान' में ₹ 90.75 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी		
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2021-22)	<p>"वर्तमान देयता-प्रावधानों" में अन्योक्ति हुई एवं "अन्य वर्तमान देयताएं" में ₹ 24.59 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई क्योंकि वे अनुमानित राशि न हो कर निश्चित देयताएं थीं जो कि आईएनडी एस-37 के परिच्छेद 10 के मार्गदर्शन का उल्लंघन था।</p> <p>राज्य जलविद्युत नीति 2006 के अनुसार 5 मेगावाट से अधिक की परियोजना की अंतिम लागत का 1.5 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में दिया जाए। ब्यास वैली पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऊहल चरण-III जल विद्युत परियोजना का कुल व्यय ₹ 2276.50 करोड़ (31 मार्च 2022 तक) था एवं तदनुसार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु आनुपातिक योगदान ₹ 34.15 करोड़ होना चाहिए। हालांकि 31 मार्च 2022 तक ब्यास वैली पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹ 16.69 करोड़ व्यय किए एवं स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु ₹ 15.93 करोड़ का प्रावधान रखा, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं व प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में ₹ 1.53 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।</p> <p>संपत्ति संयंत्र व उपकरण में ₹ 12.05 करोड़ शामिल नहीं किए गए, जो नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, करसोग व हमीरपुर के विद्युत प्रभाग में विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं निष्पादित कार्यों का मूल्य है, जो उस विशेष उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करने के समय कंपनी की संपत्ति बन जाते। इस प्रकार संपत्ति संयंत्र व उपकरण के साथ-साथ अन्य गैर-वर्तमान देयता - पूंजी की लागत के प्रति उपभोक्ता अंशदान में ₹ 12.05 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।</p>

स्रोत: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दी गई एवं जारी की गई टिप्पणियां।

5.12.2 वित्तीय विवरणियों में संशोधन

वर्ष 2022-23 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर सरकारी कंपनियों या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा उनकी वित्तीय विवरणियों के संशोधन का कोई मामला नहीं पाया गया।

5.12.3 लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण

वर्ष 2022-23 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पुनरीक्षण का कोई मामला नहीं पाया गया।

5.13 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में दो सांविधिक निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 30 उद्यम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 30 उद्यमों में से तीन निष्क्रिय थे।

वर्ष 2021-22 एवं विगत वर्षों हेतु 17 कंपनियों से 22 वित्तीय विवरणियां प्राप्त हुईं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा में 16 कंपनियों की 21 वित्तीय विवरणियों की समीक्षा की।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों ने उनकी वित्तीय विवरणियों के अनुसार ₹ 20.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया। यह वर्ष 2021-22 में ₹ 21.47 करोड़ का लाभ दर्ज करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों की तुलना में था। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों में से केवल एक उद्यम ने लाभांश घोषित किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों ने लाभांश घोषित करने के लिए अपेक्षित लाभ अर्जित नहीं किया, जबकि ₹ 14.88 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष आठ उद्यमों ने लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनकी वित्तीय विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उद्यमों के 73 लेखे बकाया थे।

5.14 सिफारिशें

राज्य सरकार :

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन पर उनकी बकाया वित्तीय विवरणियों को शीघ्र अंतिम रूप देने का दबाव बनाएं एवं उनका समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें, ताकि वे राज्य विधायिका की निगरानी में रहें; तथा
2. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण हो गया है उनकी हानि के कारणों का विश्लेषण करें एवं उनके परिचालन को कुशल व लाभप्रद बनाने के लिए कदम उठाएं।

सुशील

(सुशील ठाकुर)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

शिमला

दिनांक: 29 अक्टूबर 2024

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 06 नवंबर 2024

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1)

राज्य रूपरेखा

अ सामान्य विवरण

क्र. सं.	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 प्रति वर्ग किलोमीटर
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना के अनुसार (2011)	0.69 करोड़
	ख 2023 (अनुमानित)	0.75 करोड़
3.	क) जनसंख्या का घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व) (ख) जनसंख्या घनत्व (2023) (अखिल भारतीय औसत)	123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (368 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) 134 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)
4.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (2023) (अखिल भारतीय औसत)	8.06% (21.92%)
5.	साक्षरता (2023) (अखिल भारतीय औसत)	82.80% (73.00%)
6.	(क) शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 सजीव जन्म के प्रति शिशु मृत्यु दर) (2023) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2023) (अखिल भारतीय औसत)	17 (28) 73.5 (70.00)
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 (₹ करोड़ में)	1,95,405
8.	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2022-23) (₹ में)	हिमाचल प्रदेश 2,62,182 उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य 1,43,331
9.	मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (2013-14 से 2022-23)	हिमाचल प्रदेश 8.37 उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य 10.14 अखिल भारतीय 10.34
10.	मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (2013-14 से 2022-23)	हिमाचल प्रदेश 7.66 उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य 8.83 अखिल भारतीय 9.12
11.	जनसंख्या वृद्धि (2013 से 2023)	हिमाचल प्रदेश 6.96 उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य 12.77 अखिल भारतीय 11.68

स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत की जनगणना (2011) द्वारा भारत एवं राज्यों हेतु जनसंख्या अनुमान (2011-36), हिमाचल प्रदेश के अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.3.2)

31 मार्च 2022 व 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक
आंतरिक ऋण -	44,376.03	55,975.16
सब्याज बाजार ऋण	33,772.10	46,002.10
ब्याज रहित बाजार ऋण	0.06	0.06
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	18.68	15.77
नाबार्ड से ऋण	3,164.12	3,437.84
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	120.43	97.09
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड	2,890.50	2,601.45
अन्य संस्थानों से ऋण	20.38	0.19
भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	0	0
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4,389.76	3,820.66
केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम -	6,751.41*	7,388.31
आयोजनागत ऋण	1.94	1.51
राज्य की आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	3,162.03	3,061.65
1984-85 के पूर्व के ऋण	0.13	0.13
राज्य हेतु अन्य ऋण	3,587.31	4,325.03
आकस्मिकता निधि	5.00	5.00
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	17,006.28	17,682.25
निकोप व अग्रिम	3,426.66	3,608.49
आरक्षित निधि	1,973.90	1,934.72
उचत व विविध शेष	- 292.98	224.94
प्रेषण शेष	653.50	493.96
कुल	73,899.80	87,312.83
परिसंपत्तियां		
अचल संपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय -	55,459.49	61,488.38
कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	4,913.00	5,333.57
अन्य पूंजीगत व्यय	50,546.49	56,154.81
ऋण व अग्रिम -	8,024.83	8,052.62
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	7,644.83	7,743.37
अन्य विकास ऋण	354.51	283.16
सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	25.49	26.09
विभागीय अधिकारियों को दिए अग्रिम	0	0
प्रेषण शेष	0	0
नकद	2,522.86	3,556.04
कोषागार में नकद व स्थानीय प्रेषण	0	0
विभागीय नकद शेष	0.16	0.16
स्थायी अग्रिम/नकद अग्रदाय	0.03	0.03
नकद शेष निवेश	2,568.08	3,645.18
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा	-45.41	-89.33
चिन्हित (इयरमार्कड) निधियों से निवेश	0	0
उचत व विविध शेष	0	0
पूर्णांकन के कारण जुड़ा अंतर	0	0
सरकारी लेखा में घाटा	7,892.62	14,215.79
योग	73,899.80	87,312.83

स्रोत: वित्त लेखा

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) शामिल हैं।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2 व 2.4.1)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	30,950	30,742	33,438	37,309	38,090
(i) कर राजस्व (अ+ब)	13,003	12,302	12,837	17,064	1,8479
(अ) स्व कर राजस्व	7,573 (24)	7,624 (25)	8,083 (24)	9,715 (26)	10,595 (28)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	3,343 (44)	3,550 (47)	3,467 (43)	4,482 (46)	5,259 (50)
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	1,185 (16)	1,170 (15)	1,630 (20)	1,592 (16)	1,370 (13)
राज्य आबकारी	1,482 (20)	1,660 (22)	1,600 (20)	1,981 (20)	2,216 (21)
वाहन कर	408 (5)	466 (6)	380 (5)	510 (5)	675 (6)
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	251 (3)	260 (4)	253 (3)	318 (3)	399 (4)
विद्युत पर कर व शुल्क	487 (7)	101 (1)	402 (5)	394 (4)	252 (2)
भू-राजस्व	8 (-)	5 (-)	7 (-)	5 (-)	8 (-)
वस्तु व यात्री कर	104 (1)	104 (1)	84 (1)	99 (1)	69 (1)
अन्य कर	305 (4)	308 (4)	261 (3)	333 (4)	347 (3)
(ब) संघीय करों व शुल्क में राज्यांश	5,430 (18)	4,678 (15)	4,754 (14)	7,349 (20)	7,884 (21)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	2,830 (9)	2,501 (8)	2,188 (7)	2,612 (7)	2,876 (7)
(iii) भारत सरकार से सहायता अनुदान	15,117 (49)	15,939 (52)	18,413 (55)	17,633 (47)	16,734 (44)
2. विविध पूंजीगत प्राप्ति	9	2	3	7	13
3. ऋण व अग्रिम की वसूली	22	21	23	40	83
4. कुल राजस्व व ऋण रहित पूंजीगत प्राप्ति (1+2+3)	30,981	30,765	33,464	37,356	38,186
5. लोक ऋण प्राप्तियां	6,427	10,847	16,749	9,335	22,372
आंतरिक ऋण (अर्थापाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	4,864 (76)	7,333 (67)	6,693 (40)	4,704 (51)	14,845 (66)
अर्थापाय अग्रिम व अधिविकर्ष	1,496 (23)	3,444 (32)	7,744 (46)	1,043 (11)	6,787 (31)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	67 (1)	70 (1)	2,312 (14)	3,587 (38)	740 (3)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्ति (4+5)	37,408	41,612	50,213	46,692	60,558
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	16,121	22,569	15,445	15,183	20,070
9. राज्य की कुल प्राप्ति (6+7+8)	53,529	64,181	65,658	61,875	80,628
भाग-ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	29,442	30,730	33,535	36,195	44,425
आयोजनागत	4,263 (14)	4,028 (13)	4,983 (15)	-	-
आयोजनेत्तर	25,179 (86)	26,702 (87)	28,552 (85)	-	-
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	11,438 (39)	12,335 (40)	13,454 (40)	13,900 (39)	17,763 (40)
सामाजिक सेवाएं	11,482 (39)	12,047 (39)	12,844 (38)	13,882 (38)	17,408 (39)
आर्थिक सेवाएं	6,512 (22)	6,338 (21)	7,227 (22)	8,405 (23)	9,247 (21)
सहायता अनुदान व अंशदान	10 (-)	10 (-)	9 (-)	8 (-)	6 (-)
11. पूंजीगत व्यय	4,583	5,174	5,309	6,029	6,029
आयोजनागत	4,102 (90)	4,820 (93)	5,033 (95)	-	-
आयोजनेत्तर	481 (10)	354 (7)	276 (5)	-	-
सामान्य सेवाएं	227 (5)	204 (4)	170 (3)	390 (6)	297 (5)
सामाजिक सेवाएं	1,187 (26)	1,258 (24)	1,736 (33)	1,925 (32)	1,962 (32)
आर्थिक सेवाएं	3,169 (69)	3,712 (72)	3,403 (64)	3,715 (62)	3,769 (63)
12. ऋण व अग्रिम का संवितरण	468	458	320	378	111
13. कुल व्यय (10+11)	34,493	36,362	39,164	42,602	50,565
14. लोक ऋण की अदायगी	4,673	6,701	11,141	4,387	10,136
आंतरिक ऋण (अर्थापाय अग्रिम व अधिविकर्ष को छोड़कर)	3,092	3,169	3,302	3,216	3,246
अर्थापाय अग्रिम व अधिविकर्ष	1,496	3,444	7,744	1,043	6,787
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	85	88	94	98	103

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	39,166	43,063	49,210	46,989	60,701
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	14,493	20,111	14,657	14,119	18,893
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	53,659	63,174	63,867	59,967	79,594
भाग-ग: घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	1,508	12	(-) 97	1,115	(-) 6,336
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 3,512	(-) 5,597	(-) 5,700	(-) 5,245	(-) 12,380
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	510	(-) 1,363	(-) 1,228	(-) 604	(-) 7,551
भाग-घ: अन्य डेटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	4,022	4,234	4,472	4,641	4,829
24. स्थानीय निकाय, आदि को वित्तीय सहायता	3,634	3,506	4,563	4,981	5,847
25. प्राप्त किया अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष (दिवस)	19	38	63	16	70
प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	19	25	51	16	70
प्राप्त अधिविकर्ष (दिवस)	-	13	12	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	- (0.96)	3.61	6.12	0.25	4.66
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,48,383	1,59,164	1,55,251	1,76,269	1,95,404
28. बकाया राजकोषीय देयता (वर्षात)	54,299	62,212	68,882	73,535	86,589
29. बकाया गारंटियां (वर्षात) (ब्याज सहित)	4,309	1,947	2,142	1,885	1,781
30. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्षात)	5,181	640	2,299	2,035	3,158
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	10	13	78	74	67
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूध पूंजी	181	268	1,014	968	953

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2.1)

वर्ष 2022-23 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरण का सार

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2022-23	विवरण	2021-22	2022-23
खंड-क: राजस्व					
I- राजस्व प्राप्तियां	37,309.30	38,089.50	I- राजस्व व्यय	36,194.54	44,425.26
(i) कर राजस्व	9,714.58	10,595.26	सामान्य सेवाएं	13,899.76	17,763.27
(ii) कर भिन्न राजस्व	2,612.36	2,876.33	सामाजिक सेवाएं	13,882.41	17,408.48
(iii) संघ करों व शुल्कों में राज्यांश	7,349.04	7,883.98	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,708.29	8,645.50
(iv) केंद्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	5,420.75	4,736.66	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,577.27	3,161.46
(v) वित्त आयोग के अनुदान	11,044.26	10,489.70	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2,140.40	2,348.01
(vi) विधायिका वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,168.31	1,507.57	सूचना और प्रसारण	58.71	92.93
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	155.79	136.94
			श्रम और श्रमिक कल्याण	261.83	380.11
			समाज कल्याण और पोषण	1,956.45	2,620.14
			अन्य	23.67	23.39
			आर्थिक सेवाएं	8,404.66	9,247.42
			कृषि और संबद्ध गतिविधियां	2,568.72	2,948.57
			ग्रामीण विकास	1,286.06	1,999.62
			सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	394.51	462.57
			ऊर्जा	1,649.91	1,105.40
			उद्योग और खनिज	194.64	264.14
			परिवहन	2,124.55	2,341.07
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	15.96	12.82
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	170.31	113.23
			सहायता-अनुदान एवं अंशदान	7.71	6.09
कुल	37,309.30	38,089.50	कुल	36,194.54	44,425.26
II-खंड -ख से लिया गया राजस्व घाटा	-	6,335.76	II-खंड -ख से लिया गया राजस्व अधिशेष	1,114.76	-
योग:	37,309.30		कुल:	37,309.30	
खंड-ख: पूंजीगत					
III-स्थायी अग्रिम व नकद शेष सहित अथ नकद शेष	1,756.24	2,522.86	III- भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आरंभिक अधिविकर्ष		-
IV- विविध पूंजी	7.01	12.59	IV- पूंजीगत परिव्यय	6,029.38	6,028.89
			सामान्य सेवाएं	389.63	297.38
			सामाजिक सेवाएं	1,925.31	1,962.02
			शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	488.72	411.24
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	293.80	551.64
			जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1,113.09	985.59
			सूचना और प्रसारण	0.63	0.72
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	12.67	6.44
			समाज कल्याण और पोषण	14.39	5.25
			अन्य	2.01	1.15
			आर्थिक सेवाएं	3,714.44	3,769.47
			कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	89.89	90.37
			अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	38.52	41.71
			सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	312.50	338.28
			ऊर्जा	128	100.35

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विवरण	2021-22	2022-23	विवरण	2021-22	2022-23
खंड-क: राजस्व					
			उद्योग व खनिज	122.73	198.28
			परिवहन	2,602.47	2,664.22
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	420.33	336.26
			कुल	6,029.38	6,028.89
V-ऋणों व अग्रिमों की वसूली	40.73	82.79	V- ऋणों व अग्रिमों का संवितरण	377.97	110.57
विद्युत परियोजनाओं से	0	0	विद्युत परियोजनाओं के लिए	370.40	98.54
सरकारी कर्मचारियों से	5.67	6.16	सरकारी कर्मचारियों के लिए	2.82	6.76
सहकारिता से	34.88	76.24	सहकारिता के लिए	4.00	5.27
अन्य से	0.18	0.39	अन्य के लिए	0.75	0.00
VI-घटा राजस्व अधिशेष	1,114.76		VI- घटा राजस्व अधिशेष		6,335.76
VII- लोक ऋण प्राप्तियां	9,334.97	22,371.82	VII- लोक ऋण की अदायगी	4,387.28	10,135.80
अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	4,703.98	14,845.16	अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	3,246.16	3,246.03
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिम	1,043.49	6,786.83	अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष	1,043.49	6,786.83
केंद्र सरकार के ऋण व अग्रिम	3,587.50	739.83	केंद्र सरकार को ऋण व अग्रिम अदायगी	97.64	102.93
VIII- आकस्मिक निधि में विनियोजन	0	0	VIII- आकस्मिक निधि में विनियोजन	0	0
IX- आकस्मिक निधि में अंतरित राशि	0		IX- आकस्मिक निधि से व्यय	0	
X- लोक लेखा प्राप्तियां	15,182.79	20,069.6	X- लोक लेखा संवितरण	14,119.00	18,892.61
लघु बचत व भविष्य निधि	3,562.18	3,633.27	लघु बचत व भविष्य निधि	3,078.54	2,957.31
आरक्षित निधि	417.15	741.45	आरक्षित निधि	1,160.45	780.63
निक्षेप व अग्रिम	3,566.08	5,946.22	निक्षेप व अग्रिम	3,601.06	5,764.39
उचंत व विविध	1,063.49	1,569.93	उचंत व विविध	-183.35	1,052.01
प्रेषण	6,573.89	8,178.73	प्रेषण	6,462.320	8,338.28
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंत अधिविकर्ष			XI-अंत में नकद शेष	2,522.86	3,556.04
			कोषागार व स्थानीय प्रेषण नकद	0	0
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय नकद शेष	0.19	0.19
			रिजर्व बैंक में जमा	-45.41	-89.33
			नकद शेष निवेश	2,568.08	3,645.18
योग	27,436.50	45,059.66		27,436.50	45,059.67

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.2.2 (i))

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या जिसमें राज्य सरकार का निवेश (इक्विटी) किया गया
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	हिमाचल प्रदेश सरकार की इक्विटी
क	कार्यशील सरकारी कंपनियां				
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	18.85	16.89
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	38.77	31.20
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2022-23	11.71	11.71
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2018-19	2023-24	14.22	17.22
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2016-17	2022-23	9.94	14.90
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2016-17	2022-23	11.34	14.84
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	25.00	25.00
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2022-23	30.82	30.82
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2022-23	0.00	0.00001
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2022-23	0.01	0.0035
11	हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	7.16	7.04
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2019-20	2023-24	3.51	3.52
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	3.72	3.72
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21	2023-24	9.25	9.22
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2017-18	2023-24	12.30	14.30
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2019-20	2022-23	0.01	0.007
17	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.18	0.00
18	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.10	0.050
19	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड	2020-21	2022-23	0.01	0.005
20	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	2019-20	2022-23	1.00	0.50
21	मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	प्रथम लेखा प्राप्त नहीं हुआ		0.00	0.00
	कुल क			197.89	200.95
ख	सांविधिक निगम				
1	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2021-22	2023-24	99.57	106.59
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2021-22	2022-23	1,063.12	1,227.68
	कुल ख			1,162.69	1,334.27
ग	विद्युत क्षेत्र				
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2021-22	2022-23	832.23	882.23
2	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	561.99	461.29
3	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2022-23	2,187.71	1,003.20
4	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	300.00	0.00
	कुल ग			3,881.93	2,346.72
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल योग			5,242.51	3,881.93

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.2.2 (i))

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या जिनमें राज्य सरकार द्वारा किए निवेश पर संचित हानि हुई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम	लेखा वर्ष	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का निवेश	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नेटवर्थ	राज्य सरकार ऋण	कुल सरकारी ऋण भारत सरकार व राज्य
क कार्यशील सरकारी कंपनियां									
1	हिमाचल प्रदेश एगो-इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	16.89	18.85	-13.48	5.37	11.56	11.96
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	31.20	38.77	-83.87	-45.10	60.09	60.09
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2022-23	11.71	11.71	-113.04	-101.33	--	--
4	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2016-17	2022-23	14.84	11.34	-5.72	5.62	--	--
5	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21	2023-24	9.22	9.25	-12.42	-3.17	--	--
6	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2017-18	2023-24	14.30	12.30	-27.27	-14.97	--	--
7	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	2019-20	2022-23	0.005	1.00	-0.03	0.97	--	--
कुल क				98.165	103.22	-255.83	-152.61	71.65	72.05
ख सांविधिक निगम									
1	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2021-22	2023-24	106.59	99.57	-180.97	-81.40	--	--
2	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	2021-22	2022-23	1,227.68	1,063.12	-1,707.12	-644.00	--	--
कुल ख				1,334.27	1,162.69	-1,888.09	-725.40	--	--
ग विद्युत क्षेत्र									
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2021-22	2022-23	882.23	832.23	-1,809.61	-977.38	3,012.10	3,029.42
2	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	461.29	561.99	-395.91	166.08	2,101.06	2,101.06
3	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2022-23	1,003.20	2,187.71	-552.07	1,635.64	2,535.49	2,535.49
कुल ग				2,346.72	3,581.93	-2,757.59	824.34	7,648.65	7,665.97
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल योग				3,779.16	4,847.84	-4,901.51	-53.67	7,720.30	7,738.02

टिप्पणी: हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के निवेश व राज्य सरकार के ऋण के आंकड़े संबंधित कंपनियों द्वारा 31.03.2023 को उपलब्ध कराई गई जानकारी से लिए गए, जबकि शेष आंकड़े कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों से लिए गए।

सात कंपनियों के नेटवर्थ का क्षरण हुआ	-1,867.35
राज्य सरकार का ऋण	3,072.19
सात कंपनियों की प्रदत्त पूंजी का क्षरण हुआ	2,066.95

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.2.2 (iii))

31.03.2023 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों में किए गए निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	इक्विटी निवेश के अंतर का विवरण	वित्त लेखा के अनुसार आंकड़े	31.03.2023 तक राज्य के सार्वजनिक उद्यमों में उपलब्ध अभिलेखों/लेखों के अनुसार आंकड़े	अंतर
1	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	31.03.2023	2,197.79	10,658.92	8,461.13
2	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	31.03.2023	1,22,407.74	1,22,767.88	360.14
3	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	31.03.2022	3,432.58	3,082.43	-350.15
4	हिमाचल प्रदेश एग्री इंस्ट्रियल निगम लिमिटेड	31.03.2022	984.08	1,689.17	705.09
5	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	31.03.2022	922.45	922.46	0.01
6	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	31.03.2022	1,171.12	1,171.12	0.00
7	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	31.03.2022	1,229.86	1,429.86	200.00
8	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	31.03.2022	371.67	371.67	0.00
9	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	31.03.2022	351.50	351.50	0.00
10	हिमाचल प्रदेश एग्री इंस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	31.03.2022	1,675.00	1,675.00	0.00
11	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	31.03.2022	3,119.70	3,119.70	0.00
12	हिमाचल प्रदेश जनरल इंस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	31.03.2022	988.57	703.96	-284.61
13	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम लिमिटेड	2021-2022	1,490.40	1,490.40	0.00
14	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	31.03.2023	2,187.50	1,721.50	-466.00
15	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	31.03.2022	1,127.04	1,484.34	357.30
16	हिमाचल प्रदेश रोड व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	31.03.2022	2,500.00	2,500.00	0.00
17	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	31.03.2022	0.00	0.70	0.70
18	हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड	31.03.2021	0.00	100.00	100.00
19	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	31.03.2021	0.00	0.00	0.00
20	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	31.03.2021	0.00	0.35	0.35
21	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	31.03.2023	30,004.90	4.90	-30,000.00
22	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड	31.03.2021	0.00	50.00	50.00
23	रोपवेज व रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	31.03.2023	1,915.50	0.50	-1,915.00
24	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	31.03.2023	86,963.74	88,222.74	1,259.00
25	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	31.03.2023	97,625.09	98,455.21	830.12
26	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	31.03.2023	42,059.30	46,129.31	4,070.01
			4,04,725.53	3,88,103.62	-16,621.91
कंपनियां			4,047.26 करोड़	3,881.04 करोड़	166.22 करोड़

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.2.3)

31 मार्च 2023 तक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
परियोजनाएं - पूर्ण		
शहरी बुनियादी ढांचा		
1	कांगड़ा बस स्टैंड	1,000.00
2	आईएसबीटी शिमला	1,500.00
3	चित्तपूर्ण बस स्टैंड और पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर	3,200.00
4	ऊना बस स्टैंड और पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर	3,000.00
5	कुल्लू बस स्टैंड और पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर	2,200.00
6	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	1,500.00
7	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर, टूटीकंडी	- लागू नहीं -
कुल:		12,400.00
ऊर्जा		
1	मलाणा-I	34,191.00
2	बासपा-II	94,923.00
3	टॉस	2,659.81
4	पटिकरी	12,590.00
5	एलेन दुहंगुन	92,235.50
6	सरबरी-II	4,600.00
7	ऊपरी ज्वाइनर	7,225.00
8	करछम वांगटू	5,90,959.00
9	सुमेज़	7,117.23
10	ब्यास कुंड	7,584.00
11	मलाना-II	63,347.00
12	बुधिल	68,877.80
13	नियोगल	15,270.00
14	जोगिनी	8,813.00
15	नांटी	8,836.00
16	कुर्मी	6,849.00
17	बड़ागाँव	17,481.00
18	बनेर-II	5,459.50
19	ब्रूआ	7,018.00
20	चांजू-I	29,509.00
21	ऊपरी नांटी	11,450.00
22	बालारगढ़	7,768.00
23	कुट	19,219.00
24	ज्यूरी	7,416.00
25	रौड़ा	9,491.00
26	कुवारसी-II	9,579.00
27	सालूँ	8,842.00
28	राला	14,850.00
29	वांगर होमटे	27,450.00
30	चांजू-II	18,300.00
31	सोरांग	12,000.00
32	बजोली होली	1,69,693.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
33	राजपुर	8,502.00
कुल:		1,41,014.84
सामाजिक (स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)		
1	हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवाएँ	10,000.00
2	हिमाचल प्रदेश में मोबाइल डायग्नोस्टिक इकाइयाँ	500.00
3	हिमाचल प्रदेश में हेमोडायलिसिस इकाइयाँ	500.00
4	जेएसएसके का संचालन एवं रखरखाव	500.00
कुल:		11,500.00
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
1	रोपवे-सह-स्की केंद्र, सोलन	1,500.00
2	शिवालिक होटल-जाखू रोपवे	1,200.00
3	धर्मशाला-मैक्लोडगंज रोपवे	15,000.00
कुल:		17,700.00
चालू (पुरस्कृत और कार्यान्वयनाधीन)		
शहरी बुनियादी ढांचा		
1	मैक्लोडगंज बस स्टैंड	800.00
2	धर्मशाला बस स्टैंड और पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर	2,500.00
3	पर्यटक सूचना केंद्र (टीआईसी)-लिफ्ट-द मॉल शिमला रोपवे	20,000.00
4	टाउन हॉल, द मॉल, शिमला के भूतल पर एक हाई-एंड कैफे का संचालन और रखरखाव	- लागू नहीं -
5	पार्किंग परिसर, संजौली	2,500.00
6	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	1,500.00
7	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	4,500.00
8	पार्किंग परिसर, रोहडू	1,000.00
9	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर मंडी, यू-ब्लॉक	5,500.00
कुल:		38,300.00
ऊर्जा		
1	फोज़ल	4,916.92
2	लैम्बडग	21,423.00
3	टिडोंग-I	1,33,900.00
4	तांगनु रोमाई-I	25,500.00
5	तांगनु रोमाई-II	3,150.00
6	पौडिटल लस्सा	21,000.00
7	रोड़ा-II	16,621.00
8	सेल्टी मसरंग	24,311.00
9	होली-II	6,490.00
10	कुटेहर	2,13,967.00
11	चिरचंद-II	14,300.00
12	कुवारसी	9,426.00
13	ग्रामांग	12,160.00
कुल:		5,07,164.92
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
1	हिमानी-चामुंडा रोपवे	25,000.00
2	पलचान-रोहतांग रोपवे	34,000.00
3	कुल्लू बाई पास-बिजली महादेव रोपवे	9,000.00
4	पर्यटन परियोजना का उन्नयन और संचालन एवं रखरखाव (जंझेली (मंडी) में सांस्कृतिक केंद्र)	- लागू नहीं -
5	पर्यटन परियोजना का उन्नयन और संचालन एवं रखरखाव (बड़ाया (मनाली, कुल्लू) में सांस्कृतिक केंद्र)	- लागू नहीं -

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
6	पर्यटन परियोजना का उन्नयन और संचालन एवं रखरखाव (मंडी में कन्वेंशन सेंटर)	- लागू नहीं -
कुल:		68,000.00
अन्य		
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, बद्दी	1,300.00
2	शिमला के पास आनंदपुर, शोधी में विज्ञान, शिक्षण व रचनात्मकता केंद्र (सीएसएलसी) का संचालन, प्रबंधन व रखरखाव।	- लागू नहीं -
कुल:		1,300.00
नियोजित/प्रक्षेपित (बोली के अधीन/पाइपलाइन में)		
शहरी बुनियादी ढांचा		
1	बस स्टैंड-सह-कार पार्किंग परिसर, हमीरपुर	- लागू नहीं -
2	बिलासपुर में बस स्टैंड व कार पार्किंग-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	- लागू नहीं -
3	चौड़ा मैदान व न्यू शिमला हि.प्र. में निर्मित/निर्माणाधीन बुक कैफे का संचालन एवं प्रबंधन।	- लागू नहीं -
4	लिफ्ट शिमला के पास वेंडिंग कॉम्प्लेक्स के सामने फूड कोर्ट का उन्नयन संचालन प्रबंधन व रख-रखाव।	- लागू नहीं -
ऊर्जा		
1	उहल	14,573.00
2	सरसाडी-II	6,246.00
3	पलछम भांग	9,640.00
4	उमली	9,962.00
5	शिरिखंड	4,590.00
6	उहल खड्ड	11,500.00
7	रूपिन	39,261.00
8	भरमौर चरण-I	25,420.00
9	भरमौर चरण-II	16,750.00
10	हरसर चरण-I	- लागू नहीं -
11	हरसर चरण-II	21,230.00
12	हरसर चरण-III	- लागू नहीं -
13	चांगो-यांगथांग	2,07,729.00
14	शर्नी	8,702.00
15	सरसाडी	8,830.00
16	कुरहेद-II	5,827.00
17	पार्वती	- लागू नहीं -
18	नेसांग	- लागू नहीं -
19	जोब्री	- लागू नहीं -
20	यंग थांग खाब	- लागू नहीं -
21	शांगलिंग	- लागू नहीं -
22	टैलिंग	- लागू नहीं -
23	टिनगेट	- लागू नहीं -
24	टिडोंग-II	- लागू नहीं -
25	जारी	10,579.00
26	भराड़ी	4,162.00
27	निचला महल	- लागू नहीं -
28	ऊपरी महल	- लागू नहीं -
29	दुनाली-I व II	- लागू नहीं -
30	सुंदराली	- लागू नहीं -
31	टुंडाह-II	22,350.00
32	बुजलिंग	- लागू नहीं -

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
33	रूपिन-द्वितीय	- लागू नहीं -
34	मकोरी	- लागू नहीं -
35	जांगलिक	- लागू नहीं -
36	जय बन्नी माता	25,245.00
37	कलाह खोल	8,930.00
38	मेलन	8,061.00
39	नरगनी	- लागू नहीं -
40	पांडर	- लागू नहीं -
41	परसोर	9,706.00
42	टुंडन	- लागू नहीं -
43	कोट डोगरी	7,560.00
44	अपर कुर्मी	6,220.00
45	तोरल कुंडली	12,338.00
46	छते का नाला	6,900.00
47	चौंड	1,147.00
48	चौंड-I	- लागू नहीं -
49	सोलादन	7,556.00
	कुल:	5,31,339.00
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
1	श्री आनंदपुर साहिब जी से श्री नैना देवी जी यात्री रोपवे परियोजना का विकास व ग्राम रामपुर, जिला रूपनगर, पंजाब से नैना देवी जी मंदिर, जिला बिलासपुर	- लागू नहीं -
2	हिमाचल प्रदेश राज्य में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत	- लागू नहीं -
अन्य		
1	श्री चिंतपूर्णी सदन ब्लॉक-सी का संचालन एवं प्रबंधन	- लागू नहीं -
2	मार्कडेय मंदिर परिसर, जिला बिलासपुर में आगंतुक सुविधाओं का संचालन व प्रबंधन	- लागू नहीं -

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. **वर्ष के 'लेखे' या 'वास्तविक'**- यह 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरण की वह राशि होती है, जो लेखांकन प्राधिकारी की बहियों में अंततः दर्ज की गई हो (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा)। अनंतिम लेखाओं का तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखाओं से है।
2. **"योजना, प्रस्ताव अथवा कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति"**- यह समक्ष प्राधिकारी द्वारा व्यय करने के उद्देश्य से उसकी औपचारिक स्वीकृति होती है। यह उस वर्ष विशेष के दौरान जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, कार्य हेतु बजट में निधियों के प्रावधान के साथ ली गई वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है।
3. **"वार्षिक वित्तीय विवरण"**- यह बजट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे संसद/राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
4. **"विनियोजन"**- इसका अर्थ है विनियोजन की किसी पृथक इकाई या भाग के तहत व्यय हेतु संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशि जो संवितरण अधिकारी के निपटान हेतु रखी गई है।
5. **"प्रभारित व्यय"**- इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से होता है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधायिका की सम्मति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होता।
6. **"भारत/राज्य की समेकित निधि"**- संघ/ राज्य सरकार का समस्त राजस्व, उनके द्वारा उठाए गए ऋण व ऋण की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि भारत/राज्य की समेकित निधि का निर्माण करती है। इस निधि से संविधान द्वारा प्रदत्त पद्धति में किसी उद्देश्य हेतु कानून के अनुरूप हो धन का विनियोजन किया जा सकता है।
7. **"आकस्मिक निधि"** अगदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य वर्ष के दौरान उत्पन्न अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यपालिका/सरकार को वह अग्रिम प्रदान करना है जिसका संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकरण लम्बित है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/ राज्य विधायिका से अनुमोदित होने के पश्चात् की जाती है।
8. **"नियंत्रक अधिकारी (बजट)"** - इसका तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे व्यय करने पर नियंत्रण अथवा राजस्व के संग्रहण की जिम्मेदारी विभाग द्वारा सौंपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित हैं।
9. **"आहरण एवं संवितरण अधिकारी"** इसका तात्पर्य कार्यालय प्रमुख तथा कोई भी उस अन्य अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार की ओर से बिलों के आहरण एवं भुगतान करने हेतु नियुक्त (पदोन्नत) किया गया है। इस शब्द में इस प्रकार के कार्य का स्वयं निर्वहन करने वाले विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।
10. **"अतिरिक्त अनुदान"**- अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत प्रावधान के ऊपर एवं अधिक व्यय की वह राशि जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 से अंतर्गत संसद / राज्य विधायिका से अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया है तथा जिसका विनियमन अपेक्षित है।
11. **"नई सेवा"**- जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115(1) (क)/205(1) (क) में दर्शाया गया है, नई सेवा का अर्थ उस व्यय से है जो नई नीति निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ तथा संसद/राज्य विधायिका के संज्ञान में पहले नहीं लाया गया था तथा इसमें निवेश के नए रूप अथवा नई गतिविधि भी शामिल है।

12. **"सेवा के नए विलेख"**- इससे तात्पर्य है अपेक्षाकृत वह बड़ा व्यय जो मौजूदा गतिविधि के आगे बढ़ जाने से उत्पन्न होता है।
13. **"लोक लेखा"**- इसका तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में संदर्भित लोक लेखा से है। निक्षेप, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जैसा प्राप्तियां व संवितरण, जो समेकित निधि का भाग नहीं बनते, वे लोक लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं। लोक लेखा से संवितरण हेतु संसद/राज्य विधायिका की सम्मति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी की गई धनराशि नहीं होती।
14. **"पुनर्विनियोजन"**- इससे तात्पर्य उस अन्तरण से है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई से बचत का अन्तरण उसी अनुदान अथवा प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु किया जाता है।
15. **"संशोधित प्राक्कलन"** यह एक वित्तीय वर्ष हेतु संभावित प्राप्तियां अथवा व्यय का प्राक्कलन है जो पहले से जारी आदेशों के आलोक में शेष वर्ष हेतु पहले से दर्ज तथा प्रत्याशित लेनदेन के संदर्भ में तैयार किया जाता है।
16. **"अनुदानों की अनुपूरक मांग"**- यह वह अनुपूरक मांगों का विवरण है, जिसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आवश्यक अतिरिक्त व्यय की अनुमानित राशि को दर्शाया गया हो। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी अथवा वास्तविक नकद हो सकती है।
 - क) **"नकद अनुपूरक"** मूल बजट प्रावधानों से अधिक व ऊपर लिए जाने वाले अनुदान होते हैं तथा इनके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आंबटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में तथा उचित उद्यम के पश्चात् प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जा रहा है।
 - ख) प्रत्येक मांग में चार अनुभाग हैं अर्थात् दत्तमत राजस्व, प्रभारित राजस्व, दत्तमत पूंजीगत एवं प्रभारित पूंजीगत तकनीकी अनुपूरक, राज्य विधायिका का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी एक प्रभाग की बचतों को किसी अन्य प्रभाग में उपयोग करने की अनुमति देता है।
 - ग) **सांकेतिक (टोकन) अनुपूरक** अनुदान के समान प्रभाग के भीतर बचतों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
17. **"मुख्य शीर्ष"** - इससे तात्पर्य है राज्य के प्राप्तियां एवं संवितरणों को दर्ज करने एवं वर्गीकरण करने के उद्देश्य के लिए लेखाओं का मुख्य शीर्ष। मुख्य शीर्ष विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आता है जो सामान्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के 'कार्य' के समान है।
18. **"उप-मुख्य शीर्ष"**- इसका अर्थ उस मध्यावर्ती लेखा शीर्ष से है जो मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्षों के मध्य तब प्रस्तुत किए जाते हैं जब लघु शीर्षों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा उन्हें सरलीकृत करते हुए ऐसे मध्यावर्ती शीर्ष के तहत समूहबद्ध किया जा सकता है।
19. **"लघु शीर्ष"**- इसका अर्थ मुख्य शीर्ष अथवा उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। किसी मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले 'कार्यक्रम' की पहचान करता है।
20. **"उप शीर्ष"**- इसका अर्थ है लघु शीर्ष के अधीनस्थ एक लेखा इकाई जो सामान्यतः उस लघु शीर्ष अथवा कार्यक्रम के तहत योजना अथवा संगठन को दर्शाता है।
21. **"मुख्य कार्य"**- इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभारों को छोड़कर, समय-समय पर बढ़ जाती है।

22. **"लघु कार्य"**- इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभागों को छोड़कर, समय-समय पर नहीं बढ़ती।
23. **"रूपांतरित अनुदान अथवा विनियोजन"**- यह किसी विनियोजन उप-शीर्ष को आवंटित वह राशि है जो सक्षम अधिकारी द्वारा पुनर्विनियोजन अथवा अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान संस्वीकृती के पश्चात दी गई है।
24. **अनूपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन**- इसका अर्थ विनियोजन अधिनियम में सम्मिलित उस प्रावधान से है जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान, उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में सम्मिलित राशि से अधिक हुए व्यय की पूर्ति की जाती है।
25. **"नए व्यय की अनुसूची"**- इसका अर्थ आगामी वर्ष हेतु बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण है।
26. **"संकेतिक (टोकन) मांग"**- इसका तात्पर्य अत्यन्त कम अथवा संकेतिक राशि के लिए विधान सभा में की गई मांग से है, उदाहरणार्थ इसे संस्वीकृत बजट अनुदान से हुई बचत से किसी नई सेवा के पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1.1)

श्रेणी-I योजनाएं (100% महिला लाभार्थी)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	कुल बजट	वास्तविक व्यय
केंद्र प्रायोजित योजनाएं				
1	जननी सुरक्षा योजना	गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ व नवजात मृत्यु दर को कम करना	0	0
2	निर्भया निधि के अंतर्गत पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना	प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिलाओं को पुलिस सहायता प्रदान करना और पुलिस के प्रति महिलाओं में विश्वास पैदा करना	0	0
3	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन	महिला सशक्तिकरण, दहेज, भूमि अधिकार और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक विकास	42,00,21,530	55,89,46,310
4	स्वाधार गृह	पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव आदि के कारण बेघर हुई महिलाओं और लड़कियों को अस्थायी आश्रय, रखरखाव, कानूनी व पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना	12,00,000	0
5	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मां के वेतन के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना और पहले जीवित बच्चे के लिए उनके स्वास्थ्य की मांग के व्यवहार में सुधार	15,00,00,000	2,56,56,265
6	महिला शक्ति केंद्र	सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें	60,00,000	32,94,370
7	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	उन लोगों को पेंशन के अनुदान के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना जिनके पास निर्वाह का कोई साधन नहीं है और ना ही उनका समर्थन करने वाला कोई है	9,25,00,000	9,18,09,000
8	अनु.जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों व विशेष रूप से सक्षम लोगों का सशक्तिकरण के तहत विशेष केंद्रीय सहायता	--	0	0
राज्य योजनाएं				
9	इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना	कन्या बच्चे को प्रोत्साहन	84,00,000	31,55,000
10	पुलिस आवास के अंतर्गत महिला थानों के भवन का निर्माण	महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों से निपटने के लिए	0	0
11	स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले महिला मंडल को पुरस्कार	सर्वश्रेष्ठ महिला मंडलों को पुरस्कार	53,00,000	53,00,000
12	महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना	छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना	0	0
13	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना	3,75,00,000	5,87,00,000

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	कुल बजट	वास्तविक व्यय
14	बेटी है अनमोल योजना	जन्म के समय बालिका के प्रति और उसकी मां के प्रति परिवार व समुदाय के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलना, स्कूलों में लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण में सुधार करना	13,00,00,000	14,52,68,964
15	मुख्यमंत्री कन्या दान योजना	निराश्रित लड़कियों के माता-पिता/ अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है	11,70,00,000	7,74,05,000
16	शगुन	माता-पिता/अभिभावकों या लड़कियों को स्वयं वित्तीय सहायता प्रदान करना यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या उनकी लड़कियों की शादी के लिए लापता हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु की हैं	0	0
17	मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना	असहाय महिलाओं को उनके बच्चों के भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ।	7,48,00,000	8,89,22,267
18	महिलाओं को स्वरोजगार	गरीब महिलाओं को स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	0	0
19	विधवा पुनर्विवाह	पुरुषों को विधवाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करके विधवाओं के पुनर्वास में मदद करने के लिए कुछ मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना	70,00,000	62,40,000
20	विशेष महिला उत्थान योजना	नैतिक खतरे में महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	34,00,000	24,74,100
21	नारी सेवा सदन, मशोबरा	नैतिक खतरे में युवा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, कौशल प्रशिक्षण या किसी अन्य सामाजिक और आर्थिक सहायता आदि के साथ प्रदान करना	0	0
22	सशक्त महिला योजना	महिलाओं को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना	9,00,000	5,53,700
23	वो दिन योजना	मासिक धर्म स्वच्छता, एनीमिया व बच्चे के पहले 1000 दिनों के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए	3,23,00,000	1,56,87,250
24	विधवा पेंशन	उन लोगों को पेंशन के अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जिनके पास निर्वाह का कोई साधन नहीं है और महिलाओं का समर्थन करने के लिए कोई नहीं है	5,19,00,000	5,11,88,000
25	सुंदर नगर में श्रवण बाधित व दृष्टिबाधित बालिकाओं हेतु विशेष स्कूल (आईसीएसए सुंदरनगर)	विशेष रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना	0	0
26	हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना	महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए धुआं मुक्त ईंधन प्रदान करना	21,00,00,000	21,00,00,000
27	रक्षा बंधन व भैया दूज		0	0
28	ईद-उल-अजहा बकरीद	राज्य में मुफ्त यात्रा की सुविधा	0	0
कुल			1,34,82,21,530	1,34,46,00,226

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.4)

बचत में परिणत अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ में)

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
राजस्व-दत्तमत								
1	3- न्याय प्रशासन	2014-00-105-01-S00N	1,49,03,07,000	36,29,94,053	1,000	1,85,33,02,053	1,61,13,39,753	-24,19,62,300
2		2029-00-103-01-S00N	2,04,68,000	9,113	3,51,000	2,08,28,113	1,91,94,240	-16,33,873
3		2053-00-093-01-S00N	1,70,46,50,000	14,03,70,130	13,15,000	1,84,63,35,130	1,82,51,06,809	-2,12,28,321
4	5- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245-02-111-01-S00N	32,00,00,000	3,00,00,000	74,59,000	35,74,59,000	24,85,31,122	-10,89,27,878
5		2245-02-111-02-S00N	47,00,00,000	9,95,83,000	2,61,17,000	59,57,00,000	46,16,53,706	-13,40,46,294
6		2245-08-101-01-S00N	0	90,80,00,000	95,20,00,000	1,86,00,00,000	48,75,74,869	-1,37,24,25,131
7		2055-00-001-01-S00N	20,10,88,000	4,87,60,151	14,80,129	25,13,28,280	24,07,29,233	-1,05,99,047
8		2055-00-101-01-S00N	57,94,31,000	2,01,90,000	23,92,000	60,20,13,000	59,78,60,228	-41,52,772
9		2055-00-108-05-S00N	3,32,39,54,000	1,86,57,000	42,62,800	3,34,68,73,800	3,22,71,21,818	-11,97,51,982
10	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	2055-00-111-03-S00N	2,81,95,000	5,54,191	95,000	2,88,44,191	2,83,51,288	-4,92,903
11		2055-00-114-01-S00N	28,66,27,000	32,02,000	56,83,000	29,55,12,000	27,88,35,594	-1,66,76,406
12		2055-00-116-01-S00N	9,08,90,000	1,21,98,975	1,000	10,30,89,975	10,28,08,678	-2,81,297
13		2070-00-107-01-S00N	1,84,81,000	55,74,179	5,44,821	2,46,00,000	2,40,22,906	-5,77,094
14		2070-00-108-01-S00N	91,77,000	6,27,115	1,02,000	99,06,115	97,39,876	-1,66,239
15		2202-01-112-01-C90N	88,37,00,000	0	1,10,05,000	89,47,05,000	64,00,81,000	-25,46,24,000
16	8- शिक्षा	2202-01-112-01-S10N	6,28,00,000	0	12,34,000	6,40,34,000	5,83,03,000	-57,31,000
17		2202-80-800-01-S00N	6,06,42,000	37,10,000	26,90,000	6,70,42,000	6,20,37,700	-50,04,300
18		2210-01-001-02-S00N	14,53,46,000	0	93,08,000	15,46,54,000	14,02,92,203	-1,43,61,797
19	9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2210-01-110-03-S00N	2,96,79,53,000	8,59,02,000	9,18,18,000	3,14,56,73,000	2,96,49,65,621	-18,07,07,379
20		2210-06-001-01-S00N	1,81,28,000	95,74,000	9,000	2,77,11,000	2,74,34,941	-2,76,059
21		2059-80-053-03-S00N	1,41,73,75,000	0	1,17,87,000	1,42,91,62,000	1,37,94,50,864	-4,97,11,136
22		2059-80-053-04-S00N	35,77,75,000	0	53,74,000	36,31,49,000	31,06,29,400	-5,25,19,600
23	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-02-S00N	3,26,43,40,000	1,000	3,38,82,303	3,29,82,23,303	2,98,17,90,932	-31,64,32,371
24		3054-04-105-13-S00N	5,95,74,000	0	31,60,000	6,27,34,000	4,61,23,192	-1,66,10,808
25		3054-80-001-01-S00N	56,19,73,000	0	17,35,000	56,37,08,000	53,07,22,148	-3,29,85,852
26		3054-80-001-05-S00N	5,60,30,000	0	1,58,700	5,61,88,700	5,55,48,675	-6,40,025

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
27	11- कृषि	2402-00-102-01-S00N	23,91,31,000	0	5,55,000	23,96,86,000	23,80,90,420	-15,95,580
28		2402-00-102-55-S00N	9,87,00,000	0	6,58,00,000	16,45,00,000	9,86,99,999	-6,58,00,001
29		2402-00-103-01-C90N	5,92,00,000	5,94,00,000	1,32,50,000	13,18,50,000	7,24,50,000	-5,94,00,000
30		2402-00-103-01-S10N	66,00,000	66,00,000	14,50,000	1,46,50,000	80,50,000	-66,00,000
31	14- पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	2403-00-101-01-S00N	3,03,57,69,000	24,91,86,579	33,000	3,28,49,88,579	3,24,56,18,998	-3,93,69,581
32		2403-00-113-01-C00N	0	4,000	19,96,000	20,00,000	0	-20,00,000
33	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	3451-00-101-02-S00N	6,85,00,000	0	12,75,000	6,97,75,000	5,28,16,725	-1,69,58,275
34	17- चुनाव	2015-00-108-01-S00N	2,00,00,000	18,38,000	1,000	2,18,39,000	1,96,83,655	-21,55,345
35	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	2851-00-102-13-S00N	19,94,57,000	1,15,13,000	23,45,000	21,33,15,000	21,03,46,157	-29,68,843
36		2851-00-111-01-S00N	34,79,00,000	44,91,76,000	8,24,000	79,79,00,000	79,48,37,882	-30,62,118
37		2852-80-102-09-S00N	7,48,00,000	19,99,98,000	2,000	27,48,00,000	27,45,30,835	-2,69,165
38	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	2235-02-102-05-S00N	13,43,01,000	27,22,00,000	3,32,64,000	43,97,65,000	38,82,02,650	-5,15,62,350
39		2235-02-102-25-S00N	0	2,000	3,29,03,000	3,29,05,000	0	-3,29,05,000
40		2235-02-103-17-S00N	7,92,00,000	0	1,64,000	7,93,64,000	7,55,85,000	-37,79,000
41		2235-02-103-18-S00N	46,00,000	0	13,80,000	59,80,000	42,90,000	-16,90,000
42		2235-02-104-01-S00N	0	33,67,90,313	7,32,09,687	41,00,00,000	0	-41,00,00,000
43	24-मुद्रण व सामग्री	2058-00-101-01-S00N	4,54,03,000	5,55,46,865	2,039	10,09,51,904	10,09,38,402	-13,502
44	25- सड़क व जल परिवहन	2235-60-200-28-S00N	0	7,99,98,000	2,000	8,00,00,000	57,74,477	-7,42,25,523
45		3055-00-001-01-S00N	13,37,27,000	24,99,500	4,93,000	13,67,19,500	13,53,51,896	-13,67,604
46	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	2230-02-101-07-S00N	15,79,00,000	0	6,00,000	15,85,00,000	15,72,78,723	-12,21,277
47	29- वित्त	2054-00-095-01-S00N	9,31,69,000	0	26,00,000	9,57,69,000	8,04,74,065	-1,52,94,935
48		2054-00-097-01-S00N	40,14,23,000	9,53,053	51,447	40,24,27,500	37,19,77,203	-3,04,50,297
49		2054-00-098-01-S00N	10,55,02,000	1,000	8,53,000	10,63,56,000	9,65,45,062	-98,10,938
50	31- जनजातीय विकास	2029-00-796-01-S00N	5,99,57,000	0	2,00,000	6,01,57,000	5,26,86,252	-74,70,748
51		2053-00-796-02-S00N	2,39,50,000	0	23,20,000	2,62,70,000	1,97,82,022	-64,87,978
52		2054-00-796-01-S00N	4,34,78,000	0	5,75,000	4,40,53,000	4,08,87,403	-31,65,597
53		2202-03-796-02-S00N	8,25,85,000	0	92,000	8,26,77,000	8,17,30,347	-9,46,653
54		2205-00-796-02-S00N	75,00,000	0	15,00,000	90,00,000	72,38,476	-17,61,524
55		2210-06-796-07-S00N	6,34,000	0	48,000	6,82,000	5,44,462	-1,37,538
56		2210-06-796-11-S00N	26,21,000	0	1,50,000	27,71,000	23,05,957	-4,65,043
57		2210-06-796-12-C00N	38,00,000	0	2,00,000	40,00,000	35,79,791	-4,20,209
58		2211-00-796-03-C00N	7,00,00,000	0	40,50,000	7,40,50,000	6,81,32,643	-59,17,357
59		2225-02-796-01-S00N	1,63,78,000	0	5,72,000	1,69,50,000	1,47,56,829	-21,93,171

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
60		2235-02-796-21-S10N	9,00,000	0	85,000	9,85,000	1,51,100	-8,33,900
61		2235-02-796-29-S00N	0	2,000	1,25,93,000	1,25,95,000	0	-1,25,95,000
62		2235-02-796-30-C00N	0	3,000	2,97,000	3,00,000	0	-3,00,000
63		2235-02-796-31-C00N	0	4,000	3,96,000	4,00,000	0	-4,00,000
64		2235-02-796-32-C00N	0	1,000	99,000	1,00,000	0	-1,00,000
65		2402-00-796-02-S00N	5,50,00,000	0	96,33,000	6,46,33,000	5,22,51,177	-1,23,81,823
66		2402-00-796-11-C90N	81,00,000	1,000	62,99,000	1,44,00,000	63,00,000	-81,00,000
67		2402-00-796-11-S10N	9,00,000	1,000	2,99,000	12,00,000	7,00,000	-5,00,000
68		2403-00-796-05-S00N	93,00,000	0	5,27,000	98,27,000	84,48,417	-13,78,583
69		2406-01-796-02-S00N	4,91,25,000	0	24,58,760	5,15,83,760	3,84,34,199	-1,31,49,561
70		2501-06-796-07-C90N	6,22,00,000	0	5,77,50,000	11,99,50,000	5,59,80,000	-6,39,70,000
71		2501-06-796-07-S10N	69,00,000	0	64,16,000	1,33,16,000	62,83,000	-70,33,000
72		2515-00-796-01-S00N	15,30,97,000	0	2,00,000	15,32,97,000	14,45,76,344	-87,20,656
73		2515-00-796-16-S10N	19,00,000	0	41,00,000	60,00,000	0	-60,00,000
74		2702-80-796-06-S00N	7,76,48,000	0	15,00,000	7,91,48,000	7,30,59,010	-60,88,990
75		2202-01-789-13-C90N	0	1,000	99,000	1,00,000	0	-1,00,000
76		2202-01-789-13-S10N	0	1,000	6,64,000	6,65,000	0	-6,65,000
77		2202-01-789-26-C90N	0	1,000	99,000	1,00,000	0	-1,00,000
78		2202-01-789-26-S10N	0	1,000	99,000	1,00,000	0	-1,00,000
79	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2202-03-789-04-C60N	0	1,000	26,39,99,000	26,40,00,000	0	-26,40,00,000
80		2210-03-789-01-S00N	16,74,08,000	65,25,000	1,00,000	17,40,33,000	14,42,99,547	-2,97,33,453
81		2235-02-789-07-S00N	3,00,00,000	0	6,22,000	3,06,22,000	2,79,66,000	-26,56,000
82		2235-02-789-13-S00N	2,52,00,000	0	7,13,000	2,59,13,000	2,45,05,735	-14,07,265
पूँजीगत-दत्तमत								
83	3- न्याय प्रशासन	4059-01-051-36-S00N	13,00,000	62,56,000	16,75,000	92,31,000	40,24,943	-52,06,057
84	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	4235-02-104-01-S00N	0	58,43,00,000	1,57,00,000	60,00,00,000	0	-60,00,00,000
85	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	4215-02-106-02-S00N	1,34,66,00,000	12,22,00,000	40,00,000	1,47,28,00,000	57,27,18,943	-90,00,81,057
86		4215-01-796-02-S00N	18,00,000	0	4,70,000	22,70,000	15,05,401	-7,64,599
87	31- जनजातीय विकास	5002-03-796-01-S00N	0	1,000	9,99,99,000	10,00,00,000	0	-10,00,00,000
88		5054-04-796-11-S00N	3,60,00,000	0	50,00,000	4,10,00,000	2,81,76,132	-1,28,23,868
89		5054-04-796-14-S00N	50,00,000	0	1,28,82,000	1,78,82,000	0	-1,78,82,000

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
90	32- अनुसूचित जाति उप योजना	4702-00-789-02-S00N	2,33,00,000	0	1,19,88,000	3,52,88,000	2,31,33,815	-1,21,54,185
91		4702-00-789-03-S00N	1,20,00,000	0	42,80,000	1,62,80,000	1,15,12,354	-47,67,646
92		4711-01-789-01-S00N	3,00,00,000	0	72,20,000	3,72,20,000	2,86,86,780	-85,33,220
93		5054-04-789-01-S00N	91,94,00,000	0	2,39,35,000	94,33,35,000	77,29,51,233	-17,03,83,767
94		5054-04-789-04-S00N	19,14,00,000	0	2,15,10,000	21,29,10,000	18,17,36,223	-3,11,73,777
95		5054-04-789-16-S00N	12,60,00,000	0	12,00,000	12,72,00,000	7,98,02,032	-4,73,97,968
राजस्व-दत्तमत								
96	29- वित्त	2071-01-104-03-S00N	0	1,000	11,57,403	11,58,403	0	-11,58,403

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.4)

आधिक्य में परिणत अनुचित पुनर्विनियोजन

(₹ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	4- सामान्य प्रशासन	2075-00-800-14-S00N	17,00,00,000	0	-4,55,55,974	12,44,44,026	18,06,66,426	5,62,22,400
2	6- आबकारी एवं कराधान	2040-00-101-01-S00N	2,85,48,000	6,99,27,000	-3,000	9,84,72,000	11,04,23,261	1,19,51,261
3		2045-00-104-01-S00N	7,99,05,000	1,17,47,000	-2,01,000	9,14,51,000	9,64,53,079	50,02,079
4	8- शिक्षा	2202-02-101-01-S00N	21,92,71,000	41,00,000	-2,00,000	22,31,71,000	23,35,53,467	1,03,82,467
5		2202-03-103-01-S00N	3,75,29,41,000	31,82,93,017	-5,60,000	4,07,06,74,017	4,16,80,95,999	9,74,21,982
6		2202-05-103-01-S00N	6,78,78,000	19,89,732	-1,00,000	6,97,67,732	7,14,42,627	16,74,895
7	9- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2210-05-105-04-S00N	23,22,02,000	22,46,000	-1,000	23,44,47,000	24,32,64,433	88,17,433
8	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2701-15-101-01-S00N	3,07,40,000	0	-1,10,000	3,06,30,000	3,13,48,812	7,18,812
9	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	2210-04-101-02-S00B	14,40,20,000	0	-3,50,000	14,36,70,000	15,03,75,818	67,05,818
10	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	2235-02-103-19-S10N	99,00,000	0	-10,39,000	88,61,000	1,25,33,029	36,72,029
11	25- सड़क व जल परिवहन	2041-00-001-01-S00N	10,32,31,000	17,29,000	-1,50,88,000	8,98,72,000	18,37,77,011	9,39,05,011
12	30- विविध सामान्य सेवाएं	2205-00-103-01-S00N	2,99,00,000	2,00,00,000	-41,20,000	4,57,80,000	7,32,65,276	2,74,85,276
13	31- जनजातीय विकास	2053-00-796-03-S00N	2,85,59,000	0	-10,07,000	2,75,52,000	6,96,40,092	4,20,88,092
14		2202-02-796-02-S00N	62,72,31,000	0	-54,74,000	62,17,57,000	63,62,06,810	1,44,49,810
15		2202-02-796-03-S00N	75,81,44,000	0	-10,00,000	75,71,44,000	78,79,34,404	3,07,90,404
16		2202-02-796-18-C90N	1,20,00,000	0	-40,98,000	79,02,000	1,62,93,500	83,91,500
17		2210-04-796-04-S00N	13,04,25,000	0	-3,55,000	13,00,70,000	13,11,17,114	10,47,114
18		2402-00-796-06-A00S	1,00,000	0	-1,00,000	0	25,00,000	25,00,000
19		3054-04-796-02-S00N	1,13,26,73,000	0	-4,52,05,000	1,08,74,68,000	1,37,62,24,809	28,87,56,809
20		32-अनुसूचित जाति उप योजना	2216-03-789-04-S00N	5,80,00,000	0	-1,00,000	5,79,00,000	5,93,25,000
पूँजीगत- दत्तमत								
21	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	4055-00-211-03-C90N	7,04,00,000	0	-2,00,000	7,02,00,000	8,16,00,000	1,14,00,000
22	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	5054-04-337-19-S00N	3,73,80,00,000	0	-12,89,000	3,73,67,11,000	3,75,19,25,787	1,52,14,787
23	20- ग्रामीण विकास	4515-00-103-02-S00N	49,00,000	0	-19,00,000	30,00,000	65,00,000	35,00,000

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.4)

आधिक्य में परिणत अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	4- सामान्य प्रशासन	2053-00-800-05-S00N	1,000	20,19,94,060	96,73,523	21,16,68,583	21,68,08,784	51,40,201
2	5- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-102-03-S00N	20,62,01,000	16,21,000	9,000	20,78,31,000	21,40,05,412	61,74,412
3	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	2056-00-101-01-S00N	35,42,71,000	3,98,81,966	52,26,568	39,93,79,534	40,01,01,738	7,22,204
4	8- शिक्षा	2202-02-109-01-S00N	26,06,98,73,000	1,39,40,87,000	11,74,34,000	27,58,13,94,000	27,92,84,72,851	34,70,78,851
5		2202-80-107-19-S00N	71,00,000	0	70,15,000	1,41,15,000	2,01,15,000	60,00,000
6	9- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2210-01-200-01-S00N	56,41,07,000	6,60,10,000	1,50,000	63,02,67,000	63,37,52,583	34,85,583
7		2210-05-105-06-S00N	1,44,85,12,000	7,92,96,000	11,77,85,000	1,64,55,93,000	1,64,59,00,927	3,07,927
8	9- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2210-05-105-15-S00N	74,71,99,000	20,90,16,000	88,47,000	96,50,62,000	96,90,68,391	40,06,391
9	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-15-S00N	44,89,22,000	1,000	11,49,99,000	56,39,22,000	61,41,16,616	5,01,94,616
10		3054-04-105-17-S00N	25,37,34,000	0	2,10,83,000	27,48,17,000	31,00,73,993	3,52,56,993
11	11- कृषि	2407-01-016-01-S00N	97,37,000	1,000	34,88,000	1,32,26,000	1,37,71,808	5,45,808
12	17- चुनाव	2015-00-103-01-S00N	8,50,00,000	3,28,00,000	14,000	11,78,14,000	15,31,47,928	3,53,33,928
13	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	2235-02-102-13-S00N	9,15,00,000	0	61,26,000	9,76,26,000	11,60,30,645	1,84,04,645
14		2235-02-102-15-C90N	12,44,00,000	0	13,29,55,304	25,73,55,304	25,73,84,412	29,108
15	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-01-102-13-C75N	1,00,000	0	26,35,974	27,35,974	65,67,23,798	65,39,87,824
16	23- विद्युत विकास	2801-80-001-01-S00N	4,63,69,000	27,31,02,174	1,000	31,94,72,174	32,00,28,975	5,56,801
17	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	2230-02-101-03-S00N	11,56,000	0	81,000	12,37,000	12,43,077	6,077
18	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	2217-80-191-63-C90N	0	86,19,58,000	49,94,84,532	1,36,14,42,532	1,84,66,00,000	48,51,57,468
19		2217-80-191-64-C90N	0	53,00,00,000	33,66,00,000	86,66,00,000	1,33,16,00,000	46,50,00,000
20	29- वित्त	2071-01-101-03-S00N	43,41,18,64,000	2,00,06,24,000	20,81,75,000	45,62,06,63,000	46,62,02,04,409	99,95,41,409
21	31- जनजातीय विकास	2015-00-796-02-S00N	31,19,000	0	4,54,000	35,73,000	46,15,328	10,42,328
22		2053-00-796-10-C90N	13,50,00,000	0	5,09,00,000	18,59,00,000	21,01,50,000	2,42,50,000
23		2070-00-796-01-S00N	1,49,15,000	1,000	1,54,23,000	3,03,39,000	3,06,66,650	3,27,650
24		2202-02-796-01-S00N	2,03,43,000	0	10,00,000	2,13,43,000	2,27,31,160	13,88,160
25		2215-01-796-01-S00N	6,17,03,000	0	40,32,000	6,57,35,000	6,97,01,663	39,66,663
26		2230-03-796-03-S00N	0	1,000	20,75,000	20,76,000	24,14,092	3,38,092

क्र. सं.	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
27		2405-00-796-02-S00N	74,67,000	0	7,43,200	82,10,200	82,22,036	11,836
28		2515-00-796-02-S00N	6,64,45,000	0	7,33,000	6,71,78,000	8,15,29,646	1,43,51,646
29		2851-00-796-02-S00N	99,37,000	0	1,02,000	1,00,39,000	1,14,38,344	13,99,344
30		3054-04-796-01-S00N	15,01,80,000	0	29,59,000	15,31,39,000	17,63,89,579	2,32,50,579
31		2202-02-789-02-S00N	17,81,88,000	6,03,38,000	48,53,000	24,33,79,000	24,98,08,553	64,29,553
32	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2225-01-789-02-S00N	3,72,70,000	8,50,000	50,000	3,81,70,000	7,18,76,292	3,37,06,292
33		2225-01-789-08-C00N	1,00,000	8,50,000	50,000	10,00,000	1,88,10,000	1,78,10,000
पूँजीगत-दत्तमत								
34	4- सामान्य प्रशासन	4235-02-800-03-S00N	0	1,000	25,65,000	25,66,000	1,20,44,000	94,78,000
35		4055-00-207-03-S00N	0	0	36,74,000	36,74,000	4,20,88,068	3,84,14,068
36	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	4055-00-211-03-S00N	31,59,00,000	14,69,000	40,26,000	32,13,95,000	52,53,33,931	20,39,38,931
37	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	4059-80-051-03-S00N	6,54,00,000	20,57,82,000	67,13,000	27,78,95,000	28,03,85,162	24,90,162
38	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	4215-01-102-16-S00N	1,35,00,00,000	0	3,04,56,000	1,38,04,56,000	1,39,89,36,746	1,84,80,746
39	14- पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन	4403-00-101-01-S00N	9,86,99,000	33,96,000	1,00,000	10,21,95,000	10,61,95,000	40,00,000
40	25- सड़क व जल परिवहन	5002-03-115-01-S00N	18,48,00,000	1,28,71,00,000	1,52,00,000	1,48,71,00,000	2,11,65,55,000	62,94,55,000
41		4202-02-105-01-S00N	24,50,00,000	0	3,48,45,000	27,98,45,000	30,58,75,000	2,60,30,000
42	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202-02-105-03-S00N	17,96,00,000	13,12,94,646	5,45,67,000	36,54,61,646	40,26,38,046	3,71,76,400
43	29- वित्त	7610-00-201-02-S00N	50,00,000	0	48,50,000	98,50,000	1,01,11,250	2,61,250
44		4059-01-796-12-S00N	95,00,000	0	52,00,000	1,47,00,000	1,53,95,000	6,95,000
45		5452-01-796-01-S00N	4,50,00,000	0	80,00,000	5,30,00,000	5,67,75,000	37,75,000
46		5452-80-796-01-S00N	1,00,00,000	0	3,10,000	1,03,10,000	2,02,84,000	99,74,000
47		4202-02-789-06-S00N	0	1,000	8,99,99,000	9,00,00,000	9,53,28,300	53,28,300
48	32- अनुसूचित जाति उप योजना	4210-03-789-02-S00N	4,53,00,000	0	3,25,00,000	7,78,00,000	8,34,55,000	56,55,000
राजस्व-दत्तमत								
49		2049-01-101-J1-S00N	0	1,000	15,13,99,000	15,14,00,000	15,14,00,001	1
50		2049-01-101-J2-S00N	0	1,000	19,72,49,000	19,72,50,000	19,72,50,001	1
51		2049-01-101-J3-S00N	0	1,000	22,28,99,000	22,29,00,000	22,29,00,002	2
52	29- वित्त	2049-01-101-J5-S00N	0	1,000	18,72,49,000	18,72,50,000	18,72,50,001	1
53		2049-01-115-01-S00N	1,000	0	2,99,99,000	3,00,00,000	3,05,84,922	5,84,922
54		2049-03-108-01-S00N	22,00,00,000	0	1,20,00,000	23,20,00,000	23,43,41,607	23,41,607

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.5(i))
बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	बचत
राजस्व-दत्तमत					
1	1-विधान सभा	43,16,41,000	2,26,51,765	44,37,23,311	-1,05,69,454
2	2- राज्यपाल व मंत्रिपरिषद	16,83,85,000	5,04,30,000	21,68,57,230	-19,57,770
3	3- न्यायिक प्रशासन	2,01,28,06,000	57,26,13,447	2,27,76,96,941	-30,77,22,506
4	4- सामान्य प्रशासन	2,37,53,50,000	58,48,27,795	2,95,10,55,583	-91,22,212
5	5- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	13,60,46,56,000	6,72,00,85,378	17,57,30,48,119	-2,75,16,93,259
6	6- आबकारी एवं कराधान	1,02,35,90,000	39,40,64,515	1,28,71,52,559	-13,05,01,956
7	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	16,14,37,53,000	59,96,36,777	16,50,04,13,028	-24,29,76,749
8	8- शिक्षा	74,51,77,37,000	4,40,12,55,466	77,70,30,38,867	-1,21,59,53,599
9	9- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	24,94,15,67,000	4,53,79,33,219	27,40,41,83,182	-2,07,53,17,037
10	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	34,32,63,74,000	3,000	28,79,86,56,527	-5,52,77,20,473
11	11- कृषि	4,10,09,45,000	44,14,14,500	3,97,79,67,196	-56,43,92,304
12	12- बागवानी	3,76,26,06,000	2,20,93,31,226	5,96,10,26,042	-1,09,11,184
13	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	26,81,86,41,000	21,46,72,000	26,96,80,53,769	-6,52,59,231
14	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	79,97,38,000	1,000	60,31,50,967	-19,65,88,033
15	16- वन व वन्य जीवन	7,60,69,80,000	48,58,78,530	7,20,21,30,726	-89,07,27,804
16	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	13,49,29,02,000	1,74,69,98,763	14,59,56,42,725	-64,42,58,038
17	20- ग्रामीण विकास	12,52,90,28,000	5,18,97,50,341	16,51,86,06,796	-1,20,01,71,545
18	21- सहकारिता	36,74,49,000	8,65,84,809	45,33,83,009	-6,50,800
19	23- शक्ति विकास	3,38,14,81,000	3,97,32,60,636	7,31,62,16,745	-3,85,24,891
20	24- मुद्रण एवं लेखन सामग्री	26,28,54,000	13,55,28,070	39,45,13,076	-38,68,994
21	26- पर्यटन व नागरिक उड्डयन	27,97,47,000	1,000	24,67,12,033	-3,30,35,967
22	27- श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	3,25,56,41,000	1,18,55,84,020	4,23,87,34,220	-20,24,90,800
23	31- जनजातीय विकास	17,20,18,10,000	25,22,18,015	15,38,46,85,222	-2,06,93,42,793
24	32- अनुसूचित जाति उप योजना	22,19,56,70,000	3,98,22,24,260	24,23,88,78,990	-1,93,90,15,270
	कुल	2,85,60,13,51,000	37,78,69,48,532	3,03,25,55,26,863	-20,13,27,72,669
पूंजीगत- दत्तमत					
25	1- विधान सभा	3,05,00,000	1,41,23,000	4,36,22,691	-10,00,309
26	3- न्यायिक प्रशासन	11,90,00,000	10,62,56,000	10,80,30,144	-11,72,25,856
27	4- सामान्य प्रशासन	9,23,00,000	1,000	8,16,97,731	-1,06,03,269
28	8- शिक्षा	87,38,01,000	77,02,28,000	1,63,78,66,935	-61,62,065
29	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	12,94,54,00,000	3,19,17,41,000	15,50,56,69,208	-63,14,71,792
30	11- कृषि	65,17,95,000	0	65,00,33,508	-17,61,492
31	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	5,37,17,00,000	2,59,07,91,000	7,26,64,01,205	-69,60,89,795

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	बचत
32	14- पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	13,28,09,000	33,96,000	12,69,38,273	-92,66,727
33	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	4,93,74,00,000	0	3,25,14,89,062	-1,68,59,10,938
34	16- वन व वन्य जीवन	10,22,00,000	1,75,50,000	10,20,89,342	-1,76,60,658
35	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	5,28,00,000	58,82,57,000	1,68,56,810	-62,42,00,190
36	22- खाद्य व नागरिक आपूर्ति	9,00,000	0	7,99,998	-1,00,002
37	24- मुद्रण एवं लेखन सामग्री	30,00,000	1,00,00,000	1,22,42,881	-7,57,119
38	26- पर्यटन व नागरिक उड्डयन	5,81,26,00,000	0	86,14,57,236	-4,95,11,42,764
39	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	1,81,85,00,000	57,22,00,000	1,73,51,31,290	-65,55,68,710
40	29- वित्त	7,27,51,000	15,11,72,090	15,83,11,936	-6,56,11,154
41	31- जनजातीय विकास	5,39,62,50,000	8,000	3,86,49,72,835	-1,53,12,85,165
42	32- अनुसूचित जाति उप योजना	14,18,15,00,000	6,000	10,96,36,83,093	-3,21,78,22,907
	कुल	52,59,52,06,000	8,01,57,29,090	46,38,72,94,178	-14,22,36,40,912
राजस्व-दत्तमत					
43	1- विधान सभा	1,22,51,000	4,00,000	1,19,77,303	-6,73,697
44	2- राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	8,72,38,000	23,75,000	8,59,43,985	-36,69,015
45	3- न्यायिक प्रशासन	58,09,56,000	7,44,86,900	60,31,05,824	-5,23,37,076
46	4- सामान्य प्रशासन	15,08,62,000	0	13,63,91,339	-1,44,70,661
47	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	0	11,53,263	9,92,314	-1,60,949
48	16- वन व वन्य जीवन	0	31,76,001	31,37,619	-38,382
49	29- वित्त	51,04,64,01,000	11,000	48,28,69,15,008	-2,75,94,96,992
	कुल	51,87,77,08,000	8,16,02,164	49,12,84,63,392	-2,83,08,46,772
पूंजीगत- दत्तमत					
50	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	0	1,62,19,307	1,62,19,000	-307
51	29- वित्त	53,42,01,56,000	60,06,93,73,700	1,01,35,79,23,392	-12,13,16,06,308
	कुल	53,42,01,56,000	60,08,55,93,007	1,01,37,41,42,392	-12,13,16,06,615
	कुल योग	4,43,49,44,21,000	1,05,96,98,72,793	5,00,14,54,26,826	-49,31,88,66,967

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.5(ii))

निरंतर ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत वाले मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व-दत्तमत						
1	3- न्यायिक प्रशासन	-25.20	-34.57	-44.56	-22.81	-30.77
2	6- आबकारी एवं कराधान	-13.79	-14.32	-17.53	-12.32	-13.05
3	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	-143.83	-212.47	-305.45	-244.75	-24.30
4	8- शिक्षा	-955.16	-1110.61	-1362.09	-1096.43	-121.60
5	9- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	-330.83	-377.72	-489.64	-243.85	-207.53
6	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	-269.04	-736.83	-963.02	-1194.46	-552.77
7	11- कृषि	-72.67	-33.44	-78.98	-37.92	-56.44
8	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	-30.57	-22.69	-21.90	-17.44	-19.66
9	16- वन व वन्य जीवन	-130.31	-145.25	-170.51	-134.39	-89.07
10	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	-28.84	-99.25	-64.74	-46.38	-64.43
11	20- ग्रामीण विकास	-383.93	-351.17	-163.47	-134.10	-120.02
12	27- श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	-39.93	-39.28	-116.39	-26.09	-20.25
13	31- जनजातीय विकास	-325.72	-371.39	-415.69	-403.42	-206.93
14	32- अनुसूचित जाति उप योजना	-390.87	-513.37	-264.69	-141.50	-193.90
पूंजीगत- दत्तमत						
15	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	-1.33	-115.34	-218.07	-53.64	-168.59
16	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	-3.48	-14.48	-4.94	-3.76	-62.42
17	29- वित्त	-6.27	-6.35	-7.74	-5.85	-6.56
18	31- जनजातीय विकास	-82.25	-94.04	-75.44	-130.10	-153.13
19	32- अनुसूचित जाति उप योजना	-154.08	-231.62	-149.75	-390.46	-321.78
राजस्व-दत्तमत						
20	3- न्यायिक प्रशासन	-7.94	-11.36	-7.33	-5.90	-5.23
21	29- वित्त	-238.48	-315.99	-459.44	-376.78	-275.95

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.6.1)

मुख्य शीर्ष-वार आधिक्य

(₹ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत						
1	2- राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	2013- मंत्रिपरिषद	15,41,51,000	2,89,30,000	18,46,48,974	15,67,974
2	4- सामान्य प्रशासन	2051-लोक सेवा आयोग	8,06,38,000	82,63,256	10,38,74,759	1,49,73,503
3		2053-जिला प्रशासन	50,01,000	20,19,94,060	27,11,65,494	6,41,70,434
4		2059-लोक निर्माण	5,55,31,000	4,01,91,652	9,69,70,723	12,48,071
5		2075-विविध सामान्य सेवाएँ	28,16,09,000	2,72,55,443	38,14,50,869	7,25,86,426
6		5- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-भू-राजस्व	1,96,19,78,000	20,04,17,113	2,19,19,44,882
7	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर		20,40,76,000	9,31,51,292	31,13,91,151	1,41,63,859
8	2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क		58,92,13,000	6,23,47,000	65,37,58,429	21,98,429
9	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	2056-जेलें	41,81,75,000	8,59,39,293	50,42,62,636	1,48,343
10	9- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2216-आवास	63,18,000	0	2,60,12,466	1,96,94,466
11	11- कृषि	2407-वृक्षारोपण	97,37,000	1,000	1,37,71,808	40,33,808
12	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	18,60,02,23,000	21,30,77,000	20,01,93,52,739	1,20,60,52,739
13	14- पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	2403-पशुपालन	3,70,61,44,000	28,69,89,061	4,02,18,91,636	2,87,58,575
14		2404-डेयरी विकास	20,45,46,000	2,63,16,000	23,32,30,624	23,68,624
15	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	2216-आवास	0	1,000	5,94,000	5,93,000
16	16- वन व वन्य जीव	2402-मृदा एवं जल संरक्षण	6,65,33,000	0	10,36,53,418	3,71,20,418
17	17-चुनाव	2015-चुनाव	83,52,63,000	19,34,60,700	1,05,57,22,372	2,69,98,672
18	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	2852-उद्योग	13,94,44,000	21,74,67,000	45,65,90,023	9,96,79,023
19		2853-अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	12,34,10,000	73,24,000	13,12,44,246	5,10,246
20	20- ग्रामीण विकास	2216-आवास	27,62,00,000	1,95,04,020	35,29,75,742	5,72,71,722

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	व्यय	आधिक्य
21	22- खाद्य व नागरिक आपूर्ति	2408-खाद्य भंडारण एवं भण्डारण	1,72,76,14,000	53,92,97,994	2,91,68,14,631	64,99,02,637
22		3456-नागरिक आपूर्ति	16,44,12,000	20,08,33,596	36,63,89,417	11,43,821
23	25- सड़क व जल परिवहन	2041-वाहनों पर कर	10,32,31,000	11,55,74,000	31,27,10,011	9,39,05,011
24		3452-पर्यटन	18,50,36,000	0	21,24,55,724	2,74,19,724
25	27- श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	2059-लोक निर्माण	57,77,000	0	67,75,000	9,98,000
26		2203-तकनीकी शिक्षा	86,51,62,000	9,59,27,000	97,84,83,542	1,73,94,542
27		2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	70,00,000	0	1,03,38,000	33,38,000
28	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	2217-शहरी विकास	5,77,45,43,000	1,62,58,15,526	8,17,41,25,265	77,37,66,739
29	29- वित्त	2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	77,90,20,01,000	12,60,64,77,000	92,83,86,86,379	2,33,02,08,379
30	30- विविध सामान्य सेवाएं	2059-लोक निर्माण	12,34,000	0	17,34,000	5,00,000
31		2202-सामान्य शिक्षा	4,44,96,000	6,78,000	4,87,71,780	35,97,780
32		2205-कला एवं संस्कृति	13,21,48,000	4,06,63,000	19,40,79,343	2,12,68,343
33		2220-सूचना एवं प्रचार	69,06,70,000	21,43,11,134	90,59,98,942	10,17,808
34	31- जनजातीय विकास	2014-न्याय प्रशासन	3,74,59,000	1,000	3,81,90,798	7,30,798
35		2015-चुनाव	1,80,06,000	1,000	4,73,03,314	2,92,96,314
36		2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	1,21,64,000	0	1,31,30,847	9,66,847
37		2053-जिला प्रशासन	34,65,31,000	1,000	48,33,90,574	13,68,58,574
38		2055-पुलिस	79,59,79,000	1,000	79,72,64,735	12,84,735
39		2062-सतर्कता	1,97,81,000	1,000	2,40,69,171	42,87,171
40		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	4,05,99,000	1,000	7,82,38,059	3,76,38,059
41		2216-आवास	4,74,60,000	0	7,73,82,703	2,99,22,703
42		2220-सूचना एवं प्रचार	1,64,90,000	0	2,02,59,139	37,69,139

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	व्यय	आधिक्य
43		2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	6,28,78,000	0	7,71,52,119	1,42,74,119
44		2404-डेयरी विकास	2,82,00,000	0	3,17,00,000	35,00,000
45		2405-मत्स्य पालन	2,12,49,000	0	3,51,06,443	1,38,57,443
46		2408-खाद्य भंडारण एवं भण्डारण	24,34,04,000	0	24,47,12,670	13,08,670
47		2425-निगम	1,75,57,000	0	1,81,37,009	5,80,009
48		2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	17,41,00,000	2,000	22,06,91,112	4,65,89,112
49		2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	48,38,42,000	4,34,11,000	60,43,94,979	7,71,41,979
50		2801-शक्ति	63,24,00,000	20,87,39,015	1,11,19,33,000	27,07,93,985
51		2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	10,93,97,000	0	11,15,71,363	21,74,363
52		3055-सड़क परिवहन	27,65,00,000	0	48,84,00,000	21,19,00,000
53		3452-पर्यटन	1,15,88,000	0	5,37,83,987	4,21,95,987
54		3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	56,58,000	0	57,39,882	81,882
55		3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	8,38,000	0	10,41,106	2,03,106
56		2205-कला एवं संस्कृति	2,51,00,000	0	3,64,97,556	1,13,97,556
57	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2404-डेयरी विकास	7,71,00,000	97,88,464	8,70,76,000	1,87,536
58		2405-मत्स्य पालन	3,20,00,000	0	4,52,15,626	1,32,15,626
59		2801-शक्ति	1,28,47,10,000	1,33,96,07,000	2,62,69,60,000	26,43,000
पूँजीगत-दत्तमत						
60	4- सामान्य प्रशासन	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0	1,000	1,20,44,000	1,20,43,000
61	5- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	4059-सार्वजनिक कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	13,68,00,000	48,20,09,000	72,15,68,700	10,27,59,700
62	7- पुलिस व संबद्ध संगठन	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	44,59,82,000	14,69,000	70,56,69,209	25,82,18,209
63	9- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	90,42,00,000	2,38,26,39,000	4,85,86,42,145	1,57,18,03,145

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	व्यय	आधिक्य
64	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	4059-सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	20,98,00,000	21,86,27,000	49,46,95,229	6,62,68,229
65	11- कृषि	4402-मिट्टी एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	12,55,00,000	0	13,28,95,055	73,95,055
66	12-बागवानी	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	7,43,10,000	0	9,66,61,267	2,23,51,267
67	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	4215-जल आपूर्ति व स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	2,46,90,00,000	2,43,81,50,000	5,10,31,81,013	19,60,31,013
68		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	11,99,00,000	8,19,21,000	21,26,91,676	1,08,70,676
69	14- पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	9,88,00,000	33,96,000	10,61,95,000	39,99,000
70	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	60,00,000	0	80,67,740	20,67,740
71		5054-सड़कों व पुलों पर पूंजी परिव्यय	40,00,00,000	0	45,81,36,160	5,81,36,160
72	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	32,75,00,000	1,52,72,00,000	1,87,32,98,571	1,85,98,571
73	20- ग्रामीण विकास	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	0	31,44,000	50,44,000	19,00,000
74		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजी परिव्यय	14,85,00,000	0	15,00,74,140	15,74,140
75	21- सहकारिता	6425-सहकारिता हेतु ऋण	1,99,000	0	5,27,23,000	5,25,24,000
76	23- विद्युत विकास	6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	36,19,00,000	0	97,03,70,000	60,84,70,000
77	25- सड़क व जल परिवहन	5002-भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	18,48,00,000	1,28,71,00,000	2,11,65,55,000	64,46,55,000
78	26- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	34,91,00,000	0	67,11,95,892	32,20,95,892
79	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	62,48,00,000	13,12,94,646	81,91,00,400	6,30,05,754
80	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	47,19,00,000	45,00,00,000	1,16,24,12,347	24,05,12,347

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	व्यय	आधिक्य	
81	30- विविध सामान्य सेवाएं	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	37,80,00,000	5,20,84,000	44,56,13,662	1,55,29,662	
82	31- जनजातीय विकास	4059-सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	8,02,00,000	0	12,64,55,341	4,62,55,341	
83		4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	15,21,00,000	1,000	32,82,44,800	17,61,43,800	
84		4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	17,27,50,000	4,000	20,80,52,900	3,52,98,900	
85		4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	24,00,000	1,000	3,80,00,000	3,55,99,000	
86		4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	1,37,00,000	0	1,37,82,881	82,881	
87		4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	4,00,00,000	0	6,71,83,683	2,71,83,683	
88		4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	2,00,000	0	4,50,000	2,50,000	
89		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजी परिव्यय	10,90,00,000	0	19,86,31,000	8,96,31,000	
90		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5,30,00,000	0	6,66,07,980	1,36,07,980	
91		4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	10,50,000	0	14,50,000	4,00,000	
92		5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	8,32,00,000	0	22,49,79,000	14,17,79,000	
93		5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5,50,00,000	1,000	9,20,59,000	3,70,58,000	
94		32- अनुसूचित जाति उप योजना	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	65,94,00,000	1,000	71,19,84,300	5,25,83,300
95			4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	38,18,00,000	4,000	40,60,25,328	2,42,21,328
96	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय		1,71,61,00,000	0	2,07,06,38,902	35,45,38,902	

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	व्यय	आधिक्य
97		4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	15,11,00,000	0	23,22,00,000	8,11,00,000
98		4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4,04,00,000	0	5,00,77,000	96,77,000
99		4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	3,90,00,000	0	4,06,00,000	16,00,000
100		5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	29,07,00,000	0	54,76,02,500	25,69,02,500
राजस्व-दत्तमत						
101	8- शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	0	22,77,651	42,77,651	20,00,000
102	29- वित्त	2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन	0	1,000	5,13,434	5,12,434
पूंजीगत-दत्तमत						
103	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	0	6,58,000	6,58,365	365
104		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0	22,41,01,000	22,41,01,911	911

परिशिष्ट-3.9

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.4)

प्रमुख योजना-वार बजट एवं उपयोग

(₹ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	5	आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिक योजनाओं पर व्यय	95,20,00,000	0	0
2	6	राजस्व वृद्धि और क्षमता वृद्धि परियोजना	0	2,00,00,000	0
3	8	अटल स्कूल वर्दी योजना	9,87,00,000	0	0
4	8	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामान्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	2,45,00,000	0	0
5	8	स्वर्ण जयंती डिजिटल पहल/विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना	3,29,00,000	0	0
6	8	स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना	3,29,00,000	0	0
7	8	स्वस्थ बचपन	2,20,00,000	0	0
8	10	स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क रख-रखाव	10,00,00,000	0	0
9	11	परम्परागत कृषि विकास योजना	10,07,00,000	0	0
10	11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	18,23,00,000	0	0
11	12	एंटी हेल नेट संरचना	8,40,00,000	0	0
12	12	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	9,60,00,000	0	0
13	12	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन	7,33,00,000	0	0
14	12	स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान	3,75,00,000	0	0
15	13	विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री कृषि (एआईबीपी) के तहत डायवर्जन योजना एफ.आई.एस.	35,99,60,000	0	0
16	13	लोक निर्माण विविध अग्रिम	1,87,17,000	0	0
17	15	अटल वर्दी योजना	6,12,00,000	0	0
18	15	तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला नवप्रवर्तन निधि	3,00,00,000	0	0
19	16	वन से चिल पाइन का संग्रहण और निष्कासन और पाइन सुई आधारित उद्योगों के लिए निवेश सब्सिडी	1,87,00,000	0	0
20	16	राज्य वन विकास एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन	3,30,00,000	0	0
21	19	सुख आश्रय भवन का निर्माण	0	58,43,00,000	0
22	19	मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष हेतु अनुदान	0	33,67,90,313	0
23	19	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनभोगी	57,61,00,000	0	0
24	20	15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को स्वास्थ्य सहायता	64,80,60,000	0	0
25	20	15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत समितियों को स्वास्थ्य सहायता	13,88,70,000	0	0
26	20	15वें वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों को स्वास्थ्य सहायता	13,88,70,000	0	0
27	25	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भवनों का निर्माण	1,50,00,000	0	0
28	25	ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण	3,50,00,000	0	0

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
29	28	15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निगमों को स्वास्थ्य सहायता	2,43,30,000	0	0
30	28	15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर पालिका को स्वास्थ्य सहायता	2,36,52,000	0	0
31	28	स्मार्ट सिटी मिशन	74,80,00,000	0	0
32	31	एंटी हेल नेट (बागवानी)	1,45,00,000	0	0
33	31	अटल स्कूल वर्दी योजना	1,35,00,000	0	0
34	31	अटल वर्दी योजना	3,05,00,000	0	0
35	31	सामान्य प्रशासनिक विभाग के सामान्य पूल आवास का निर्माण	1,17,00,000	0	0
36	31	रेलवे लाइनों का निर्माण	10,00,00,000	1,000	0
37	31	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	9,90,00,000	0	0
38	31	विकास हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट	81,50,00,000	0	0
39	31	लघु सिंचाई योजना पर व्यय (ए.आई.बी.पी.)	4,30,00,000	0	0
40	31	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	15,00,00,000	0	0
41	31	जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकाप्टर सुविधा	6,75,00,000	0	0
42	31	स्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना	1,73,00,000	0	0
43	31	हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन एवं वितरण निगम को ऋण	28,63,00,000	0	0
44	31	मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना	1,35,00,000	0	0
45	31	मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना	3,60,00,000	0	0
46	31	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन	1,71,00,000	0	0
47	31	राष्ट्रीय रूबन मिशन	2,55,00,000	0	0
48	31	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	7,50,00,000	0	0
49	31	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना-हर खेत को पानी	8,01,00,000	0	0
50	31	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)	2,49,00,000	0	0
51	31	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	1,89,00,000	0	0
52	31	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	1,93,00,000	0	0
53	31	विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (ईएपी)	1,62,00,000	0	0
54	32	एंटी हेल नेट संरचना	1,59,00,000	0	0
55	32	अटल स्कूल वर्दी योजना	3,78,00,000	0	0
56	32	अटल वर्दी योजना	8,53,00,000	0	0
57	32	प्रतिपूरक वनरोपण (वन विभाग के शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत और भुगतान)	5,04,00,000	0	0
58	32	सामान्य प्रशासन विभाग के पूल्युक्त शासकीय आवासीय आवास का निर्माण	3,27,00,000	0	0
59	32	झाड़विंग ट्रेनिंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण	1,50,00,000	0	0
60	32	हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों का विकास	2,78,65,00,000	0	0
61	32	अनुसूचित जाति निगम में निवेश	4,00,00,000	0	0
62	32	कृषि कोष	1,26,00,000	0	0

क्र.सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
63	32	कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर)	2,52,00,000	0	0
64	32	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	12,60,00,000	0	0
65	32	मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना	10,08,00,000	0	0
66	32	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी)	1,26,00,000	0	0
67	32	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन	4,78,00,000	0	0
68	32	राष्ट्रीय रूबन मिशन	7,13,00,000	0	0
69	32	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	19,64,00,000	0	0
70	32	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)	6,98,00,000	0	0
71	32	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	5,29,00,000	0	0
72	32	स्वर्ण जयन्ती समृद्ध बागवान	1,25,00,000	0	0
73	32	स्मार्ट सिटी मिशन	25,20,00,000	0	0
74	32	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए राज्य मिशन	1,75,00,000	0	0
75	32	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएम)	2,80,00,000	0	0
76	32	स्वर्ण जयन्ती डिजिटल पहल/विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना	1,26,00,000	0	0
77	32	उत्तम चारा उत्पादन योजना	2,39,00,000	0	0

परिशिष्ट-3.10

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.4)

संपूर्ण बजट प्रावधानों का व्यपवर्तन

(₹ में)

क्र.सं.	अनुदान क्रमांक	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अभ्यर्पण	संशोधित परिव्यय
1	5	आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिक योजनाओं पर व्यय	95,20,00,000	-95,20,00,000	0	0
2	8	अटल स्कूल वर्दी योजना	9,87,00,000	-4,80,28,000	-5,06,72,000	0
3	8	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामान्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	2,45,00,000	-2,45,00,000	0	0
4	8	स्वर्ण जयंती डिजिटल पहल/विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना	3,29,00,000	-3,29,00,000	0	0
5	8	स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना	3,29,00,000	0	-3,29,00,000	0
6	8	स्वस्थ बचपन	2,20,00,000	-2,20,00,000	0	0
7	10	स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क रखरखाव	10,00,00,000	0	-10,00,00,000	0
8	11	परम्परागत कृषि विकास योजना	10,07,00,000	0	-10,07,00,000	0
9	11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	18,23,00,000	-3,49,18,000	-14,73,82,000	0
10	12	एंटी हेल नेट संरचना	8,40,00,000	-8,40,00,000	0	0
11	12	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	9,60,00,000	-9,60,00,000	0	0
12	12	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन	7,33,00,000	-7,33,00,000	0	0
13	12	स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान	3,75,00,000	-3,75,00,000	0	0
14	15	अटल वर्दी योजना	6,12,00,000	0	-6,12,00,000	0
15	16	वन से चीड़ पाइन का संग्रहण व निष्कासन और पाइन सुई आधारित उद्योगों के लिए निवेश सब्सिडी	1,87,00,000	-96,16,812	-90,83,188	0
16	16	राज्य वन विकास एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन	3,30,00,000	0	-3,30,00,000	0
17	19	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनभोगी	57,61,00,000	-57,61,00,000	0	0
18	25	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भवनों का निर्माण	1,50,00,000	-1,50,00,000	0	0
19	28	स्मार्ट सिटी मिशन	74,80,00,000	-74,80,00,000	0	0
20	31	एंटी हेल नेट (बागवानी)	1,45,00,000	-1,45,00,000	0	0
21	31	अटल स्कूल वर्दी योजना	1,35,00,000	0	-1,35,00,000	0
22	31	अटल वर्दी योजना	3,05,00,000	0	-3,05,00,000	0
23	31	सामान्य प्रशासनिक विभाग के सामान्य पूल आवास का निर्माण	1,17,00,000	0	-1,17,00,000	0
24	31	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	9,90,00,000	0	-9,90,00,000	0
25	31	विकास हवाई अड्डे व हेलीपोर्ट	81,50,00,000	-81,50,00,000	0	0
26	31	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	15,00,00,000	-15,00,00,000	0	0
27	31	जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकाप्टर सुविधा	6,75,00,000	-6,75,00,000	0	0

क्र.सं.	अनुदान क्रमांक	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अभ्यर्पण	संशोधित परिव्यय
28	31	स्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना	1,73,00,000	-1,73,00,000	0	0
29	31	मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना	3,60,00,000	-3,60,00,000	0	0
30	31	राष्ट्रीय रूबन मिशन	2,55,00,000	-2,55,00,000	0	0
31	31	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	7,50,00,000	-7,50,00,000	0	0
32	32	एंटी हेल नेट संरचना	1,59,00,000	-1,59,00,000	0	0
33	32	अटल स्कूल वर्दी योजना	3,78,00,000	-3,78,00,000	0	0
34	32	अटल वर्दी योजना	8,53,00,000	-8,53,00,000	0	0
35	32	प्रतिपूरक वनरोपण (वन विभाग के शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत और भुगतान)	5,04,00,000	-5,04,00,000	0	0
36	32	सामान्य प्रशासन विभाग के पूलयुक्त शासकीय आवासीय आवास का निर्माण	3,27,00,000	-25,00,000	-3,02,00,000	0
37	32	हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों का विकास	2,78,65,00,000	-78,09,03,100	-2,00,55,96,900	0
38	32	अनुसूचित जाति निगम में निवेश	4,00,00,000	-4,00,00,000	0	0
39	32	कृषि कोष	1,26,00,000	-1,26,00,000	0	0
40	32	कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर)	2,52,00,000	-2,52,00,000	0	0
41	32	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	12,60,00,000	-1,43,95,000	-11,16,05,000	0
42	32	मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना	10,08,00,000	-10,08,00,000	0	0
43	32	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी)	1,26,00,000	0	-1,26,00,000	0
44	32	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन	4,78,00,000	0	-4,78,00,000	0
45	32	राष्ट्रीय रूबन मिशन	7,13,00,000	-7,13,00,000	0	0
46	32	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)	6,98,00,000	0	-6,98,00,000	0
47	32	सवरण जयन्ती समृद्ध बागवान	1,25,00,000	-1,25,00,000	0	0
48	32	स्मार्ट सिटी मिशन	25,20,00,000	-25,20,00,000	0	0
49	32	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएम)	2,80,00,000	-2,54,05,000	-25,95,000	0
50	32	स्वर्ण जयंती डिजिटल पहल/विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना	1,26,00,000	-1,26,00,000	0	0
51	32	उत्तम चारा उत्पादन योजना	2,39,00,000	-2,39,00,000	0	0

परिशिष्ट-3.11

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.5)

मुख्य-शीर्ष-वार व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ में)

क्र. सं.	मुख्य-शीर्ष	विवरण	चतुर्थ तिमाही का व्यय	2022-23 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2023 के दौरान व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही का व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2022 का व्यय
1	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	19,51,22,730	31,13,91,151	6,44,85,747	62.66	20.71
2	2043	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण शुल्क	2,75,74,576	4,37,79,222	2,69,18,304	62.99	61.49
3	2405	मछली पालन	17,79,10,182	34,88,39,539	14,41,69,767	51.00	41.33
4	2852	इंडस्ट्रीज	26,75,40,041	48,45,18,940	25,79,46,703	55.22	53.24
5	3053	नागरिक उड्डयन	1,90,87,670	3,42,56,309	1,07,54,873	55.72	31.40
6	3056	अंतर्देशीय जल परिवहन	2,18,496	2,18,496	55,529	100.00	25.41
7	4058	मुद्रण और स्टेशनरी पर पूंजीगत परिव्यय	1,06,18,318	1,22,42,881	1,06,18,318	86.73	86.73
8	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	11,16,03,880	16,96,93,466	9,41,23,080	65.77	55.47
9	4210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,57,83,41,655	5,51,63,53,080	2,84,16,18,076	64.87	51.51
10	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	22,65,46,521	34,08,40,113	17,12,32,335	66.47	50.24
11	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	78,34,88,706	1,39,46,12,347	71,16,21,484	56.18	51.03
12	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6,25,77,000	6,44,33,810	5,00,38,500	97.12	77.66
13	4235	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3,93,47,000	5,25,44,000	3,93,47,000	74.88	74.88
14	4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	13,63,19,566	19,15,09,560	9,53,54,041	71.18	49.79
15	4406	वानिकी व वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	12,67,22,259	19,67,60,681	10,42,61,451	64.40	52.99
16	4408	खादय भंडारण व भण्डारण पर पूंजीगत परिव्यय	8,04,998	12,35,998	5,56,998	65.13	45.06
17	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	8,02,000	15,62,000	5,73,000	51.34	36.68
18	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,07,86,89,911	2,08,55,16,332	77,79,73,274	51.72	37.30
19	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	35,00,61,049	55,71,32,943	27,01,07,107	62.83	48.48
20	4851	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1,77,76,31,242	1,98,28,49,031	1,76,85,97,467	89.65	89.19
21	5002	भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजी परिव्यय	1,93,17,55,000	2,33,16,55,000	62,94,55,000	82.85	27.00
22	6425	सहकारिता पर ऋण	5,27,23,000	5,27,23,000	5,27,23,000	100.00	100.00

परिशिष्ट-3.12

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.5)

सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का तिमाही विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	2022-23 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में	2022-23 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2023 में व्यय
01 विधानसभा	51.16	12.71	13.02	10.41	13.79	6.34	49.93	27.63	12.69
02 राज्यपाल व मंत्रिपरिषद	30.84	7.31	7.00	7.46	8.52	4.78	30.28	28.14	15.79
03 न्यायिक प्रशासन	346.61	64.75	59.73	83.09	91.31	30.89	298.88	30.55	10.34
04 सामान्य प्रशासन	320.33	56.57	66.03	111.16	83.16	36.08	316.91	26.24	11.38
05 भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2,094.84	205.04	965.84	269.41	389.66	229.38	1,829.94	21.29	12.53
06 आबकारी व कराधान	145.77	23.98	27.02	34.14	47.57	20.12	132.72	35.84	15.16
07 पुलिस व संबद्ध संगठन	1,740.53	444.77	401.45	450.98	444.85	177.30	1,742.05	25.54	10.18
08 शिक्षा	8,056.53	1,717.36	1,780.21	2,274.70	2,162.24	959.93	7,934.52	27.25	12.10
09 स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	3,276.68	793.52	726.21	662.26	1,044.35	535.63	3,226.33	32.37	16.60
10 लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	5,046.35	763.02	886.20	873.53	1,907.68	1,228.65	4,430.43	43.06	27.73
11 कृषि	519.42	90.12	97.78	112.22	162.67	60.62	462.80	35.15	13.10
12 उद्यान	604.62	154.93	113.71	110.58	226.54	140.90	605.77	37.40	23.26
13 सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	3,522.17	668.40	634.72	806.50	1,336.40	818.39	3,446.02	38.78	23.75
14 पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	463.94	110.37	106.35	128.91	120.47	47.08	466.10	25.85	10.10
15 योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	573.71	81.32	184.13	69.94	50.07	35.17	385.46	12.99	9.12
16 वन व वन्य जीवन	821.58	112.32	170.61	171.23	276.57	154.42	730.74	37.85	21.13
17 चुनाव	103.62	9.62	20.57	24.46	51.67	32.86	106.32	48.60	30.91
18 उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	406.73	28.37	77.49	29.54	277.11	241.83	412.51	67.18	58.62
19 सामाजिक न्याय व अधिकारिता	1,588.10	318.37	377.75	367.68	397.46	123.34	1,461.25	27.20	8.44
20 ग्रामीण विकास	1,787.10	436.10	354.19	462.46	414.67	316.79	1,667.43	24.87	19.00
21 सहकारिता	45.42	9.20	9.03	11.09	21.30	15.55	50.61	42.08	30.72

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुदान संख्या	2022-23 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में	2022-23 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2023 में व्यय
22 खाद्य व नागरिक आपूर्ति	267.08	68.37	38.26	94.21	131.31	119.48	332.15	39.53	35.97
23 विद्युत विकास	845.20	142.76	274.90	217.26	243.20	228.53	878.12	27.70	26.03
24 मुद्रण एवं लेखन सामग्री	41.14	9.89	7.68	6.29	16.81	11.41	40.68	41.34	28.04
25 सड़क व जल परिवहन	719.03	164.75	143.14	134.00	338.66	125.93	780.55	43.39	16.13
26 पर्यटन व नागरिक उड्डयन	609.40	24.64	29.58	39.21	17.54	6.00	110.98	15.81	5.40
27 श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	520.76	128.71	88.44	190.60	99.05	44.79	506.81	19.54	8.84
28 शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	998.88	28.18	369.18	103.22	508.15	407.34	1,008.73	50.38	40.38
29 वित्त	25,674.86	3,429.47	8,893.91	6,158.88	5,898.83	3,152.61	24,381.08	24.19	12.93
30 विविध सामान्य सेवाएं	189.72	22.90	43.43	55.63	70.07	51.09	192.03	36.49	26.61
31 जनजातीय विकास	2,285.03	427.50	474.65	484.32	538.51	361.39	1,924.97	27.97	18.77
32 अनुसूचित जाति उप योजना	4,035.94	602.39	908.93	849.24	1,159.69	755.66	3,520.26	32.94	21.47
सकल योग	67,733.10	11,157.70	18,351.13	15,404.61	18,549.91	10,480.28	63,463.35	29.23	16.51

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: परिच्छेद 4.2)

भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

क्र. सं.	भारत सरकार योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी राशि (₹ में)
1	परिवहन/भाड़ा सब्सिडी योजना	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	87,88,934
2	सड़क स्कंध के तहत कार्य	उपमंडलीय अधिकारी (सिविल)- सह-भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, भोरंज	11,96,37,889
		भूमि अधिग्रहण मंडी हेतु उपमंडलीय मजिस्ट्रेट व सक्षम प्राधिकारी	21,22,22,572
		भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी सरकाघा	21,83,53,413
		उपमंडलीय मजिस्ट्रेट पांवटा साहिब सह भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी	19,28,57,781
		भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी सह उपमंडलीय अधिकारी (सिविल) नाहन व कार्यकारी अभियंता एनएच डिवीजन नाहन	16,65,588
3	अनुसंधान, प्रशिक्षण व अध्ययन एवं अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन निदेशालय हिमाचल प्रदेश	2,00,00,000
4	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं	निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण (ईएसओएमएसए)	4,56,666
5	सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण	राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, धर्मशाला	16,09,028
6	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	13,77,50,000
7	राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास एवं कार्यान्वयन	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	7,55,744
8	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	डिप्टी कमिश्नर, बिलासपुर	2,50,00,000
		डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर	2,00,00,000
		डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा	2,50,00,000
		डिप्टी कमिश्नर मंडी	2,50,00,000
		डिप्टी कमिश्नर शिमला	5,00,00,000
		डिप्टी कमिश्नर सिरमौर	2,50,00,000
9	भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश परियोजना प्रबंधन इकाई	1,04,44,000
		हिमाचल प्रदेश परियोजना प्रबंधन इकाई	6,25,000
10	पंचायत को प्रोत्साहन	ब्लॉक बिलासपुर सदर	25,00,000
		ब्लॉक नादौन	25,00,000
		ग्राम पंचायत दारुही	13,00,000
		ग्राम पंचायत भदरेना	18,00,000
		ग्राम पंचायत कलवारी	8,00,000
		ग्राम पंचायत चमुखा	5,00,000

क्र. सं.	भारत सरकार योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी राशि (₹ में)
		सचिव जिला परिषद ऊना	50,00,000
11	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	40,000
		डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी सोलन	8,57,480
		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	8,70,960
12	प्रशिक्षण योजनाएं-पीपीजी एवं पी	निदेशक, प्रबंधन अध्ययन केंद्र, हिपा, फेयरलॉन, शिमला -12	4,50,000
13	स्वरोजगार व प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम)	गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंबा	12,00,000
		गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिंहता-चंबा	12,00,000
		गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नादौन	2,00,000
		गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फतेहपुर	2,00,000
		गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैंज	2,00,000
		गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चोंतड़ा	2,00,000
		गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगवैन	2,00,000
		गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सियोह, जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश	12,00,000
		प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजगढ़	2,00,000
		प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, धर्मपुर	2,00,000
14	पीडीएस के तहत देय चीनी सब्सिडी	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3,45,37,650
15	खेलो इंडिया	हिमाचल प्रदेश खेल परिषद	5,12,50,000
16	परिवार कल्याण योजनाएं	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	22,70,658
17	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	69,12,000
18	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	हिमाचल प्रदेश सरकार	22,78,614
19	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश	4,61,58,26,000
20	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी	64,32,31,607
21	अन्य संस्थाओं को अनुदान	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	10,54,586
		सरकारी कॉलेज शिमला	1,00,000
22	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण	उद्योग निदेशालय	1,99,06,000

क्र. सं.	भारत सरकार योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी राशि (₹ में)
23	राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी	25,85,100
24	संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत, आदि)	डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर	50,000
		जिला मजिस्ट्रेट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, शिमला	50,000
25	सामर्थ्य (शक्ति सदन (स्वाधार उज्ज्वला विधवा गृह) सखी निवास पालना, पीएमएमवीवाई, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण केंद्र, जेंडर बजट अनुसंधान, कौशल प्रशिक्षण मीडिया, आदि)	महिला एवं बाल विकास निदेशालय	13,86,66,640
26	औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन	भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान संस्थान, जोगिंदर नगर	1,46,94,750
27	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटी	47,15,000
28	राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	69,96,887
29	रक्ताधान सेवाएं	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	1,11,00,000
30	बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन	हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2,25,00,00,000
31	बुनियादी ढांचा विकास एवं क्षमता निर्माण	हिमुडा	1,84,09,000
32	कृषि जनगणना एवं सांख्यिकी	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय- पालमपुर	2,52,885
		डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी- सोलन	6,19,022
		राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश	1,19,61,000
		कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश	92,10,000
		हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी	3,49,00,000
33	कृषि विपणन	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	2,10,00,000
		सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय- पालमपुर	15,00,000
34	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय- पालमपुर	65,60,000
35	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	8,62,85,000
36	जल जीवन मिशन/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, संचार एवं क्षमता विकास इकाई, राज्य प्रशिक्षण केंद्र, मंडी (हिमाचल प्रदेश)	33,55,050
		एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान	6,34,636

क्र. सं.	भारत सरकार योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी राशि (₹ में)
		प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	94,14,58,000 12,50,79,37,000
37	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसाइटी	6,62,32,11,819
38	राष्ट्रीय सेवा योजना	राज्य राष्ट्रीय सामाजिक सेवा प्रकोष्ठ	6,87,75,000
39	राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	12,45,31,000
योग			29,38,36,09,959

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: परिच्छेद 4.3)

31 मार्च 2023 तक बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	शहरी विकास					
	2217- शहरी विकास	2016-17	15	15,02,35,000	12	12,48,15,000
		2017-18	22	36,89,59,460	11	18,84,60,000
		2018-19	49	1,68,40,10,015	27	92,87,48,000
		2019-20	55	3,46,50,95,902	30	61,43,50,000
		2020-21	67	5,67,62,49,429	50	3,45,42,97,158
	2021-22	0	0	141	7,44,82,36,376	
कुल		208	1,13,445,49,806	271	12,75,89,06,534	
2	पंचायती राज					
	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	1	13,07,900	1	13,07,900
		कुल	1	13,07,900	1	13,07,900
	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2015-16	14	25,76,36,510	0	0
		2016-17	56	37,66,21,394	47	16,12,92,556
		2017-18	94	2,36,88,74,295	56	34,22,05,803
		2018-19	196	3,14,43,75,774	105	53,04,39,023
		2019-20	184	5,81,92,99,129	176	88,76,81,213
		2020-21	208	3,83,22,03,860	201	3,77,77,43,511
	2021-22	0	0	223	3,37,96,19,815	
कुल		752	15,79,90,10,962	808	9,07,89,81,921	
कुल		753	15,80,03,18,862	809	9,08,02,89,821	
3	आयुर्वेद (आयुष)					
	2210- चिकित्सा व जन स्वास्थ्य	2016-17	13	2,01,84,806	13	1,36,87,186
		2017-18	19	23,69,81,300	10	16,25,13,000
		2018-19	13	23,80,04,000	9	16,96,30,000
		2019-20	51	72,13,13,200	32	37,29,55,878
		2020-21	67	48,06,01,656	52	40,90,43,445
		2021-22	0	0	90	1,08,06,28,233
	कुल		163	1,69,70,84,962	206	2,20,84,57,742
	2211- परिवार स्वास्थ्य	2019-20	62	2,19,73,17,651	0	0
		2020-21	68	2,48,54,00,840	0	0
2021-22		0	0	48	3,62,55,75,418	
कुल		130	4,68,27,18,491	48	3,62,55,75,418	
कुल		293	6,37,98,03,453	254	5,83,40,33,160	
4	ग्रामीण विकास					
	2216- आवास	2018-19	2	2,77,90,000	0	0
		2020-21	78	17,43,57,500	10	1,94,81,000
		2021-22	0	0	45	64,76,39,700
कुल		80	20,21,47,500	55	66,71,20,700	

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मर्दों की संख्या	राशि	मर्दों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
	2505- ग्रामीण रोजगार	2020-21	34	3,39,24,40,680	1	1,29,01,680
		2021-22	0	0	22	3,60,28,26,500
		कुल	34	3,39,24,40,680	23	3,61,57,28,180
	2501- विशेष कार्यक्रम	2018-19	7	16,88,75,347	1	70,84,659
		2019-20	9	11,06,05,559	8	11,06,00,000
		2020-21	113	1,30,01,75,121	9	16,19,78,000
		2021-22	0	0	57	71,08,70,483
		कुल	129	1,57,96,56,027	75	99,05,33,142
	कुल		243	5,17,42,44,207	153	5,27,33,82,022
	5 व 6	कृषि एवं उद्यान				
2401- फसल पालन		2018-19	7	90,54,00,000	5	88,51,00,000
		2019-20	2	2,30,00,000	0	0
		2020-21	11	1,75,98,00,000	6	1,49,03,00,000
		2021-22	0	0	18	1,86,46,00,000
		कुल	20	2,68,82,00,000	29	4,24,00,00,000
2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा		2018-19	1	2,00,00,000	1	2,00,00,000
		2019-20	3	5,38,02,500	3	5,38,02,500
		2020-21	9	61,40,000	9	61,40,000
		2021-22	0	0	6	12,18,48,391
कुल	13	7,99,42,500	19	20,17,90,891		
कुल		33	2,76,81,42,500	48	4,44,17,90,891	
7	उद्योग					
	2851- ग्रामीण व लघु उद्योग	2016-17	24	10,31,26,140	7	1,04,27,369
		2017-18	26	8,42,79,634	15	4,24,85,810
		2018-19	13	5,03,37,421	13	5,03,37,421
		2019-20	22	16,86,84,668	14	14,62,90,668
		2020-21	450	55,98,82,525	448	55,12,19,775
		2021-22	0	0	459	33,49,46,510
कुल	535	96,63,10,388	956	1,13,57,07,553		
8	ऊर्जा विभाग					
	2810- ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत	2017-18	3	16,00,000	3	16,00,000
		2018-19	4	20,00,000	4	20,00,000
	2801- विद्युत	2021-22	0	0	1	92,66,00,000
कुल	7	36,00,000	8	93,02,00,000		
9 व 10	महिला एवं बाल विकास व अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक					
	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2017-18	1	3,00,000	1	3,00,000
		2020-21	2	31,16,00,000	2	31,16,00,000
		2021-22	0	0	2	15,20,00,000
		कुल	3	31,19,00,000	5	46,39,00,000
	2235- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	2016-17	1	34,10,040	0	0
2017-18		59	5,72,61,520	43	4,91,68,520	
2018-19		248	14,72,97,597	204	55,403,044	

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मर्दों की संख्या	राशि	मर्दों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
		2019-20	290	15,16,58,592	38	5,85,12,596
		2020-21	260	1,502,40,672	217	5,38,35,046
		2021-22	0	0	287	14,91,00,955
		कुल	858	50,98,68,421	789	36,60,20,161
कुल			861	82,17,68,421	794	82,99,20,161
11	श्रम व रोजगार					
	2230- श्रम व रोजगार	2020-21	1	1,360,89,846	0	0
		2021-22	0	0	4	57,96,66,765
	कुल		1	13,60,89,846	4	57,96,66,765
12	वन					
	2406- वन व वन्य जीवन	2018-19	2	32,49,000	0	0
		2019-20	20	4,20,90,859	19	4,15,85,859
		2020-21	186	34,48,07,471	99	9,98,35,175
		2021-22	0	0	255	39,90,25,338
कुल		208	39,01,47,330	373	54,04,46,372	
13	शिक्षा					
	2202- सामान्य शिक्षा	2019-20	2	19,49,98,000	1	19,49,88,000
		2020-21	52	1,95,99,52,576	0	0
		2021-22	0	0	1	502,000
कुल		54	2,15,49,50,576	2	19,54,90,000	
14	भाषा, कला व संस्कृति					
	2205- कला व संस्कृति	2019-20	103	7,02,78,389	69	5,83,95,564
		2020-21	78	8,97,39,657	52	3,20,89,500
		2021-22	0	0	67	9,32,96,100
	कुल		181	16,00,18,046	188	18,37,81,164
	2250- अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	2020-21	1	59,712	0	0
कुल		1	59,712	0	0	
कुल		182	16,00,77,758	188	18,37,81,164	
15	पशुपालन					
	2403- पशुपालन	2017-18	6	25,20,000	2	5,00,000
		2018-19	17	3,58,58,600	12	3,18,38,600
		2019-20	10	5,87,61,000	3	25,41,000
		2020-21	36	20,99,32,000	11	1,03,01,000
		2021-22	0	0	14	11,93,91,000
	कुल	69	30,70,71,600	42	16,45,71,600	
	2404- डेयरी विकास	2020-21	5	6,89,40,000	0	0
कुल		5	6,89,40,000	0	0	
कुल		74	37,60,11,600	42	16,45,71,600	

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मर्दों की संख्या	राशि	मर्दों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
16	आबकारी एवं कराधान विभाग					
	2040- अन्य कर व शुल्क	2020-21	2	6,69,11,964	0	0
		2021-22	0	0	1	9,36,43,245
	कुल		2	6,69,11,964	1	9,36,43,245
17	जनजातीय विकास					
	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2018-19	2	24,45,689	2	24,45,689
		2019-20	5	94,10,121	4	79,10,121
		2020-21	2	53,95,000	1	50,00,000
		2021-22	0	0	5	6,73,60,000
		कुल	9	1,72,50,810	12	8,27,15,810
परिवहन						
18	3075-अन्य परिवहन सेवाएं	2020-21	2	5,00,00,000	2	5,00,00,000
		2021-22	0	0	3	2,75,00,000
	कुल		2	5,00,00,000	5	7,75,00,000
19	सैनिक कल्याण					
	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2018-19	3	89,710	0	0
		2019-20	3	13,61,165	0	0
		2020-21	9	6,09,51,533	3	6,04,64,533
	कुल		15	6,24,02,408	3	6,04,64,533
20	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान					
	2070- अन्य प्रशासनिक सेवा	2020-21	16	6,12,00,000	0	0
		2021-22	0	0	15	5,00,00,000
	कुल		16	6,12,00,000	15	5,00,00,000
21	योजना					
	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2017-18	1	84,24,396	1	84,24,396
		2020-21	15	1,68,66,621	15	1,68,66,621
		2021-22	0	0	23	1,74,14,365
	कुल		16	2,52,91,017	39	4,27,05,382
22	युवा सेवाएं एवं खेल					
	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	2019-20	2	19,94,419	0	0
		2020-21	4	20,75,000	2	75,000
		2021-22	0	0	9	2,08,00,000
	कुल		6	40,69,419	11	2,08,75,000
23	राजस्व विभाग					
	2029- भू राजस्व	2017-18	15	74,89,000	9	48,97,000
		2018-19	19	1,64,46,000	14	1,16,46,000
	कुल		34	2,39,35,000	23	1,65,43,000
24	पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी					
	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2020-21	2	40,00,000	0	0
		2021-22	0	0	2	1,05,75,000
	कुल		2	40,00,000	2	1,05,75,000

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
25	सहकारिता					
	2408- खाद्य भंडारण व भण्डार	2019-20	3	8,00,000	3	8,00,000
		2020-21	9	16,17,724	9	16,17,724
		2021-22	0	0	12	15,50,000
		कुल	12	24,17,724	24	39,67,724
	2425- सहकारिता	2019-20	6	4,40,000	6	4,40,000
		2020-21	19	23,14,500	19	23,14,500
		2021-22	0	0	29	23,25,000
		कुल	25	27,54,500	54	50,79,500
	कुल		37	51,72,224	78	90,47,224
26	पर्यटन					
	3452- पर्यटन	2015-16	1	2,90,000	0	0
		2016-17	1	5,00,000	0	0
		2017-18	2	7,40,000	2	7,40,000
		2018-19	3	3,00,000	2	2,00,000
		2019-20	3	8,50,000	2	8,00,000
		2020-21	17	71,99,98,000	1	2,00,000
		2021-22	0	0	5	32,99,120
कुल		27	72,26,78,000	12	52,39,120	
27	तकनीकी शिक्षा					
	2203- तकनीकी शिक्षा	2021-22	0	0	2	51,00,000
	कुल		0	0	2	51,00,000
28	पुलिस					
	2055- पुलिस	2018-19	1	25,45,891	1	25,45,891
	कुल		1	25,45,891	1	25,45,891
सकल योग			3,619	47,52,14,71,480	4,106	42,42,51,40,248

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5)

31 मार्च 2023 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में अव्ययित शेष को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, बिलासपुर	73,595.00
2	8443	106	सिविल जज सीनियर डिवीजन, बिलासपुर	11,977.17
3	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	1,64,910.00
4	8443	106	सिविल जज कोर्ट नंबर-1, घुमारवीं	2,04,582.45
5	8443	106	सिविल जज कोर्ट नंबर-2, घुमारवीं	72,180.00
6	8443	106	सिविल जज कोर्ट नंबर-3, घुमारवीं	89,720.00
7	8443	106	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्बा	3,61,046.62
8	8443	106	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डलहौजी	98,680.00
9	8443	106	उप न्यायाधीश, हमीरपुर	6,84,642.00
10	8443	106	उप न्यायाधीश, बैरासर	1,87,055.00
11	8443	106	उप न्यायाधीश नादौन	45,620.00
12	8443	106	उप न्यायाधीश, नूरपुर	51,615.00
13	8443	106	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धर्मशाला	3,35,830.00
14	8443	106	उप न्यायाधीश द्वितीय, कांगड़ा	74,231.00
15	8443	106	उप न्यायाधीश, बैजनाथ	99,053.00
16	8443	106	उप न्यायाधीश, इंदौरा	53,840.00
17	8443	106	उप न्यायाधीश प्रथम, कांगड़ा	1,07,594.00
18	8443	106	उप न्यायाधीश प्रथम, देहरा	1,47,802.60
19	8443	106	उप न्यायाधीश द्वितीय, देहरा	96,161.00
20	8443	106	उप न्यायाधीश, पालमपुर	1,70,955.00
21	8443	106	उप न्यायाधीश, जवाली	1,12,350.00
22	8443	106	धर्मशाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा	69,360.00
23	8443	106	सिविल न्यायाधीश, जयसिंहपुर-काँगड़ा	8,000.00
24	8443	106	अतिरिक्त आयुक्त से उपायुक्त धर्मशाला	0
25	8443	106	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुल्लू	6,61,644.00
26	8443	106	उप न्यायाधीश, बंजार	75,670.00
27	8443	106	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आनी	68,644.00
28	8443	106	उप न्यायाधीश, मनाली	1,38,833.00
29	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, कल्पा	1,30,784.00
30	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सुंदरनगर	1,94,273.00
31	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, जोगिंदरनगर	95,075.20
32	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, करसोग	1,46,944.00
33	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सरकाघाट	2,11,351.00
34	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, गोहर	1,25,080.00
35	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, मण्डी	8,11,810.00
36	8443	106	निदेशक तकनीकी शिक्षा, सुन्दरनगर	5,000.00
37	8443	106	सिविल जज, थुनाग मण्डी	42,600.00
38	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिमला	3,26,113.00

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
39	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किन्नौर, रामपुर स्थित	70,431.00
40	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, शिमला	5,39,846.00
41	8443	106	उप न्यायाधीश, ठियोग	1,56,635.00
42	8443	106	उप न्यायाधीश, जुब्बल	1,23,395.00
43	8443	106	उप न्यायाधीश, रामपुर	79,420.00
44	8443	106	उप न्यायाधीश, चौपाल	67,050.00
45	8443	106	उप न्यायाधीश, रोहडू	3,30,629.00
46	8443	106	अतिरिक्त. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किन्नौर, रामपुर स्थित	40,050.86
47	8443	106	एसडीओ सिविल, डोडरा क्वार	0.10
48	8443	106	उप निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल, शिमला	26,66,607.00
49	8443	106	शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	24,32,751.00
50	8443	106	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला	15,39,049.00
51	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नाहन	54,672.00
52	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, पाँवटा	2,19,831.00
53	8443	106	अतिरिक्त. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नाहन	62,949.00
54	8443	106	सिविल जज सीनियर डिवीजन, नाहन	1,73,631.00
55	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, राजगढ़	65,864.00
56	8443	106	सिविल जज, शिलाई	49,670.00
57	8443	106	अतिरिक्त. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाँवटा	4,900.00
58	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, सोलन	2,40,308.00
59	8443	106	सिविल जज, नालागढ़	2,98,541.00
60	8443	106	सिविल जज सीनियर डिवीजन, सोलन	2,00,320.00
61	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, कसौली	37,210.00
62	8443	106	जोड़ना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन	64,365.00
63	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन	64,978.00
64	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, अर्की	54,279.00
65	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, कंडाघाट	62,951.00
66	8443	106	सिविल जज सीनियर डिवीजन, कसौली	78,839.00
67	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, ऊना	8,94,422.00
68	8443	106	जूनियर उप न्यायाधीश अंब	5,48,972.00
कुल				34,77,328.00

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6)

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष-800 के तहत बुक	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2075-विविध सामान्य सेवाएं	28.60	38.15	74.96
2.	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	58.88	89.09	66.10
3.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10.97	17.00	64.49
4.	4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	111.86	198.28	56.41
5.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9.16	16.97	53.98
6.	2041-वाहनों पर कर	12.89	31.27	41.23
7.	2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	138.89	380.11	36.54
8.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	18.41	55.71	33.04
9.	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	7.92	32.42	24.43
10.	4235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1.20	5.25	22.92
11.	2852-उद्योग	10.24	48.45	21.14
12.	2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	28.83	185.01	15.58
13.	2053-जिला प्रशासन	23.10	282.82	8.17
14.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.49	247.18	6.27
15.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	99.05	1,870.56	5.30
16.	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	10.09	202.01	4.99
17.	2408-खाद्य भंडारण एवं भण्डारण	17.58	379.38	4.63
18.	2401-फसल पालन	26.16	896.39	2.92
19.	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	0.19	6.44	2.88
20.	2216-आवास	3.26	117.70	2.77
21.	2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक	0.20	9.24	2.21
22.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	0.50	34.08	1.48
23.	2204-खेल एवं युवा सेवाएं	0.13	22.35	0.58
24.	5054-सड़कों व पुलों पर पूंजी परिव्यय	8.85	2,178.22	0.41
25.	2202-सामान्य शिक्षा	11.72	8,494.47	0.14
26.	2702-लघु सिंचाई	0.39	439.28	0.09
27.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	0.05	136.94	0.04
28.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	170.91	0.00
	कुल	654.61	16,585.69	3.95

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6)

लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक की गई प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
1.	0852- उद्योग	16.93	16.93	100.00
2.	0057- आपूर्ति एवं निपटान	0.02	0.02	100.00
3.	0217- शहरी विकास	2.52	2.52	100.00
4.	0250- अन्य सामाजिक सेवाएं	0.09	0.09	100.00
5.	0407- वृक्षारोपण	0.01	0.01	100.00
6.	0408- खाद्य भण्डारण एवं भण्डारण	0.18	0.18	100.00
7.	0575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.12	0.12	100.00
8.	0801- पावर	1,428.28	1,428.28	100.00
9.	1055- सड़क परिवहन	0.07	0.07	100.00
10.	1425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.04	0.04	100.00
11.	1456- नागरिक आपूर्ति	0.99	0.99	100.00
12.	4000- विविध पूंजीगत प्राप्तियां	12.59	12.59	100.00
13.	1054- सड़कें व पुल	169.53	169.73	99.88
14.	1452- पर्यटन	2.5	2.65	94.27
15.	0851- ग्राम एवं लघु उद्योग	5.07	5.61	90.38
16.	0056- जेल	0.22	0.26	84.77
17.	0425- सहकारिता	4.99	6.08	82.04
18.	0029- भू-राजस्व	6.52	8.22	79.37
19.	0401- फसल पालन	9.44	12.35	76.43
20.	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	64.81	90.05	71.97
21.	0230- श्रम एवं रोजगार	6.85	9.88	69.32
22.	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12.54	20.03	62.63
23.	0049- ब्याज प्राप्तियां	53.31	85.3	62.49
24.	0403- पशुपालन	0.93	1.52	61.41
25.	0045- माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	220.53	359.5	61.35
26.	0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3.89	7.53	51.76
27.	0406- वानिकी एवं वन्य जीवन	29.68	81.79	36.29
28.	0211- परिवार कल्याण	0.01	0.02	33.65
29.	1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.99	6.37	31.24
30.	0059- लोक निर्माण	21.86	70.07	31.20
31.	0853- अलौह खनन व धातुकर्म उद्योग	47.94	286.34	16.74
32.	0220- सूचना एवं प्रचार	0.09	0.73	12.96
33.	0075- विविध सामान्य सेवाएं	0.92	7.45	12.29
34.	0051- लोक सेवा आयोग	1.11	9.21	12.03

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
35.	0055- पुलिस	6.04	73.71	8.19
36.	0210- चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	1.72	26.47	6.49
37.	0700- प्रमुख सिंचाई	0	0	6.12
38.	0042- माल एवं यात्रियों पर कर	3.35	68.5	4.89
39.	0039- राज्य उत्पाद शुल्क	107.46	2,216.34	4.85
40.	0041- वाहनों पर कर	32.63	675.17	4.83
41.	0405- मत्स्य पालन	0.11	3.08	3.58
42.	0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3.95	161.78	2.44
43.	0030- स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	6.64	398.75	1.67
44.	0215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	0.86	64.6	1.33
45.	0043- विद्युत पर कर व शुल्क	0.49	252.25	0.19
46.	0006- राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.08	5259.21	0.00
कुल		2,289.90	11,902.39	19.24

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ: परिच्छेद 4.11 व 4.12)

स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण/संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	लेखा प्रस्तुतीकरण की प्रास्थिति/सूचना	धारा जिसमें लेखापरीक्षा की गई
1	हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	प्राप्त नहीं हुए	धारा 19 (2),(3) व 20 (1) के तहत लेखापरीक्षा की गई व पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार एवं जारी किया गया।
2	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण		
3	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला	प्राप्त हुए	
4	हिमाचल प्रदेश सिटी ट्रांसपोर्ट और बस स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण		
5	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग		
6	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला		
7	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला		
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर		
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर		
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन		
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना		
12	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला		
13	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर, रामपुर		
14	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी		
15	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू		
16	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला, कांगड़ा		
17	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन		
18	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा		
19	नियंत्रक, सीएसके, हिमाचल प्रदेश केवीवी, पालमपुर	प्राप्त नहीं हुए	
20	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन		
21	बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणन एजेंसी, बोड़ल्यूगंज, शिमला		
22	पशुधन एवं कुक्कुट विकास बोर्ड, बोड़ल्यूगंज, शिमला		
23	हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्कफेड सहकारी, टुटू, शिमला	प्राप्त हुए	
24	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (हिमफेड)		
25	हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, कसुम्पटी, शिमला		
26	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हमीरपुर	धारा 14 व 15 के तहत लेखापरीक्षा की गई व निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार व जारी किए गए।	
27	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, बिलासपुर		
28	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नाहन		
29	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ऊना		
30	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, शिमला		
31	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, किन्नौर		
32	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, मण्डी		
33	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, कुल्लू		
34	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, धर्मशाला, कांगड़ा		
35	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सोलन		

क्र. सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	लेखा प्रस्तुतीकरण की प्रास्थिति/सूचना	धारा जिसमें लेखापरीक्षा की गई
36	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चम्बा	प्राप्त नहीं हुए	
37	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, केलांग		
38	एड्स नियंत्रण सोसायटी		
39	हिमाचल प्रदेश नर्सिंग रजि. परिषद		
40	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), शिमला		
41	भाषा, कला और संस्कृति अकादमी		
42	एससी/एसटी निगम, सोलन		
43	समाज कल्याण बोर्ड, शिमला		
44	बाल कल्याण परिषद, शिमला		
45	सर्व शिक्षा अभियान, शिमला		
46	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय		
47	रिन चैन ज़ेन पो सोसायटी, कांगड़ा		
48	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (हिमाचल प्रदेश)		
49	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)		
50	कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी, शिमला		
51	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान		
52	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		
53	हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद और यूनानी प्रैक्टिशनर बोर्ड		

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: परिच्छेद 5.4.1)

31 मार्च 2023 को राज्य सरकार/अन्य द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए इक्विटी व दीर्घावधि ऋण के निवेश को दर्शाने वाला विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम	इक्विटी व ऋण के निवेश का विवरण										हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश (इक्विटी + ऋण)	अन्य निवेश (इक्विटी + ऋण)	कुल इक्विटी + ऋण	कुल इक्विटी	कुल ऋण
		इक्विटी					दीर्घावधि ऋण									
		हिमाचल प्रदेश सरकार	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य	कुल	हिमाचल प्रदेश सरकार	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य	कुल					
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)																
कृषि व संबद्ध																
1	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	16.89	1.96	0.00	0.00	18.85	11.56	0.40	0.00	0.00	11.96	28.45	2.36	30.81	18.85	11.96
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित	31.20	1.50	6.07	0.00	38.77	60.09	0.00	0.00	0.00	60.09	91.29	7.57	98.86	38.77	60.09
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	11.71	0.00	0.00	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71	0.00	11.71	11.71	0.00
4	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	16.75	0.00	0.00	0.97	17.72	60.15	0.00	0.00	0.00	60.15	76.90	0.97	77.87	17.72	60.15
	योग	76.55	3.46	6.07	0.97	87.05	131.80	0.40	0.00	0.00	132.20	208.35	10.90	219.25	87.05	132.20
वित्त पोषण																
5	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	17.22	0.00	0.00	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	0.00	17.22	17.22	0.00
6	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	14.90	0.10	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	0.10	15.00	15.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	14.84	0.00	0.00	0.00	14.84	0.00	0.00	56.24	0.00	56.24	14.84	56.24	71.08	14.84	56.24
8	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	106.59	0.00	0.00	6.59	113.18	0.00	0.00	28.27	0.00	28.27	106.59	34.86	141.45	113.18	28.27
	योग	153.55	0.10	0.00	6.59	160.24	0.00	0.00	84.51	0.00	84.51	153.55	91.20	244.75	160.24	84.51
विनिर्माण																
9	हिमाचल प्रदेश पथ एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	30.82	30.82	0.00
11	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00001	0.00	0.00033	0.00	0.00034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00001	0.00	0.00034	0.00034	0.00
12	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.0035	0.00	0.00	0.0035	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0035	0.00	0.007	0.007	0.00
	योग	55.82351	0.00	0.00033	0.00	55.82734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.82351	0.00	55.82734	55.82734	0.00

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
विनिर्माण																
13	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.04	0.00	0.08	0.04	7.16	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	10.01	0.12	10.13	7.16	2.97
14	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	0.00
	योग	7.04	0.00	0.08	0.96	8.08	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	10.01	1.04	11.05	8.08	2.97
सेवाएं																
15	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	3.52	3.52	0.00
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड	9.22	0.03	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.03	9.25	9.25	0.00
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	7.35	7.35	14.30	7.35	21.65	14.30	7.35
18	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	0.00	0.00	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.00	0.007	0.007	0.00
19	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित	0.05	0.00	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.00
20	हिमाचल कंसल्टेंसी संगठन सीमित	0.00	0.00	0.03	0.15	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00
21	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोप वे कारपोरेशन लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.00
22	रोप वे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड	0.005	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.005	0.005	0.00
23	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	3.72	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	3.72	3.72	0.00
24	हिमाचल पथ परिवहन निगम	1227.68	15.44	0.00	0.00	1243.12	0.00	0.00	0.00	154.74	154.74	1227.68	170.18	1397.86	1243.12	154.74
25	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
26	मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड															
	कुल क्षेत्र	1,260.002	15.47	0.03	0.70	1,276.20	0.00	0.00	0.00	161.29	161.29	1,260.002	177.44	1,437.492	1,276.202	161.29
	कुल(सरकारी कंपनियां - विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)	1,552.97	19.03	6.18	9.22	1,587.40	134.77	0.40	84.51	162.09	381.77	1,687.74	281.43	1,969.17	1,587.40	381.77
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र)																
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	882.23	0.00	0.00	0.00	882.23	3,012.10	17.32	0.00	2,566.59	5,596.01	3,894.33	2,583.91	6,478.24	882.23	5,596.01
2	ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,949.11	0.00	1,949.11	0.00	2,249.11	2,249.11	300.00	1,949.11
3	हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1,003.20	0.00	130.78	1,187.15	2,321.13	2,535.49	0.00	181.48	0.00	2,716.97	3,538.69	1,499.41	5,038.10	2,321.13	2,716.97
4	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	461.29	0.00	0.00	108.70	569.99	2,101.06	0.00	0.00	161.49	2,262.55	2,562.35	270.19	2,832.54	569.99	2,262.55
	क्षेत्र योग	2,346.72	0.00	430.78	1,295.85	4,073.35	7,648.65	17.32	2,130.59	2,728.08	12,524.64	9,995.37	6,602.62	16,597.99	4,073.35	12,524.64
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल योग	3,899.68	19.03	436.96	1,305.07	5,660.75	7,783.42	17.72	2,215.10	2,890.17	12,906.41	11,683.11	6,884.05	18,567.17	5,660.75	12,906.41

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: परिच्छेद 5.3)

30 सितम्बर 2023 तक लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्तमान वर्ष हेतु संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम	लेखा वर्ष	अंतिम रूप दिए जाने वाला वर्ष	प्रदत्त पूंजी	बकाया दीर्घावधि ऋण	कुल परिसंपत्ति	टर्नओवर	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज व कर के बाद निवल लाभ(+)/ हानि (-)	ब्याज	आयकर	ब्याज व कर से पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	नेट वर्थ	नियोजित पूंजी	श्रमशक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
क	कार्यशील सरकारी कंपनियां														
				कृषि व संबद्ध											
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2020-21	2022-23	18.85	13.16	38.70	67.18	(-) 13.81	0.22	0.07	0.00	0.29	5.04	18.20	16
		2021-22	2023-24	18.85	13.22	42.27	84.05	(-) 13.48	0.33	0.07	0.15	0.55	5.37	18.59	
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित	2021-22	2023-24	38.77	45.55	167.58	112.73	(-) 83.87	2.89	2.38	0.00	5.27	(-)45.10	0.45	180
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2018-19	2022-23	11.71	5.71	179.61	202.88	(-)113.04	0.98	1.06	0.00	2.04	(-)101.33	(-)95.62	1,227
	कुल			88.18	64.48	389.46	399.66	(-) 29	4.20	3.51	0.15	7.86	(-)141.06	(-)76.58	1,423
				वित्त पोषण											
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2015-16	2023-24	12.47	18.26	41.28	2.98	9.02	0.49	0.46	0.00	0.95	21.49	39.75	15
		2016-17	2023-24	13.22	19.15	43.83	3.22	10.06	1.04	0.49	0.00	1.53	23.28	42.43	
		2017-18	2023-24	13.22	20.16	45.64	3.47	10.76	0.70	0.85	0.00	1.55	23.98	44.14	
		2018-19	2023-24	14.22	21.63	49.23	3.51	11.06	0.30	0.56	0.00	0.86	25.28	46.91	
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2016-17	2022-23	9.94	000	12.66	0.78	2.62	0.62	0.00	0.00	0.62	12.56	12.56	7
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2016-17	2022-23	11.34	23.47	35.30	1.34	(-)5.72	(-)0.29	0.78	0.00	0.49	5.62	29.09	18
	कुल			35.50	45.10	97.19	5.63	7.96	0.63	1.34	0.00	1.97	43.46	88.56	40
				अवसरचना											
7	हिमाचल प्रदेश पथ एवं अन्य अवसरचना विकास निगम सीमित	2021-22	2023-24	25.00	0.00	599.06	0.45	0.30	0.30	0.00	0.11	0.41	25.30	25.30	38
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2020-21	2023-24	30.82	0.00	341.22	59.74	79.39	7.68	0.00	3.67	11.35	110.21	110.21	132
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2022-23	0.00034	0.00	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00034	0.00034	24
		2019-20		0.00034	0.00	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00034	0.00034	
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2022-23	0.007	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.007	19
		2019-20		0.007	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.007	
	कुल			55.83468	0.000	1,291.56	60.19	79.69	7.98	0.00	3.78	11.76	135.52	135.52	213
				विनिर्माण											
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2021-22	2023-24	7.16	0.00	70.49	62.37	43.54	3.44	0.21	1.43	5.08	50.70	50.70	104
	कुल			7.16	0.00	70.49	62.37	43.54	3.44	0.21	1.43	5.08	50.70	50.70	104

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
सेवाएं															
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2019-20	2023-24	3.51	0.00	493.98	1,429.96	36.67	1.12	0.45	0.62	2.19	40.18	40.18	594
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सीमित	2021-22	2023-24	3.72	0.00	128.67	53.04	10.68	0.57	0.00	0.20	0.77	14.40	14.40	36
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21	2023-24	9.25	0.00	24.02	24.48	(-)12.42	1.01	0.03	0.26	1.30	(-)3.17	(-)3.17	22
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2017-18	2023-24	12.30	0.00	78.25	98.36	(-)27.27	(-)2.76	0.11	0.00	(-)2.65	(-)14.97	(-)14.97	1,760
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2019-20	2022-23	0.007	0.00	128.36	0.00	0.58	0.02	0.00	0.00	0.02	0.587	0.587	48
17	हिमाचल कंसल्टेंसी संगठन सीमित	2021-22	2022-23	0.18	0.00	12.90	27.44	2.79	0.95	0.00	0.00	0.95	2.97	2.97	18
18	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित	2021-22	2022-23	0.10	0.00	456.38	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	304
19	रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड	2020-21	2022-23	0.01	0.00	43.49	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	65
20	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड	2019-20	2022-23	1.00	0.00	1.01	0.00	(-)0.03	(-)0.03	0.00	0.00	(-)0.03	0.97	0.97	3
21	मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	प्रथम लेखा प्राप्त नहीं हुआ													
क्षेत्र योग				30.077	0.00	1,367.06	1,743.44	11.00	0.88	0.59	1.08	2.55	41.08	41.08	2,850
सकल योग क				197.90	109.58	3,215.76	2,271.29	(-)68.20	17.13	5.65	6.44	29.22	129.70	239.28	4,630
ख	सांविधिक निगम														
वित्त पोषण															
1	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2018-19	2023-24	99.57	106.15	305.97	2.55	(-)160.16	6.40	7.60	0.00	14.00	(-)60.59	45.56	14
		2019-20	2023-24	99.57	110.06	311.20	1.52	(-)166.84	(-)6.68	7.49	0.00	0.81	(-)67.27	42.79	
		2020-21	2023-24	99.57	112.88	318.18	1.23	(-)173.82	(-)6.98	7.40	0.00	0.42	(-)74.25	38.63	
		2021-22	2023-24	99.57	112.88	326.17	1.45	(-)180.97	(-)7.16	7.25	0.00	0.09	(-)81.40	31.48	
क्षेत्र योग				99.57	112.88	326.17	1.45	(-)180.97	(-)7.16	7.25	0.00	0.09	(-)81.40	31.48	14
सेवाएं															
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2021-22	2022-23	1063.12	18.02	923.84	1,049.20	(-)1,707.12	(-)133.18	5.74	0.00	(-)127.44	(-)644.00	(-)625.98	11,138
क्षेत्र योग				1063.12	18.02	923.84	1,049.20	(-)1,707.12	(-)133.18	5.74	0.00	(-)127.44	(-)644.00	(-)625.98	11,138
कुल ख				1,162.69	130.90	1,250.01	1,050.65	(-)1,888.09	(-)140.34	12.99	0.00	(-)127.35	(-)725.40	(-)594.50	11,152
सकल योग क व ख				1,360.59	240.48	4,465.77	3,321.94	(-)1,956.29	(-)123.21	18.64	6.44	(-)198.13	(-)595.70	(-)355.22	15,747
ग	अकार्यशील सरकारी कंपनियां														
कृषि व संबद्ध															
1	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	17.72	60.15	1.33	0.00	(-)78.23	(-)0.04	0.00	0.00	(-)0.04	(-)60.51	(-)0.36	1
कुल				17.72	60.15	1.33	0.00	(-)78.23	(-)0.04	0.00	0.00	(-)0.04	(-)60.51	(-)0.36	1
विनिर्माण															
2	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	2000-01	2001-02	0.92	0	0	0.00	(-)5.44	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01	(-)4.52	(-)4.52	-
कुल				0.92	0	0	0.00	(-)5.44	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01	(-)4.52	(-)4.52	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
सेवाएं															
3	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	2016-17	2018-19	1.00	0	124.35	543.97	9.49	9.49	0.00	4.78	14.27	10.49	10.49	10
	क्षेत्र योग			1.00	0	124.35	543.97	9.49	9.49	0.00	4.78	14.27	10.49	10.49	10
	कुल ग			19.64	60.15	125.68	543.97	(-)74.18	9.44	0.00	4.78	14.22	(-)54.54	5.61	11
	सकल योग क ,ख व ग			1,380.23	300.63	4,591.45	3,865.91	(-)2,030.47	(-)113.77	18.64	11.22	(-)83.91	(-)650.24	(-)349.61	15,782
घ	विद्युत क्षेत्र														
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2021-22	2022-23	832.23	5,147.87	11,006.78	7,114.31	(-)1,809.61	(-)103.69	525.67	0.00	421.98	(-)977.38	4,170.49	18,589
2	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	561.99	1,830.05	3,274.49	98.77	(-)395.91	(-)169.79	123.78	0.00	(-)46.01	166.08	1,996.13	318
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2020-21	2022-23	2,187.71	1,171.09	8,195.82	122.08	(-)552.07	(-)188.04	142.77	0.00	(-)45.27	1,635.64	2,806.73	560
4	ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	300.00	1,784.61	2,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,084.61	101
	क्षेत्र योग			3,881.93	9,933.62	24,753.59	7,335.16	(-)2,757.59	(-)461.52	792.22	0.00	330.70	1,124.34	11,057.96	19,568
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल योग			5,262.16	10,234.25	29,345.04	11,201.07	(-)4,788.06	(-)575.29	810.86	11.22	246.79	474.10	10,708.35	35,350

टिप्पणी: हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के चिन्हित आंकड़े क्षेत्रीय योग एवं सकल योग में शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भ: परिच्छेद 5.7.3)

01 अप्रैल 1999 व 1999-2000 से 2022-23 तक राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

	1999-2000 तक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)																											
कृषि व संबद्ध																											
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड																										
इन्विटी	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.54	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित																										
इन्विटी	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	14.54	3.55	0.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित																										
इन्विटी	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																									59.80		
सकल कुल कृषि व संबद्ध																									61.90		
वित्तपोषण																											
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम																										
इन्विटी	1.57	0.40	0.65	0.80	1.20	1.00	0.50	1.20	0.90	1.10	0.86	0.00	0.00	0.28	0.54	0.80	0.67	0.54	0.75	1.00	0.00	1.75	1.25	0.00	0.00	0.00	17.76
आई एफ एल	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम																										
इन्विटी	1.25	0.00	0.10	0.22	0.30	0.30	0.30	0.40	0.85	0.85	1.08	0.30	1.14	0.00	0.60	0.65	0.75	0.75	0.80	1.77	1.35	0.75	0.39	0.00	0.00	0.00	14.90
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम																										
इन्विटी	0.75	0.17	0.25	0.40	0.40	0.40	0.49	0.40	0.46	1.02	1.08	1.16	0.50	0.64	1.30	0.53	0.64	0.75	0.00	1.68	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओ एंड ए ई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
																									47.43		
सकल कुल वित्तपोषण																									0.00		
																									4.00		
विनिर्माण																											
7	हिमाचल प्रदेश पथ एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित																										
इन्विटी	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित																										
इन्विटी	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड																										
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड																										
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओ एंड ए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	1.26

																								55.83	
																								सकल कुल विनिर्माण	
																								0.00	
																								1.26	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
विनिर्माण																									
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित																								
इन्विटी	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																								7.04	
																								सकल कुल विनिर्माण	
																								0.00	
सेवाएं																									
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित																								
इन्विटी	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सीमित																								
इन्विटी	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
आई एफ एल	0.48	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.93	0.00	0.05
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड																								
इन्विटी	4.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम																								
इन्विटी	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	14.30
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओ एंड ए ई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21	16.00	54.21
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम																								
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित																								
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओ एंड ए ई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.89	180.13	111.20	97.97	504.19
18	रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड																								
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओ एंड ए ई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	26.13	6.89
19	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोप वे कारपोरेशन लिमिटेड																								
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																								31.322	
																								सकल कुल सेवाएं	
																								0.05	
																								598.92	
सांविधिक निगम (वित्त पोषण)																									
20	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम																								
इन्विटी	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92.98
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	-2.83	0.00
																								92.98	
																								सकल कुल वित्तपोषण	
																								0.00	

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
सांविधिक निगम (सेवाएं)																										
21	हिमाचल पथ परिवहन निगम																									
इन्विटी	163.16	11.90	12.00	11.01	26.70	12.30	12.30	12.30	31.49	31.00	42.18	31.92	25.30	44.34	58.00	42.95	41.20	45.00	50.00	59.00	79.39	62.02	140.48	180.00	1225.94	
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																									1225.94	
सकल कुल सेवाएं																									0.00	
निष्क्रिय कृषि व संबद्ध एवं सेवा																										
22	एयो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड																									
इन्विटी	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	हिमाचल प्रदेश बेवेरेज लिमिटेड																									
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																									17.75	
सकल कुल कृषि व संबद्ध																									0.00	
कुल इन्विटी	300.04	32.48	13.01	12.43	28.60	16.06	13.59	14.30	38.31	53.97	117.17	34.61	26.94	45.76	67.49	44.94	43.26	48.04	51.56	63.90	81.25	66.27	144.12	180.00	1,538.09	
कुल आई एफ एल	0.49	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	2.25	-0.10	0.00	0.00	9.50	5.00	2.54	14.54	3.55	6.52	8.00	10.00	0.00	0.90	0.00	-2.83	62.02	
ओ एंड ए ई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.89	225.84	153.33	110.12	604.18	
सकल योग	300.53	33.99	13.01	12.43	28.60	16.06	13.74	14.30	40.56	53.87	117.17	34.61	36.44	50.76	70.03	59.48	46.81	54.56	59.56	73.90	196.14	293.01	297.45	287.29	2,204.29	
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग (विद्युत क्षेत्र)																										
1	हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड																									
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11	241.32	242.41	75.76	48.05	202.18	180.00	193.31	91.25	133.27	137.12	160.00	165.00	62.21	11.00	67.35	2,090.34	
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
विनिवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-537.15	0.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,087.15	
2	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड																									
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	45.70	60.00	50.00	5.78	8.00	25.96	32.79	19.51	27.71	40.00	53.75	84.00	67.00	8.00	539.20	
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
विनिवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108.70	
3	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित																									
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.52	0.00	50.00	31.75	75.00	50.00	50.00	17.28	50.00	35.91	50.77	50.00	50.00	907.23	
आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ओ एंड ए ई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	
विनिवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11	252.32	288.11	532.28	98.05	257.96	219.75	294.27	174.04	202.78	182.11	250.00	254.66	196.98	128.00	125.35	3,536.77	
कुल आई एफ एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल ओ एंड ए ई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	
कुल विनिवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645.85	0.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,195.85	
सकल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11	252.32	288.11	532.28	-547.80	257.96	219.75	-255.73	174.04	202.78	182.11	250.00	254.66	207.98	128.00	125.35	2,351.92	
कुल इन्विटी	300.04	32.48	13.01	12.43	28.60	16.06	13.59	14.30	118.42	306.29	405.28	566.89	124.99	303.72	287.24	339.21	217.30	250.82	233.67	313.90	335.91	263.25	272.12	305.35	5,074.87	
कुल आई एफ एल	0.49	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	2.25	-0.10	0.00	0.00	9.50	5.00	2.54	14.54	3.55	6.52	8.00	10.00	0.00	0.90	0.00	-2.83	62.02	
कुल ओ एंड ए ई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.89	236.84	153.33	110.12	615.18	
कुल विनिवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645.85	0.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,195.85	
सकल योग	300.53	33.99	13.01	12.43	28.60	16.06	13.74	14.30	120.67	306.19	405.28	566.89	-511.36	308.72	289.78	-196.25	220.85	257.34	241.67	323.90	450.80	500.99	425.45	412.64	4,556.22	

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भ: परिच्छेद 5.8.2)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संचित हानि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र का प्रकार	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	लेखा वर्ष	अंतिम रूप दिए जाने का वर्ष	ब्याज व कर के बाद निवल लाभ(+)/ हानि(-)	प्रदत्त पूंजी	बकाया दीर्घावधि ऋण	मुक्त भंडार	कुल परिसंपत्ति	टर्नओवर	संचित घाटा (-)	नियोजित पूंजी	नेट वर्थ
सरकारी कंपनियां													
1	कृषि व संबद्ध	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	0.33	18.85	13.22	0.00	42.27	84.05	-13.48	18.59	5.37
2	कृषि व संबद्ध	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित	2021-22	2023-24	2.89	38.77	45.55	0.00	167.58	112.73	-83.87	0.45	-45.10
3	कृषि व संबद्ध	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2018-19	2022-23	0.98	11.71	5.71	0.00	179.61	202.88	-113.04	-95.62	-101.33
4	वित्त पोषण	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2016-17	2022-23	-0.29	11.34	23.47	0.00	35.3	1.34	-5.72	29.09	5.62
5	सेवाएं	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21	2023-24	1.01	9.25	0	0.00	24.02	24.48	-12.42	-3.17	-3.17
6	सेवाएं	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2017-18	2023-24	-2.76	12.3	0	0.00	78.25	98.36	-27.27	-14.97	-14.97
7	सेवाएं	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	2019-20	2022-23	-0.03	1	0	0.00	1.01	0	-0.03	0.97	0.97
8	कृषि व संबद्ध	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	-0.04	17.72	60.15	0.00	1.33	0	-78.23	-0.36	-60.51
9	विनिर्माण	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	2000-01	2001-02	-0.01	0.92	0	0.00	0	0.00	-5.44	-4.52	-4.52
10	विद्युत	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीमित	2021-22	2022-23	-103.69	832.23	5,147.87	0.00	11,006.78	7,114.31	-1,809.61	4,170.49	-977.38
11	विद्युत	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	-169.79	561.99	1,830.05	0.00	3,274.49	98.77	-395.91	1,996.13	166.08
12	विद्युत	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2020-21	2022-23	-188.04	2,187.71	1,171.09	0.00	8,195.82	122.08	-552.07	2,806.73	1,635.64
योग					-459.44	3,703.79	8,297.11	0.00	23,006.46	7,859.00	-3,097.09	8,903.81	606.70
सांविधिक निगम													
13	वित्तपोषण	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2021-22	2023-24	-7.16	99.57	112.88	0.00	326.17	1.45	-180.97	31.48	-81.40
14	सेवाएं	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2021-22	2022-23	-133.18	1,063.12	18.02	0.00	923.84	1,049.23	-1,707.12	-625.98	-644.00
योग					-140.34	1,162.69	130.9	0.00	1,250.01	1,050.68	-1,888.09	-594.5	-725.40
सकल योग					-599.78	4,866.48	8,428.01	0.00	24,256.47	8,909.68	-4,985.18	8,309.31	-118.70

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भ: परिच्छेद 5.12.2)

30 सितम्बर 2023 तक बकाया लेखों की संख्या सहित बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र. सं.	30 सितम्बर 2023 तक बकाया लेखाओं की संख्या वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची एवं लेखाओं को अंतिम रूप देने की अवधि	बकाया लेखाओं की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड (2021-22)	1
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित (2021-22)	1
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (2018-19)	4
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (2018-19)	4
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2017-18)	5
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (2016-17)	6
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित (2021-22)	1
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (2020-21)	2
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	3
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	3
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (2021-22)	1
12	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2020-21)	2
13	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2021-22)	1
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (2019-20)	3
15	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम सीमित (2021-22)	1
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड (2020-21)	2
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (2017-18)	5
18	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (2019-20)	3
19	हिमाचल कंसल्टेंसी संगठन सीमित (2021-22)	1
20	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड (2019-20)	3
21	रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड (2020-21)	2
22	हिमाचल प्रदेश बेवेरेज लिमिटेड (2016-17)	6
23	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (2013-14)	9
24	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (2021-22)	1
25	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	1
26	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित (2021-22)	1
27	मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया)	1
सकल योग		73

परिशिष्ट-5.6

(संदर्भ: परिच्छेद 5.12.1)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उदयमों की सूची जहां अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उदयमों के नाम (लेखों को अंतिम रूप दिए जाने का वर्ष)	01 अक्टूबर 2022 व 30 सितम्बर 2023 के मध्य अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड (2020-21 से 2021-22)	2
2	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (2021-22)	1
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (2020-21)	1
4	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित (2021-22)	1
5	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित (2021-22)	1
6	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित (2021-22)	1
7	रोप वे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड (2020-21)	1
8	हिमाचल कंसल्टेंसी संगठन सीमित (2021-22)	1
9	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (2017-18)	1
10	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित (2021-22)	1
11	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2016-17 से 2017-18)	2
12	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड (2020-21)	1
13	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (2015-16 से 2018-19)	4
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (2019-20)	1
15	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (2020-21)	1
16	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2021-22)	1
सकल योग		21

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh/hi>

